अष्टम माला, खंड 51, अंक 6

मंगलवार, 25 जुलाई, 1989
3 श्रावण, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 25 जुलाई, 1989/3 श्रावण, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (i)	नीचे से 3	"1220" के स्थान पर "1228" पढ़िये ।
विषय सूची (iii)	नीचे से 2	"फैफुद्दीन" के स्थान पर "सैफुद्दीन" पढ़िये ।
11	नीचे से 5	"हाटिल" के स्थान पर "पाटिल" पढ़िये ।
13	नीचे से 11	मंत्री के नाम के पश्चात् (क) अंतः स्थापित करिये।
29	नीचे से 3	"(ख) और (ग)" के स्थान पर "(ख)" और (घ)" पढ़िये ।
51	नीचे से 5	"(क)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये ।
51	नीचे से 12	शीर्षक में "विवध" के स्थान पर "विविध" पढ़िये ।
71	नीचे से 12	शीर्षक में "सहायसा" के स्थान पर "सहायता" पढ़िये ।
77	नीचे से 12	"के0के0डी0सुल्तानपुरी" के स्थान पर "के0डी0सुल्तानपुरी" पढ़िये ।
85	नीचे से 7	"शाबुद्दीन" के स्थान पर "शाहबुद्दीन" पढ़िये।
92	19	शीर्षक में "हमीपुर" के स्थान पर "हमीरपुर" पढ़िये ।
114	नीचे से 12	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।

. . . 2/-

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
115	नीचे से 3	"रामूवालिला" के स्थान पर "रामूवालिया" पढ़िये।
115	नीचे से 14	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
142	3	प्रश्न संख्या "1171" के स्थान पर "1172" पढ़िये।
146	12	"(न)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
155	12	"(क) से (च)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये।
158	18	प्रश्न संख्या "1120" के स्थान पर "1200" पढ़िये।
168	14	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित्त मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अ - चौदहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अं . ... 25 जुलाई, 1989 3 श्रावण, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या :	102, 104 से 107 और 110	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		22—186
तारांकित प्रश्न संख्या :	101, 109, 111 से 115 और 118 से 120	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1014, 1015' 1018 से 1022, 1024 से 1027, 1029, 1030, 1033 से 1037, 1039, 1040, 1042, से 1047, 1049 से 1052, 1054, 1955, 1057 से 1060, 1062 से 1064, 1066 से 1075, 1077 से 1099, 1101 से 1108, 1110 से 1112, 1114 से 1123, 1127 से 1135, 1137, 1138, 1140 से 1143, 1146, से 1158, 1160, 1163, से 1194, 1197, 1199, 1200, 1202 से 1204, 1206 से 1225, 1220, 1229, 1233 से 1236, 1238, 1239 और 1241, से 1244	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही स्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र 186—195

सभा पटल पर रखे गए पत्र 195—197

नियम समिति 19

चौथा प्रतिवेदन

याचिका समिति 197

12वां प्रतिवेदन

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1989-90 198

विवरण

नियम 377 के अधीन मामले 198—201

(एक) गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग रोके जाने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे 198

(दो) बुधाल-महीरी-गुल मार्ग को पूरा किए जाने के लिए धन-राशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) 198

(तीन) फिरोजपुर-जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी में रसोई भण्डार कार सेवाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री अनूप चन्द शाह 199

(चार) गोरखपुर में एक विकास केन्द्र तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित किए जाने को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री मदन पांडे 199

(पांच) राजस्थान के बूंदी जिले को "उद्योग विहीन जिला" घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री शांति धारीवाल 199

(छः) उत्तर बिहार को प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री काली प्रसाद पांडेय 200

(सात) माही बजाज सागर बांध के निर्माण के कारण बेघर हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के किसानों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुलाल रावत 200

(आठ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा कार्ड धारकों के लिए देश के विभिन्न अस्पतालों में पृथक यूनिटें खोले जाने की आवश्यकता

डा० फूलरेणु गुहा 200

नियम 193 के अधीन चर्चा 201—257

भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 की संख्या-2) संघ सरकार-रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टिरियां) के पैरा 11 और 12

श्री आशुतोष लाहा 201—205

श्री शंकर लाल 205—208

श्री सैयद शाहबुद्दीन 208—212

श्री ए० के० पांजा 212—227

श्री के० आर० नटराजन 227—229

श्री ए० चार्ल्स 229—234

श्री पी० चिदम्बरम 234—251

प्रो० सैफुद्दीन सोज 251—253

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 253—257

लोक–सभा

मंगलवार 25 जुलाई, 1989/3 श्रावण, 1911 (शक)

लोक-सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कार्गो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं

[अनुवाद]

***102. श्री पी० एम० सईद** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्गो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रणाली विकसित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु एअर इंडिया को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी विमान कम्पनियों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना से होने वाले मुख्य लाभ क्या-क्या हैं।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत के बाहर विमान क्षमता में वृद्धि करने के प्रयोजन से निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(1) जनवरी से जुलाई तक की व्यस्ततम अवधि में विदेशी एयरलाइनों सहित सभी एयरलाइनों के अनुसूचित और गैर-अनुसूचित मालवाहक परिचालनों को आवक माल अधिकारों के साथ प्रतिबन्ध रहित अनुमति दी जाती है।

(2) राष्ट्रीय वाहक की माल क्षमता बढ़ा दी गयी है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निर्यात माल के लिए धारक क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है।

(4) एयरलाइनों की माल उठाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर माल को रखने के लिए विलंब शुल्क मुक्त अवधि बढ़ा दी गयी है।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि इंडियन-एक्स प्रेस में समाचार, छपा था। हम सभी ने बंधुआ मजदूरों के बारे में सुना है। सबसे पहले इस समाचार पत्र में यह बताया गया कि एयर इंडिया बंधुआ ट्रकों वाली व्यवस्था शुरू करने की कोशिश कर रही है जिसके तहत माल को आरम्भिक स्थान से ही सीमा शुल्क निपटा दिया जायेगा और फिर उस पर सीमा शुल्क सम्बन्धी सील लग जायेगी और इसे इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया जायेगा। उन्होंने कार्गो निर्यात को बढ़ाने की जानकारी दी। इसमें तीन या चार बातें हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि पिछली व्यस्ततम अवधि-जनवरी से जुलाई की तुलना में कार्गो निर्यात की मात्रा क्या है और इस सुविधा के बढ़ाये जाने पर इस व्यस्ततम अवधि के दौरान कार्गो निर्यात की मात्रा और मूल्य क्या है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : बंधुआ ट्रक व्यवस्था हाल ही में आरम्भ की गयी है। यह इसलिए शुरू की गयी थी ताकि हवाई अड्डों पर माल इकट्ठा न होने पाए और यह, वह स्थान न घेर ले जो वहां कार्गो को रखने के लिए उपलब्ध है। कार्गो को आरम्भिक स्थान से, जहां से यह ले आया जाता है ट्रक में रखा जाता है, इस सील कर दिया जाता है और वहां इस पर सीमा शुल्क सम्बन्धी सील भी लगा दी जाती है। इस तरह यह भंडारग्रह में नहीं ले आया जाता है बल्कि यह सीधे ही विमान पर जाता है और वहां से ले लिया जाता है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए आंकड़ों का सम्बन्ध है, हमें ये आंकड़े एकत्र करने पड़ेंगे। ये आंकड़े बदलते रहते हैं क्योंकि यह उस मात्रा पर निर्भर है जिसे निर्यात और आयात किया जाना है या इसी तरह की कोई और वजह है।

जहां तक क्षमता का सवाल है हम जानते हैं कि हमने कितनी क्षमता उपलब्ध की है। 198‑-88 में विमानों में 904.9 टन तथा मालवाहकों में 406.5 टन की क्षमता उपलब्ध की गयी। 1988-89 में विमानों की 1222.1 टन तथा मालवाहक विमानों में 132.0 टन की क्षमता है। 1989-90 में विमानों की 1312.2 टन तथा मालवाहकों में यह क्षमता 150 टन है। इस तरह यह क्षमता उपलब्ध की गई है।

इसके अलावा हम विदेशी, विमान सेवाओं को भी माल वहन की अनुमति दे रहे हैं। यदि वे माल वाहक को देश में लाना चाहते हैं और साथ ही यदि वे माल को यहां से ले जाना चाहते हैं तो हम उन्हें अनुमति दे रहे हैं। ऐसे कई कदम उठाये गये हैं।

श्री पी० एम० सईद : प्रश्न के भाग (घ) के अपने उत्तर में उन्होंने जिक्र किया है कि भारत के बाहर विमान क्षमता में वृद्धि करने के प्रयोजन से जिससे माल के निर्यात में सहायता मिलेगी, एयर-लाइनों की माल उठाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए "अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर माल को

रखने के लिए विलंब शुल्क मुक्त अवधि बढ़ा दी गई है। जैसे कि मैं समझता हूं विलंब शुल्क अवधि भेजने के बाद सात दिन तक होती है। मैं नहीं जानता कि क्या यह अवधि बढ़ाई गयी है या नहीं।

मेरा अनुभव यह है कि—मेरे पास पिछले सप्ताह एक छोटा पार्सल था और मेरा वहां जाना हुआ—मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सातवें दिन के लिए उन्होंने मुझसे विलंब शुल्क लिया। मैं नहीं जानता कि यह कैसे किया गया। केवल उदाहरण देने के लिए मैंने इसका जिक्र किया है, आपने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर माल को रखने के लिए विलंब शुल्क मुक्त अवधि बढ़ा दी गयी है। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माल को रखने के लिए विलंब शुल्क मुक्त अवधि 6 दिन थी। यह अवधि 31-5-89 तक 15 दिन के लिए बढ़ा दी गयी थी। इस समय 15 दिन तक बिना कोई विलंब शुल्क दिये आप माल रख सकते हैं।

उड़ीसा में कोणार्क से गोपालपुर तक "मेरीन ड्राइव" का निर्माण

***104. श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोणार्क से गोपालपुर तक व रास्ता चिलका झील, एक मेरीन ड्राइव का निर्माण करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार कोणार्क, पुरी, चिलका और गोपालपुर का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकास करने के लिए मेरीन ड्राइव के निर्माण का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को उड़ीसा सरकार से कोणार्क से गोपालपुर तक व रास्ता, चिलका झील तक मेरीन ड्राइव का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता हेतु न तो कोई प्रस्ताव मिला है नहीं मेरीन ड्राइव विभाग की ऐसी कोई स्वीकृत योजना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजमोहन महन्ती : यह उत्तर सन्तोष जनक नही है। मैं समझता हूं कि यह समस्या के प्रति सही रवैया नहीं है। जहां तक कोणार्क, पुरी, चिलका और गोपालपुर का सम्बन्ध है ये सभी पर्यटन स्थल हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। चूंकि गोपालपुर का छोटे पतन के रूप में विकास

किया गया है अतः यह आवश्यक है कि सभी स्थानों को मेरीन ड्राईव द्वारा जोड़ा जाना चाहिए और मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री को एक या दो बार लिखा है और उत्तर काफी सकारात्मक था कि उन्होंने राज्य सरकार से एक परियोजना रिपोर्ट मंगाई हुई है। मेरा निवेदन है कि जब राज्य सरकार के पास कोई धनराशि नहीं है तो क्यों न केन्द्र सरकार इसे अपनी योजना में शामिल कर ले ? यदि आप कहते हैं जी नहीं, जी, नहीं, जी हां तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप देश के एक जिम्मेदार मन्त्री हैं और इस तरह का उत्तर देना ठीक नहीं है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं इस बात से सहमत हूं कि कोणार्क, गोपालपुर और पुरी बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और चिलकाझील भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कोणार्क, पुरी, चिलका को विकसित करने के लिए जो भी आवश्यक है किया जा रहा है। हम यह सब पर्यटन विभाग द्वारा दी गयी सहायता से कर रहे हैं। परन्तु मेरीन ड्राईव के लिए जहां तक सड़क निर्माण की बात है यह पर्यटन-विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। यह किसी अन्य मंत्रालय ने करना है। साथ ही सड़कों का निर्माण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि वे सड़कें चाहते हैं तो उन्हें उस विभाग और मंत्रालय को लिखना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि वे चाहते हैं कि रेल आदि के संबंध में कुछ हो उन्हें रेल मंत्रालय को लिखना चाहिए और यदि वे चाहते हैं कि नागर विमानन के सम्बन्ध में कुछ हो तो उन्हें नागर विमानन मन्त्रालय को लिखना चाहिए। पर्यटन विभाग को तो बहुत सीमित बजट सहायता मिलती है और वह भी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलती है। अतः राज्यों में सड़कों के निर्माण के लिए धन देना इस मंत्रालय के लिए मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार ने भी इस संबंध में कुछ नहीं लिखा है। इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम स्थान के महत्व को महसूस नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नाराज होने से बात नहीं होती।

[अनुवाद]

श्री बृज मोहन महन्ती : अब मैं एक बात का विश्लेषण कर सकता हूं कि धन सीमित है। परन्तु पर्यटन को बढ़ावा देना पर्यटन विभाग की पहली जिम्मेदारी है। यह स्थान अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री अन्य विभागों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करते हुए आगे कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ताकि एक मेरीन ड्राईव बन सके ?

यह 8वीं योजना या 9वीं योजना के दौरान किया जा सकता है। ये स्थान मेरीन ड्राईव बनाने के लिए आपस में जोड़े जा सकते हैं। यही मैंने कहा था। देश के उस क्षेत्र की जनता की भावनाएं इसी से जुड़ी हुई हैं मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय को इस पर पुनर्विचार करें और एक सकारात्मक उत्तर दे जो कि देश के इस क्षेत्र में व्याप्त असंतोष को दूर करने में सहायक हो।

एक माननीय सदस्य : वह भावनात्मक रूप से आपके साथ है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं केवल एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पर्यटन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी केवल केन्द्र सरकार की ही नहीं है। यह जिम्मेदारी निजी क्षेत्र, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की है।

केन्द्र सरकार वास्तव में राज्य सरकारों की विकास के लिए पंचवर्षीय योजना, दस वर्षीय योजना, पन्द्रह वर्षीय संदर्शी योजनाएं बनाने में सहायता कर रही है। कतिपय मामलों में वे देश में और देश के बाहर पर्यटकों को जानकारी देने में भी सहायता दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर कुछ न्यूनतम सुविधायें भी उपलब्ध—करायी जानी हैं और इन न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र-सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है।

लेकिन जहां तक सड़क निर्माण और इसी प्रकार के अन्य कार्यों का संबंध है यह राज्य-सरकार की पहली जिम्मेदारी है और यदि वे किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो इसके लिए एक मंत्रालय है जिससे वे सम्पर्क कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके मामले की वकालत करूं तो मुझे आपके मामले की वकालत करने में प्रसन्नता होगी।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, प्रश्न बहुत विशेष है। प्रश्न का भाग (ग) यह है कि "क्या केन्द्रीय सरकार मेरीनड्राइव के निर्माण का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है।" प्रश्न यह है।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है इसका कोई विशेष उत्तर नहीं दिया गया है। यह बताया गया है कि पर्यटन के वास्ते गोपालपुर में सुधार किया गया है, परन्तु यह ठीक नहीं है। कुछ भी नहीं किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल से ही यह एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान रहा है। गोपालपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के वास्ते कुछ भी नहीं किया गया है। इस तरह समुद्र तट पर बने उस स्वास्थ्यवर्धक स्थल पर पर्यटन की सम्भावना कम होती जा रही है। पर्यटन के लिए संचार सुविधायी आवश्यक है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में जो केवल भारत में ही बल्कि बाहर भी प्रसिद्ध हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। क्या वह इस दिशा में पहल करेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं इन स्थानों के महत्व से असहमत नहीं हूं। जहां तक विशेष पर्यटन गतिविधि का सम्बन्ध है हम जितना कुछ दे सकते हैं, देने का पूरा प्रयत्न करेंगे परन्तु हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सरकार ऐसी है जिसमें दायित्व बंटे हुए हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य द्वारा किए जाने हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा किये जाने हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो रेल मंत्रालय को करने हैं। यदि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दायित्व वहन किया जाना है तो हमें उनसे सम्पर्क करना होगा। यदि आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब योजना आयोग दे सकता है तो मैं उस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। मैं यह कह रहा हूं कि सड़क बनाने का दायित्व पर्यटन विभाग पर नहीं है। हमें इस तथ्य को को समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह कह रहा हूं कि यदि सड़क का बनाना जरूरी है तो मैं इसके लिए पर्यटन मंत्रालय से निवेदन करने के लिए तैयार हूं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : प्रश्न का वास्तविक अर्थ यह है कि सभी पर्यटन स्थलों के लिए सम्पर्क मार्ग होना चाहिए, सबसे पहले कोणार्क, पुरी तथा चिल्का जैसे पर्यटन स्थलों का विकास किया जाना चाहिए। इस बारे में मंत्री महोदय भी हमारी भावनाओं से सहमत हैं। जहां तक चिल्का का सम्बन्ध है, जो किया जाना चाहिए वह अभी तक नहीं किया गया है। कोणार्क का भी यही हाल है। चिल्का में हमें जो कार्य करना चाहिए वह शुरू नहीं हुआ है, चिल्का देश में सबसे बड़ी झील है और इसकी क्षमता बहुत अधिक है। यहां तक कि संसद की प्राक्कलन समिति ने भी इस पर रिपोर्ट दी है

हैं और हमें नहीं मालूम कि इसकी कौन सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहती हूं—कि चिल्का में बहुत से सुन्दर टापू हैं। क्या सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहां होटल तथा रेस्टोरेंट बनाने पर विचार करेगी ? चिल्का एक सुन्दर स्थल है। क्या मंत्री जी आधारभूत सुविधाएं हवाई पट्टी, जल परिवहन, हाउस बोट जल क्रीड़ा, वन्य जीव संवर्द्धन, मत्स्य पालन इत्यादि के विकास सहित पर्यटन की कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेंगे ? मैं जानना चाहती हूं कि क्या वे चिल्का के लिए ही कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य समझने की स्थिति में है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि वह इस बारे मे इतनी स्पष्ट हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं उड़ीसा गया था और मैंने हैलीकाप्टर से पूरे राज्य का सर्वेक्षण किया था। हमने उन स्थानों का पता लगाया है जहां विकास हो सकता है। राज्य के मुख्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री भी मेरे साथ थे। उन्होंने कोणार्क, ललितगिरी, उदमगिरी और चिल्का के लिए बृहत तैयार की है। हमारे द्वारा तैयार की गई बृहत योजना राज्य सरकार के पास भेजी गई है और इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु हम राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब उनकी टिप्पणियां मिल जायेंगी तब हम यह निर्णय ले सकते हैं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा क्या किया जा सकता है। जहां तक होटलों के निर्माण का सम्बन्ध है नीति सम्बन्धी मामला होने के नाते होटल बनाने का काम निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया है क्योंकि हम होटल बना कर उन्हें चलाना नहीं चाहते। जहां कोई व्यक्ति जाकर होटल बनाने को तैयार नहीं होता केवल वहीं राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार होटल बनाएगी। गोपालपुरम में भी एक होटल है। चिल्का में होटल है। जहां तक चिल्का का सम्बन्ध है, हमने उन्हें नावें दी हैं। हम कुछ टापुओं को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चिल्का के आस-पास के क्षेत्रों को भी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कठिनाई नहीं है। एक व्यापक योजना है। यदि आप इसका अध्ययन करें तो आप कुछ बहुत अच्छी बातें बता सकते हैं !

[हिन्दी]

राव बीरेन्द्र सिंह : आप चीफ मिनिस्टर को अहमियत देंगे या चीफ मिनिस्टर की वाइफ को अहमियत देंगे।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं उनकी अर्धांगिनी तथा इस सभा की सदस्य को अधिक महत्व दूंगा।

अध्यक्ष महोदय . सभा के सदस्य के रूप में भी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जी हां, सभा के सदस्य के रूप में।

मध्य प्रदेश में चित्रकूट तथा खजुराहो के लिए विमान सेवा

*105. **श्री अजीज कुरेशी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चित्रकूट तथा मयहर के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को तथा भारी संख्या में स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों द्वारा इन स्थानों की यात्रा करने को ध्यान में रखते हुए इनको देश के अन्य भागों के साथ विमान सेवा से जोड़ने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों के लिए विमान सेवा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। मध्य प्रदेश में चित्रकूट और मयहर का विमानन सेवा से जोड़ने की इंडियन एयर लाइन्स तथा वायुदूत की कोई तात्कालिक योजनायें नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ये दोनों स्थान सतना से ज्यादा दूर नहीं हैं जहां वायुदूत डोर्निअर सेवा सप्ताह में तीन बार भोपाल-रेवा-सतारा-सतना मार्ग उपलब्ध है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैय्यर तो सुना था, ये मैय्यर क्या है ?

श्री अजीज कुरैशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि मयर नहीं है, मैय्यर है। वह सताना नहीं है, सतना है। बता दीजिए मन्त्री जी को, उनके मंत्रालय को इतना उनको बताना चाहिए था।

दूसरी बात यह है कि मेरे प्रश्न का जो वास्तविक उद्देश्य था, उसको उनके मंत्रालय ने बिल्कुल इग्नोर किया है और स्टीन जवाब दिया है। मैंने चाहा था कि चित्रकूट की, मैहर की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए, महत्व को देखते हुए क्या आपका मंत्रालय वहां हवाई सेवा की स्थापना करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। क्या मन्त्री जी अपने मंत्रालय को यह निर्देश देंगे कि चित्रकूट वह स्थान है जहां भगवान राम ने 14 वर्ष बनवास में रहकर रावण युद्ध करने और उसका सर्वनाश करने की तैयारी की थी। आज के युग में जब जगह-जगह रावण हमारे सामने दिखाई देते हैं तो वहां हमारे राज्य में अधिक लोगों को जाना चाहिए ताकि इन रावणों का सर्वनाश करने के लिए तैयारी शुरू कर दें, आयें और उनका सर्वनाश करें। माननीय अध्यक्ष जी, हजारों लोग वहां आते हैं लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं है, न ठहरने की, न यातायात की, न जाने की और हजारों लोग वहां से निराश होकर जाते हैं। सैंकड़ों स्कालर जो तुलसी पर और खानखाना पर काम करने आते हैं, रिसर्च का, वह भी काम नहीं कर पाते। क्या इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर माननीय मंत्री जी दोबारा विचार करने की तकलीफ गवारा फरमायेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक चित्रकूट के महत्व का सवाल है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं, मगर एक स्थान का महत्व है, सिर्फ इसलिए हमारे पास हवाई जहाज ज्यादा संख्या में नहीं आते है और यह हमारी मजबूरी हो जाती है। हवाई जहाज नहीं होने की वजह से ऐसी जगहों पर हवाई जहाज चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

आपने जो दूसरी जगहें बताई हैं वहां पर हमारे जहाज जाते हैं और ये दो जगहें हैं। एक जगह जो वहां 30 किलोमीटर के फासले पर है और दूसरी जगह 40 किलोमीटर के फासले पर है। 40 किलोमीटर के फासले तक तो हमारे हवाई जहाज वहां जाते हैं और लोगों को ले जाते हैं और इसलिए फिर इसी जगह पर हवाई जहाज ले जाना बड़ी मुश्किल की बात है।

एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वह यह है कि कोई पैसा सेण्ट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ से किसी जगह पर भी खर्च नहीं करती। सेण्ट्रल गवर्नमेंट के पास जब कभी प्रपोजल आते हैं कि यह जगह हमें डवलप करनी है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है और वह कहते हैं कि हम इसके लिए 40 परसेण्ट, 60 परसेण्ट, 70 परसेण्ट पैसा खर्च करना चाहते हैं तो हम पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ से उसे खर्च करती है। टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, जिसके पास बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारा पैसा है और उसे खर्च करे। डवलपमेंट की बहुत सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट से होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट यहां कुछ करना चाहे और वह प्रपोजल हमारे पास आये तो जरूर हम उसके लिए मदद करेंगे।

श्री अजीज कुरेशी : अध्यक्ष जी, चित्रकूट का विकास नहीं होता पाया, इसका एक खास कारण यह है कि वहां मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का झगड़ा है। दोनों राज्य चित्रकूट को अपनी-अपनी सम्पत्ति बताकर उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है, जानकारी है कि इसी सदन में मैंने प्रस्ताव रखा था कि इस झगड़े को मिटाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से चित्रकूट डवलपमेंट एथॉरिटी बनाई जाये जिसको केन्द्र सरकार डायरेक्टली धनराशि दे और उस इलाके का विकास कराये। मुझे मालूम हुआ है और मैंने प्रधान मन्त्री जी को भी लिखा था इस बारे में और इस बारे में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को शायद कुछ संकेत दिया भी गया है। क्या माननीय मन्त्री जी इस पृष्ठ भूमि में इस प्रस्ताव पर गौर करने की तकलीफ करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : दोनों आदमी तो भले दिखते हैं, रावण कौन सा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आप डेट बताइए कि यह प्रस्ताव कब रखा था।

श्री अजीज कुरेशी : डेट तो आप लोकसभा के रिकार्ड से पता करवा लीजिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मुझे जरा डेट पता चले तो इसका जवाब दूं।

श्री अजीज कुरेशी : अगर डेट नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसा प्रस्ताव हो तो उस पर कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैंने पहले ही कहा सवाल के जवाब में, चित्रकूट के महत्व को ध्यान में रखते हुए···

श्री अजीज कुरेशी : अध्यक्ष महोदय, मैं चित्रकूट सेन्ट्रल डवेलपमेंट अथारिटी की बात कर रहा हूं जिससे सारे काम आसान हो जायेंगे और आपके मंत्रालय का उस पर डायरेक्ट कन्ट्रोल हो जाएगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : टूरिज्म मिनिस्ट्री सेन्ट्रल डवलपमेंट अथारिटी नहीं बनाती है।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : महोदय, देश में विमान सेवाओं का विस्तार करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय बधाई का पात्र है। परन्तु महोदय आपके माध्यम से उन्हें खेद के साथ सूचित करता हूं कि जबलपुर एक ऐसा स्थान है जहां 1988 के प्रारम्भ में दो विमान सेवायें थीं, एक इंडियन एयरलाइन्स की थी तथा दूसरी वायुदूत सेवा थी। अब इसे घटाकर एक कर दिया गया है। आप भी यह जानते हैं कि मंत्रालय को बहुत और बोइंग विमान मिलने जा रहे हैं तथा निकट भविष्य में अधिकांश मार्गों पर बोइंग विमान चलाये जायेंगे तथा ऐसे विमानों को हटा दिया जायेगा। जबलपुर हवाई अड्डे को बोइंग विमानों के आने जाने हेतु दुरुस्त बनाने का मामला काफी समय से चल रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि इसके विस्तार के लिए आवश्यक भूमि राज्य सरकार की है और वे इसे देने के लिए तैयार, हैं और रक्षा मंत्रालय जिसे जबलपुर में कुछ रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के कारण कुछ आपत्तियों थी ने भी मेरी जानकारी के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है और जबलपुर हवाई अड्डे को बोइंग विमानों के आने जाने हेतु तैयार करने की दृष्टि से हवाई पट्टी के विस्तार कार्य के लिए नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष रास्ता साफ है। आप इसे कब और किस प्रकार कार्यान्वित करने जा रहे हैं। किस तिथि तक इस कार्य के पूरा हो जाने की आशा है चूंकि यह बहुत बड़ा काम नहीं है। जबलपुर को बोइंग विमान उतरने के लिए तैयार करना होगा। यह कार्य कब तक हो जाएगा।

[हिन्दी]

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : वर्षा का भी कब होगा।

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, क्वैस्चन हाई-जैक हो गया।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : कोई भी केन्द्रीय मन्त्री जबलपुर नहीं आना चाहता क्योंकि वहां कोई भी बोइंग सेवा नहीं है और वायुदूत सेवा में आप चाय अथवा पानी तक नहीं देते है,

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात यह है, मैंने इनको कहा था कि सर्विस चाहे कम कर दो, लेकिन टाइम पर चलाओ।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी० पाटिल : यद्यपि इसका मुख्य प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें जबलपुर के लिए कुछ करने में रुचि है परन्तु कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं। आप जानते हैं कि वहां हमारा गोला-बारूद का डिपो है। हमें बताया गया है यदि उस क्षेत्र पर कोई बड़ा वायुयान उड़ता है तो कम्पन के कारण चिंगारी पैदा हो सकती है और इसमें विस्फोट हो सकता है। उन्होंने यह तकनीकी आपत्ति उठाई थी। जहां तक मुझे जानकारी है, रक्षा मंत्रालय अभी तक आपत्ति कर रहा है। परन्तु हमारे मंत्रालय के अधिकारी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं और मेरे विचार में इसका पता लगाया जा सकता है और फिर हम इस पर ध्यान दे सकते हैं। फर एक साथ हवाई अड्डा बनाना, हवाई जहाज के उतरने की सुविधा प्रदान करना, चाय तथा काफी प्रदान

करना हमेशा सम्भव नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि देश में वायुदूत सेवाओं का प्रयोग 'बुश आपरेशन्स' के रूप में किया जाने वाला है। वे केवल कम दूरी जैसे कि आधे घंटे या एक घंटे की उड़ान के लिए किए ही हैं। और वायुदूत में खाद्य वस्तुयें, पेय पदार्थ इत्यादि ले जाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं हैं।

श्री बसंत साठे : यहां तक कि मनुष्यों को ले जाना भी बहुत कठिन है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हां। एक ओर तो हम मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे ऊपर व्यंग्य कसे जाते हैं कृपया यह समझिए कि वायुदूत एक विशे प्रकार की उड़ान के लिए है। वायुदूत सेवा की तुलना इंडियन एयर लाइंस या एयर इंडिया या किसी अन्य एयर लाइंस से मत करिए। इसके उद्देश्य का समझा जाना चाहिए तथा हमें वायुदूत के प्रति थोड़ा नाम रवैया अपनाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री की आभारी हूं कि इन्होंने अपने विभाग को काफी सुचारू रूप से चलाया है और कई जगहों पर इन्होंने वायुदूत और बोइंग आदि की सुविधाएं दी हैं लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया है कि बहुत लम्बी दूरी वायुदूत से नही कर सकते, इसलिए में इनसे नम्र निवेदन करूंगी और उम्मीद करूंगी कि ये मेरे सुझाव को मानेगें। दिल्ली से झांसी-ओरछा-खजुराहो और चित्रकूट, इनके लिए वायुदूत का सफर आधे, आधे घंटे से भी कम का रहता है और सभी पर्यटन स्थल हैं। झांसी एक एतिहासिक जगह है और ओरछा' वहां से 20, 25 किलोमीटर पर है और वह चन्द्र शेखर जी का तथा पर्यटन और धार्मिक स्थल है। इसी तरह से खजराहो और चित्रकूट भी हैं। क्या इनके लिए वायुदूत की सेवा देने के लिए प्रयत्न करेगें। अगर आप ऐसा करेगें, तो मैं आपकी आभारी हूंगी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, कभी कभी जब कोई आनरेबिल सदस्य हमारी एअरलाइन्स के बारे में अच्छी बातें कहते हैं और जो आदर हमें मिलता है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है और उसके लिए में इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप का भी करना चाहूंगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे पास हवाई जहाजों की कमी है और आज ही हमें बताया गया है कि हमें दो डोर्नियर हवाई जहाज डिफेन्स से मिल रहे हैं और इनके आने के पश्चात् ही हम वहां हर कुछ कर सकते हैं। ऐसा करने में हमें बहुत आनन्द मिलेगा और हम करने की कोशिश करेगें लेकिन इस को एश्योरेंस न माना जाए। हम कोशिश जरूर करेंगे।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय ने समय से हवाई जहाज चलाने की बात कही है। खजुराहो के लिए जो 1 बजे चलता है, उसे 10 बजे में बदलये।

अध्यक्ष महोदय : अब खत्म करो।

नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से यात्री और माल यातायात

*106. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से जनवरी से जून 1989 के दौरान आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या कितनी थी और वहां से कितने माल का लदान हुआ;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर अर्जित लाभ वर्ष 1987 तथा 1988 में इसी अवधि के दौरान अर्जित लाभ से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के लिए कौन से हवाई मार्ग अधिक लाभप्रद हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) एयर, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत ने जनवरी से जून, 1989 की अवधि में त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट पर कुल मिलाकर 253462 यात्रियों का संचालन किया। इसी अवधि में 6132 टन माल का संचालन भी किया गया। किसी भी हवाई अड्डे को मार्ग सम्बन्धी लाभ प्रदता आंकने की कोई प्रणाली नहीं है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से प्रति सप्ताह बीस अथवा इससे अधिक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने होती है और यह हवाई अड्डा विदेश में रहने वाले विशेषकर खाड़ी के देशों में रहने वाले हजारों केरल वासियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा हूं कि इन परिस्थितियों में इस हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की सभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है। यदि नहीं, तो क्या इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव अथवा सिफारिश है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर सदन में अनेक बार दिया जा चुका है हम बतौर नीति चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को छोड़कर अन्य किसी हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित नहीं करना चाहते। किन्तु कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण हवाई अड्डे जो हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और त्रिवेन्द्रम उनमें से एक है। अत: अन्तर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या कराई जाएगी और कराई जा रही है, किन्तु जहां तक घोषणा का सवाल है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ अन्य बातें भी शामिल हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मंत्री जी द्वारा दिए गये उत्तर से मालूम होता है कि एयर इण्डिया इंडियन एयर लाइन्स तथा वायुदूत ने जनवरी 1989 से जून 1989 के दौरान त्रिवेन्द्रम अड्डे पर 253462 यात्रियों का संचालन किया। इसी अवधि के दौरान 6132 टन माल का लदान किया गया। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यत्रियों को सुविधा प्रदान करने तथा माल के लदान को सुविधाजनक बनाने के त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के सुधार एवं नवीकरण की कोई योजना है, यदि ऐसा है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, विमानपत्तनों टर्मिनल बिल्डिंग, हवाई पट्टियों तथा माल के लदान की सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। जहां तक विशिष्ट ब्यौरे का संबंध है, मैं माननीय सदस्य के पास लिखित रूप में ब्यौरे भेजा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री बाल चन्द्र बेन : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हवाई जहाज की मांगे देश के

अन्य हिस्सों में भी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसके सम्बन्ध में हमारे मंत्री जी ने क्या योजना बनायी है या बनाने जा रहे हैं और बनाने के बाद उसको कब तक कार्यान्वित करने जा रहे हैं ? कुछ महत्वपूर्ण स्थान ऐसे हैं जो दो एयरपोर्ट्स के बीच में पड़ते हैं। इनमें सागर एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जो कि भोपाल और जबलपुर के बीच में पड़ता है। यह स्थान इन दोनों एयरपोर्टस के करीब दो सौ किलोमीटर पड़ता है। सागर में वायु सेवा देने में मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में मध्य प्रदेश शासन ने भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। इसके साथ-साथ वहाँ की आवश्यकताएं भी बहुत बढ़ गयी हैं। आप सागर को वायुदूत या इंडियन एयरलाइंस से कब तक जोड़ेंगे, यह बताने की कृपा करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइंज, वायुदूत और दूसरी जो आरगेनाइजेशंस हैं, इन्टरनेशनल एयरपोर्ट और नेशनल एयरपोर्ट अथारिटीज, से पांच साल में, दस साल में, पन्द्रह साल में क्या-क्या करना चाहिए, इसके लिए नियोजन किया है और हमें आंकड़े बताये है। इस सारी डवलपमेंट के लिए बक बहुत बड़ी रकम की जरूरत है मेरी इंफर्मेशन है कि एक कमेटी भी बनाएंगे इन सारी चीजों को देखने के लिए। इन सारी चीजों को करने के लिए करीब-करीब 20 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। यह बीस हजार करोड़ रुपया किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस पर विचार करना है। इंडियन एयरलाइंज, एयर इंडिया भी और दूसरी आरगेनाइजेशंस भी अपने प्लेन के मुताबिक काम करने की कोशिश कर रही हैं।

जहां तक सागर को कनेक्ट करने का सवाल है, यह ऐसा सवाल है जिसको एयरलाइंज और वायुदूत के लोग देखते हैं। मिनिस्ट्री में कहां जाना है, कहां नहीं जाना है इसके बारे में हम ब्रांड पालिसी गाईडलाइंज बना कर उनको देते हैं। मगर ए/स्टेशन को दूसरे स्टेशन से जोड़ने का काम हम अपने यहां से नहीं करते हैं। आपने जो कहा है, उसको ध्यान में रखकर हम देखेंगे कि कुछ हो सकता है। अगर कुछ हो सकता है। अगर कुछ हो सकेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर नहीं हो सकेगा तो आप हमें माफ करेंगे।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर : माननीय मन्त्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का मुद्दा इस सदन में अनेक बार उठ चुका है क्योंकि यह केरल के लोगों की बहुत पुरानी मांग है। मेरे सहयोगी श्री रामचन्द्रन ने ठीक ही कहा है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से प्रति सप्ताह लगभग 20 अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं। और दिए गये ब्यौरे से मालूम होता है कि छह मास के बीच लगभग 253462 यात्रियों का त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से संचालन किया गया। अतः, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने देश के कुछ हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाने की सिफारिश की है, क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा उनमें से एक है। यदि हां, तो सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का है, और यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : केवल त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए नहीं कहा जा रहा। आंध्र प्रदेश के लोगों से हैदराबाद हवाई अड्डे को गुजरात

से अहमदाबाद, उड़ीसा से भुवनेश्वर और महाराष्ट्र से नागपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मांग की जा रही है। उसमें बंगलौर भी शामिल है। अन्य भी कई राज्य हैं·········
(व्यवधान)

श्री टी० बशीर : सरकार को कोई मापदंड निर्धारित करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : जयपुर तथा अन्य स्थानों पर भी। अतः मांग तो आ रही है। और भारत सरकार की नीति वर्तमान समय में केवल चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रखने की है, हम अन्य हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित नहीं कर रहे।

जहां तक इन हवाई अड्डों के लिए विकास का प्रश्न है, माननीय सदस्य एवं सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने देश के अनेक हवाई अड्डों का विकास किया है। अहमदाबाद, नागपुर, भुवनेश्वर बंगलौर और त्रिवेन्द्रम का विकास किया है। इसके बाद चंडीगढ़, पटना, लखनऊ और गुवाहटी भी हैं। इन विमान पत्तनों का विकास किया जा रहा है, इनका विकास राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इन सब बातों के लिए अलग समिति होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी इस क्षेत्र में विशेषता रखते हैं और उनकी कुछ योजनाएं आदि हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उन्हें इन सब बातों का ब्यौरा दिया जा सकता है।

विश्व बैंक की सहायता से दिल्ली में विद्युत परियोजना की स्थापना

*107. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में विश्व बैंक की सहायता से एक विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत और क्षमता क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितनी राशि की सहायता प्राप्त किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : वर्तमान में, विश्व बैंक की सहायता से दिल्ली में किसी भी विद्युत उत्पादन परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : 30 जून, 1989 के समाचार पत्र 'इकॉनामिक टाईम्स' में बताया गया था कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के मुख्य कार्यकारी ने कहा है कि विश्व बैंक से 90 करोड़ रुपए की सहायता के साथ एक विश्व बैंक परियोजना स्थापित की जा रही है जिससे दिल्ली में 400 किलो वोल्ट्स एम्पीयर्स विद्युत के उत्पादन में मदद मिलेगी जिससे दिल्ली में विद्युत के प्रवाह में त्रुटियों को दूर रखने में भी मदद मिलेगी। इस सम्बन्ध में मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं तथा दिल्ली में विद्युत के प्रवाह में त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कि एक सामान्य बात है, सरकार की क्या योजनाएं हैं।

श्री कल्पनाथ राय : दादरी में 4×210 मेगावाट क्षमता की एक राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। 400 किलो वोल्टस रिंग मेन लाइन भी निर्माणाधीन है।

जहां तक पहली परियोजना का सम्बन्ध है, विश्व बैंक ऋण के बारे में कोई समस्या नहीं है। जहां तक दूसरी परियोजना अर्थात दिल्ली के लिए 400 किलो वोल्ट्स रिंग मेन का सम्बन्ध है, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के राष्ट्रीय राजधानी विद्युत प्रदाय परियोजना के एक भाग के रूप में 6 करोड़ डॉलर की रकम दी है।

'डेसू' की वित्तीय व्यावहार्यता सुनिश्चित करने के लिए तथा 'डेसू' परियोजना करार के अधीन 400 किलो वोल्ट्स लाईन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए उधारकर्त्ता 'डेसू' की वित्तीय मजबूती के लिए एक संतोषजनक योजना बैंक को प्रस्तुत करेंगे और तत्पश्चात् उस योजना को कार्यान्वित करेंगे। दिल्ली में विद्युत की आपूर्ति सुविधाजनक बनाने के लिए यह योजना विचाराधीन है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : इस समय तथा अगली पंचवर्षीय योजना के लिए दिल्ली की विद्युत आवश्यकताएं क्या हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि अनुमानित मांग और उपलब्धता में अन्तर है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो विद्युत भाखड़ा, सिंगरौली और रिहन्द सिस्टम से प्राप्त होनी थी किसी न किसी कारण से प्राप्त नहीं हो रही है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश भर से दिल्ली आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है तथा औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ रहा है सरकार दिल्ली की मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है। क्या इसके लिए कोई विशेष योजना तैयार की गयी है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : यह बात सत्य है कि राजधानी क्षेत्र का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तथा दिल्ली की विद्युत की मांग में भी वृद्धि हो रही है। इस शताब्दी के अन्त तक उसमें लगभग 10 वर्ष रहते हैं—अकेले दिल्ली की मांग 3000 मेगावाट हो जाएगी।

श्री कल्पनाथ राय : यह 3500 मेगावाट हो जाएगी।

श्री वसंत साठे : यदि हमें इस कमी को पूरा करना है तो हमें दिल्ली के लिए काफी विद्युत क्षमता तैयार करनी होगी। हम दादरी में 800 मेगावाट क्षमता का राजधानी क्षेत्र विद्युत केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में लगभग 600 मेगावाट क्षमता का गैस पर आधारित एक विद्युत केन्द्र स्थापित करने का विचार है। इसके अलावा एच० वी० डी० सी० अर्थात् हाई वाल्टेज डायरेक्ट करेंट लाईन स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो सीधे रिहन्द और सिंगरौली क्षेत्र से दिल्ली को लगभग 1500 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराएगी। दिल्ली के चारों ओर 400 किलोवाट की एक रिंग लाईन भी है जो विश्व बैंक की सहायता से स्थापित की जा रही है, जिसके लिए 160 लाख डालर की सहायता उपलब्ध कराई गयी है। इस पर लगभग 159 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। विद्युत उपलब्ध कराने के इन प्रावधानों के साथ दिल्ली में विद्युत की कमी पर काबू पाया जा सकेगा। जहां तक आज की स्थिति का सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं कि जून में दिल्ली की 71 करोड़ यूनिट की आवश्यकता की तुलना में हमने 69.2 करोड़ यूनिट की मांग पूरी की गयी। इसलिए इस वर्ष यह कमी न्यूनतम थी। हमारा इरादा दिल्ली की मांग को पूरी तरह से पूरा करने का है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है। आपने चार सौ मैगावाट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, इसके अलावा भी दिल्ली की कई प्रायोरिटीज हैं जिसमें पुरानी दिल्ली भी आती है जहां अण्डर ग्राउन्ड केबलिंग की कास्ट 75 करोड़ आयेगी और जिसका भार आप नहीं उठा सकते हैं। वहां के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने क्या वर्ल्ड बैंक से पुरानी दिल्ली की अन्डर ग्राउन्ड केबलिंग करने के लिए और डवलपमेंट के लिए सिफारिश की है या वहां एप्रोच करेंगे।

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से हर तरह से सहमत हूं कि पुरानी दिल्ली की जो समस्या है अन्डर ग्राउन्ड केबलिंग की, उसे पूरा बदलना पड़ेगा क्योंकि वह पर्याप्त नहीं है इस लिए उसे बदलने के लिए चाहे वर्ल्ड बैंक से या कहीं से भी रिसोर्स उपलब्ध कराने होंगे और डेसू को किस तरह से इस मामले में मदद की जा सकती है, उसका पूरा इंतजाम हम करेंगे।

डा० कृपासिंधु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं क्योंकि वह अधिष्ठापित विद्युत क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु साथ ट्रांसमिशन और उत्पादन हानियां इतनी अधिक हैं कि जब तक इन्हें नहीं रोका जाता है तब तक क्षमता में वृद्धि करना निरर्थक होगा। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या हाई टेन्शन वेग तार का कोई स्वदेशी निर्माण है जो एल्यूमिनियम को पिछली हुई सामग्री से बनता है। मुझे यह सूचना मिली है कि देश में प्रयोग के लिए हाई टेन्शन तार का आयात किया जाता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में किसी देशी फर्म या निगम को हाई टेन्शन वेग तार का उत्पादन करने के लिए कोई लाइसेंस दिया गया है। क्योंकि देश में नेल्को, एल्यूमिनियम का उत्पादन कर रही है अतः क्या वह इस प्रस्ताव की जांच करेंगे ताकि ट्रांसमिशन और उत्पादन हानियों को चार से पांच प्रतिशत तक काम किया जा सके क्योंकि ऐसा सोवियत संघ में किया जा चुका है।

श्री बसंत साठे : मैं माननीय सदस्य का उनके महत्वपूर्ण सुझाव के लिए धन्यवाद करता हूं। हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली को रोशनी मुबारक है। मगर हम कश्मीर में भी रोशनी चाहते हैं।

[अनुवाद]

ऊर्जा मन्त्री सद्भावनाओं और प्रयासों के बावजूद जम्मू और कश्मीर राज्य में, विशेषकर कश्मीर घाटी में, विद्युत की बहुत कमी है। अब उलहस्ती और उरी परियोजना जैसी परियोजनाओं में कुछ काम हो रहा है। उलहस्ती परियोजना का कार्य अत्यधिक मन्द और धीमी गति से हो रहा है और निकट भविष्य में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें पर्याप्त विद्युत मिल सके। हमारी औद्योगिक गति बहुत ही धीमी है। हमें इस समय घरों में उपभोग के लिए विद्युत चाहिए तथा हमारी आवश्यकता 450 मेगावाट से अधिक नहीं है।

श्री साठे ने एक बार कहा था, "मुझे अधिक धन दीजिए में आपको अधिक विद्युत दूंगा :" अब क्योंकि विश्व बैंक का हवाला दिया गया है अतः मैं माननीय मंत्री से मांग करूंगा कि जहाँ तक कश्मीर घाटी में विद्युत उत्पादन का संबंध है वह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करें क्योंकि हम सलाल से भी कश्मीर घाटी से विद्युत लेने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए, वह विश्व बैंक से सहायता लेने की कृपा करें और कश्मीर घाटी को तत्काल विद्युत प्रदान करने के लिए धन की व्यवस्था करें।

श्री वसंत साठे : जहां तक कश्मीर की सहायता का संबंध है। यह इस घाटी की मुख्य समस्या है और यह समस्या जम्मू की ओर से इस घाटी में विद्युत पहुंचाने की है, जहां सलाल में विद्युत उत्पादित की जाती है। इसलिए इस घाटी में इस समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए हमने इस घाटी के लिए गैस पर आधारित ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृत दी है और इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। **(व्यवधान)**

महोदय, इसलिए कश्मीर घाटी की विद्युत समस्या का हल ढूढ़ने के लिए सबसे अच्छी बात गैस पर आधारित परियोजना स्थापित करनी होगी, जब मैंने 'गैस' शब्द कहा तो इसका अर्थ है कि यह नेफ था, एल० एस० एच० एस० हो सकती है। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह बहुत कीमती है।

श्री वसंत साठे : विद्युत न होने से तो किसी न किसी प्रकार की विद्युत मिलना कीमती नहीं है। इस घाटी के लिए तो कम से कम किसी न किसी प्रकार की विद्युत होना अच्छा ही है। उनके कहने पर हमने 100 मेगावाट यूनिट स्वीकार की। मैंने राज्य सरकार से इसे यथा संभव शीघ्र स्थापित करने का आग्रह किया है ताकि आने वाली सर्दियों की आवश्यकता को किसी न किसी प्रकार पूरा किया जा सके।

जहां तक सलाल से विद्युत लेने का संबंध है माननीय सदस्य और सभी यह जानते हैं मैं फिर से कहूंगा कि हमने सोवियत रूस को पारेषण लाइन बिछाने का ठेका दिया है और यह कार्य लगभग दो वर्ष में पूरा हो जाएगा। जैसे ही यह कार्य हो जाएगा इस घाटी की विद्युत की कमी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, अबोहर में 30 मेगावाट क्षमता का एक सोलर पावर स्टेशन लगाया जाना था, उसका क्या हुआ।

श्री वसंत साठे : हां साहब, वह जोधपुर में लगा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एक अबोहर में लगने वाला था, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

श्री वसंत साठे : उसे भी कन्सीडर करेंगे, साहब।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि श्री सैयद शाहबुद्दीन।

गांवों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

*110. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार, कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धन-राशि के आवंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) देश में गत 3 वर्षों में विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-एक)।

(ख) 1989-90 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-दो)।

(ग) योजना आयोग राज्यों में विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति, पिछले कार्यनिष्पादन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में राज्य की क्षमता तथा ग्राम विद्युतीकरण के लिए वार्षिक योजना में संसाधनों की कुल उपलब्धता के आधार पर विभिन्न राज्यों को ग्राम विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय निधियां आवंटित करता है।

अनुबन्ध-एक

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान विद्युतीकृत गांव

क्रम सं०	राज्य संघ शासित क्षेत्र	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	1987-88 लक्ष्य	1987-88 उपलब्धि	1989-89 लक्ष्य	1989-89 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	815	905*	615	1181	500	1270
2.	अरूणाचल प्रदेश	50	71	60	74	70	117
3.	असम	2211	2081*	2185	2168*	2155	1648
4.	बिहार	3500	3205*	3500	2309*	3342	2708
5.	गोवा	—	—	1	8	40 बाडास	×
6.	हरियाणा	×	×(+14)	×	×	—	×
7.	गुजरात	900	694*	418	216	—	25
8.	हिमाचल प्रदेश	500	825*	470	637*	—	× (—17)
9.	जम्मू व कश्मीर	295	111*	110	105*	120	64
10.	कर्नाटक	1000	1060*	700	443	—	313
11.	केरल	×	× (—49)	×	×	—	×

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	3000	3756*	3000	3950*	3000	4404
13.	महाराष्ट्र	500	3275	500	816	500	1236
14.	मणिपुर	85	110*	100	122*	118	170
15.	मेघालय	211	76*	225	225*	200	315
16.	मिजोरम	50	41	60	45	55	55
17.	नागालैंड	35	137	90	182	10	25
18.	उड़ीसा	1386	1392*	1400	1520	1222	1371
19.	पंजाब	×	×(+216)	+	×	—	×
20.	राजस्थान	875	1070	1000	1070	942	1357
21.	सिक्किम	30	30*	33	44*	30	35
22.	तमिलनाडु	8	16*	×	78	—	4
23.	त्रिपुरा	141	159*	160	155*	160	125
24.	उत्तर प्रदेश	3610	4003	4080	4185	2750	2777
25.	पश्चिम बंगाल	2356	1350*	2410	1205	1850	1772
	जोड़ (राज्य)	21559	24548	21317	20738	17064	19774
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	33	4	60	70	उपलब्ध नहीं	64
	जोड़ (अखिल भारत)	21592	24552	21377	20808	17064	19839

—शत-प्रतिशत विद्युतकृत गांव

* 1971 की जनगणना के अनुसार उपलब्धि

+जमा और (—) घटा—आंकड़े के सामने ये चिन्ह 1981 की जनगणना के अनुसार आबाद गांवों की कुल संख्या में परिवर्तन के कारण बढ़ोतरी/कमी को दर्शाते हैं।

अनुबन्ध-दो

वर्ष 1989-90 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्राम विद्युतीकरण
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	650
2.	अरुणाचल प्रदेश	135
3.	असम	1703
4.	बिहार	2300
5.	गोवा	40 वाडास
6.	गुजरात	—
7.	हरियाणा	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—
9.	जम्मू व कश्मीर	100
10.	कर्नाटक	30
11	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	2700
13.	महाराष्ट्र	150
14.	मणिपुर	250
15.	मेघालय	230
16.	मिजोरम	65
17.	नागालैण्ड	—
18.	उड़ीसा	785
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	1010
21.	सिक्किम	38
22.	तमिलनाडु	—
23.	त्रिपुरा	160
24.	उत्तर प्रदेश	2365
25.	प० बंगाल	1560
	जोड़ (राज्य)	14231

1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—
2.	चण्डीगढ़	—
3.	दादर व नगर हवेली	—
4.	दमन और दीयू	—
5.	दिल्ली	—
6.	लक्षद्वीप	—
7.	पांडिचेरी	—
	जोड़ (अखिल भारत)	14231

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का संबंध विवरण के अन्तिम वाक्य से है। इसमें कहा गया है कि आबंटन ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वार्षिक योजना में उपलब्ध कुल संसाधनों पर निर्भर करता है। मैं समझता हूं कि इसमें यह स्पष्ट है कि आबंटन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। किन्तु मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वर्ष 1990 तक सकल ग्रामीण विद्युतीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिसका संकेत माननीय मन्त्री ने मुझे एक पत्र में दिया था, क्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धन का आबंटन और अब तक खर्च की गयी राशि राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगी ?

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, देश के लगभग 5 लाख 89 हजार गांवों में से अब तक 78 परसेंट गांवों का दिनांक 31 मई, 1989 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है और राज्यों के रिसोर्सेस के आधार पर प्लानिंग कमीशन भी इस प्रयोजनार्थ मैचिंग ग्रान्ट देता है। नीड-बेस्ड प्रोग्राम के आधार पर आर० ई० सी० फण्ड एलोकेट करता है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न को ठीक से समझा नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए जितना पैसा एलोकेट किया था, क्या वह नेशनल टारगेट को पूरा करने के लिए काफी है या नहीं।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि देश में रिसोर्सेज की, पैसे की कमी है, फिर भी हमारी सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी है और अब तक देश के 78 परसेंट गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। हिन्दुस्तानभर में दस राज्य ऐसे हैं जिनमें शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिस राज्य से माननीय सदस्य आते हैं, बिहार राज्य सरकार की भी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें···

श्री सैयद शाहबुद्दीन : वह राज्य सरकार काम नहीं करती···

डा० गौरी शंकर राजहंस : ऐसी बात नहीं है।

श्री कल्पनाथ राय : उसी के आधार पर प्लानिंग कमीशन पैसा देता है। फिर आई० ई० सी० पैसा देती है। मिनिमम नीड प्रोग्राम के आधार पर पैसा दिया जाता है और राज्य सरकारें, उसको इम्पलीमेंट करती हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं यह बताना चाहता हूं कि जो पैसा आपने इस काम के लिए रखा हैं, वह काफी नहीं है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 1990 तक देश में कितने गांव ऐसे रह जाएंगे जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूं कि कुल करीब 5 लाख 78 हजार गांवों का विद्युतीकरण होना है। जहां तक बचे हुए गांवों का सवाल है, राज्य सरकारें जितना काम करेंगी, उस हिसाब से हम उनको पैसा देंगे। यह तो राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि वे शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करती हैं या नहीं। केन्द्र सरकार तो उनको पैसा देने के लिए तैयार है।

————

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एअर इंडिया द्वारा द्वारा विमानों की खरीद

[अनुवाद]

*101. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने हाल ही में बड़ी संख्या में विमान खरीदें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) कितने विमानों का तथा किस-किस देश से आयात किया गया; और

(घ) प्रत्येक विमान के लिए कितने मूल्य का भुगतान किया गया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस ने हाल ही में मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री, फ्रांस से 5 एयरबस ए-320 विमान (जून, 1989 में 2 और जुलाई, 1989 में 3) प्राप्त किये हैं। ये विमान मार्च, 1986 में निगम द्वारा दिये गये 19 एयरबस ए-320 के आर्डर में से है। इंडियन एयरलाइन्स ने सरकार की अनुमति से जून 1989 में 12 अतिरिक्त एयरबस ए-320 विमानों के लिए भी एक और आर्डर दिया है। 31 एयरबस ए-320 विमानों की कुल परियोजना की लागत 2402.80 करोड़ रुपये है जिसमें 2218.98 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अंश है।

एअर इंडिया ने अक्तूबर/नवम्बर, 1988 में मैसर्स बोइंग कम्पनी, यू० एस० ए० से 371.74 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 2 बोइंग 746-300 कोम्बी विमान प्राप्त किये हैं। सरकार ने एयर इंडिया को 2178.1 लाख रुपए की कुल लागत पर जिसमें 1364.3 लाख अमरीकी डालर की

विदेशी मुद्रा का अंश है, 2 एयरबस ए-310-300 विमान प्राप्त करने के लिये मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीय फ्रांस को आड र देने की मंजूरी दी है।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की कमी

[हिन्दी]

*109 श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की कमी को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए कोई नयी योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत की कमी को दूर करने के लिये किन-किन राज्यों में कौन-कौन सी नयी परियोजनाएं आरम्भ की गई है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) किसी राज्य में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई के बारे में निर्णय, विद्युत की समग्र मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों द्वारा लिया जाता है। गुजरात राज्य में इस समय कृषि क्षेत्र को औसतन लगभग 16-22 घंटे प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) गुजरात में आठवीं योजनावधि के दौरान राज्य क्षेत्र में अनन्तिम रूप से लगभग 1513 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और/अथवा क्रियान्वित की जा रही है :

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता
1. कोरबा सु० ता० वि० केन्द्र	मध्य प्रदेश	2100 मेगावाट
2. विंध्याचल सु० ता० वि० केन्द्र	मध्य प्रदेश	1260 मेगावाट
3. तारापुर (न्यूक्लीय)	महाराष्ट्र	420 मेगावाट
4. क्वास गैस टर्बाइन	गुजरात	600 मेगावाट
5. काकरपाड़ा (न्यूक्लीय)	गुजरात	470 मेगावाट

कोयला खानों के निकट कोयले पर आधारित उद्योग स्थापित करना

*111 डा० प्रभात कुमार मिश्र : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, बिलासपुर के कोयले पर आधारित कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या है जहां पर उक्त उद्योगों को स्थापित किया गया है; और

(ग) क्या ये उद्योग विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्रों के निकट स्थापित किए गए हैं अथवा कोयला खानों के निकट ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) बड़ी संख्या में औद्योगिक यूनिटें कोयला, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, बिलासपुर से प्राप्त करती हैं। ये यूनिटें अधिकांशत: मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित हैं। 123 औद्योगिक यूनिटें मध्य प्रदेश राज्य के रायगढ़, शहडोल, जगदलपुर, सरगूजा तथा बिलासपुर जिलों के कोयला क्षेत्रों के समीप तथा उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। कुछ यूनिटें कोयला खानों के समीप और कुछ थोड़ी यूनिटें कोयला परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्थापित किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास स्थानों के समी स्थित हैं।

त्रिपुरा में तेल और गैस की खोज

[अनुवाद]

*112 श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने त्रिपुरा और अन्य स्थानों पर तेल की खोज के लिए कुछ नये क्षेत्रों में कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने देश के विभिन्न भागों में तेल की खोज के कार्यक्रम में कितनी सफलता प्राप्त की है, तथा इसकी लागत और पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) असम और मिजोरम के दुर्गम क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, हां।

(ख) अन्वेषण खुदाई के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने देश के निम्नलिखित नये क्षेत्रों को अपने हाथ में लिया है :

त्रिपुरा	—	अथरतल्ला डोम, टिचता और हरहुरथंब
मिजोरम	—	रेंगट

नागालैण्ड	—	बन्दरसुलिया
कछार (असम)	—	पठारिया
राजस्थान	—	सेनचोर और शाहगढ़
बिहार	—	गनौली
हिमाचल प्रदेश	—	नूरपुर
तमिल नाडु	—	एंडीमंडल और छत्तरम
बम्बई अपतट	—	एस० एम०—79

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अन्वेषण प्रयासों के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 1028 मि० टन तेल और तेल के समतुल्य गैस के भण्डार का पता लगा है। ये भण्डार मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी बेसिन तमिलनाडु में कावेरी बेसिन, गुजरात में खम्भात बेसिन ऊपरी असम और असम अराकन फोल्ड बैल्ट और त्रिपुरा तथा बम्बई अपतट में हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	रुपए (करोड़ों)
1986-87	2144.21
1987-88	1895·57
1988-89	2336.00

तेल/तेल समतुल्य गैस के भूगर्भ भण्डार के एक टन का पता लगाने की वर्तमान लागत 28/-रु० प्रति टन बैठती है।

(घ) असम और मिज़ोरम के अपेक्षा अधिक दुर्गम स्थानों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने नये और अतिरिक्त डेटा ऐक्वीजेशन तकनीक लागू किया है। ये एअरो-मैगनेटिक सर्वेक्षण और स्पेस इमेजरीज (रिमोट सेंसिंग) है।

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की योजनाओं के लिए धनराशि

*113 श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की विमान पत्तनों पर कर्मचारियों की नियुक्ति, उड़ान पट्टियों का विस्तार करने, उपकरण-विमान-अवतरण प्रणाली आरंभ करने, आदि जैसी अनेक योजनाएं धन की कमी के कारण कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं, जैसे कि दिनांक 2 जून, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के प्रभावी कार्यकरण हेतु उसे आवश्यक आर्थिक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) समग्र वित्तीय कठिनाइयों के कारण नागर विमानन सेक्टर के लिए सातवीं योजना परिव्यय में कमी की गई थी और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन महा-निदेशालय के लिए आवंटन में भी कमी कर दी गई थी। इसके कारण कम महत्व वाली कुछ योजनाएं स्थगित करनी पड़ी थी।

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार बढ़ा दिए हैं, टर्मिनल दिक्चालन सुविधा प्रभार बढ़ा दिए हैं, टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार शुरू किए हैं और यात्री सेवा प्रभार लगा दिए हैं। वे अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य तरीके भी लागू कर रहे हैं।

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को अतिरिक्त बजट सहायता देने के एक प्रस्ताव की पहले ही जांच की जा रही है। संसाधनों की स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद ही छोड़ी गई योजनाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय के ब्यौरे उपलब्ध हो सकेंगे।

होटलों तथा ट्रैवल एजेंसी उद्योग को प्रोत्साहन

*14. श्री श्रीहरि बल नरसिंहराज वाडियर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों तथा ट्रैवल एजेंसी उद्योग को इस समय कौन-कौन-सी रियायतें प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या होटल उद्योग के विकास हेतु इसे और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) होटलों तथा यात्रा व्यवसाय को सरकार द्वारा इस समय दी जा रही रियायतों/प्रोत्साहनों के ब्यौरों को दर्शाने वाले विवरण-1 और विवरण-2 संलग्न है।

(ख) और (ग) पर्यटन का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है और होटल उद्योग के साथ निरंतर विचार-विमर्श चलता रहता है तथा प्रोत्साहनों संबंधी सरकारी नीति पर विचार करते समय उनके सुझाव हमेशा के लिए जाते हैं।

विवरण-1

वित्तीय एवं अन्य (i) आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० डी० के तहत विदेशी विनिमय लाभों के संबंध में कर छूट

(ii) नई इक्विटी में निवेश के संबंध में धारा 80 सी० सी० के तहत कर-छूट

(iii) लाभ के 25 प्रतिशत के संबंध में धारा 80-I के तहत कर छूट

(iv) फर्नीचर एवं फिटिंग के संबंध में 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत ऊंचा मूल्य ह्रास भत्ता ।

(v) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित होटलों से 20% लाभ के संबंध मे धारा 80 एच० एच० के तहत कर छूट ।

(vi) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित होटलों के लिए केन्द्रीय निवेश सहायता ।

(vii) आई० एफ० सी० आई०/टी० एफ० सी० आई०/एस० एफ० सी० द्वारा 1,2 और 3 सितारा श्रेणियों के होटलों/स्वीकृत ऋणों के लिए ब्याज इमदाद की दर में 3% तक वृद्धि ।

(viii) किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय से सबद्ध 20% की ब्याज छूट ।

(ix) आवश्यक आयात विदेशों में प्रचार एवं संवर्धन हेतु कुल आय का 10% की दर से विदेशी मुद्रा का प्रोत्साहन कोटा ।

(x) विशिष्ट उपकरण/मशीनरी के आयात पर रियायती सीमा शुल्क ।

(xi) मोनोपोलीज एवं रिस्ट्रीक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज ऐक्ट की धारा 21 एवं 22 से छूट ।

(xii) एल० पी० जी० गैस/टेलीफोन/टेलेक्स कनेक्शन एवं अन्य आवश्यकताओं का प्राथमिकता पर आबंटन ।

विदेशी सहयोग　(क) होटल श्रृंखला संहित होटल तथा कन्वेन्शन उद्योग, व्यक्तियों अथवा संस्थानों जिनके पास प्रमाणित विशेषज्ञता हो, के लिए अनुमति ।

(ख) प्रबंध एव मताधिकार आधार दोनों पर ।

(ग) भारतीय कम्पनी की इक्विटी पूंजी में 40% तक विदेशी सहयोग अथवा किसी व्यक्ति के विदेशी निवेश की अनुमति है ।

(घ) विदेशी सहयोग के कारण बकाया कोई भुगतान अथवा लाभांश, लागू करों के भुगतान के बाद मूल्य निक्षेपक पूंजी के साथ लौटाने योग्य है ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश
(i) 100% तक लौटाने योग्य आधार पर
(ii) वर्तमान कंपनियों के नये इश्यूज में 40% न लौटाये आधार पर एवं
(iii) 74% तक नये निवेश पर

विवरण-2

(i) अनुमोदित यात्रा अभिकर्ताओं और यात्रा प्रचालकों को संवर्धनात्मक यात्राओं विज्ञापन और विदेशों में सम्मेलनों में उपस्थित होने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाती है ।

(ii) एक वर्ष में उनकी निवल विदेशी मुद्रा आय का 2.5% उन्हें कारों और ऐसे आवश्यक उपकरणों का आयात करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है जो उनके कार्यालय के कुशल संचालन में मदद करते हों ।

(iii) अनुमोदित कार प्रचालकों को अधिक कारें तथा कोचें लेने के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता की पेशकश की जाती है।

(iv) इस विभाग को उपलब्ध कराई गई पुरानी एस० टी० सी० कारों की अनुमोदित कार प्रचालकों को आरक्षित मूल्य पर पेशकश की जाती है।

(v) इस विभाग के अनुरोध पर, भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश सम्बन्धी औपचारिकताओं में ढील दी गई है।

विश्व बैंक द्वारा कोयला परियोजनाओं को सहायता

*115. डा० दत्ता सामन्त : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में कोयला परियोजना को पुन: सहायता देने का हाल ही में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता दी जा रही है और इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी।

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ख) मई, 1984 से निष्पादित हुए पहले करार के बाद से विश्व बैंक से प्राप्त हुई सहायता को नीचे दी गई कोयला परियोजनाओं को उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में किया गया वास्तविक संवितरण परियोजनाओं द्वारा की गई प्रगति पर आधारित है।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं निम्नलिखित हैं

क्र० सं०	परियोजना	क्षमता	स्वीकृत लागत	विश्व बैंक की ऋण सहायता
1.	दुधीचुआ ओपेनकास्ट परियोजना, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	5 मि० ट० प्रतिवर्ष	रु० 289·68 करोड़	151.00 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण मई, 1984 में स्वीकृत किया गया)
2.	झरिया कोककर कोयला परियोजनाएं			
	भारत कोकिंग कोल लि०			
(i)	ब्लाक-II ओ० का० प०	2.5 मि० ट० प्रतिवर्ष	रु० 112.05 करोड़	248.00 मिलियन अमरीकी डालर
(ii)	टुण्डी बलिहारी भू० ग० परियोजना	3 मि० ट० प्रतिवर्ष	रु० 199.97 करोड़	(ऋण मई, 1985 में स्वीकृत किया गया)

1	2	3	4	5
(III)	पुटकी बालारी	3 मि० ट० प्रतिवर्ष (कच्चा कोयला) 1.6 मि० ट० प्रतिवर्ष (धुला कोयला)	रु० 92.17 करोड़	
3. (I)	सोनेपुर बाजारी ओ० का० प० ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	3.0 मि० ट० प्रतिवर्ष	रु० 192.96 करोड़	180.00 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण जून, 1987 में स्वीकृत किया गया)
(II)	गेवरा ओ० का० प० साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	10 मि० ट० प्रतिवर्ष	रु० 224.39 करोड़	

खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याएं

*118 **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की कई खनन परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण रुकी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भूमि पर अनाधिकृत कब्जों के कारण भी अधिग्रहण में बाधा पड़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इस बारे में कोई मार्ग-निर्देश भेजे गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ग) जी, हां भूमि उपलब्ध न होने के कारण कुछ चालू और नई कोयला परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ रहा है। इस समय ऐसी 11 मुख्य कोयला परियोजनाएं हैं जिनकी प्रगति के कार्य पर भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण प्रभाव पड़ा है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित हैं।

इस सम्बन्ध में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने और मुआवजे की अदायगी किए जाने के बाद भी भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने में अक्सर समस्याएं आती हैं। भू-वंचित व्यक्ति केवल मुआवजे सांत्वना उपहार, आदि के रूप मे एक मुश्त राशि की एक मात्रा अदायगी किए जाने से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि से व्यक्ति रोजगार के रूप में पुनर्वास किए जाने अथवा बकाया जीवन के लिए आय का सुनिश्चत करने की मांग करते आए हैं। आबादकार व्यक्तियों के साथ भूमि का अप्राधिकृत रूप में कब्जा किए जाने के मामले में कई बार मुठभेड़ भी होती है। ये व्यक्ति भी विस्थापित किए भू-मालिकों के परिवारों की तरह पुनर्वास की करते आए हैं।

(ख) और (ग) विभाग द्वारा रुकी हुई परियोजनाओं की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और संबद्ध राज्य सरकारों से बार-बार इस सम्बन्ध में आयी समस्याओं को दूर किए जाने का अनुरोध किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के आदेश पर संबद्ध राज्य सरकारों से मुख्य सचिव की

अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समितियाँ गठन करने का अनुरोध किया गया है। ये समितियां कोयला परियोजनाओं के लिए तेजी से भूमि अधिग्रहण करने के मामले में आने वाली समस्याओं की निरन्तर समीक्षा और उन समस्याओं को दूर करने का कार्य करेगी। केन्द्रीय सरकार भूबंधित व्यक्तियों को एक उदारीकृत पुनर्वास पैकेज की पेशकश करने के लिए भी सहमत हो गयी है। इस पैकेज की सम्पूर्ण लागत में, अन्य बातों के अलावा, विस्थापित परिवारों की आय में हुई निवल हानि की प्रति पूर्ति किए जाने की व्यवस्था है, जिसको कोयला कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा।

रसोई गैस के सिलिंडरों का वाणिज्यिक उपयोग

[हिन्दी]

*119. डा चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रसोई गैस के घरेलू उपयोग वाले सिलिंडरों का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या घरेलू उपयोग के लिए दिये जाने वाले रसोई गैस के सिलिंडरों की कीमत, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जाने वाले सिलिंडरों से बहुत कम होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और इस बारे में उचित कदम उठाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जांच इसलिए आवश्यक नहीं होगी क्योंकि घरेलू उपयोग के प्रयुक्त होने वाले सिलंडरों की सप्लाई रियायती मूल्यों पर की जाती है जब कि गैर घरेलू उपभोक्ताओं से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य इसलिए लिया जाता है ताकि उगाही कम न हो जाए।

विवरण

(क) और (ख) कुछ बेईमान तत्वों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्दिष्ट एल० पी० जी० सिलेण्डरों को वाणिज्यक उपभोक्ताओं को अनधिकृत रूप से सप्लाई करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस हेरा फेरी को रोकने के लिए उद्योग द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) गैर-घरेलू उपभोक्ताओं का निर्धारण।

(2) गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले सिलेण्डरों पर नीली पट्टी लगाना।

(3) वितरकों और प्रयोग कर्त्ताओं के अहाते में फील्ड कर्मचारियों द्वारा अचानक जांच करना।

(4) गैर-घरेलू प्रयोए कर्त्ताओं को चरणबद्ध रूप में विभिन्न आकारों के सिलेण्डर सप्लाई करना।

(5) वितरकों द्वारा घरेलू और गैर-घरेलू प्रयोग कर्त्ताओं के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखना।

(6) उन वितरकों से जो हेरा फेरी में लगे हुए हैं, से उपभोक्ताओं का अन्य वितरकों को पुनः आबंटन करना।

(7) वितरकों द्वारा घरेलू और गैर-घरेलू रिफिलों के लिए अलग-अलग मांग पत्र भेजना।

(8) विभिन्न स्तरों पर तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करना।

(9) सरकार द्वारा एल० पी० जी० (सप्लाई का विनियमन और वितरण) आदेश, 1988 जारी करना। इससे उन स्थानों पर जहां इसको अनधिकृत रूप से भेजा जा रहा है, निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा प्रवेश करना, जांच करना और उसे जब्त करना, इसका अधिकार मिल गया है; और

(10) चरणबद्ध रूप में घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड जारी करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुटीर उद्योगों का विकास

[अनुवाद]

*120. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए कुटीर उद्योगों के विकास हेतु क्या विशेष कदम उठाये गये हैं तथा उनके परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी सहायता-राशि दी गई तथा प्रत्येक राज्य में कितने-कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) इस प्रयोजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिए कितनी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) उद्योग मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से खादी और चुने हुए ग्रामोद्योगों में कुटीर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाले खादी और ग्रामोद्योगों के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं वे हैं :—

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि सेवा कार्यकलापों सहित नए उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अधिकार क्षेत्र में लाया जा सके। खादी और 26 ग्रामोद्योगों की मूल सूची में 34 ग्रामोद्योग/सेवा कार्यकलाप जोड़े गए हैं।

(2) ग्रामीण विकास में संलग्न विभिन्न फील्ड स्तर के अभिकरणों के बीच समन्वित कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

(3) सूखाग्रस्त, पहाड़ी सीमावर्ती, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(4) पूरे देश में अधिसूचित जाति/अधिसूचित जनजातियों उदारता से सहायता दी गई है।

(5) सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए अपने प्रगामी नीति सहयोग के अधीन खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रचनात्मक एवं सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। ये हैं—अनुसंधान और विकास के लिए विशेष सहायता, ब्याज की कम दर पर सरकारी धनराशि का प्रावधान, ब्याज के लिए राजसहायताएं, खादी की बिक्री पर छूट कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्राथमिकता, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए मूल्य और खरीद में प्राथमिकता तथा उत्पाद और सीमा शुल्क में छूट इत्यादि।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान रोजगार में काफी वृद्धि हुई है। 1984-85, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान रोजगार के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

खादी और ग्रामोद्योगों के अधीन रोजगार

(व्यक्ति लाख में)

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-87
खादी	13.05	13.47	13.88	14.14
ग्रामोद्योग	24.84	25.61	26.82	27.66
योग	37.89	38.08	40.70	41.08

(ख) 1085-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान वितरित धनराशि और सृजित रोजगार के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने 1989-90 के दौरान खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनागत कार्यक्रमों के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग को 167 करोड़ रु० (खादी 70.0 करोड़ रु० और ग्रामोद्योग 97 0 करोड़ रु०) का आबंटन किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य वार आबंटन राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के साथ चर्चा करने के पश्चात् किया जाता है।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित राशि के ब्यौरे।

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित राशि					
		1985-86		1986-87		1987-88	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	147.84	393.62	116.27	525.41	169.89	580.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.17	—	—	—	—	—
3.	असम	18.76	39.90	30.10	120.12	36.15	46.89
4.	बिहार	248.19	250.13	481.52	152.18	445.63	316.18
5.	गोवा	3.37	33.52	1.79	28.31	2.83	54.85
6.	गुजरात	319.43	107.31	395.08	467.62	398.40	300.86
7.	हरियाणा	129.00	278.52	150.32	333.49	118.70	299.23
8.	हिमाचल प्रदेश	123.20	[illegible]	23.17	227.47	49.12	133.47
9.	जम्मू और कश्मीर	11.30	152.40	114.59	191.35	12.35	161.47
10.	कर्नाटक	168.51	581.07	183.33	827.81	185.16	434.98
11.	केरल	137.50	398.20	140.59	373.41	189.59	335.95

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	169.91	102.59	190.01	171.59	130.28	201.58
13.	महाराष्ट्र	222.39	395.93	356.39	436.25	219.16	285.50
14.	मणिपुर	26.09	44.17	1.92	0.88	30.15	90.01
15.	मेघालय	4.10	5.42	3.35	12.42	12.33	34.79
16.	मिजोरम	—	—	1.31	2.08	20.86	47.25
17.	नागालैण्ड	13.94	13.60	15.24	20.11	8.10	15.14
18.	उड़ीसा	48.95	154.33	149.63	139.22	183.56	224.75
19.	पंजाब	141.33	211.79	121.93	426.62	168.09	419.63
20.	राजस्थान	359.64	597.23	334.58	689.73	331.97	687.66
21.	सिक्किम	0.82	1.22	0.96	0.83	1.22	2.67
22.	तमिलनाडु	488.46	763.97	665.01	457.53	726.05	883.52
23.	त्रिपुरा	33.96	30.48	115.46	6.19	10.84	—
24.	उत्तर प्रदेश	1211.51	1357.54	1129.07	893.93	1243.36	1661.63
25.	पं० बंगाल	108.28	471.92	159.89	489.25	169.59	514.10
	योग :	4073.15	6659.32	4589.71	6973.40	4763.38	7683.16

1	2	3	4	5	6	7	8
I. संघशासित प्रदेश							
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप	—	—	—	—	—	—	
2. चन्डीगढ़	0.36	16.87	—	2.60	0.05	5.88	
3. दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	
4. दिल्ली	97.75	32.50	130.80	25.18	158.58	16.24	
5. दमन और द्वीप	—	—	—	—	—	—	
6. पाण्डिचेरी	1.23	14.08	0.91	16.47	1.19	13.33	
उप योग	97.34	63.54	131.80	44.25	158.82	35.45	
योग	4190.49	6722.86	4721.51	7017.65	4922.20	7718.61	
II. विविध							
1. विभागीय	985.80	—	909.46	—	714.35	—	
2. अन्य योजनाएं	159.68	40.59	240.01	66.83	188.23	138.92	
उप जोड़	1145.48	40.59	1149.47	66.83	903.08	138.92	
जोड़ I और II	5315.97	6763.42	5870.98	7084.48	5825.28	7857.53	

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार के ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पन्न रोजगार 1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3		
I राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	3.89	3.23	3.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	×	0.01
3.	असम	1.01	0.97	1.04
4.	बिहार	2.81	2.91	2.97

1	2	3		
5.	गोवा	0.92	0.02	0.03
6.	गुजरात	0.80	0.82	1.02
7.	हरियाणा	0.50	0.59	0.61
8.	हिमाचल प्रदेश	0.50	0.54	0.30
9.	जम्मू और कश्मीर	0.57	0.67	0.63
10.	कर्नाटक	1.33	1.42	1.43
11.	केरल	1.80	1.81	1.77
12.	मध्य प्रदेश	0.45	0.59	0.53
13.	महाराष्ट्र	2.90	3.03	2.97
14.	मणीपुर	0.23	0.25	0.25
15.	मेघालय	0.04	0.05	0.06
16.	मिजोरम	—	×	0.01
17.	नागालैंड	0.03	0.02	0.05
18.	उड़ीसा	1.40	1.12	1.46
19.	पंजाब	1.37	1.45	1.27
20.	राजस्थान	2.69	2.82	2.93
21.	सिक्किम	×	×	0.01
22.	तमिलनाडु	7.38	7.95	8.29
23.	त्रिपुरा	0.27	0.31	0.42
24.	उत्तर प्रदेश	7.49	8.27	8.13
25.	प० बंगाल	1.51	1.73	1.99
		38.98	40.57	41.67

1 2		3	
II संघ शासित प्रदेश			
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप	—	—	—
2. लक्षद्वीप	—	×	×
3. दादर और नगर हवेली	×	×	×
4. दिल्ली	0.09	0.07	0.07
5. दमन और द्वीप	—	—	—
6. पाण्डिचेरी	0.01	0.01	0.01
उप योग	0.10	0.08	0.08
योग	39.08	40.65	41.65
III विविध			
1. विभागीय	×	×	×
2. अन्य योजनाएं	—	0.05	0.05
उप योग	—	0.05	0.05
कुल योग I और II	39.08	40.70	41.80

*पांच सौ से कम

होटल जनपथ में बिल बनाने की मशीनें लगाना

1014. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की ओर से होटल जनपथ में गलत बिल बनाने की शिकायतें अभी प्राप्त हो रही हैं;

(ख) क्या प्रबंध मंडल अभी भी अतिथि खाते का बिल हाथ से बनाने की पुरानी प्रणाली को चालू रखे हुए है और बिल बनाने की उन मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिन्हें उन्होंने इस प्रयोजन हेतु पहले अर्जित कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(घ) मशीनों द्वारा बिल बनाने की प्रणाली लागू करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1989-90 के दौरान बिल बनाने संबंधी केवल दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग) अतिथि खाते का बिल हाथ से बनाने की प्रणाली जारी है क्योंकि एन० सी० आर०-42 बिल बनाने की मशीनें निष्क्रिय एवं खर्चीली हो गई हैं ।

(घ) और (ङ) 1990-91 के दौरान नई इलेक्ट्रानिक मशीनें लागू करने का प्रस्ताव है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पाइप फिटिंग के सामान का आयात

1015. डा० वी० वेंकटेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तांबा-निकल धातुओं से बने हुए पाइपफिटिंग के विभिन्न प्रकार के सामान का विदेशों से आयात कर रहा है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की विभिन्न पाइप लाइनों के समुचित रखरखाव के लिए इस समान की नियमित रूप से आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान तथा 1989-90 में अब तक कितने मूल्य का ऐसा सामान किन-किन देशों से आयात किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सौराष्ट्र गुजरात में तेल शोधन कारखाने की स्थापना

1018. श्री मोहनभाई पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कोई तेल शोधन कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में रिफाइनरी स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, आठवीं योजना को तैयार करने के लिए गठित कार्य दल देश में अतिरिक्त शोधन क्षमता के सृजन के संबंध में उचित सिफारिशें करेगा ।

उड़ीसा में बिजली उत्पादन क्षमता के लिए लक्ष्य

1019. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजनावधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किस हद तक;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने भी इस संबंध में सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) सातवीं योजना के अन्त तक बिजली की कितनी कमी होने की संभावना है; और

(ङ) इसकी आठवीं पंचवर्षीय योजना पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी हां। सातवीं योजना अवधि के लिए 22, 245 मेगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। सातवीं योजना अवधि के पहले चार वर्षों में 31 मार्च, 1989 तक 16714 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है। 1989-90 के लिए निर्धारित लक्ष्य 4892.4 मेगावाट है।

(ग) उड़ीसा में क्षमता संवर्द्धन के लिए सातवीं योजना लक्ष्य 483.5 मेगावाट है। जिसमें अभी तक 260 मेगावाट क्षमता जोड़ी जा चुकी है। यह प्रत्याशा की जाती है कि वर्ष 1989-90 के दौरान 217.5 मेगावाट क्षमता जोड़ी जाएगी। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य, सरकारों को सहायता दी जाती है। राज्यों को ये सहायता दी जाती है—निर्माणाधीन परियोजनाओं का गहन प्रबोधन, उपस्करों एवं सामग्रियों की शीघ्र आपूर्ति, समस्याओं का पता लगाने तथा उनका निपटान करने के लिए सरकार तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल के दौरे।

(घ) सातवीं योजना के अन्त तक उड़ीसा में प्रत्याशित ऊर्जा कमी लगभग 32.4 प्रतिशत होने की संभावना है। तथापि यह प्रत्याशा की जाती है कि चुखा जल विद्युत परियोजना, भूटान से इसके भाग के उपलब्ध होने पर तथा नेशनल एलम्यूनियम कम्पनी लि० (नालको) तथा इण्डियन क्रोम कार्बन लि० (आई० सी० सी० एल०) के कैप्टिव संयंत्रों से संभव सहायता मिलने पर ऊर्जा की कमी पर्याप्त सीमा में दूर हो जाएगी।

(ङ) 13वें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार आठवीं योजना (1994-95) के अंत तक लगभग 31.48 प्रतिशत ऊर्जा की कमी की प्रत्याशा है।

उड़ीसा में कोयला स्रोतों का विकास

1020. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में कोयला स्रोतों का विकास करने का विचार है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से भी सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में विभिन्न कोयला खानों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां । भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और भू-विज्ञान तथा खनन निदेशालय, उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा में कोयले के भण्डारों का पता लगाने के लिए अन्वेषण किए हैं । इन सर्वेक्षणों से निम्नलिखित कोयला-धारी ब्लाकों का पता चला है :—तालहीरा, गोपालप्रसाद, नीलाचल, लिंगराज, भरतपुर दक्षिण, गोपालपुर ब्लाकों, आदि ।

1-1-1989 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में कोयले के कुल 41556.64 मि० टन भण्डार होने का अनुमान लगाया है ।

(ग) वर्ष 1988-89 में उड़ीसा के कोलफील्ड्स से कोयले का उत्पादन 10.93 मि० टन था। इसके उत्पादन के वर्ष 1994-95 तक 25.36 मि० टन तक पहुंचने की सम्भावना है जिसमें से विद्यमान खानों तथा स्वीकृत परियोजनाओं से उत्पादन 12.86 मि० टन और नई परियोजनाओं से 12.40 मि० टन प्राप्त होगा । आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विकसित की जाने वाली कुछ मुख्य कोयला खनन परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. अनन्ता ओपनकास्ट परियोजना
2. कलिंगा ओपनकास्ट परियोजना
3. लिंगराज ओपनकास्ट परियोजना
4. समलेश्वरी ओपनकास्ट परियोजना
5. भुवनेश्वरी/बलरामपुर ओपनकास्ट परियोजना

विदेशी सहयोग से हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

1021. **श्री सतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, शिमला ने विदेशी सहयोग से कुछ उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वर्ष 1987 में सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के पक्ष में विदेशी सहयोग के दो प्रस्ताव अनुमोदित किये थे । दोनों अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं । हिमाचल प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से भारत सरकार को कोई और विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, शिमला के पक्ष में अनुमोदित किए गए विदेशी सहयोग के मामले

वर्ष	विदेशी सहयोगी का नाम	उत्पादन की वस्तु
1987	मै० पोलिटेक्ना स्पोफा, प्राग, चेकोस्लोवाकिया	एनजाइम्स 6 ए० पी० ए० 7 ए० डी० सी० ए०
1987	मै० फार्माचिन इंजीनियरिंग एस० आर० एल० इटली	रिफैम्पीसीन

महाराष्ट्र में कोयला संयंत्रों को कोयले की आवश्यकता

1022 श्री विजय एन० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) महाराष्ट्र राज्य में कुल कितने बिजली संयंत्र कोयले पर आधारित हैं;

(ख) इन बिजली संयंत्रों के लिए प्रतिमाह कितने कोयले की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या बिजली संयंत्रों को सप्लाई की जा रही कोयले की मात्रा पर्याप्त होती है; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य में बिजली कटौती को समाप्त करने के लिए बिजली घरों को आवश्यकतानुसार उन्हें कोयले की सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या सात (7) है। 1989-90 के दौरान, इन विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की औसत मासिक आवश्यकता 12,76,000 टन है। इसकी तुलना में अप्रैल-जून, 1989 के दौरान कोयले की औसत मासिक उपलब्धता 12,17,000 टन थी। इस प्रकार कोयले की उपलब्धता, मांग से कम रही है। कोयले की सप्लाई के बारे में स्थिति की सतत रूप से, मानीटरिंग की जा रही है।

गुजरात में पवन और ज्वार-भाटा जनित विद्युत का उत्पादन

1024. श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पवन से विद्युत पैदा करने के अभिनव तरीके अपनाये गये हैं;

(ख) क्या ज्वारीय विद्युत पैदा करने में इस राज्य का पहला स्थान भी है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्रोतों से विद्युत पैदा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इनसे राज्य की विद्युत की मांग को किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) गुजरात में 1.65 मेगावाट की संकलित क्षमता की दो प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं से राज्य ग्रिड को 80 लाख यूनिट से भी अधिक विद्युत दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 14.90 मेगावाट की संकलित क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। राज्य में पवन विद्युत के विकास को प्रोत्साहित

करने के लिए गुजरात राज्य का एक आदर्श विचार यह है कि पवन विद्युत परियोजा से उत्पादित विद्युत को राज्य विद्युत बोर्ड 1.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से 40 मेगावाट की संस्थापित क्षमता तक खरीदेगा।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने गुजरात की कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट ज्वारीय विद्युत परियोजना की संभाव्यता के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। इस योजना की अभी तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से पुष्टि की जानी है।

(ग) पवन और ज्वारीय विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थान विशेष संभाव्यता तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययन किए जा रहे हैं। विद्युत उत्पादन के लिए इन स्रोतों की कुल अनुमानित संभाव्यता सन् 2000 के लिए राज्य में प्रक्षिप्त आवश्यकताओं से अधिक है। बड़े पैमाने पर विकास अध्ययनों के परिणामों तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

एअर इंडिया/इंडियन एअरलाइंस में लिंग के आधार पर भेदभाव

1025. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस में लिंग के आधार पर भेद-भाव के बारे में 29 अगस्त, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 404 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिंग के आधार पर भेद-भाव के कथित पांच आधारों के संबंध में न्यायालयों/फैसलों का ब्यौरा क्या है; जैसाकि राष्ट्रीय मजदूर संघ अभियान समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि विमान परिचारिकाओं के साथ लिंग के आधार पर भेद-भाव किया जा रहा है;

(ख) सरकार द्वारा क्रमशः किन-किन तारीखों को निर्णय लिए गए और उन्हें किन-किन तारीखों को कार्यान्वित किया गया और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निर्णयों के संबंध में मजदूर संघों की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को विमान परिचारिकाओं के विरुद्ध कथित भेद-भाव के पांच आधारों पर निर्णयों और न्यायिक-निर्णयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) दोनों एयरलाइनों ने न्यायालयों के निर्णय पहले ही कार्यान्वित कर दिये हैं। तथापि, हाल ही में दोनों एयरलाइनों में विमान परिचारिकाओं को सेवा शर्तों की दोनों एयरलाइनों के बोर्डों द्वारा समीक्षा की गई थी। समीक्षा के बाद विमान परिचारिकाओं की सेवा शर्तों में निम्नलिखित रियायत देने का प्रस्ताव है :

(1) विवाह पर प्रतिबंध की अवधि चार वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करना;

(2) 35 वर्ष की आयु के बाद विमान परिचारिकाओं को डाक्टरी जांच प्रतिवर्ष की बजाय प्रति दो वर्ष में करना।

(ग) विमान परिचारिकाओं का प्रतिनिधित्व इंडियन एयरलाइन्स में वायु निगम कर्मचारी संघ और एयर इंडिया में, एयर इंडिया केबिन क्रू संगठन द्वारा किया जाता है। जबकि इंडियन

एयरलाइन्स में, विमान परिचारिकाओं को सेवा शर्तों के बारे में यूनियन की ओर से कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है, एयर इंडिया में, दिसम्बर, 1988 में केबिन क्रू संगठन के साथ समझौता कर लिये जाने के बाद इस मामले में आगे कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है।

विवरण

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में नियुक्त विमान परिचारिकाओं की सेवा शर्तों पर न्यायालयों के निर्णय/न्यायिक-निर्णय

संक्षेप में न्यायिक-निर्णय इस प्रकार हैं :

(1) **इंडियन एयरलाइन्स की कुछ विमान परिचारिकाओं और सुश्री नर्गिस मिर्जा द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया 1981 का मुकदमा संख्या 3**

(क) **अधिवर्षिता की आयु :** याचिकाकर्ताओं ने अधिवर्षिता की 35 वर्ष की आयु और 10 वर्ष की अवधि को बढ़ाने से संबंधित विनियम में सांविधानिक वैधता के प्रावधान को चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय ने विमानपरिचारिकाओं की सेवानिवृत्ति की आयु 35 वर्ष और सेवा को 45 वर्ष तक बढ़ाने से संबंधित प्रावधानों को कायम रखा।

(ख) **35 वर्ष के बाद चिकित्सा-जांच :** विमान परिचारिकाओं ने तर्क दिया कि 35 वर्ष की आयु के बाद वार्षिक चिकित्सा जांच मनमानी पूर्ण है। हालांकि उच्चतम न्यायालय इस बात पर दृढ़ रहा कि जबकि 35 वर्ष की आयु के बाद प्रति वर्ष चिकित्सा जांच कराना कानून में बुरा नहीं है तो भी 35 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक वर्ष विमान परिचारिकाओं की सेवा को बढ़ाने के लिए एम० डी० को दी गई शक्तियों का प्रावधान मनमाना है और यह एम० डी० को बेरोक तथा अनियंत्रित शक्तियां देता है। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया कि 35 वर्ष की आयु के बाद विमान परिचारिकाओं की सेवा स्वाभाविक रूप से बढ़ाई जानी चाहिए बशर्ते कि उसे चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया हो।

(ग) **विवाह पर प्रतिरोध :** विमान परिचारिकाओं ने सेवा में आने के चार वर्षों तक विवाह पर प्रतिरोध से संबंधित विनियम में सांविधानिक वैधता के प्रावधान को चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय ने प्रावधानों को कायम रखा।

(घ) **गर्भ धारण पर प्रतिरोध ;** विमान परिचारिकाओं ने उपबंधों को चुनौती दी कि विमान-परिचारिकाएं प्रथम गर्भ धारण से सम्बन्धित उपलब्धों को उदार बनाया जाए और विमान परिचारिकाएं केवल तीसरी बार गर्भधारण करने पर एयरलाइनों की सेवा से निवृत्त हो सकेंगी बशर्ते कि दो बच्चे जीवित हों।

(2) **उच्चतम न्यायालय में सुश्री एल० जान द्वारा दायर की गई 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 231.**

याचिका में याचिका-कर्ताओं ने विमान परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति आयु से संबंधित उपाबन्धों की मान्यता को चुनौती दी। न्यायालय ने महसूस किया किया कि वर्ष 1981 में उनके अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) बम्बई उच्च न्यायालय ने सुश्री ए० सी० मोहन द्वारा 1986 में रिट याचिका सं० 301.

याचिका-कर्ताओं को बम्बई उच्च न्यायालय के एकल पीठ के समक्ष विमान परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति आयु संबंधित एयर इंडिया विनियमों की मान्यता को पुनः चुनौती दी माननीय न्यायालय ने एयर इंडिया विनियमों के उपबंधों की मान्यता की पुष्टि की और महसूस किया कि वर्ष 1981 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय अभी तक बाध्य हैं।

(4) बम्बई उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ के समक्ष सुश्री ए० सी० मोहन की 1987 की रिट याचिका संख्या 135

उपरोक्त क्रम संख्या (3) पर दी गई रिट याचिका में एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय के डिवीजन पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने एक अपील दायर की। डिवीजन पीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने बम्बई उच्च न्यायालय की मंडल पीठ के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका अस्वीकार कर दी।

(5) बम्बई उच्च न्यायालय में कुमारी नर्गिस मिर्जा और अन्य द्वारा दायर की गई 1984 की याचिका संख्या 116

याचिका दायरकर्ताओं ने एयर इंडिया प्रबन्धक वर्ग और एयर इंडिया कर्मीदल संघ के बीच दिनांक 17-11-1983 के समझौते के रिकार्ड नोट के उपबन्धों को चुनौती दी है जिसमें उप मुख्य विमान परिचारिकाओं के व्यवसाय कार्यकलापों का उल्लेख है और एयर इंडिया विमान पर सवार होने विपदानुक्रम का उल्लेख है जिसके अनुसार विमानपरिचारिकाओं को उड़ान पर्सर के अधीन कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है जबकि विमानपरिचारिकाओं को उड़ान पर्सर से वरिष्ठ होती हैं उच्च न्यायालय ने समझौते के रिकार्ड नोट का अनुमोदन कर दिया।

(6) कुमारी नर्गिस मिर्जा और अन्य द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय की विभागीय खंडपीठ के सम्मुख 1984 की अपील संख्या 1068

इस अपील में उपरोक्त क्रम संख्या (5) में वर्णित एक खण्डपीठ के निर्णय की अपील को चुनौती दी गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय ने समझौते के रिकार्ड नोट, विमान पर सवार होने पर कार्यकलापों और पदानुक्रम के वैधता के बारे में विभागीय खण्डपीठ का अनुमोदन कर दिया। यह भी दोहराया गया कि 1981 की रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय के अभिमतों ने मामले को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया है। (कुमारी नर्गिस मिर्जा और अन्य द्वारा दायर की गई 1981 की मामला संख्या 3)।

रुग्ण एककों को पुनरुद्धार के लिए सहायता

1026. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री हरीश रावत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण लघु उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार को वर्ष 1987-88, 1988-89 के दौरान दी गयी तथा वर्ष 1989 के लिए निर्धारित की गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुणाचलम) : (क) जी हां। लघु रूग्ण एककों को जीवंत करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित सीमांत धन योजना के अधीन, केन्द्र सरकार राज्य/केन्द्र शासित सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय ऋण सहायता 50.50 के बराबर आधार पर दी जाती है।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान 28.50 लाख रु० बिहार (23 लाख रु०) अरूणाचल प्रदेश (4 लाख रु०) और जम्मू तथा कश्मीर (1.50 लाख रु०) राज्य सरकारों को स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 1988-89 में 16.80 लाख रु० केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश (10 लाख रु०) और हरियाणा (6 लाख रु०) राज्य सरकारों को दिये गए थे। वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय बजट में इस योजना के लिए 45 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

होटल परियोजना का प्रस्ताव

1027. **श्री शांताराम नायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में होटल परियोजनाओं संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी परियोजना का समुद्र तट पर निर्माण करने का विचार है; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) केवल समुद्र तट से सम्बन्धित परियोजनाएं विचाराधीन है :

ऐसी 17 परियोजनाओं को पर्यावरण के दृष्टिकोण से अन्तर्मंत्रालय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(घ) गत एक वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(ख) गत एक वर्ष (जुलाई 88, जून 89) के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है—

क्रम० सं०	स्थान	1—सितारा परि-योजनाओं की सं०	1—सितारा कमरों की सं०	2—सितारा परि-योजनाओं की सं०	2—सितारा कमरों की सं०	3—सितारा परि-योजनाओं की सं०	3—सितारा कमरों की सं०	4—सितारा परि-योजनाओं की सं०	4—सितारा कमरों की सं०	5—सितारा परि-योजनाओं की सं०	5—सितारा कमरों की सं०	कुल परि-योजनाओं की सं०	कुल कमरों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आगरा	—	—	—	—	—	—	1	115	—	—	1	115
2.	अहमदाबाद	—	—	—	—	—	—	1	72	—	—	1	72
3.	औरंगाबाद	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	1	40
4.	बादशाहपुर	—	—	—	—	1	20	—	—	—	—	1	20
5.	बंगलौर	—	—	—	—	3	287	1	118	—	—	4	395
6.	बड़ौदा	—	—	—	—	4	263	—	—	—	—	4	263
7.	भोपाल	—	—	—	—	1	44	—	—	—	—	1	44
8.	भुज	—	—	—	—	1	23	—	—	—	—	1	23
9.	बम्बई	—	—	2	76	2	122	1	26	2	304	7	528

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	बावनी	—	—	—	—	1	102	1	78	—	—	2	180
12.	कोचीन	—	—	—	—	—	—	—	—	1	60	1	60
13.	डिब्रुगढ़	—	—	—	—	1	45	—	—	—	—	1	45
14.	दुर्गापुर	—	—	—	—	1	30	—	—	—	—	1	30
15.	गाजियाबाद	—	—	—	—	1	36	—	—	—	—	1	36
16.	गोवा	—	—	—	—	1	30	—	—	—	—	1	30
17.	गुड़गांव	—	—	—	—	2	190	—	—	2	324	4	514
18.	गुवाहटी	—	—	—	—	1	20	—	—	—	—	1	20
19.	ग्वालियर	—	—	1	18	1	54	—	—	—	—	2	72
20.	हैदराबाद	—	—	—	—	1	33	—	—	—	—	1	33
21.	इन्दौर	—	—	1	30	4	268	1	70	1	198	7	566
22.	जालन्धर	—	—	—	—	1	30	—	—	—	—	1	30
23.	कलोट	—	—	—	—	1	46	—	—	—	—	1	46
24.	करजत	—	—	—	—	—	—	—	—	1	97	1	97
25.	खंडाला	—	—	—	—	1	72	—	—	—	—	1	72
26.	कुरनूल	—	—	—	—	—	—	1	62	—	—	1	62
27.	लोनावाला	—	—	2	122	—	—	—	—	—	—	2	122
28.	लखनऊ	—	—	—	—	2	89	—	—	—	—	2	89
		—	—	—	—	—	—	—	—	1	169	1	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	मद्रास	1	40	—	—	1	148	—	—	1	300	6	488
30.	महाबलेश्वर	—	—	—	—	1	82	—	—	—	—	1	62
31.	मथेरन	—	—	—	—	1	48	—	—	—	—	1	48
32.	मंसूरी	—	—	1	18	—	—	—	—	—	—	1	18
33.	नोगांव	—	—	1	22	—	—	—	—	—	—	1	22
34.	नैनीताल	—	—	—	—	2	52	—	—	—	—	2	52
35.	नांदेड़	—	—	2	50	...	—	—	—	—	—	2	50
36.	नासिक	—	—	1	24	—	—	—	—	—	—	1	24
37.	नई बम्बई	—	—	—	—	1	46	—	—	—	—	1	46
38.	नई दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	2	241	2	242
39.	पेट्टान	—	—	—	—	1	20	—	—	—	—	1	20
40.	पुणे	—	—	3	47	—	—	1	32	—	—	4	79
41.	ऋषिकेश	—	—	—	—	1	40	—	—	—	—	1	40
42.	सिल्चर	—	—	—	—	1	35	—	—	—	—	1	35
43.	सिलिगुड़ी	—	—	—	—	1	28	—	—	—	—	1	28
44.	शान्तिनिकेतन	—	—	—	—	1	52	—	—	—	—	1	52
45.	शिमला	—	—	—	—	1	33	—	—	—	—	1	32
46.	शिर्डी	—	—	—	—	1	80	—	—	—	—	1	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	टाडापल्लीगुडम	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	1	16
48.	तिनसुकिया	—	—	—	—	1	[39	—	—	—	—	1	39
49.	उदयपुर	—	—	—	—	—	—	1	37	—	—	1	37
50.	बहनगांव	—	—	—	—	—	—	—	—	1	90	1	90
51.	वाराणसी	—	—	—	—	1	50	—	—	—	—	1	50
52.	विजयवाडा	—	—	—	—	2	97	—	—	—	—	2]	97
53.	विशोली	—	—	1	28	—	—	—	—	—	—	1	28
	जोड़ :	1	40	16	441	52	2673	9	[610	12	1783	90	5547

सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को कोयले की सप्लाई

1029. श्री एस० पलाकोंड्रायुडू : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 के दौरान और 30 जून, 1989 तक सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को मास-वार कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : वर्ष 1988 तथा वर्ष 1989 (जून तक) की अवधि के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :

(लाख टन में)

मास	1888	1989
जनवरी	1.86	3.31
फरवरी	1.13	3.60
मार्च	2.11	4.53
अप्रैल	1.72	2.78
मई	1.99	3.21
जून	3.13	4.40
जुलाई	2.05	
अगस्त	2.02	
सितम्बर	2.07	
अक्तूबर	2.22	
नवम्बर	2.33	
दिसम्बर	3.11	
जोड़	25.84	21.83

भारतीय पेटेंट्स अधिनियम

1030. डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1989 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "इंडिया रीबफ्स आई० बी० आर० डी० मूव टू० स्टडी पेटेंट्स एक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) उक्त अधिनियम के किन-किन पहलुओं के अध्ययन की मांग की गयी है और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को भारतीय पेटेंट्स अधिनियम का कोई अध्ययन करने के लिए आई० बी० आर० डी० से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

1033. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान राजस्थान में किन-किन स्थानों पर आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) क्या बाड़मेर जिला मुख्यालय में आकाशवाणी केन्द्र 2 अक्तूबर, 1989 तक बनकर तैयार हो जाएगा ताकि उसे चालू किया जा सके।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० के० तिवारी) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान, राजस्थान राज्य में अलवर, बांसवाड़ा, झालावाड़, नागौर तथा चूरू में एक-एक अर्थात् कुल पांच नये आकाशवाणी केन्द्र चालू करने के लिए बनकर तैयार हो जाएंगे।

(ख) जी, नहीं।

"डेसू" द्वारा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से विविध प्रभार वसूल किया जाना

[अनुवाद]

1034. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इस माह घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से विविध प्रभारों के रूप में भारी धनराशि वसूल की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी राशि एकत्र की गयी है; और

(ग) यह राशि किस प्रयोजन से एकत्र की गयी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, कुछ बिलों में "विविध प्रभारों" के रूप में दर्शायी गयी राशि, वास्तव में ऊर्जा उपभोग प्रभार हैं जिन्हें हाथ से बिल तैयार करने सम्बन्धी पद्धति के स्थान पर कम्प्यूटर द्वारा बिल तैयार करने संबंधी विकसित पद्धति अपनाए जाने के कारण उपभोक्ताओं से पहले वसूल नहीं किया जा सका।

दिल्ली, सूरत राजकोट के बीच सीधी विमान सेवा

1035. **श्री सी० डी० गामित :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, सूरत और राजकोट के बीच सीधी विमान सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस मार्ग पर विमान सेवा कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) 20-4-1989 से इंडियन एयरलाइंस ने अहमदाबाद से होकर दिल्ली और राजकोट के बीच सप्ताह में तीन बार बी-737 सेवाएं शुरू की हैं। चूंकि सूरत विमान क्षेत्र पर बी-737 विमान नहीं उतर सकते इसलिए इंडियन एयरलाइंस की इस समय सूरत के लिए विमान सेवाएं शुरू करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, वायुदूत पहले ही सप्ताह में तीन बार बम्बई-सूरत-भावनगर और बम्बई-दमन-सूरत-भावनगर दोनों सैक्टरों पर डार्नियर सेवाएं परिचालित कर रहा है।

केरल में विश्व बैंक से वित्त-पोषण के लिए नई विद्युत परियोजना

1036. **श्री के० मोहनदास :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में वित्त-पोषण के लिए विश्व बैंक के विचार के लिए किसी नयी परियोजना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) इस समय केरल में कोई ऐसी विद्युत परियोजना नहीं है। जिस पर विश्व बैंक की सहायता के लिए विचार किया जा रहा हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लुब्रीकेटिंग आयल का उत्पादन

1037. **श्री हरिहर सोरन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान लुब्रीकेटिंग आयल का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितना उत्पादन बढ़ा है;

(ग) क्या वर्ष, 1989-90 में लुब्रीकेटिंग आयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए आयल-ब्लाक्स तथा तेल शोधन कारखानों की क्षमता बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987-88 में किए गए उत्पादन की तुलना में वर्ष 1988-89 से उत्पादित स्नेहक तेल में 19,000 टन की वृद्धि हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयातित "कोमोडिटी प्लास्टिक" का मूल्य

1039. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयातित "कामोडिटी प्लास्टिक" का मूल्य इसके स्वदेशी उत्पादन के मूल्य से भी कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व भर में इसके मूल्यों में कमी होते जाने के बावजूद व्यापारी सट्टा के आधार पर इसकी लगातार खरीद करने में लगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कामोडिटी प्लास्टिक्स के मूल्यों में हाल ही में गिरावट आने के परिणामस्वरूप, अब उनकी अवतरित लागत चालू स्वदेशी बिक्री मूल्य के लगभग है। मूल्यों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

कामोडिटी प्लास्टिक्स के आयात की अनुमति ओ० जी० एल० (भण्डारण एवं बिक्री के लिए सहित सिवाय प्रालिप्रापिलीन के) के अन्तर्गत दी जा रही है क्योंकि उनकी वर्तमान स्वदेशी उपलब्धता स्वदेशी मांग से काफी कम है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल कर्मचारियों के लिए वेतन पुनः निर्धारण निकाय

1040. **श्री आर० एम० भोये** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कार्यरत कर्मचारियों के मजदूरी (वेतन और मंहगाई भत्ता आदि) के पुनः निर्धारण के लिए कोई प्रक्रिया अपनायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व वेतन पुनः निर्धारण निकाय ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है और दूसरे वेतन पुनः निर्धारण निकाय नियुक्त करने का समय आ गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक प्रस्तुत और कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) ट्रेड यूनियनों के साथ समझौतों के माध्यम से भारत पर्यटन विकास निगम होटल और केटरिंग स्थापनों के कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन किया जाता है। चूंकि पिछला समझौता 30-6-1986 को समाप्त हो गया, भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धक ट्रेड यूनियनों से ताजा विचार-विमर्श कर रहे हैं।

(ग) और (घ) 1978 में सरकार द्वारा गठित वेतन पुनरीक्षा समित की सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी थीं और भारत पर्यटन विकास निगम में कार्यान्वित की गयीं थीं। इसके बाद से भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कर्मचारियों के वेतन में आवधिक रूप से संशोधन ट्रेड यूनियनों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ट्रेड यूनियनों के साथ जल्दी से जल्दी समझौता करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

सीमेंट का मूल्य

1042. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट का लेवी कोटा समाप्त करने और सीमेंट को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरण करने की योजना को समाप्त करने से खुले बाजार में सीमेंट का मूल्य बहुत बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो लेवी कोटा समाप्त करने के बाद से खुले बाजार में सीमेंट के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है और कोटा समाप्त करने से पूर्व सीमेंट का मूल्य क्या था और इस समय सीमेंट का मूल्य क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में कुछ शहरों में सीमेंट के खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई। तथापि, इस मूल्य वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि (क) कोयला, बिजली, रेल भाड़ा आदि की निविष्ट लागत में बढ़ोतरी; (ख) उत्पादन शुल्क में नामपात्र वृद्धि; और (ग) क्योंकि इस अवधि में निर्माण कार्य चरम सीमा पर होता है इसलिए सीमेंट की मांग में सामयिक तौर पर वृद्धि होना शामिल हैं। किन्तु बताया गया है कि मानसून प्रारम्भ हो जाने से कुछ जगहों में कीमतों में गिरावट आई है। मुख्य-मुख्य जगहों में सीमेंट के मूल्य संलग्न विवरण दिये गये हैं।

सीमेंट के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण हटा लिए जाने के बाद, अब सीमेंट बाजार में आसानी से उपलब्ध है और बाजार संगठनों की भूमि इसका मूल्य निर्धारिण होता है। विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग को इसके मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर पूरी नजर रखे रहने तथा उसका प्रबोधन करने की सलाह दी गयी है।

विवरण

मुख्य-मुख्य शहरों में फरवरी, 1989 जून, 1989 जुलाई, 1989 की अवधि में बाजार में सभी करों सहित प्रति बोरी सीमेंट का खुदरा मूल्य

क्र० सं०	शहर का नाम	फरवरी, 1989	जून, 1989	जुलाई का तीसरा सप्ताह
1.	दिल्ली	66 से 67	71 से 75	67 से 71
2.	करनाल	67 से 68	77 से 78	75 से 76
3.	लुधियाना	66 से 67	75 से 76	74 से 76
4.	चंडीगढ़	66 से 66	74 से 75	65 से 66
5.	जयपुर	64 से 65	72 से 75	68 से 70
6.	लखनऊ	64 से 65	71 से 72	70 से 71
7.	श्रीनगर	83 से 85	84 से 85	80 से 84
8.	शिमला	75 से 72	76 से 78	76 से 78
पूर्वी क्षेत्र				
9.	कलकत्ता	70 से 75	78 से 81.50	74.80
10.	पटना	70 से 71	67 से 70	66 से 70
11.	भुवनेश्वर	67 से 70	75	67 से 73
12.	गुवाहाटी	85 से 90	87 से 93	90 से 92
पश्चिम क्षेत्र				
13.	बंबई	70 से 72	75 से 80	72 से 76
14.	भोपाल	65 से 68	71 से 73	66 से 67
15.	गोआ	64 से 74	75 से 80	73 से 79
16.	अहमदाबाद	62 से 68	84 से 88	77 से 81
17.	राजकोट	62 से 68	84 से 88	77 से 81
18.	बड़ोदा	62 से 68	84 से 88	77 से 81
19.	सूरत	63 से 69	86 से 90	77 से 81
दक्षिण क्षेत्र				
20.	मद्रास	67 से 69	69 से 74	64 से 70
21.	त्रिवेन्द्रम	78 से 82	80 से 83	81 से 84
22.	बंगलौर	70 से 72	72 से 76	72 से 76
23.	हैदराबाद	63 से 65	65 से 68	65 से 68
24.	कालीकट	77 से 80	81 से 83	83 से 84

विशाखापत्तनम में तीसरा पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स

1043. श्री शांतिलाल पटेल :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश में एक तीसरा पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किन्ही ठोस प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नायग्याल) : (क) से (घ) अनेक पार्टियों ने विशाखापत्तनम में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदन दिये हैं। इस पर अन्तिम निर्णय तकनीकी-आर्थिक आधार पर किया जाएगा ऐसे पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स पर कुल निवेश 2000 करोड़ रुपए तक का होगा।

पाइपलाइन के माध्यम से कोयले का परिवहन

1044. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले-पानी मिश्रण को, जिससे विद्युत उत्पादन संयंत्र में जलाने के लिए सीधे ही प्रयोग किया जा सकता है, पाइपलाइन के माध्यम से ले जाकर कोयले के परिवहन की तकनीक का विकास करने की किसी योजना पर विचार कर रही है, जैसा कि 3 जुलाई, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कोल स्लरी प्लान अण्डर स्टडी" शीर्षक से समाचार छपा था;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में "उच्च राख युक्त भारतीय कोयले पर प्रयोग करने के संबंध में प्रौद्योगिकी की तकनीकी व्यवहार्यता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हाईकंस्नस्ट्रेशन कोल सलेरी प्रोद्योगिकी की मूल्यांकन" नामक एक अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का संबंध कोयले के पाइप लाइन के जरिए परिवहन की प्रौद्योगिकी से है जिसको जलने के लिए विद्युत संयत्रों को सीधा उपलब्ध कराया आएगा। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—(1) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रोद्योगिकी की अद्यतन स्थिति का अध्ययन करना, (2) विमान प्रोद्योगिकीयों का मूल्यांकन करना, यदि उनका उच्च राखयुक्त भारतीय कोयले और इसका एक अथवा दो शार्ट-लिस्ट प्रौद्योगिकी में अधिकतम में सीधा प्रयोग किया जा सकता है (3) विमानन प्रोद्योगिकी में उचित संशोधन सुझाना जिसका प्रयोग उच्च राखयुक्त भारतीय कोयले के लिए तकनीकी व्यवहार्यता से किया जा सके,

और (4)इससे प्राप्त जानकारी को भारत में इस प्रौद्योगिकी के विकास के साथ तेजी से बढ़ाया जाए।

(ग) सरकार ने इस परियोजना के लिए 29.5 लाख रु० की राशि की स्वीकृति दी है।

शीतल पेयों के लिए मशीन

1045. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीतल पेयों के लिए मशीन बनाने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) शीतल पेयों की मशीन को आयात करने की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) संगठित क्षेत्र में मैं, मोहन मशीन्स लि०, ओखला दिल्ली शीतलपेय बोतल में भरने की मशीनों सहित बोतल भरने के संयंत्रों का निर्माण कर रहा है। मैं सिमट्रस लि०, को हाल में बोतल भरने के संयंत्रों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है। उन्हें अभी उत्पादन शुरू करना है। केन्द्र द्वारा लघु क्षेत्रों में ऐसी यूनिटों की सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) पूंजीगत माल के आयात के लिए निर्धारित सामान्य प्रक्रिया शीतल पेय मशीनों का आयात करने के लिए भी लागू है।

हंगरी को मारुति कारों का निर्यात

[हिन्दी]

1046. **श्री मदन पांडे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हंगरी को मारुति कारें निर्यात करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो हंगरी को मारुति कारें निर्यात करने से कितना लाभ होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड पहले से ही हंगरी को कारें निर्यात कर रहा है।

(ख) सूचना देना वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

मलेशिया के साथ संयुक्त उद्यम

[अनुवाद]

1047. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया ने भारत में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित किए जाने में रुचि दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) 1986 से भारत सरकार द्वारा मलयेशिया के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 3 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। ये प्रस्ताव 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के अधीन परियोजनाएं स्थापित

करने से संबंधित थे और इनमें मलयेशियाई कंपनियों को 71 लाख रु० की वित्तीय भागीदारी अन्त-र्ग्रस्त थी। स्वीकृत विदेशी सहयोग के ब्यौरे जिनमें भारतीय तथा विदेशी फर्मों के नाम, विनिर्माण की वस्तु और सहयोग का सहयोग का स्वरूप दिये जाते हैं, भारतीय निवेश केन्द्र नई दिल्ली द्वारा उनके "मंथली न्यूजलैटर" के अनुपूरक के रूप में प्रति माह प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

न्यूजप्रिन्ट कारपोरेशन

[हिन्दी]

1049. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री एस० पलाकोंड्रायुडु : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी और आयातित अखबारी कागज के आबंटन, आयात, भंडारण और वितरण के लिए एक न्यूजप्रिन्ट कारपोरेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस कारपोरेशन के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल सीमा प्रदेश पर जल विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

1050. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल सीमा प्रदेश में कितनी जल-विद्युत परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं की क्षमता क्या है और उनसे बिजली का उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है;

(ग) इन परियोजनाओं पर क्या लागत आयेगी और इन परियोजनाओं के लिए कितनी धन-राशि की विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) इस समय, भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय क्षेत्र में केवल एक बृहत जल विद्युत परियोजना नाम टनकपुर जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) क्रियान्वयनाधीन है। परियोजना के तीन यूनिटों को मार्च, 1992 तक चालू किये जाने का कार्यक्रम है। परियोजना की अनुमानित लागत 274.03 करोड़ रुपये हैं जिसमें

29.99 करोड़ रुपए का निर्माण के दौरान ब्याज शामिल नहीं है। इस परियोजना के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

माता वैष्णों देवी के मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं

1051. **श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 और अप्रैल से जून, 1989 तक की अवधि के दौरान कितने तीर्थ यात्रियों ने माता वैष्णोदेवी के मन्दिर के दर्शन किए;

(ख) तीर्थ यात्रियों के लिए नियमित विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यात्रियों को आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु यात्रिकाओं के निर्माण के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जम्मू एव कश्मीर सरकार से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 और 1989-90 (जून तक) के दौरान जिन तीर्थ यात्रियों ने माता वैष्णोदेवी मंदिर के दर्शन किए उनकी संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या
1986-87	1509,750
1987-88	1928,695
1988-89	1957,540
1989-90 (जून तक)	723,568

(ख) इस समय नियमित विमान सेवा चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वैष्णोदेवी में यात्रिकाओं के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में पन बिजली उत्पादन पर खर्च धनराशि

[हिन्दी]

1052. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं योजनाओं में पन बिजली उत्पादन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) इस शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में खर्च की गयी धनराशि की प्रतिशतता क्या;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की आवश्यकता और मांग को देखते हुए इस शीर्ष के अन्तर्गत वहां बहुत कम धनराशि खर्च की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस राज्य के उन पन बिजली परियोजना के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार का आठवीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रदान करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) के (ख) सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन-समझौते

1054. **श्री सम्पन थामस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष 1988-89 के दौरान कितने वेतन समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम ने तुरन्त वेतन समझौते को अन्तिम रूप न दिए जाने की स्थिति में सीधी कार्यवाही करने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, करने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) वर्ष 1988-89 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 18 मजूरी समझौतों तो अन्तिम रूप दिया गया है।

(ख) और (ग) मजदूर संघों में से एक ने सरकार को सूचित किया है कि यदि मजूरी समझौतों को अन्तिम रूप देने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो वह अपने सम्बन्ध संघों को सीधी कारंवाई का आह्वान करने के लिए बाध्य हो जाएगा। उसके बाद से कोल इण्डिया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० आदि अनेक बड़े उद्यमों में मजूरी समझौते सम्पन्न कर लिए गए हैं।

दूरदर्शन के दूसरे चैनल पर राज्य सरकार के कार्यकलापों का प्रसारण

1055. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के दूसरे चैनल पर राज्य सरकार के कार्यकलापों को प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) दूरदर्शन प्रादेशिक केन्द्रों के कार्यक्रमों में राज्य सरकारों की विकास संबंधी गतिविधियों की पहले ही पर्याप्त कवरेज दे रहा है। ऐसा चैनल एक पर काफी किया जाता है क्योंकि इस चैनल की कवरेज रेंज चैनल दो से बहुत अधिक है। चैनल दो चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तक सीमित है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को घाटा

1057. श्री एस० जी० घोलप : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के लगभग सभी होटल घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम की परिवहन शाखा लाभ में चल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रबंध में सुधार लाने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं । भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने, अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1988-89 के दौरान 714.70 लाख रु० का समग्र लाभ अर्जित किया है ।

(ग) और (घ) भारतीय पर्यटन विकास निगम की परिवहन शाखा अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स प्रभाग का एक भाग है । अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स प्रभाग ने इसकी परिवहन शाखा को हुए 8.95 लाख रु० के घाटे को ध्यान में रखने के बाद, अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1988-89 के दौरान 18.88 लाख रु० का समग्र लाभ अर्जित किया है । भारत पर्यटन विकास निगम परिवहन शाखा सहित अपने एककों/प्रभागों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ।

महाराष्ट्र के लिए दूरदर्शन केन्द्र

1058. श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है; और

(ख) महाराष्ट्र में वरुडी में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को चालू करने को निर्धारित तारीख क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सातवीं योजना में महाराष्ट्र राज्य के लिए दूरदर्शन की निम्नलिखित परियोजनाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है —

(1) पुणे में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र ।

(2) दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई का विस्तार ।

(3) नागपुर और पुणे के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाकर 10 किलोवाट करना ।

(4) बम्बई में द्वितीय चैनल सेवा के लिए 10 किलोवाट ट्रांसमीटर की स्थापना ।

(5) औरंगाबाद और अम्बाजोगई में (औरंगाबाद, लातूर और परभनी में कार्यरत अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर) 10 किलोवाट ट्रांसमीटरों की स्थापना ।

(6) बीड़, बुलढाना, गढ़चिरौली, इच्छलकरंजी उसमानाबाद, पुसाड़, रत्नागिरि, सातारा और यवतमाल में अल्प शक्ति (100 वाट) का एक-एक अर्थात् कुल 9 दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाना। इसके अलावा, हाल ही में अनुमोदित एक नई स्कीम के अन्तर्गत अचलपुर, अमलनेर, वर्सी, दिग्लूर, कराड़, किन्वत, मनमाड़, नन्दुरबार, शाहादा और वर्धा में एक-एक ऐसे अतिरिक्त ट्रांसमीटर स्थापित करने की परकल्पना है।

जबकि बम्बई (द्वितीय चैनल सेवा के लिए), नागपुर और पुणे में 10 किलोवाट ट्रांसमीटर तथा बीड़, बुलढाना, गढचिरौली, उस्मानाबाद, पुसाड़ रत्नगिरि, सातारा और यवतमाल में अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही सेवा के लिए चालू कर दिए गए हैं। औरंगाबाद और अम्बाजोगई के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा वर्धा के एक ट्रांसमीटर सहित बाकी सभी अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटरों के चालू वित्तीय वर्ष (1989-90) के दौरान ही सेवा के लिए चालू हो जाने की आशा है। अन्य परियोजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है तथा ये बाद में चालू हो जाएंगी।

उड़ीसा में रसोई गैस की एजेंसियां

1059. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जिलेवार रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) क्या बेरहामपुर भजननगर और अस्का में रसोई गैस कई नई एजेंसियां आबंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1-7-1989 को उड़ीसा में 72 एल० पी० जी० वितरण केन्द्र थे जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 1988-89 तक की वार्षिक विपणन योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के बेहरामपुर जिले में दो एल० पी० जी० वितरण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। भजननगर और आस्का नामक स्थानों पर एल० पी० जी० वितरण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	जिला	एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या
1.	बलेश्वर (बालासोर)	3
2.	बोलानगिर	3
3.	कटक	12
4.	धेनकनाल	6
5.	गंजम	7

1	2	3
6.	कोरापेट	5
7.	क्योंझर	4
8.	कालाहेंडी	1
9.	मयूरभंज	1
10.	पुरी	9
11.	फुलबानी	1
12.	सम्बलपर	8
13.	सुन्दरगढ़	12
	जोड़	72

महाराष्ट्र में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र

1060. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में गैस पर आधारित केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इन प्रस्तावों की जांच कर ली गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में महाराष्ट्र में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—

(I) डमोल गैस टरबाइन संयुक्त साइकल विद्युत केन्द्र (760 मे॰ वा०) (4 × 120 मेगावाट) गैस टरबाइन + 2 × 140 मेगावाट वाष्प टरबाइन)

(II) ट्राम्बे गैस टरबाइन संयुक्त साइकल विद्युत केन्द्र (180 मेगावाट) (2 × 60 मेगावाट गैस टरबाइन + 1 × 60 मेगावाट वाष्प टरबाइन) (मै॰ टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी)

इन प्रस्ताव पर अगली कार्रवाई तभी की जा सकती है जबकि गैस की उपलब्धता समेत विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित कर लिया जाए तथा अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएं।

पंजाब और चंडीगढ़ से प्रकाशित समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन

1062. **श्री कमल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1889 के दौरान पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से प्रकाशित दैनिक समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में से प्रत्येक को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा कितने-कितने विज्ञापन दिए गए;

(ख) क्या ऐसी शिकायतें मिली है कि इन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों के आबंटन में भेदभाव किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) अलग-अलग समाचारपत्रों को भुगतान की गयी राशि का ब्यौरा प्रकट नहीं किया जाता और इसे गोपनीय माना जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन एयर लाइन्स के प्रकाशनों पर व्यय

1063. **श्री राम भगत पासवान :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस प्रचार सामग्री पर भारी धनराशि व्यय करता है। यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान इसके प्रकाशनों और अन्य प्रचार सामग्री पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 में इंडियन एयरलाइंस का प्रकाशनों और प्रचार सामग्री पर किया गया खर्च इसके कुल राजस्व का क्रमशः 0.10% और 0.11% था। वर्ष 1988-89 में इंडियन एयरलाइंस का प्रकाशन और प्रचार सामग्री पर 1.10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

वर्ष 1988-89 के दौरान दूरदर्शन से सीधा प्रसारण

1064. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के सीधे प्रसारण संबंधी दूरदर्शन की नीति क्या है; और

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान किए गए सीधे प्रसारणों की संख्या और ब्यौरा क्या है और प्रत्येक की अवधि तथा दर्शकों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार दूरदर्शन से सीधा प्रसारण गणतन्त्र दिवस परेड, स्वाधीनता दिवस, जैसी राष्ट्रीय दृष्टि से

प्रासंगिक घटनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और महत्वपूर्ण खेलों इत्यादि तक सीमित है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

ताप विद्युत संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

1066. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक ताप विद्युत संयन्त्रों का कार्य-निष्पादन बहुत ही असंतोषजनक है;

(ख) क्या संयंत्रों के डिजाइन तैयार करने में तकनीकी त्रुटियों के कारण इन संयंत्रों का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक है;

(ग) यदि हां, तो इन संयंत्रों के संयंत्र भार गुणक और समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा किसी अन्य समन्वयकारी एजेन्सी ने ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कोई समयबद्ध योजनाएं तैयार की हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 53.3% के लक्ष्य की तुलना में अप्रैल-जून, 1989 के दौरान देश में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार गुणांक 56.2% था।

(ख) से (घ) एक ताप विद्युत केन्द्र का कार्य-निष्पादन आयोजित अनुरक्षण, प्रणोदित कामबंदी, प्रणाली भार स्थितियां, संयंत्र की कालावधि, कोयले आदि की गुणवत्ता समेत कई घटकों पर निर्भर करता है। संयंत्र भार गुणांक तथा ताप विद्युत केन्द्रों के समग्र कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपये की ऋण सहायता वाला एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम देश में 34 ताप विद्युत केन्द्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों में ये सम्मिलित हैं—संयंत्र बेहतरी में राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता, अतिरिक्त पुर्जों का प्रापण, कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा की आपूर्ति, प्रचालन कार्मिकों का प्रशिक्षण, कार्य-निष्पादन के उच्च स्तर प्राप्त करने वाले संयंत्र कार्मिकों को नकद प्रोत्साहन पुरस्कार आदि।

व्यवसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने वाली महिलाओं हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाएं

1067. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने वाली महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं शुरू की गयी हैं; और

(ख) इन योजनाओं के नाम एवं विवरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग की योजनाओं में व्यवसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्तियों

सहित सभी श्रेणियों के लाभग्राही पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। खादी के अन्तर्गत कताई संबंधी कार्यकलाप मुख्यत: महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। पी० सी० पी० आई० फाइबर, औषध उद्देश्यों के लिए जंगली पौधों को एकत्र करना, गोंद और कत्थे को एकत्र करना और फलों के प्रसंस्करण और परिरक्षण जैसे ग्राम्य उद्योगों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं का प्रतिशत लगभग 46% है।

महाराष्ट्र में दूसरे तेल और गैस टर्मिनल की स्थापना

1068. श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री महाराष्ट्र में दूसरा तेल और गैस टर्मिनल के बारे में 14 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2587 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित दूसरे तेल और गैस टर्मिनल के बारे में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की इस रिपोर्ट की विशेषज्ञ समिति द्वारा इस बीच जांच कर ली गई है और उसे मंजूरी के लिए भेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में तेल और गैस के लिए एक अन्य टर्मिनल स्थापित करने के संबंध में सरकार के पास फिलहाल कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं है।

एयरबस ए-320 के हैंगर और अनुरक्षण सुविधाएं

1069. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने अपने ए-320 एयरबस के बेड़े की लघु अवधि की उड़ान के लिए पार्किंग और ओवरहाल सुविधाएं देने के लिए सीमा सुरक्षा बल से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा सुरक्षा बल इस बारे में सहमत हो गया है ;

(ग) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा हैंगर और अनुरक्षण सुविधाओं के विकास न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा इस बारे में उठाए गए अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) यद्यपि

इण्डियन एयरलाइंस ने एयरबस ए-320 विमानों की अल्पकालिक उड़ानों के लिए पार्किंग और ओवरहाल कांप्लेक्स की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बी० एस० एफ०) से नहीं कहा है, फिर भी निगम ने उड़ान के 300 घंटों के बाद अथवा 40 दिनों में एक बार की बड़ी जांचों के लिए सीमा सुरक्षा बल से उनके हैंगरों का प्रयोग करने की अनुमति मांगी है।

(ख) सीमा सुरक्षा बल ने थोड़े समय के लिए एयरबस ए-320 विमान के बड़े रख-रखाव के लिए इंडियन एयरलाइंस को अपने हैंगरों के उपयोग को अनुमति दे दी है।

(ग) और (घ) इस समय इण्डियन एयरलाइंस हैंगर और संधारण काम्पलेक्स का विकास कर रहा है जिसका निर्माण भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के 2 चरणों में पूरा होने की उम्मीद है पहले में टार्मेक और टैक्सी पथ सहित एक हैंगर और दो अनुषंगी भवनों का निर्माण कार्य शामिल है जिसके अक्तूबर, 1989 में पूरा हो जाने की आशा है और दूसरे चरण में 2 हैंगर और अनुषंगी भवनों का निर्माण कार्य शामिल है जिसके मई 1990 में किसी समय पूरा हो जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के लिए सहायता

[हिन्दी]

1070. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद को कुल कितनी हानि हुई और वर्ष 1988-89 में कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्ड ने कतिपय ताप विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण और राज्य में ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के लिये कुछ धनराशि की मांग की है; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान उपलब्ध करवाई गई ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता को ध्यान में रखने के पश्चात उत्तर प्रदेश विद्युत परिषिद द्वारा वहन किए गए/की कुल अधिशेष हानि का अनुमान निम्नलिखित प्रकार से हैं :

		(करोड़ रुपये में)
अधिशेष (+)/घाटा	(1) 1987-88	(+) 129.7 (279 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता समेत)
	(2) 1988-89	(—) 231.8 (193.9 करोड़ रुपये की सहायता समेत)

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत वित्त निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए 102.39 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने पारेषण लाइनें बिछाने के लिए 91.14 करोड़ रुपये राशि का ऋण स्वीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव विद्युत वित्त निगम के समक्ष प्रस्तुत किया है।

(ग) जून, 1989 तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीमों के लिए 62.50 करोड़ रुपये की राशि का आहरण किया है। पारेषण लाइनों के लिए विद्युत वित्त निगम ने 42.64 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 16.95 करोड़/-रुपये का अपहरण कर लिया है।

दिल्ली में बेनामी कारखाने

[अनुवाद]

1071. श्री कमल प्रसाद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में बेनामी कारखाने चलाए जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो बेनामी पास गए कारखानों का ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या उनको दंड देने हेतु कोई जांच की गई है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली में बेनामी फैक्ट्रियों के संबंध में दिल्ली प्रशासन के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिजली परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

1072. श्री ओ० एस० बासवराजू : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बिजली परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी है

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार कुल कितनी ऋण-राशि मांगी गई है; और

(ग) विश्व बैंक किराना ऋण देने के लिए सहमत हुआ है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विश्व बैंक के साथ सामान्य एवं परियोजना-विशिष्ट मुद्दों पर समय-समय विचार विमर्श किया जाता है। जिन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाना होता है उन्हें निधि की उपलब्धता एवं परियोजना संसाधन की स्थिति के आधार पर विश्व-बैंक की सहायता अनुक्रम में शामिल किया जाता है। तथापि सहायता का विस्तृत ब्यौरा केवल समझौतों के बाद ही उपलब्ध हो पाता है।

विश्व बैंक की सहायता से निर्माणाधीन परियोजनाएं निम्नवत हैं :

क्रम० सं०	परियोजना का नाम	सहायता राशि (मिलियन डालर में)
1.	संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना	485.00
2.	केन्द्रीय विद्युत पारेषण परियोजना	250.70
3.	फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक	250.00

1	2	3
4.	फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-दो	300.80
5.	कोरबा-दो (एस० डी० आर०)	400.00
6.	एन० सी० आर० (दादरी)	485.00
7.	रामागुण्डम-दो	300.00
8.	रिहन्द पारेषण	250.00
9.	सिंगरौली-दो	300.00
10.	तलचेर	375.00
11.	चन्द्रपुर ताप विद्युत परियोजना	300.00
12.	इन्दिरा सरोवर	45.60
13.	केरल पॉवर	176.00
14.	कर्नाटक-एक	330.00
15.	कर्नाटक-दो	260.00
16.	उत्तर प्रदेश पॉवर	350.00
17.	अपर इन्द्रावती	326.40
18.	नाथपा झाखड़ी	485.00
19.	महाराष्ट्र पॉवर	400.00

पन बिजली परियोजनाएं पूरी होना

1073. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पन बिजली परियोजनाएं अक्सर निर्धारित समय से पिछड़ जाती हैं जबकि ताप बिजली परियोजनाओं को उनकी निर्धारित अवधि से पहले ही पूरा कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, पनबिजली परियोजनाओं में देरी के मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) प्रायः ताप विद्युत परियोजनाओं की तुलना में जल विद्युत परियोजनाओं के प्रारम्भिक निर्माण अवधि कुछ लम्बी होती है। विलम्ब मुख्यत: सिविल निर्माण कार्य अनुपातिक रूप में अधिक होने, भौगोलिक कारणों से अभिकल्प में परिवर्तनों, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन तथा निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण होते हैं। जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित कुछ उपाय किये जा

रहे है—निर्माण के दौरान परियोजनाओं का नियमित प्रबोधन, बड़े उपस्कर सम्भरकों केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, परियोजना प्राधिकारियों तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से बेहतर समन्वयन समय-समय पर उठने वाली समस्याओं के निदान के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थलों के दौरे।

केरल को मिट्टी के तेल की आपूर्ति

1074. प्रो० के० वी० थामस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1989 तक मिट्टी के तेल की मांग क्या थी;

(ख) क्या केरल को उसके द्वारा मांगी गई तेल की केरल की मांग क्या थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) केरल को दिये गये मिट्टी के तेल के लिए केन्द्र द्वारा कितनी राज सहायता दी गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) केरल सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की मांग का अनुमान पिछले वर्ष तदनुरूपी अवधि में किये गये आबंटन में उचित वृद्धि को जोडकर लगाया जाता है और उसके अनुसार आबंटन किया जाता है नियमित सप्लाई के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, एल०पी०जी० की कमी, आदि जैसी विशेष स्थितियों से निपटने के लिए तदर्थ आबंटन भी किया जाता है। जनवरी 1989 से जून, 1989 तक की अवधि के दौरान केरल को किये गये आबंटन का ब्योरा इस प्रकार है :

(मीट्रिक टन)

महीना	नियमित आबंटन	तदर्थ आबंटन	कुल आबंटन
जनवरी, 1989	20923	1212	22135
फरवरी, 1989	20923	1212	22135
मार्च, 1989	17773	1212	18985
अप्रैल, 1989	17773	1212	18985
मई, 1989	17773	1212	18985
जून, 1989	17773	1212	18985

जुलाई, 1989 से अक्तूबर, 1989 तक के मानसून ब्लाक के लिए 20385 मीट्रिक टन प्रतिमाह की दर से आबंटन किया गया है।

वर्तमान नीति के अनुसार केरल को मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है। और राज्य के जायज उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए यह मात्रा आमतौर पर पर्याप्त समझी गई है।

1989 में भी उपर्युक्त नीति को जारी रखने का प्रस्ताव है।

(घ) औद्योगिक प्रयोग के लिए मिट्टी के तेल की कीमत (भंडार पाइंट से निकलने की) 3039.06 रुपये प्रति किलोलिटर के मुकाबले घरेलू प्रयोग (खाना पकाने और रोशनी करने के कार्यों के लिए) मिट्टी के तेल को 1956.93 रुपये प्रतिकिलो लीटर) भंडारण पाइंट से निकलना) की रियायती दर पर दिया जाता है।

आकाशवाणी केन्द्र, दरभंगा द्वारा विविध भारती कार्यक्रमों का प्रसारण

[हिन्दी]

1075. श्री कृष्ण किशोर पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा आकाशवाणी केन्द्र द्वारा "विविध भारती" कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दरभंगा से अब "विविध भारती" कार्यक्रम का प्रसारण शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। "विवध भारती" के लिए अलग ट्रांसमीटर/चैनल न होने के कारण आकाशवाणी, दरभंगा "विविधि भारती" के कार्यक्रम प्रसारित करने की स्थिति में नहीं है। परन्तु, क्षेत्र के श्रोता शार्टवेव पर "विविध भारती" कार्यक्रम सुन सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए "ओवरसीज इकोनोमिक फंड" और एशियाई विकास बैंक से सहायता

1077. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने जापान के ओवरसीज इकोनामिक फंड से सहायता मांगी है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने एशियाई विकास बैंक (ए० डी० पी०) से भी सहायता मांगी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ("ओवरसीज इकोनामिक फंड) या एशियाई विकास बैंक से कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को निकट भविष्य में "ओवरसीज इकोनामिक फंड" अथवा एशियाई व विकास बैंक से कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) ग्राम

विद्युतीकरण निगम ने अभी तक न तो एशियाई विकास बैंक और न ही ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फन्ड आफ जापान से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त की है। ग्राम विद्युतीकरण निगम के प्रस्तावों के लिए ऋण व्यवस्था हेतु ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फण्ड से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए अभी बात-चीत की जानी है।

भारत भ्रमण वर्ष 1991

1078. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991 को भारत भ्रमण वर्ष घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान भारत भ्रमण हेतु और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या योजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों के आबंटन के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

1079. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 तक उत्तर प्रदेश, विशेषकर कानपुर में खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों के लिए कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे;

(ख) कुल आवेदक में से कितने लोगों को खाना पकाने की गैस के कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं; और

(ग) शेष लोगों को कनैक्शन कब तक दिए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 30 जून, 1989 को उत्तर प्रदेश और कानपुर में क्रमशः लगभग 5.68 लाख और 0.71 लाख व्यक्ति नए एल०पी०जी० कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची दर्ज थे।

(ख) 30 जून, 1989 को उत्तर प्रदेश में लगभग 16.03 लाख एल० पी० जी० उपभोक्ता थे।

(ग) उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में तेल उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से नये एल० पी० जी० कनैक्शन जारी करने का काम किया जाता है बशर्ते कि एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि हो।

पर्यटकों द्वारा कश्मीर का भ्रमण

[अनुवाद]

1080. श्री अमल राज गुप्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 (अब तक) के दौरान कितने पर्यटकों ने कश्मीर का भ्रमण किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, स्वदेशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों की कुल संख्या, जिन्होंने वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 (जून तक) के दौरान कश्मीर घाटी की यात्रा की निम्नलिखित है—

वर्ष	पर्यटकों की संख्या
1987-88	764,422
1988-89	716,129
1989-90 (जून तक)	188,266

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विज्ञापनों से आय

1081. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विज्ञापनों से कितनी-कितनी आय हुई;

(ख) क्या सरकार का और अधिक विज्ञापनदाताओं को अवसर देने के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रमों को बढ़ाने का विचार है; और

(ग) सरकार का ऐसे और क्या कदम उठाने का विचार है जिनसे और अधिक पार्टियों को अपने विज्ञापन दूरदर्शन के माध्यम से देने के लिए आकर्षित किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन की वर्ष 1988-89 (अनन्तिम) के दौरान विज्ञापनों से क्रमश: 32.45 करोड़ और 16.13 करोड़ रुपए की कुल आमदनी हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति दूरदर्शन और आकाशवाणी पर व्यापारिक विज्ञापनों के सभी पहलुओं पर, आमदनी बढ़ाने के तरीकों सहित गौर कर रही है।

आकाशवाणी केन्द्र बड़ोदरा में रिक्त पदों का भरा जाना

1082. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र, बड़ोदरा में तकनीकी, गैर-तकनीकी और अन्य श्रेणियों में स्टाफ आर्टिस्ट/आर्टिस्ट के रिक्त पदों को भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इन्हें न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) कुल 108 स्वीकृत पदों में से इस समय केवल 15 पद रिक्त है। किसी केन्द्र विशेष के रिक्त पदों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, इन्हें भरे जाने के सम्बन्ध मे कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन और
दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन

[हिन्दी]

1083. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर फैडरेशन ने अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है और केन्द्रीय सरकार से दृश्य प्रचार निदेशालय के 70 प्रतिशत विज्ञापन छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न समाचार पत्रों को विज्ञापन, प्रचार की अपेक्षाओं और धनराशियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर दिए जाते है। चूंकि ये विज्ञापन वित्तीय सहायता के उपाय के रूप में नहीं दिए जाते हैं, इसलिए समाचारपत्रों के विभिन्न वर्गों के लिए कोई प्रतिशतता नियत नहीं की जा सकती। तथापि, सरकार ने सभी संबंधितों से यह अनुरोध किया है कि वे अपनी प्रचार अपेक्षाओं के अनुकूल छोटे और मझोले समाचार पत्रों को अधिक विज्ञापन देने पर विचार करें।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों को पेट्रोल पम्प और
रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

1084. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर पेट्रोल पम्प और रसोई-गैस एजेंसियां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित करने का विचार किया गया है!

(ख) क्या गत पिछले कुछ वर्षों के दौरान पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन, आरक्षित कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटा कब तक पूर्णत: भर लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1987-88 तक की विपणन योजनाओं में तेल उद्योग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर अनुसूचित जाति श्रेणी के व्यक्तियों को 6 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) अलाट करने का प्रस्ताव है—

स्थान	जिला
1. अलोट	रतलाम
2. सिंगरौली	सिद्दी
3. रानपुर भगलांव	सतना
4. अजयगढ़	पन्ना
5. बिल्कीसगंज	भोपाल
6. बनमोर	मोरेना

1988-89 तक की विपणन योजना के अन्तर्गत तेल उद्योग द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर अनुसूचित जाति श्रेणी के व्यक्तियों को आठ एल० पी० जी० वितरण केन्द्र अलाट करने का प्रस्ताव है :—

स्थान	जिला
1. जबलपुर	जबलपुर
2. जबलपुर	जबलपुर
3. उज्जैन	जबलपुर
4. सिंगरौली	सिद्दी
5. अम्बा	मोरेना
6. मंदसौर	मंदसौर
7. इंदौर	इंदौर
8. सागर	सागर

(ख) जी, नहीं। वार्षिक विपणन योजनाएं बनाते समय तेल उद्योग रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 प्रतिशत के आरक्षण का कड़ाई से पालन करता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों को वास्तव में अलाट करने से पूर्व विभिन्न प्रकार के कदम उठाने होते हैं इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि इनमें से कितने 1989-90 और 1990-91 के दौरान वास्तव में अलाट कर दिए जाएंगे।

ठेकेदारों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा श्रमिकों की नियुक्ति

[अनुवाद]

1085. श्री हरूभाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चल रही परियोजनाओं में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने, ठेकेदारों के माध्यम से, श्रेणी-वार कितने श्रमिक नियुक्त किए हैं; और

(ख) उन्हें कितना वेतन और भत्ता दिया जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ठेकेदारों के माध्यम से कोई कामगर काम पर नहीं लगता है । यह कम प्रोद्योगिकी वाले क्षेत्र में ऐसे कार्यों के लिए केवल जाब ठेका देता है जो इसके अन्वेषण के प्रमुख कार्यों से सीधे संबंधित नहीं होते हैं । कामगरों की संख्या जाब की प्रकृति और समय के अनुसार अलग-अलग होती है ।

(ख) कामगारों को मजदूरी का भुगतान उक्त ठेकेदारों द्वारा किया जाता है जो उन्हें काम पर लगाते हैं । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग केवल यह सुनिश्चित करता है कि कामगारों को दी गयी मजदूरी राज्य सरकार द्वारा नियत की गयी न्यूनतम मजदूरी से कम न हो ।

केरल में आकाशवाणी केन्द्र

1086. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आकाशवाणी केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करके विद्यमान केन्द्रों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) इस समय केरल राज्य के त्रिवेन्द्रम, कालीकट, अलेप्पी तथा त्रिचूर में चार रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के प्रस्ताव किए जा रहे हैं ।

जर्मन संघीय गणराज्य और जर्मन जनवादी गणराज्य की सहायता से विद्युत परियोजनाएं

1087. श्री राधाकांत डिगाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जर्मन संघीय गणराज्य और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की सहायता से कुछ विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विद्युत परियोजनाओं के लिए जर्मन संघीय गणराज्य और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से सहायता ली गयी है;

(ग) उन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) वर्तमान में, जर्मन जनवादी गणराज्य (जी० डी० आर०) के सहयोग से किसी विद्युत परियोजना को कार्यान्वित किए जाने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है। निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को जर्मन संघीय गणराज्य (एफ० आर० जी०) की सहायता से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	अभ्युक्ति
1.	नेवेली लिग्नाइट निगम का दूसरा ताप विद्युत केन्द्र (4×210 मेगावाट)	1016.80	के० एफ० डब्ल्यू० द्वारा 176 मिलियन डी० ए० उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।
2.	दादरी में संयुक्त साइकिल गैस परियोजना (817 मेगावाट)	783.44	एफ० आर० जी० द्वारा 259.90 मिलयन ई० एम० उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।
3.	उरण यूनिट-एक तथा दो में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी संयंत्र (2×210 मेगावाट)	62.564+ 75.53)	एफ० आर० जी० द्वारा 198 मिलियन डी० एम० उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

[हिन्दी]

1088. **श्री के० के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छः महीनों के दौरान राज्य वार कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं और तत्संबंधी प्रस्तावित स्थापना स्थल कहां-कहां हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1 जनवरी से 30 जून, 1989 की अवधि के दौरान जारी किये गए औद्योगिक लाइसेंसों (आई० एल०) का राज्य-वार ब्यौरा

	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1

1	2	3
4.	बिहार	5
5.	दमन और द्वीप	2
6.	दिल्ली	3
7.	गोआ	1
8.	गुजरात	26
9.	हरियाणा	6
10.	हिमाचल प्रदेश	2
11.	जम्मू एवं कश्मीर	4
12.	कर्नाटक	35
13.	केरल	5
14.	मध्य प्रदेश	10
15.	महाराष्ट्र	48
16.	मेघालय	1
17.	उड़ीसा	1
18.	पांडिचेरी	3
19.	पंजाब	8
20.	राजस्थान	6
21.	तमिलनाडु	22
22.	उत्तर प्रदेश	30
23.	पश्चिम बंगाल	6
24.	न दर्शाये गए राज्य	1
	एक से अधिक राज्य योग :	236

कटक, उड़ीसा में पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस की एजेंसियों की स्थापना

[अनुवाद]

1089. श्री अनादि चरण दास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक जिले में, विशेष रूप से जाजपुर उप-मंडल में किन-किन स्थानों पर अब तक रसोई गैस एजेंसियां स्थापित की गयी हैं;

(ख) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान उपयुक्त जिले में स्थापित किए जाने वाली रसोई गैस

एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का ब्योरा क्या है और इन्हें किन-किन तेल कम्पनियों द्वारा स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि पेट्रोल पम्प अथवा रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जाजपुर उप-मण्डल सहित कटक जिले में उन स्थानों के नाम जहां एल० पी० जी० के वितरण केन्द्र स्थापित किए गए हैं, इस प्रकार है—

(1) कटक शहर (2) पारादीप (3) केन्द्रापाड़ा (4) जाजपुर रोड (जाजपुर उप मण्डल)

(ख) तेल उद्योग की 1987-88 तक की वार्षिक खुदरा विपणन योजना में निम्नलिखित खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलर शिपें स्थापित करने का प्रस्ताव है—

स्थान	कम्पनी
1. पारादीप II	बी० पी० सी०
2. कुखिया	बी० पी० सी०
3. चानी खोले	बी० पी० सी०
4. पपरादीप	आई० बी० पी०
5. कटक शहर	आई० ओ० सी०
7. केन्द्रपाड़ा	आई० ओ० सी०
8. पारादीप फासफेट्स	आई० ओ० सी०

तेल उद्योग की .988-89 तक की वार्षिक एल० पी० जी० विपणन योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित एल० पी० जी० वितरण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है—

स्थान	कम्पनी
1. जगतसिंह पुर	आई० ओ० सी०
2. कटक	एच० पी० सी०

वितरण केन्द्र को चालू करने से पूर्व उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों को देखते हुए यह कहना सम्भव नहीं है कि इनमें से कितने 1989 और 1990 के दौरान चालू हो आएंगे।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

1090. श्री शंकर लाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं तथा इनके चयन का आधार क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में पाली जिले के "बाली" सब-डिवीजन में भी एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान के सभी प्रस्तावित स्थलों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) चालू वर्ष में अब तक राजस्थान में झुनझुनू, चुरू, सीकर, झालावाड़, सवाई माधोपुर तथा जालोर में अल्प शक्ति (100 वाट) के एक-एक अर्थात कुल 6 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से सेवा शुरू हो गयी है। वर्ष 1989 की शेष अवधि के दौरान राज्य में अनूपगढ़, ब्यावर, बूंदी, डीग, हनुमानगढ़, सरदार शहर तथा टोंक में एक-एक अर्थात् कुल 7 और ऐसे ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए स्थान का चयन ग्रामीण, पहाड़ी, पिछड़े, जनजातीय दूरदराज के संवेदनशील तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्याप्त प्राथमिकता देते हुए, उस क्षेत्र में इष्टतम कवरेज प्रदान करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, निकटवर्ती दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से प्राप्त संकेतों और विभिन्न स्थानों पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त टी० वी० ट्रांसमीटरों के अलावा, राजस्थान में अनूपगढ़ बाड़मेर, बूंदी तथा जैसलमेर में एक-एक अर्थात् 4 उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने का कार्यक्रम है। इन परियोजनाओं के पूरा होने में अधिक समय लगेगा। यद्यपि, बूंदी में लगाए जाने वाले उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के वर्ष 1991 के दौरान कार्य शुरू कर देने की उम्मीद है परन्तु, शेष तीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों से वर्ष 1992-93 के दौरान ही काम किया जाना शुरू हो सकेगा।

टायर के मूल्य

1091. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश में निर्मित टायरों के मूल्यों में कमी करके, इसे तर्कसंगत स्तर तक लाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) टायरों की कीमत पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। तथापि, सरकार ने वास्तिक उपभोक्ताओं द्वारा विशिष्ट श्रेणी के ट्रक और और बस टायरों का आयात सीमा शुल्क की घटी दर पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा है ताकि टायरों के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न नीति सम्बन्धी उपायों द्वारा टायरों के उत्पादन के लिए नई क्षमता की

उदारिता से अनुमति दी है जिससे कि बाजार की शक्तियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक अपना कार्य कर सके। इसके एक अंग के रूप में टायर उद्योग को अभी हाल ही में लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। सरकार ने निरन्तर निगरानी और टायर उद्योग के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रखकर अधिकतम टायर उत्पादन भी सुनिश्चित किया है। इससे 1988 में बस और ट्रक टायरों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है अर्थात् 1987 में हुए 39.4 लाख टायरों के उत्पादन की तुलना में 48.7 लाख टायरों का उत्पादन हुआ।

रिगों का किराए पर लिया जाना

[अनुवाद]

1092. श्री बी० भूपति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तट-दूर तथा तट पर तेल की खुदाई कार्य में हुई प्रगति का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय कितने विदेशी "रिग" खुदाई कार्य में प्रयोग किए जा रहे हैं, और इन्हें किन-किन देशों से प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या इन रिगों के किराया प्रभार का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो संबंधित विवरण सहित किराया प्रभार का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) प्रमुख प्रौद्योगिकीय विकास इस प्रकार है—

अपतट	—	सपाट कुंए खोदना
तटवर्ती	—	चलता-फिरता रिग लगाना

(ख) से (घ) इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड के लिए 16 विदेशी रिग काम कर रहे हैं। इन रिगों को विभिन्न चार्टर दरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान इटली, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रेलिया और सोवियत संघ की कम्पनियों से चार्टर किया गया है। कतिपय कुछ मामलों में किराए की पूरी रकम विदेशी मुद्रा में दी जाती है जबकि अन्य मामलों में आंशिक अदायगी भारतीय रुपयों में भी की जाती है।

कालीकट से राज्यों की राजधानियों के लिए विमान सेवाएं

1093. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट को अन्य और राज्यों की राजधानियों से विमान सेवा से जोड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) कालीकट को बंगलूर/मद्रास/तिरूवंतपुरम के साथ विमान सेवा से जोड़ने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, क्षमता की कमी के कारण निगम के लिए कालीकट से बंगलूर/मद्रास/तिरूवंतपुरम के लिए सेवाएं आरंभ करना सम्भव नहीं है। तथापि अपने विमान बेड़े में पर्याप्त संख्या में ए-320 विमान जोड़ लेने के बाद, इंडियन एयरलाइंस कालीकट को बंगलूर/मद्रास/तिरूवंतपुरम/बम्बई और अगत्ती के अतिरिक्त जहां के लिए इस समय कालीकट से परिचालन हो रहे हैं। वायुदूत की कालीकट को अन्य राज्यों की राजधानियों से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं है।

केरल में पवन/ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग

1094. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विद्युत संसाधनों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा अथवा सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर केरल में सामान्यतया बड़ी और माध्यम पन-बिजली परियोजनाओं के लिए पन विद्युत संभाव्यता 60% भार गुणक पर 2301 मेगावाट आंकी गयी। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने केरल मे पवन ऊर्जा संभाव्यताओं का अनुमान लगाने के लिए पवन मानीटरिंग और पवन मानचित्रण परियोजनाएं शुरू की हैं। केरल के तटीय क्षेत्रों में लहर ऊर्जा संभाव्यताओं का का अनुमान लगाने के लिए भी सेन्टर फार अर्थ साइंस स्टडीज द्वारा अध्ययन किए गए हैं।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस आदि जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए केरल राज्य में एजेन्सी फार नान-कान्वेशनल एनर्जी एण्ड रूरल टैक्नोलोजी (ए० एन० ई० आर० टी०) के साथ मिलकर तथा केरल राज्य विद्युत बोर्ड सहित कई उपयोगकर्ता एजेन्सियों के संयोजन से कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। केरल राज्य में 31-3-89 तक स्थापित की गई सौर और पवन ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

कार्यक्रम	स्थापित की गई प्रणालियां
I. सौर तापीय प्रणालियां	
(1) जल तापन प्रणालियां	25
(2) घरेलू तापन प्रणालियां	3
(3) वायु तापक	1
(4) सौर स्टिल्स	10
(5) सौर कुकर	50

II. सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियां

(1) सड़क रोशनी एकक	13:9
(2) अन्य घरेलू रोशनी एकक	9
(3) सौर पम्प	6
(4) सामुदायिक रोशनी एकक	6
(5) जंगली जानवरों को भगाने के लिए विद्युत बाड़े को ऊर्जा प्रदान करना	1

III. पवन ऊर्जा प्रणालियां

(1) विद्युत जनित्र (100 किलोवाट)	1
(2) जल पंपन पवन चक्कियां	10

150 किलोवाट क्षमता की लहर ऊर्जा विद्युत उत्पादन की एक प्रायोगिक परियोजना त्रिवेन्द्रम के निकट विझिंजम अपतट मत्स्यशाला बंदरगाह पर शुरू की गई है।

केरल में वायुदूत सेवा

1095. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन-किन स्थानों को वायुदूत सेवा ने आपस में जोड़ने का विचार है;

(ख) क्या केरल में किन्हीं नये स्थानों पर वायुदूत सेवा प्रदान करने का विचार है;

(ग) क्या केरल में कन्नानोर में वायुदूत सेवा केन्द्र स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष मिले हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम, कालीकट और और कोचीन के अलावा, जिन्हें पहले ही हवाई मार्ग से जोड़ा जा चुका है। केरल में किसी नए स्टेशन को हवाई मार्ग से जोड़ने की वायुदूत की कोई तात्कालिक योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रसोई गैस की एजेंसियां

1096. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार बिहार में जिले-वार रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान प्रति एजेंसी के माध्यम से रसोई गैस की औसतन मासिक खपत कितनी हुई;

(ग) क्या रसोई गैस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कुछ जिलों में रसोई गैस की नई एजेंसियां खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो 1989-90 के लिए तत्संबंधी योजना क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1-4-89 को बिहार में एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या 131 थी जिनका जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) 1988-89 के दौरान बिहार में एल० पी० जी० की औसत मासिक खपत 1557 सिलिंडर प्रति वितरक थी ।

(ग) और (घ) तेल उद्योग की 1988-89 तक की एल० पी० जी० विपणन योजना में तेल कम्पनियों द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में 47 और एल० पी० जी० वितरण केन्द्र स्थापित करने की योजनाएं हैं ।

क्रम० सं०	जिले का नाम	एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या
1.	आरा	2
2.	औरंगाबाद	1
3.	बरौनी	2
4.	भागलपुर	3
5.	भोजपुर	1
6.	छपरा	1
7.	दरभंगा	[illegible]
8.	धनबाद	14
9.	गया	5
10.	गिरिडीह	[illegible]
11.	गोपालगंज	[illegible]
12.	हजारीबाग	7
13.	कटिहार	[illegible]
14.	खगड़िया	[illegible]
15.	मधुबनी	[illegible]

1	2	3
16.	मुंगेर	4
17.	मुजफ्फरपुर	4
18.	नालंदा	2
19.	नवादा	1
20.	पटना	25
21.	पालमासे	1
22.	पश्चिमी चम्पारन	3
23.	पूर्निया	2
24.	पूर्वी चम्पारन	[illegible]
25.	रांची	[illegible]
26.	रोहतास	[illegible]
27.	सिंघभूम	[illegible]
28.	समस्तीपुर	[illegible]
29.	संथालपरगना	
30.	सेहरसा	
31.	सिवान	
32.	सितामढ़ी	[illegible]
33.	साहिबगंज	1
34.	सरान	1
	जोड़	131

अशोधित पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन और आयात

1097. श्री सैयद शाबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान देश में अशोधित तेल का कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1989-90 के दौरान इसका कितना उत्पादन होने की आशा है;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान कितने अशोधित तेल का आयात किया गया और वर्ष 1989-90 में इसका कितना आयात होने का अनुमान है;

(ग) वर्ष 1988-89 में आयात किये गये कुल अशोधित तेल के लिए प्रति टन प्रत्येक तेल विक्रेता

देश को आयातकर्ता एजेंसियों द्वारा भारतीय पतन पर लागत-बीमा-भाड़ा सहित कितना औसत शुद्ध मूल्य बीजक मुद्रा में किया गया; और

(घ) विभिन्न देशों से आयातित अशोधित तेल के प्रति टन 27 औसत मूल्य में कितना अंतर था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :

(मिलियन टन)

	1988-89 (अनन्तिक)	1989-90 (अनुमानित)
कच्चे तेल का उत्पादन	32.04	34.51
कच्चे तेल का आयात	17.81	18.46

(ग) और (घ) आयातित कच्चे तेल का औसत सी० आई० एफ० मूल्य 1607 रुपये प्रति टन है। चूंकि आयात की दरें विनिमय दरों और एक कारगो से दूसरे कारगो के अनुसार अलग-अलग होती हैं, इसलिए मुद्रा बार और देश बार सूचना एकत्र करने लगने वाले प्रयास शायद वांछित उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप नहीं होंगे।

पवन हंस द्वारा वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों का वाणिज्यिक उपयोग

1098. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन हंस लिमिटेड के पास कुल कितने वेस्टलैंड हेलीकाप्टर हैं;

(ख) इनमें से कितने हेलीकाप्टरों का वाणिज्यक उपयोग हो रहा है;

(ग) क्या नागर विमानन विभाग के निदेशानुसार इनके रखरखाव की सुविधाओं में सुधार और वृद्धि की गई है; और

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान इन हेलीकाप्टरों ने औसतन कितने किलोमीटर वाणिज्यिक उड़ान भरी और ऐसे विमानों के लिए निर्धारित अधिकतम उपयोग का यह कितने प्रतिशत है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पवन हंस के बेड़े में 19 वेस्टलैंड हेलीकाप्टर हैं जिनका बारी-बारी से उपयोग किया जाता है।

(ग) दिल्ली और बम्बई के स्थानों को पवन हंस ने क्रमशः वेस्टलैंड और डाफिन हेलीकाप्टरों के अनुरक्षण (ओवरहॉल को छोड़कर) के लिए अनुमोदित किया है ।

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा पवन हंस के अनुरक्षण सुविधाओं की विस्तार में जांच की गई है और इसकी रिपोर्ट की जांच चल रही है।

(घ) चूंकि वेट लीज के अन्तर्गत हैलीकाप्टर वाणिज्यिक कार्य पर हैं, इसलिए पट्टाधारी के विवेक के अनुसार कार्य के घंटे लगाए जाते हैं वर्ष 1988-89 के दौरान हैलीकाप्टरों ने 9017 घंटों अर्थात लगभग 9,91,870 मील की उड़ान भरी।

दूरदर्शन धारावाहिकों का स्तर

1099. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन के बारे में 28 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 954 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन धारावाहिकों के स्तर में सुधार लाने की योजना के अन्तर्गत निर्माताओं और निर्देशकों के पंजीकरण हेतु कितने आवेदन पत्र हुए हैं;

(ख) चयन बोर्ड का गठन क्या है;

(ग) अभी तक पंजीकृत किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(घ) दूरदर्शन द्वारा पंजीकृत किए गए निर्माताओं और निर्देशकों से यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तो उनकी विषय वस्तु क्या है; और

(ङ) क्या दूरदर्शन द्वारा इनमें से कोई प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) नियत तारीख तक 5130 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) चयन बोर्ड की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निर्माता और निर्देशक के रूप में पंजीकरण के लिए चयन बोर्ड ने 1304 व्यक्तियों/फार्मों के नामों की सिफारिश की है। कुछ नाम दोनों वर्गों में सम्मिलित हैं। चयनित व्यक्तियों/फर्मों को दूरदर्शन द्वारा अलग-अलग सूचित किया जा रहा है।

(घ) दूरदर्शन को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निर्माताओं/निर्देशकों का पैनल बनाने के लिए चयन बोर्ड के सदस्यों की सूची

1.	श्री बी० के० जुत्शी, पूर्व संयुक्त सचिव (फल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	श्री शिव शर्मा, महानिदेशक, दूरदर्शन	सदस्य सचिव
3.	श्री ऋषिकेश मुखर्जी	
4.	श्री बी० के० करंजिया, पूर्व सम्पादक, "स्क्रीन", सम्प्रति अध्यक्ष, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम।	

5. श्रीमती मीरा मजूमदार, पूर्व उपमहानिदेश, दूरदर्शन ।

6. श्री एम० शमीम, "टाइम्स आफ इंडिया" दिल्ली के विशेष संवाददाता ।

7. श्री बी० बी० चन्द्रा, मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, बम्बई ।

8. श्री दिलिप सरकार, उपाध्यक्ष, इस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसियेशन ।

9. श्रीमती उर्मिला गुप्ता, निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ।

दूरदर्शन पर विज्ञापनों से अर्जित धनराशि

1101. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिदिन दूरदर्शन पर विज्ञापनों के लिए कुल कितना समय आबंटित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन को विज्ञापनों से वर्षवार कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या पिछले वर्षों में अर्जित धनराशि की तुलना में, चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से विज्ञापनों के जरिए दूरदर्शन द्वारा अर्जित धनराशि में कोई कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो विज्ञापनों के जरिए राजस्व में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) दूरदर्शन पर विज्ञापनों, के लिए समय कुल प्रसारण समय के 2.5 से 3 प्रतिशत के बीच होता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापारिक विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों से दूरदर्शन को जो कुल आमदनी सुई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया हैं :

1986-87	96 करोड़ रुपये
1987-88	136.3 करोड़ रुपये
1988-89	161.3 करोड़ रुपये

(ग) जी, नहीं । चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों अर्थात् 30 जून, 1989 तक कुल 50.55 करोड़ रुपए की आय हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले विनीय वर्ष की इसी अवधि में 39.75 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिजली उपकरण उद्योग की ब्रांड-बैंडिंग योजना

1102. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उपकरण उद्योग में विभिन्न मदों के मामले में निर्धारित सीमाओं को हटाकर और उनके नामों में थोड़ा-बहुत फेर-बदल करके इस उद्योग के लिए ब्राड-बैंडिंग योजनाओं का विस्तार कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली उपकरणों की संशोधित सूची और ब्राड-बैंडिंग हेतु स्वीकृत उपकरणों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

व्यापक वर्गीकरण योजना के अधीन विद्युत उपकरण मुख्य शीर्षों की सूची

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
1	2
1. सर्किट ब्रेकर :—	1. स्विच गियर : सभी प्रकार के
(1) 660 वोल्ट यूनिट रेटिंग तक के सर्किट ब्रेकर	
(2) 660 वोल्ट यूनिट रेटिंग से अधिक के सर्किट ब्रेकर	
2. ट्रांसफार्मर्स :—	
(1) 66 के० वी० यूनिट रेटिंग तक के ट्रांसमर्स	2. ट्रांसफार्मर्स और रिएक्टर्स
(2) 66 के० वी० यूनिट रेटिंग से अधिक रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स	
3. मोटरें/आल्टरनेटर/जनरेटर :—	3. मोटरें और/या आल्टरनेटर और/या जनरेटर
(1) 20 मे० वा० यूनिट रेटिंग से अधिक की मोटरें/आल्टरनेटर/जनरेटर	3 (1) 60 मे० वा० यूनिट रेटिंग तक की मोटरें और/या आल्टरनेटर और/या जनरेटर
(2) 20 मे० वा० यूनिट रेटिंग से अधिक की मोटरें/आल्टरनेटर/जनरेटर	3 (11) 60 मे० वा० यूनिट रेटिंग से अधिक की मोटरें और/या आल्टरनेटर और/या जनरेटर;

1	2
4. टर्बाइनें : --	4. 60 मे० वा० तक की टर्बाइनें नोट :
(क) हाइड्रो टर्बाइनें	
(1) 2 मे० वा० यूनिट रेटिंग तक की मिनी/माइक्रो हाइड्रो टर्बाइनें	यदि टर्बाइनें बनाने वाले उत्पादक पम्प बनाने की अनुमति दी जा सकता है।
(2) 2 मे० वा० यूनिट से अधिक किन्तु 20 मे० वा० तक यूनिट रेटिंग की हाइड्रो टर्बाइनें	
(3) 20 मे० वा० यूनिट रेटिंग से अधिक की हाइड्रों टर्बाइनें	
(ख) स्टीम टर्बाइनें :—	
(1) 20 मे० वा० यूनिट रेटिंग तक की स्टीम टर्बाइनें	
(2) 20 मे० वा० यूनिट रेठिंग से अधिक की स्टीम टर्बाइनें	
(ग) गैस टर्बाइनें	
(1) 20 मे० वा० यूनिट रेटिंग तक की गैस टर्बाइनें	
(2) 20 मे० वा० यूनिट रेटिंग से अधिक की गैस टर्बाइनें	
5. भट्टीयां :—	
(1) इन० इन्डक्शन/भट्टीयां/उष्मा उपकरण	5. भट्टीयां व उष्मा उपकरण
(2) आर्क मेल्टिंग भट्टीयां	5 (1) इन्डक्शन फर्नेसें, इन्डक्शन उष्मा उपकरण सहित उष्मा उपकरण (11) आर्क फर्नेसें
6. इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उपकरण : गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग उपकरणों को छोड़कर अन्य वेल्डिंग और कटिंग उपकरण, सहायक सामग्री, और प्रणालियां	6. इलैक्ट्रिक वेल्डिंग उपकरण :— सभी प्रकार के इलैक्ट्रिक वेल्डिंग और कटिंग उपकरण

1	2
7. आइसोलेटर्स :— (1) 33 कि० वा० तक के आइसोलेटर्स	7. काट दिया है। यह वस्तु स्विचगियर के अधीन है
(2) 33 कि० वा० से अधिक के आइसोलेटर्स	(संशोधित प्रविष्टि क्र० सं० 1)
8. स्विच :— सभी प्रकार की स्विच और कंबीनेशन फ्यूज स्विच यूनिटें	8. काट दिया गया है (यह वस्तु स्विचगियर के अधीन है—संशोधित प्रविष्टी क्र० सं० 1)
9. कन्टैक्टर्स :— सभी प्रकार के रिलेज कन्टैक्टर्स	9. —वही—
10. रिलेज :— सभी प्रकार के रिलेज	10. —वही—
11. कैपेसिटर्स :— सभी प्रकार के कैपेस्टिर्स	11. कैपेसिटर्स :— कैपेसिटर्स, सभी प्रकार
12. रैक्टीफायर्स :— सभी प्रकार के रैक्टीफायर्स	12. रैक्टीफायर्स :— रैक्टीफायर्स, सभी प्रकार
13. विद्युत चालित पम्प : — सभी प्रकार के पम्प, सेन्ट्रीफ्यूगल आदि	13. विद्युत चालित पम्प :— सभी प्रकार के पम्प, सेन्ट्रीफ्यूगल आदि नोट :—यदि पम्प बनाने उत्पादक टर्बाइनें बनाना चाहें तो उन्हें टर्बाइनें बनाने की अनुमति दी जा सकती है। (नयी वस्तु)
14. —	14. इलैक्ट्रिकल इन्सुलेटिंग सामग्री :— इलैक्ट्रिकल इन्सुलेटिंग सामग्री, सभी प्रकार की इलैक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स, सभी प्रकार के।

सीमेंट का निर्यात

1103. श्री परशुराम भारद्वाज : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग की वर्ष 1989-90 के दौरान 40 लाख टन सीमेंट का निर्यात करने की की योजना घाटा पूरा करने के लिए सरकार से भारी राज सहायता मांगे जाने के कारण ढीली पड़ गई है;

(ख) क्या निर्यात घाटा पूरा करने के लिए तत्कालीन सीमेंट विनियमन खाते से राशि जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन ने सूचित किया है कि 1989-90 के दौरान उन्होंने चाहे मिलियन मी० टन सीमेंट निर्यात करने की योजनाएं तैयार की है। सीमेंट का निर्यात विमोगींकृत कर दिया गया है और 1-4-1989 से सरकार द्वारा ग्रे तथा व्हाइट दोनों सीमेंट के निर्यात पर 10% की दर से नकद प्रतिपूरक सहायता (सी० सी० एम०) मंजूरी की गई है। सरकार के पास सीमेंट के निर्यात पर राज सहायता (सब्सिडी) मंजूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 1989-90 के लिए उद्योग द्वारा तैयार की गई निर्यात योजनाओं का कार्यान्वियन मुख्यत: निर्यात बाजारों में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए इसकी समक्षता पर निर्भर करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीपुर जिलों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

1104. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिकक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश ऊना जिले के पंडोघा और हमीरपुर जिले के गैखोर तथा सुजानपुर तीरा को पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए चुना गया है;

(ख) क्या इन स्थानों का विपणन सर्वेक्षण इस बीच पूरा कर लिया गया है और इन बिक्री केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और क्या इस परियोजना के लिए इन जिलों और अन्य जिलों के और अधिक स्थानों को भी चुना गया है और उनका सर्वेक्षण कर लिया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और जिलेवार प्रत्येक मामले में सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पनडोगा नामक स्थान को तेल उद्योग की

1987-88 की वार्षिक खुदरा बिक्री योजना में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के गैलोर नामक स्थान का संभाव्यता अध्ययन कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। हमीरपुर जिले में सुजानपुर तीरा नामक स्थान पर किये गये अध्ययन से पता चलता है कि मात्रा और दूरी के मानदंडों के अनुसार यहां पर इस समय खुदरा बिक्री केन्द्र खोलना न्यायसंगत नहीं है।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में स्थानों जहां खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए सर्वेक्षण किया गया है का परिणाम संलग्न विवरण में दिया गया है। मात्रा और दूरी के मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य पाये गए स्थानों को तेल उद्योग की भावी विपणन योजना/योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	स्थान	जिला	सर्वेक्षण के परिणाम
1.	टोटू	शिमला	इस स्थान को व्यवहार्य पाया गया और 1987-88 की विपणन योजना में शामिल किया गया किन्तु बाइपास/डेवर्शन के निर्माण के कारण इस स्थान की आर्थिक व्यवहार्यता पर असर पड़ा है जिसको देखते हुए हमीरपुर जिले मे एक वैकल्पिक स्थान को भावी विपणन योजना में शामिल किया जाएगा।
2.	दलीहेरा	कांगड़ा	व्यवहार्य पाया गया
3.	आलमपुर	कांगड़ा	व्यवहार्य नहीं पाया गया
4.	कोटला	कोटला	—वही—
5.	सुंगरा	किन्नौर	—वही—
6.	पन्धो	मण्डी	व्यवहार्य पाया गया
7.	पल्टीकूल/कटरेन	कूल्लु	—वही—
8.	कुनीहार	सोलन	—वही—
9.	सरहन	सिरमौर	व्यवहार्य नहीं पाया गया
10.	पंचरखी	कांगड़ा	—वही—
11.	घल्ली	शिमला	—वही—
12.	छोटा शिमला	शिमला	—वही—
13.	तारा देवी	शिमला	—वही—
14.	ब्योग	शिमला	—वही—
15.	मुहरी	कूल्लु	व्यवहार्य नहीं पाया गया

1	2	3	4
16.	नगरेट	ऊना	—वही—
17.	चेनाबेली	कांगडा	—वही—
18.	पुह्र	लाहोल	
		स्फीति	—वही—
19.	बेहरामोर	चम्बा	—वही—
20.	धरमन	कांगड़ा	—वही—
21.	धागस (चम्बा जिले (में भाग	बिलासपुर	व्यवहार्य पाया गया
22.	मनीकरण	कुल्लू	व्यवहार्य नहीं पाया गया
23.	कुमारहटी	सोलन	—वही—
24.	धरमपुर	सोलन	व्यवहार्य पाया गया
25.	सोदाजू	सोलन	—वही—

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र और रेडियो स्टेशन की स्थापना

1105. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री हमीरपुर (हि० प्र०) में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र और रेडियो स्टेशन की स्थापना के बारे में 22 नवम्बर, 1988 और 25 अप्रैल, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1666 और 6951 के उत्तर के सम्बन्ध में हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में 30 जून, 1989 तक नवीनतम स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : हमीरपुर के प्रस्तावित दूरदर्शन ट्रांसमीटर के लिए एक बनी-बनाई इमारत ले ली गई है । ट्रांसमीटर और अन्य उपकरण सप्लाई किए जा चुके हैं और इन्हें लगाने का काम चल रहा है ।

जहां तक हमीरपुर के रेडियो केन्द्र का संबंध है, प्रस्तावित रेडियो केन्द्र के लिए चयनित स्थल की चार-दीवारी का काम पूरा हो गया है । अन्य सिविल निर्माण कार्य चल रहे हैं ।

रसोई गैस के सिलिंडर भरने के संयंत्र

1106. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने तथा किन-किन स्थानों पर नए रसोई गैस के सिलिंडर भरने के संयंत्र स्थापित किए गए तथा इनकी क्षमता कितनी है; और

(ख) अगले एक वर्ष के दौरान रसोई गैस भरने के नये संयंत्र स्थापित करने की योजना क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1988-89 के दौरान चालू किए गए नये एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	स्थान	क्षमता (मी० टन प्रति वर्ष)
1.	टिकरीकलां फेज I और II (दिल्ली)	75,000
2.	करनाल (हरियाणा)	25,000
3.	हलद्वानी (उत्तर प्रदेश)	5,000
4.	अजमेर (राजस्थान)	8,000
5.	बाला शोर (उड़ीसा)	25,000
6.	जमशेदपुर (बिहार)	25,000
7.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	25,000
8.	परवानू (हिमाचल प्रदेश)	5,000
9.	बरेली (उत्तर प्रदेश)	6,500
10.	असौटी/पियाला (हरियाणा)	75,000
11.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	6,500
12.	खुर्दा (उड़ीसा)	6,[illegible]00
13.	हिसार (हरियाणा)	6,500
14.	तूतीकोरीन (तमिलनाडू)	15,000
15.	रायपुर (मध्य प्रदेश)	25,000
16.	विजय वाड़ा (आंध्र प्रदेश)	12,500

(ख) 1989-90 के दौरान तेल कंपनियों द्वारा कुल 1,83,000 टन क्षमता के 11 नए एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र स्थापित किये जाने की योजनाएं हैं।

टायरों के मूल्य

1107. श्री पी० एम० सईद : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को टायर निर्माताओं द्वारा टायरों के मूल्यों में वृद्धि किए जाने के बारे में आल-इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) टायर निर्माताओं द्वारा नियत किए गए टायरों के मूल्यों को कम कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टायरों की कीमत पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। तथापि सरकार ने बल्कि उपभोक्ताओं द्वारा विशिष्ट श्रेणी के ट्रक और बस टायरों का आयात, सीमा शुल्क की घटी दर पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा है ताकि टायरों के मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जा सके। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न नीति संबंधी उपायों द्वारा टायरों के उत्पादन के लिए नई क्षमता की उदारता से अनुमति दी है जिससे कि बाजार शक्तियां स्वतन्त्रता पूर्वक काम कर सकें। इसके एक अंग के रूप में अभी हाल ही में टायर उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने निरन्तर निगरानी और टायर उद्योग के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रख कर अधिकतम टायर उत्पादन भी सुनिश्चित किया है। इससे 1988 में बस और ट्रक टायरों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है अर्थात् 1987 में हुए 39.4 लाख टायरों के उत्पादन की तुलना में 48.7 लाख टायरों का उत्पादन हुआ।

अहमदाबाद में बोइंग विमान दुर्घटना की जांच के निष्कर्ष

1108. श्री हरुभाई मेहता : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री अहमदाबाद में बोइंग विमान दुर्घटना की जांच के निष्कर्षों के बारे में 27 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 677 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) रिपोर्ट की सरकार द्वारा की जा रही है।

केरल में ताप विद्युत संयंत्र

1110. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री टी० बशीर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में किसी ताप विद्युत संयंत्र कार्य चल रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में ऊर्जा के किन्हीं अन्य स्रोतों का उपयोग में लाने का विचार है; और

(घ) "यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है" ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ख) इस समय केरल में कोई भी ताप विद्युत संयंत्र निर्माणधीन नहीं है। बहरहाल कायमकुलम में रा० ता० वि० नि० द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। इस परियोजना का चरण-एक जिसमें (2×210 मेगावाट) की यूनिटें समविष्ट हैं को कुछ शर्तों पर के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) व (घ) इसके अलावा, केरल में कुल जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं,

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास, बायो-गैस आदि जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास तथा समुपयोजन में विभिन्न कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर रहा है।

इंडियन एअरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा और विमानों की खरीद

1111. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस और एअर इण्डिया का और विमानन खरीदने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) मार्च, 1986 में दिए गए 19 एयरबस ए-320 विमानों के आर्डर के अतिरिक्त इंडियन एयर लाइन्स ने सरकार की अनुमति से 12 अतिरिक्त एयरबस ए-320 विमानों की खरीद के लिए मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री के साथ 5-6-89 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इण्डियन एयरलाइन्स को इनमें से पांच विमान ही मिल चुके हैं। शेष 26 विमानों का सुपुर्दगी इस प्रकार है :—

अगस्त, 1986	2
सितम्बर, 1989	2
अक्तूबर, 1989	1
नवम्बर, 1989	2
दिसम्बर, 1989	2
जनवरी, 1990	2
फरवरी, 1990	1
मार्च, 1990	2
दिसम्बर, 1990	2
जनवरी, 1991	2
फरवरी, 1991	1
मार्च, 1991	1
नवम्बर, 1991	2
दिसम्बर, 1991	3
जनवरी, 1992	1
योग	26

सरकार ने एयर इंडिया को 2 एयर बस ए-310-300 विमान प्राप्त करने की मंजूरी दे दी है। एयर इंडिया को ये विमान अगले वर्ष तक मिल जाने की संभावना है।

राज्यों में अनिवासी भारतीयों के औद्योगिक एकक

1112. श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में अनिवासी भारतीय गुजरात और अन्य राज्यों में औद्योगिक एकक स्थापित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन एककों की कुल संख्या कितनी है और इनमें राज्यवार कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए देश के अन्य भागों में में इसी प्रकार के उद्यमों की स्थापना करने के लिए अनिवासी भारतीयों का जिन प्रोत्साहनों की पेशकश की जा रही है, उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या स्वदेशी उद्यमियों, विशेष रूप के महिला उद्यमियों को उक्त प्रोत्साहन नहीं दिए जा सकते ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नवम्बर, 1983 में विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) की स्थापना से, गुजरात राज्य में (दिसम्बर, 1988 तक (दिसम्बर तक) 48.5 करोड़ रु० अनिवासी भारतीयों के निवेश सहित आशय पत्र/एस० आई० ए० रजिस्ट्रेशन, विदेशी सहयोग और पूंजीगत माल के आयात हेतु 63 स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इस समिति द्वारा मंजूर की गई कुल स्वीकृतियों की संख्या 794 है जिसमें अनिवासी भारतीयो के लिए स्वीकृत निवेश की राशि 385 करोड़ रु० है। राज्य-वार स्वीकृतियों और स्वीकृत निवेश के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) देश में अनिवासी भारतीयों को उद्यम स्थापित करने हेतु जो विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश का और उस पर परियोजना की कुल चुकता पूंजी का 40% तक अर्जित आय का प्रत्यावर्तन करने का लाभ दिया गया है।

(2) प्राथमिकता वाले उद्योगों में निवेश की गयी पूंजी और उस पर अर्जित आय का प्रत्यावर्तन करने संबंधी लाभ के लिए परियोजना की कुल चुकता पूंजी का 74% तक प्रत्यावर्तन करने की अनुमति है। गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों में भी पूंजी अनिवेश का प्रत्यावर्तन किये जाने से संबंधित लाभ उपलब्ध हैं बशर्ते कि संबंधित उपक्रम अपने उत्पादन कम से कम 60 प्रतिशत का निर्यात करने और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के मामले में अपने उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात करने का दायित्व लें।

(3) अनिवासी भारतीयों को आयात-निर्यात नीति, 1988-89 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं, हिस्से-पुर्जों और कच्चे माल का आयात करने के लिए भी प्रोत्साहन दिये गये हैं।

(4) संपदा व्यवसाय अथवा कृषि और बागवानी (प्लांटेशन) से संबंधित कार्यों को छोड़कर,

अनिवासी भारतीयों को अन्य सभी प्रकार के कार्य के कार्य-कलाप करने हेतु अनुमति दी जाती है।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस पद्धति के संबंध में स्वदेशी उद्यमियों को अनिवासी भारतीय निवेश-कर्ताओं के समान ही माना जाता है। अनिवासी भारतीय योजना के अधीन महिला उद्यमियों को भी इसी प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

विवरण

राज्य वार अनिवासी भारतीयों का निवेश/स्वीकृतियां

क्र० सं०	राज्य	स्वीकृतियों की संख्या	अनिवासी भारतीय निवेश (प्रत्यावर्तन तथा गैर-प्रत्यावर्तन) (रु० लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	73	2587.5
2	बिहार	1	12.8
3.	दादर और नगर हवेली	5	206.0
4.	दिल्ली	147	2562.7
5.	गोवा	7	116.5
6.	गुजरात	63	4850.3
7.	हरियाणा	40	1591.1
8.	हिमाचल प्रदेश	9	282.6
9.	जम्मू और कश्मीर	1	15.0
10.	कर्नाटक	54	1970.5
11.	केरल	18	117.7
12.	मध्य प्रदेश	19	1387.3
13.	महाराष्ट्र	152	14476.1
14.	उड़ीसा	8	298.0
15.	पांडिचेरी	4	425.4
16.	पंजाब	13	429.5
17.	राजस्थान	16	838.9
18.	तमिलनाडु	37	1722.9
19.	उत्तर प्रदेश	68	4076.2
20.	पश्चिम बंगाल	9	371.8
21.	अनिर्दिष्ट	50	169.8
	योग :	794	38509.1

माउन्ट आबू के लिए विमान सेवा

1114. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माउन्ट आबू को विमान सेवा से जोड़ने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है तथा यदि हां, तो माउन्ट आबू को विमान सेवा से कब तक जोड़ दिया जायेगा; और

(घ) इस समय माउन्ट आबू के निकट किन-किन स्थानों तक विमान सेवा उपलब्ध है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार और अन्यों से माउन्ट आबू को हवाई सेवा से जोड़ने के बारे में आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) विमान क्षमता और परिचालनात्मक हवाई क्षेत्र उपलब्ध होने पर वायुदूत को चालू योजना अवधि में माउंट आबू को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है।

(घ) इस समय माउंट आबू के पास उदयपुर और जोधपुर में हवाई सेवा उपलब्ध है।

विमान दुर्घटनाएं

1115. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1989 से 30 जून, 1989 तक की अवधि के दौरान गुजरात और देश के कुछ अन्य भागों में कुछ विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, यदि हां तो प्रत्येक दुर्घटना में जान-माल की हुई क्षति का ब्यौरा क्या है और मारे गये तथा घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति के मामले में दी गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) की गई जांच के परिणाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या कोई दुर्घटना तोड़फोड़ के कारण हुई और यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1-1-89 से 30-6-89 की अवधि के दौरान, विमान/हैलीकाप्टर की चार दुर्घटनाएं हुई। इनमें से कोई

भी दुर्घटना गुजरात में नहीं घटी। प्रत्येक दुर्घटना के ब्यौरे, मारे गए जख्मी व्यक्तियों सहित विमान को हुई क्षति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 7-2-89 को दुर्घटनाग्रस्त पवन हंस हैलीकाप्टर 2 विमान चालकों तथा 4 तकनीकी विमानों सहित उड़ान कर रहा था। दोनों विमान चालक और एक तकनीशियन दुर्घटना में मारे गए। अन्य तकनीशियनों को चोटें आई और उन्हें अस्पताल मे भर्ती करा दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त वेस्टलैंड हैलीकाप्टर की किताबी कीमत 406.87 लाख रुपए है। पवन हंस दुर्घटना में प्रत्येक पीड़ितों के परिवारों को निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति की गई है :—

1. **विंग कमांडर कटारिया :** डिपाजिट लिंकड इन्शुरेन्स पालिसी के अन्तर्गत तीन लाख रुपये जमा दस हजार रुपये का भुगतान किया गया है।

2. **कर्नल जे० एम० अग्निहोत्री :** तीन लाख रुपये तथा एक लाख रुपये की अनुग्रह पूर्वक अदायगी।

3. **श्री एम० सी० गन प्रकाश राव :** तीन लाख रुपये तथा डिपाजिट लिंकड इन्शुरेन्स पालिसी के अन्तर्गत दस हजार रुपये और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इन्शुरेन्स पालिसी के अंतर्गत चालिस हजार रुपये।

शेष 3 जख्मी व्यक्तियों के लिए अस्पताल के खर्च निगम द्वारा वहन किए गए हैं। वायु अधिनियम द्वारा वाहन किए जाने के अन्तर्गत अपंगता की प्रकृति और अवधि पर आधारित बीमा क्षतिपूर्ति तथा निगम द्वारा ली गई 1972 ग्रुप कार्मिक दुर्घटना पालिसी के प्रति भी हकदार है। बीमा कम्पनी के पास आवश्यक दावे भेज दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दो दुर्घटनाओं की जांच की गई है और उनकी रिपोर्टों की जांच चल रही है। शेष दोनों दुर्घटनाओं की जांच चल रही है। भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों और सिफारिश पर उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

1-1-89 से 30-6-89 तक दुर्घटनाओं का विवरण

(1) 7-2-89 को कोहिमा के नजदीक पवन हंस वेस्टलैंड हेलिकाप्टर वी० टी० ई० के० आर० की दुर्घटना

यह हेलिकाप्टर 7-2-89 को दीमापुर से कोहिमा के लिए एक गैर-अनुसूचित उड़ान का परिचालन कर रहा था। इस हेलीकाप्टर में दो कर्मी-दल के सदस्यों सहित 6 व्यक्ति सवार थे। जब यह हेलिकाप्टर कोहिमा से 5 कि० मी० की दूरी पर था तो यह घाटी से टकरा गया। कर्मीदल का सदस्य और एक तकनीशियन दोनों मारे गए। शेष 3 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई। हेलीकाप्टर को भारी नुकसान हुआ।

(2) 7-2-89 को पुणे के पास मेघदूत प्राइवेट लिमिटेड सेसना-180 ए/सी० वी० टी० डी० टी० ओ० की दुर्घटना

यह विमान 7-2-89 को पुणे के पास सर्किट और अवतरण के अभ्यास में लगा हुआ था। इसमें

दो यात्री भी सवार थे। जब यह विमान उतरने वाला था तो इसने क्रेश-लैंड कर दिया और विमान को भारी नुकसान हो गया। इस इसमें सवार सभी व्यक्ति बच गए।

3. 2 -3-89 को सफदरजंग हवाई अड्डे के पास आई० टी० आई० बी०-3 ग्लाइडर वी० टी० जी० डी० एफ० की दुर्घटना :

यह ग्लाइडर 23-3-89 को सफदरजंग हवाई अड्डे पर ग्लाइडिंग आपरेशन में लगा हुआ था। जब यह फाइनल एप्रोच पर था तो यह सफदरजंग बस टर्मिनल के पास टकरा गया। यह ग्लाइडर नष्ट हो गया। पायलेट गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।

4. 29-3-89 को भोपाल के पास मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब सेसना-150 विमान वी० टी०-ई० एम० यू० की दुर्घटना :

यह विमान 29-3-89 को मौज मस्ती की उड़ान के समय भोपाल से लगभग 1.5 मील पर दुर्घटना हो गया था। इसमें आग लग गई और दोनों सवारों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

प्रातःकालीन दूरदर्शन कार्यक्रम से "जी साहिब" का हटाया जाना

[हिन्दी]

1116. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1989 के "नवभारत टाइम्स" में "जी साहब" की छुट्टी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां तो "ब्रेकफास्ट" दूरदर्शन कार्यक्रमों में "जी साहब" के न दिखाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें हमेशा के लिए कार्यक्रम से निकाल दिया गया है अथवा केवल कुछ समय के लिए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरदर्शन का प्रयास रहता है कि दर्शकों की रुचि बनाए रखने के प्रयोजन से कार्यक्रमों के फार्मेट में परिवर्तन किया जाता रहे। यह नेमी प्रक्रिया है। तदनुसार, प्रस्तुतीकरण में भिन्नता लाने के लिए, "कठपुतली" का स्थान सजीव कांपीयरों ने ले लिया है।

गुजरात में तेल और गैस का पता लगाना

[अनुवाद]

1117. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1988 से 30 जून, 1989 की अवधि के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों के कुछ भागों में तेल और गैस का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो मात्रा और मूल्य की दृष्टि से प्रत्येक मामले में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय गुजरात की गैस और तेल की मांग कितनी है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को इसका कितना अंश प्रदान किया गया; और

(ङ) गुजरात के विभिन्न उद्योगों और उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने हेतु राज्य को अधिक मात्रा में गैस और तेल सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात में 6 स्थानों, आन्ध्र प्रदेश और असम में चार-चार स्थानों, पश्चिमी अपतट में 7 स्थानों और कावेरी अपतट में 1 स्थान पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तेल और/या गैस मिली है। आयल इंडिया लिमिटेड को राजस्थान और असम में दो-दो स्थानों पर तथा अरुणाचल प्रदेश के खुरसांग क्षेत्र में डीप संस्तर में तेल और/या गैस मिली है। इन सभी स्थानों पर अभी चिन्हांकन का कार्य किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में अपने विभिन्न तेल क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल को गुजरात रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसी प्रकार उत्पादित गैस को भी गुजरात में विभिन्न उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन और सप्लाई की गई गैस का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	कच्चे तेल का उत्पादन (मि० मी० टन)	गैस की सप्लाई (मिलियन घन मीटर)
1986-87	4.563	644.95
1987-88	4.990	660.30
1988-89	5.404	807.29

गुजरात में निकाले जाने वाले कच्चे तेल को कोयाली स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन की रिफाइनरी को सप्लाई किया जाता रहेगा। इसी प्रकार विभिन्न तेल और गैस क्षेत्रों से उत्पादित गैस को विभिन्न क्षेत्रों/उपभोक्ताओं को दिये गये वचन के अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जायेगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पाइप लाइनों के बिछाने और गैस को भेजने के लिए अन्य सुविधाओं के वास्ते आवश्यक कदम उठा रहा है।

दिल्ली में विद्युत कनेक्शनों का दुरुपयोग

1118. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) ने राजधानी में विद्युत कनेक्शनों का दुरुपयोग करने वाले अनाधिकृत रूप से विद्युत मीटर स्थानांतरित करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली की सप्लाई काटने के बारे में कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों का संचालन

1119. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान उड़ान संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितनी उड़ानें रद्द की गई तथा समय सारणी में परिवर्तन किया गया;

(ग) क्या ऐसी स्थिति मुख्य रूप से पायलटों की कमी के कारण उत्पन्न हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस में अतिरिक्त पायलट नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जुलाई, 1988 से जून, 1989 तक की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित कुल 97.517 उड़ानों में से 3170 उड़ानें रद्द की गई थीं और लगभग 6% उड़ाने समय पर परिचालित की गई थीं। तथापि इन उड़ानों के रद्द होने के कारण समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खानों में बचाव केन्द्रों का आधुनिकीकरण

1120. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी० सी० एल०) ने विभिन्न खानों में अपने बचाव केन्द्रों को आधुनिक बनाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर कितना खर्च होने की सम्भावना है; और

(ग) सभी खानों में बचाव केन्द्रों का आधुनिकीकरण कब तक पूरा हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी, हां। रामगढ़ में विद्यमान बचाव स्टेशन का आधुनिकीकरण करने और कथारा, चूरी और हुटार में उपयुक्त आधुनिक उपकरणों के साथ नए बचाव कक्षों को स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर 690 लाख रु० का खर्च होने का अनुमान है और उक्त कार्यक्रम के वर्ष 1991-92 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र की अखबारी कागज की मिलों का कार्य निष्पादन

1121. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की अखबारी कागज की मिलों का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज के दो निर्माणकारी एकक अर्थात् हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड और नेपा लिमिटेड है 1988-89 में इन दोनों उपक्रमों का क्षमता उपयोग क्रमश: 98% और 92% रहा है जो कि संतोषजनक है और यह वर्ष में कुल देशी उत्पादन का 51.1% बैठता है। फिर भी, अखबारी कागज की उपलब्धता में और वृद्धि करने के लिए नेपा लि० एक आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम चला रहा है जिससे इसकी अधिष्ठापित क्षमता 67,500 मी० टन से बढ़कर 88,700 मी० टन प्रतिवर्ष हो जाएगी।

एअर इंडिया के साथ टिकटों की बिक्री की धोखाधड़ी करने पर ट्रैवल एजेंटों की गिरफ्तारी

1122. डा० दत्ता सामन्त :

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के विभिन्न यात्रियों को जाली टिकटें बेचकर एअर इंडिया के साथ 95 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले कुछ ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित ट्रैवल एजेन्टों को नियमों का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार किया गया है—

(1) श्री महबूब सुन्दरानी, एम० डी०,
मैसर्स सुप्रीप टूर्ज एंड ट्रैवल्स

(2) श्री सुनील के० डुडेजा,
मैसर्स स्काई स्पीड ट्रैवल एण्ड टूर्ज

(3) श्री दलीप जी दत्ता,

(4) श्री ब्रिज मुकमतराए पंजाबी, निदेशक
मैसर्स पूनम ट्रैवल्स प्रा० लिमिटेड

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुष्प्रक्रिया को रोकने के लिए एअर इंडिया द्वारा निम्नलिखित कार्यवाई की गई है—

(क) भारत में सभी ट्रैवल एजेंटों को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें आयटा और भारत सरकार के निर्धारित नियमों और विनियमों को पालन करने पर जोर दिया गया है।

(ख) नियमों/प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाली किसी भी एजेन्सी को काली सूची में डाल दिया जाएगा और टिकट स्टाक को वापिस ले लिया जाएगा।

(ग) सभी अधिकारियों को आंतरिक अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे नमूना आधार पर एजेंटों की टिकट प्रणाली की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टिकट जारी करना विनियमों के अनुसार ही किया जा रहा है।

(घ) गल्फ और भारत के सभी हवाई अड्डों को अनुदेश जारी किए गए है कि वे गलत प्रयोग या गलत प्रक्रिया से बचने के लिए क्रमवार ही टिकटें उठाएं।

बारह एयरबसों की खरीद

1123. डा० दत्ता सामन्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बारह और एयरबस ए-320 खरीदने के क्रिया देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी तथा वे कब प्राप्त होंगी; और

(ग) इस अतिरिक्त बेड़े से कुल कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार की अनुमति से इंडियन एयरलाइंस ने 958.78 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर जिसमें 886.37 करोड़ की विदेशी मुद्रा का अंश है, 12 अतिरिक्त एयरबस ए-320 विमानों की खरीद के लिए मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री, फ्रांस के साथ 5-6-89 को एक करार किया है।

इन अतिरिक्त 12 एयरबस ए-320 विमानों का सुपर्दगी कार्यक्रम इस प्रकार है—

दिसम्बर, 1990	:	2
जनवरी, 1991	:	2
फरवरी, 1991	:	1
मार्च, 1991	:	1
नवम्बर, 1991	:	2
दिसम्बर, 1991	:	3
जनवरी, 1992	:	1
जोड़		12

(ग) 12 एयर ए-320 विमानों के शामिल होने पर पर वर्तमान किरायों से 260 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

सहायक एककों का आधुनिकीकरण और संवर्धन

1127. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक एककों के आधुनिकीकरण और संवर्धन हेतु "सहायता कोष" नामक एक विशेष कोष स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार किस विचार सहायक एककों में पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार सहायक एककों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय करती है। हाल ही में, उत्पादन अथवा सहायक एकक द्वारा अन्य एककों को प्रदान की गई सेवाओं की सीमा 50% से घटाकर 30% कर दी गई है। जबकि और संवर्धनात्मक उपायों के संबंध में विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं, कोई विशेष प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

पैराक्सीलीन और एन-पैराफिन के लिए परियोजनाएं

1128. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने पैराक्सीलीन और एन. पैराफिन के निर्माण हेतु दो परियोजनाओं को स्वीकृत दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा; और

(ग) ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर लगाये जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा बम्बई में पैराजाइलीन और एन पैराफीन के उत्पादन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है किन्तु इन परियोजनाओं पर होने वाले निवेश के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

विद्युत वित्त निगम द्वारा पूंजी जुटाना

1129. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत वित्त निगम को पूंजी जुटाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 1989-90 के दौरान, विद्युत वित्त निगम द्वारा बांड जारी करके पूंजी बाजार से 700 करोड़ रु० अर्जित किये जाने की योजना है।

विद्युत उत्पादन

[हिन्दी]

1130. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की आठवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन में 38,000 मेगावाट की और वृद्धि करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां तो क्या इसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी की स्थिति और बिगड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कमी को पूरा करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन वैकल्पिक स्रोता का ब्योरा क्या है और इन स्रोतों से कितनी बिजली का उपयोग किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) यद्यपि योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है फिर भी आठवीं योजनावधि के दौरान अनन्तिम रूप से लगभग 38,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

(ख) से (घ) (क) को ध्यान में रखते हुये कोई प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में बिजली का गुल होना

1131. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में बार-बार बिजली गुल होने की शिकायत निरन्तर प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बिजली की स्थिति में सुधार करने हेतु अभी तक कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली में विद्युत आपूर्ति स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है। तथापि उपस्कर की खराबी आदि के कारण विफलता वितरण प्रणाली, आदि में स्थानीय दोषों की सूचना मिलते उन्हें ठीक कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 1989 की ग्रीष्म ऋतु के दौरान दिल्ली में विद्युत की पर्याप्त तथा विश्वसनीय उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं—शंट कैपिसिटरों की प्रतिष्ठापन, प्रणाली का नियमित अनुरक्षण, पारेषण लाइनों तथा वितरण प्रणाली का प्रबलन, राजघाट ताप विद्युत केन्द्र ने 135 मेगावाट उत्पादन क्षमता की स्थापना और विद्यमान विद्युत केन्द्रों से उत्पादन को अधिकतम करना। विद्युत विफलता को तुरन्त दूर करने के लिए तथा धारा बंदी की शिकायतों को दूर करने के लिए सौ शिकायत केन्द्रों तथा मोबाइल फाल्ट लोकेटिंग वैन/ब्रेक डाउन वैन के जरिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने व्यापक प्रबन्ध किया है। दिल्ली में विद्युत आपूर्ति स्थिति तथा क्रियान्वयनाधीश विभिन्न कार्यों की प्रगति का गहन प्रबोधन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है।

सिपानी आटोमोबाइल्स लिमिटेड द्वारा बुकिंग के लिए ली गई अग्रिम राशि की वापिसी

1132. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता से ऐसी शिकायतें मिली है कि मैसर्ज सिपानी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बुकिंग के लिए ली गई अग्रिम राशि वापिस नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जनता को यह धनराशि वापिस दिलवाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) मैसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स लि० द्वारा अग्रिम बुकिंग जमा राशि की वापिसी में विलम्ब होने से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो कंपनी द्वारा पहले बुक की गयी पेट्रोल कारों के बारे में है। ये शिकायतें निर्माताओं को भेज दी गयी हैं। कंपनी ने बताया है कि उनके पास मोन्टाना डालफिन पेट्रोल कार के लिए अग्रिम बुकिंग जमा राशि की वापिसी के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं पड़ा है। नई मोन्टाना बुकिंग के बारे में कम्पनी ने बताया है कि उन्हें बुकिंग से संबंधित पूरे ब्यौरे अभी प्राप्त करने हैं और जमा राशि की वापिसी के आवेदनों पर तुरन्त ध्यान देने का आश्वासन दिया है।

मध्य प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

1133. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सहायता से मध्य प्रदेश के जिलेवार अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या उन सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया है जिनके लिए सहायता मांगी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वित्त पोषण के सभी स्रोतों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कार्य किया है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में 31-5-1989 की स्थिति के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण की जिलेवार प्रगति

क्रम सं०	जिले का नाम	31-5-1989 की स्थिति के अनुसार जोड़
1	2	3
1.	भोपाल	544*
2.	सिहोर	957
3.	रायसेन	979
4.	विदिशा	1041
5.	होशंगाबाद	1128
6.	बेतूल	1029
7.	ग्वालियर	751*
8.	दतिया	398*
9.	मोरेना	1101
10.	भिण्ड	891*
11.	गुना	1809
12.	शिवपुरी	1279*
13.	राजगढ़	1259
14.	इन्दौर	639*
15.	खाण्डवा	987
16.	खरगोन	1422
17.	धार	1202
18.	झाबुआ	940

1	2	3
19.	रतलाम	889
20.	मन्दसौर	1575*
21.	उज्जैन	1098
22.	शाजापुर	1019
23.	देवास	1027
24.	जबलपुर	1608
25.	नरसिंहपुर	963
26.	सिओनी	1254
27.	माण्डला	1554
28.	बालाघाट	969
29.	छिन्दवाड़ा	1893
30.	सागर	1476
31.	दमोह	847
32.	रिवाँ	1487
33.	सतना	1293
34.	छतरपुर	1036
35.	टीकमगढ़	872
36.	पन्ना	641
37.	सिधी	1608
38.	शाहडोल	1310
39.	रायपुर	2551
40.	दुर्ग	1485
41.	राजनन्दगांव	1029
42.	बस्तर	1819
43.	बिलासपुर	2507
44.	सरगुजा	1693
45.	रायगढ़	1496
	कुल जोड़	56155

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गंगा घाटी और कच्छ में तेल के लिए खुदाई

1134. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड का हाइड्रोकार्बन्स के लिए अपने प्रयासों का गंगा घाटी और कच्छ अपतटीय क्षेत्रों तक विस्तार करने का विचार है;

(ख) क्या इस बारे में आयल इंडिया लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) आयल इंडिया लिमिटेड ने गंगा घाटी बेसिन में 85,000 वर्ग कि० मी० तथा कच्छ सौराष्ट्र अपतटीय बेसिन मे 29,400 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण के लिए अपना प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है।

कोयला उत्पादन

1135. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले का उत्पादन मांग के अनुरूप पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो मांग को पूरा करने हेतु गत वर्ष कितने कोयले का आयात किया गया; और

(ग) आगामी वर्षों में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोककर कोयले को छोड़कर, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत प्रक्षिप्त मांग को आवृत करने के लिए पिट-हैड स्टाक की उपलब्धता सहित आयोजनागत उत्पादन पर्याप्त मात्रा में है। इस्पात उद्योग के लिए कोयले का अधिकांश आयात किया जाता है। कोककर कोयले का आयात इस्पात संयंत्रों द्वारा देशी उत्पादन की कमी को पूरा करने और देशी कोककर कोयला जो कि कुछ निम्न श्रेणी का है, के साथ उच्च आयातित कोककर कोयले को मिश्रित करने के लिए भी किया जाता है। देशी स्रोतों से निम्न राखयुक्त कोयले/कोककर की कम उपलब्धता होने के कारण ऐसे कुछ निम्न राखयुक्त चतुकर्मी कोयले/कोककर का भी आयात किया जा रहा है। दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में स्थित सीमेंट संयंत्रों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत कभी-कभी अकोककर कोयले का आयात करना पड़ता है, जो बिहार-बंगाल के कोयला क्षेत्रों से अकोककर कोयले की उपलब्धता न होने के कारण किया जाता है।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान किए गये कोयले, कोककर और ब्रिकेट, आदि के आयात को नीचे दर्शाया गया है—

वर्ष	मात्रा (टन में)
1988-89	4843484

(ग) भविष्य के आयोजनागत उत्पादन में देश की सभी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा, केवल

इस्पात क्षेत्र की आवश्यकताओं को छोड़कर जो कि अपनी आवश्यकताओं के कुछ भाग के लिए आयात करना जारी रहेगा। उत्पादन में वृद्धि किए जाने के संबंध में कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—नई कोयला खनन परियोजनाओं का विनिर्दिष्टकरण तथा क्रियान्वयन, विद्यमान खानों में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाये जाने के लिए कोयला खानों में आधुनिक संकल्पनाओं तकनीकों और प्रोद्योगिकियों की शुरूआत।

एअर इंडिया, इंडियन, एयरलाइंस और वायुदूत की उड़ानों का देरी से उड़ान भरना और देरी से पहुंचना

1137. **श्री कृष्ण सिंह :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के प्रथम छः महीनों के दौरान एअर इंडिया, इंडियन, एयरलाइंस और वायुदूत के हवाई जहाजों ने कितने प्रतिशत उड़ानें देर से भरी और देर से पहुंचने तथा वर्ष 1988 की दोनों छमाहियों में यही आंकड़े अलग-अलग, कितने न्यूनाधिक थे;

(ख) उड़ानों के देर से चलने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और वायुदूत में बिलम्ब के बारे में आंकड़े उड़ानों के प्रस्थान के आधार पर रखे जाते हैं और न कि उड़ानों के अवतरण के आधार पर। पूरे विश्व में सामान्यतः विमान कम्पनियों द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है। जनवरी से जून, 1989, जनवरी से जून, 1988 और जुलाई से दिसम्बर, 1988 के दौरान बिलम्बों/उड़ान रद्द के प्रतिशत के बारे में ब्यौरे और कारण इस प्रकार हैं—

कारण		बिलम्ब/उड़ान रद्द का प्रतिशत		
		जनवरी-जून, 1989	जनवरी-जून, 1988	जुलाई-दिसम्बर, 1988
(क)	इंडियन एयर-लाइन्स के के भीतर आने वाले कारणों से बिलम्ब	2.42	1.91	3.17
(ख)	ऐसे बिलम्ब को इंडियन एयरलाइन्स के सीधे नियंत्रण में नहीं थे जैसे खराब मौसम अपर्याप्त विमान क्षेत्र सुविधाएं और विविध	3.77	3.29	4.90
(ग)	परिणामी बिलम्ब	30.72	25.66	36.57
	जोड़	36.91	31.36	44.64.

जहां तक वायुदूत और एयर इंडिया का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स में अधिकांश विलम्ब परिणामी कारणों से हुए। इंडियन एयरलाइंस 1989 और 1992 के बीच अपने बेड़े में 31 एयरबस ए-320 विमान शामिल करने की प्रक्रिया में है, इन विमानों के क्रमिक रूप में शामिल होने पर अपेक्षित अन्तराल/वैकल्पिक क्षमता उपलब्ध हो जाएगी जो परिणामी बिलम्बों को न्यूनतम करने में सहायता देगी। इसके अलावा समय पाबन्दी पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। वायुदूत में समय पाबंदी पर विश्लेषण किया जा रहा है और समय-समय पर इस पर निगरानी रखी जाती है तथा विलम्बों को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। तकनीकी समस्याओं के कारण विलम्बों को न्यूनतम करने के लिए विमान के रख-रखाव प्रक्रिया को कारगर बनाया गया है। वायुदूत अतिरिक्त विमान क्षमता को प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी है। एयर इंडिया में समय पाबंदी समितियां गठित की गई है जो समय-समय पर विलम्बों के लिए कारणों को देखती है ताकि उड़ानों को समय पाबंदी में सुधार किया जा सके।

भारत और पाकिस्तान के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना

1138. **श्री कृष्ण सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के पर्यटन मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने तथा यात्रा सम्बन्धी रुकावटों को दूर करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों देशों के बीच पर्यटन का संवर्धन करने के उद्देश्य से तथा यात्रा सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से कुछ मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ जो इस प्रकार है :—

(I) वीसा मंजूर करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाना;

(II) निजी क्षेत्र में अनुमोदित यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा सामूहिक पर्यटन को हैंडिल करना; और

(III) दोनों देशों के पर्यटको द्वारा यात्रा किए जाने वाले नगरों की संख्या की अधिकतम सीमा में ढील देना।

पंजाब में उद्योगों के लिए बिजली की दरों में वृद्धि

[हिन्दी]

114(. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, दर में कितनी वृद्धि की गई हैं;

(ग) इस समय वृद्धि का क्या औचित्य है;

(घ) क्या पंजाब में चल रही असामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमियों को राहत पहुंचाने के लिए इस वृद्धि को वापस लेने का है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योगों के लिए विद्युत प्रभारों में औसत वृद्धि अलग-अलग रूप में 7 पैसे प्रति यूनिट से 18 पैसे प्रति यूनिट की है।

(ग) से (ङ) टैरिफ का निर्धारिण पूर्ण रूपेण पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है यह पता लगाया गया है कि विद्युत प्रभारों में वृद्धि ईंधन लागत, प्रचालनात्मक घटकों आदि जैसे विभिन्न कारणों से उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण की गई है। इस समय टैरिफ को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय विद्युत मूल्य निर्धारिण के मानदंड आदि के बारे में विशेषज्ञ समिति

1141. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :
　　श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या ऊर्जा मन्त्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने केन्द्रीय विद्युत मूल्य निर्धारित संबंधी मानदंड आदि के अध्ययन के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों संगठनों की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एवं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम उत्पादित बिजली की बिक्री का दर निर्धारित करने के लिए नियमों एवं नियामक प्राचलों (परामीटर) को अवधारित करने के लिए सदस्य (आर्थिक एवं वाणिज्यिकी) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई हैं।

(ख) आशा है, समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ग) और (घ) जी हां, विद्युत विभाग ने भी औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों से अनुरोध किया है कि वह केन्द्रीय विद्युत गृहों से उत्पादित बिजली के दर निर्धारित करने से सम्बन्धित मामले के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण को एवं अपने दृष्टिकोणों/सिफारिशों को प्रस्तुत करे। आशा है, विद्युत विभाग की रिपोर्ट अगस्त, 1989 के अन्त तक प्राप्त हो जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

1142. श्री बलवंत सिंह रामूवालिला :
　　श्री सी० डी० गामित : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या कितनी है और उन्होंने कितनी धनराशि का लाभ अर्जित किया है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान इन उद्योगों में निर्मित उत्पादों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1988-89 के दौरान हानि हुई है; और

(च) इन्हें कितनी धनराशि की हानि हुई ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के वर्ष 1988-89 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा उनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है तथा यह जानकारी केवल सितम्बर, 1989 के बाद ही उपलब्ध होगी।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में पेट्रोल और डीजल की कमी होना

1143. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, और नैनीताल जिलों में पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में रिपोर्ट मिली है और तेल उद्योग को इन जिलों में पिछले वर्ष की खपत के ऊपर 20 प्रतिशत अधिक तक सप्लाई को बढ़ाने का परामर्श दिया गया है। इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियों ने उनके डिपुओं पर स्टाक की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाये है।

उड़ीसा में बिजली की कमी

[अनुवाद]

1146. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सूखे की स्थिति में फालतू बिजली उत्पादक क्षेत्रों/राज्यों से कम बिजली उत्पादक क्षेत्रों/राज्यों को बिजली भेजी जाती है;

(ख) क्या देश में बिजली के वितरण के लिए किसी एकीकृत एजेन्सी का गठन सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) प्रणाली परिस्थितियों

को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती कमी वाले राज्यों/क्षेत्रों को अधिशेष विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी तरह के प्रयास किए जाते हैं। उपलब्ध विद्युत का अधिकतम समुपयोजना सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्याप्त रूप में अन्तरर्ज्यीय/अन्तक्षेत्रीय ऊर्जा विनिमय किया जा रहा है।

(ख) और (ग) स्थापित हो जाने पर राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम केन्द्रीय क्षेत्र उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा पारेषण लाइनों के अभिकल्प, निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा। यह अभिकरण अन्ततः देश में विद्युत वितरण की भी देखभाल करेगा। इस प्रस्ताव की विस्तृत रूप में जांच तथा सरकार और केन्द्रीय क्षेत्र में कई अभिकरणों के साथ सलाह की जानी अपेक्षित है।

आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का सिंथेटिक फ्लामेंट यार्न संयंत्र]

1147. **श्री मद्दम श्री राम मूर्ति :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के एक सिंथेटिक फ्लामेंट यार्न संयंत्र को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है,

(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और इनमें कुल कितनी पूंजीनिवेश किया जाएगा; और

(ग) आंध्र प्रदेश के खम्माम तथा मेडक जिलों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य पेट्रो-रसायन एककों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० को 135 करोड़ रुपए की अनुमानित वार्षिक लागत से प्रतिवर्ष 15,000 टन की क्षमता से औद्योगिक यार्न/टायर कार्ड निर्माण सहित सिंथेटिक फिलामेंट यार्न का निर्माण करने के लिए नया उपक्रम स्थापित करने के लिए वरीयता आंध्र प्रदेश के कम विकसित केन्द्रीय रूप में पिछड़े जिले में स्थापित करने हेतु अप्रैल, 1983 में एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

(ग) प्रतिवर्ष 10,000 टन की क्षमता से स्पन बांडेड जियो-टैक्सटाइल "टाइपर" के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में एक एकक स्थापित करने के लिए जून, 1989 में एक आशय-पत्र भी जारी किया गया है।

हाल ही में आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में निम्नलिखित पेट्रो-रसायन एकक स्वीकृत किये गये हैं :—

क्रम सं०	निर्माण की वस्तु	वार्षिक क्षमता (टन)
1.	बी० ओ० पी० पी० फिल्म	2000
2.	कॉपर क्लैड पेपर लेमिनेटस	540
	पेपर इपोक्सी लेमिनेटस	540
3.	मल्टिलेयर को-एक्सट्रूडर फिल्म	2000

उड़ीसा में भवानी पटना में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण

1148 **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में भवानी पटना में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यह केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) भवानी पटना में स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है तथा इसके तकनीकी के वर्ष 1989 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है। उपकरण लगाने का काम इसके बाद शुरू किया जाएगा। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में भवानी पटना में रेडियो स्टेशन के वर्ष 1990 में चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है।

अल्कोहल की खपत और उसका उत्पादन

1149. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्कोहल की राज्यवार खपत के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) वर्ष 1988-89 में अल्कोहल का राज्यवार कितना उत्पादन किया गया,

(घ) अल्कोहल की राज्यवार वर्तमान मांग कितनी है,

(ङ) क्या कुछ राज्यों में अतिरिक्त अल्कोहल उपलब्ध है और यदि हां, तो इसका किस प्रकार उपयोग किए जाने का विचार है; और

(च) क्या सरकार का विदेशों में अल्कोहल की पर्याप्त मांग को ध्यान में रखते हुए इसका निर्यात करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (घ) देश में विभिन्न प्रयोजनों के लिए अल्कोहल की उपलब्धता और उपयोग की प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में समीक्षा की जाती है पिछले 3 अल्कोहल वर्षों के दौरान अल्कोहल के उत्पादन और खपत के (राज्यवार) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ङ) और (च) फालतू अल्कोहल का उपयोग कमी वाले राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने भी देश की जरूरत से अधिक पाये गये अल्कोहल का विदेशों को निर्यात करने की अनुमति दे दी है।

विवरण

(लाख लिटर में)

राज्य का नाम	1986-87 (वास्तविक) उपलब्धता/उपयोग		1987-88 (वास्तविक) उपलब्धता/उपयोग		1988-89 (अनुमानित) उपलब्धता/उपयोग	
आन्ध्र प्रदेश	623.71	567.62	672.03	639.30	780.08	795.00
आसाम	23.19	23.19	27.90	27.40	12.50	34.50
बिहार	223.35	163.15	203.65	186.34	293.49	220.00
गुजरात	322.52	283.07	368.82	332.82	547.00	625.43
हिमाचल प्रदेश	12.49	11.83	18.65	16.01	14.00	3[illegible].50
जे० एण्ड के०	27.47	27.00	30.35	28.72	16.63	32.50
हरियाणा	160.38	142.71	183.23	164.07	194.00	190.00
केरल	125.76	117.88	167.50	115.80	88.70	189.85
कर्नाटक	537.64	503.93	486.80	431.10	552.60	474.00
महाराष्ट्र	1690.93	1298.12	1834.68	1488.93	2242.21	1800.00
मनीपुर	0.24	0.24	0.84	0.84	शून्य	1.00
मेघालय	1.00	1.00	1.00	1.00	शून्य	4.00

1	2	3	4	5	6	7
नागालैण्ड	6.67	6.46	7.42	5.61	7.57	13.00
उड़ीसा	20.04	19.04	24.70	22.08	32.62	30.50
पंजाब	185.28	171.07	249.39	246.14	320.99	439.01
राजस्थान	127.09	120.81	126.21	115.83	75.78	188.58
पांडिचेरी	38.25	31.95	37.30	34.64	39.66	27.00
मध्य प्रदेश	183.21	162.31	242.55	196.89	862.16	400.00
सिक्किम	23.60	23.50	28.82	25.87	2.95	36.15
तमिलनाडु	686.55	506.77	723.31	527.07	1004.00	758.00
दिल्ली	40.87	40.87	50.14	50.14	शून्य	70.00
चण्डीगढ़	4.07	4.07	7.74	7.74	शून्य	11.30
गोवा	5.10	5.10	18.14	18.14	शून्य	55.00
पं० बंगाल	149.47	149.74	220.84	220.78	20.00	320.00
त्रिपुरा	1.44	1.00	2.36	2.01	0.35	13.00
उ० प्र०	1894.11	1294.33	3085.42	1477.98	3326.25	2278.00
दादरा और नागर	—	—	1.43	1.43	शून्य	5.00
दमन और दयू	—	—	3.50	3.50	शून्य	9.50

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति

1150. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी केन्द्रों की कार्यक्रम सलाहकार समितियां काम नहीं कर रही हैं क्योंकि इनमें से कुछ का अभी तक सरकार द्वारा पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनकी सलाहकार समिति ने अपना कार्य काल पूरा कर लिए है और इनका पुनर्गठन नहीं किया गया है;

(ग) इनमें से प्रत्येक का पुनर्गठन किस तारीख तक किए जाने की संभावना है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन समितियों के पुनर्गठन के लिए क्या दिशा निर्देश हैं और इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है और प्रत्येक समिति में किन क्षेत्रों/श्रेणियों का पृथक-पृथक, प्रतिनिधित्व करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) आकाशवाणी के 59 केन्द्रों में से जिनकी कार्यक्रम सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाना है, 51 केन्द्रों में ऐसी समितियों पुनर्गठित की जा चुकी हैं उन आठ केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है जहां कार्यक्रम सलाहकार समितियों का कार्यकाल पूरा हो गया है और उनका पुनर्गठन अभी किया जाना है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, इस समय दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद और दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में कार्यक्रम सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं। जिन दूरदर्शन केन्द्रों की समितियों का कार्यकाल पूरा हो गया है और अभी उनका पुनर्गठन किया जाना है, उनके संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) कार्यक्रम सलाहकार समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में राज्य सरकारों से विचार विमर्श करना होता है तथा प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र/दूरदर्शन केन्द्र की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार से विचार करना होता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है।

(घ) उन सभी आकाशवाणी केन्द्रों पर अधिकारियों तथा गैर सरकारी सदस्यों वाली कार्यक्रम सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं जहां प्रत्येक केन्द्र पर हर रोज कम से कम 5½ घंटे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ऐसी समितियां, कार्यक्रम तैयार करने वाले दूरदर्शन केन्द्रों पर भी गठित की जाती हैं। केन्द्र निदेशक/संबंधित आकाशवाणी केन्द्र/दूरदर्शन केन्द्र का निदेशक इस समिति का अध्यक्ष होता है। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या सामान्यतया 15 से अधिक नहीं होती और इन समितियों में आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में कला और संस्कृति, सामाजिक कार्य, हास्य व्यंग्य, लेखन, साहित्य, शिक्षा, महिला और परिवार कल्याण, आदिवासी/अनुसूचित जाति, लोकनृत्य संगीत, विज्ञान आदि जैसे विभिन्न विषयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कार्यक्रम सलाहकार समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होता है।

विवरण-1

उन आकाशवाणी केन्द्रों के नाम जहां कार्यक्रम सलाहकार समिति अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है तथा अभी पुर्नगठित की जानी है।

क्र० संख्या	केन्द्र का नाम
1.	हैदराबाद
2.	दिल्ली
3.	मद्रास
4.	पुणे
5.	पटना
6.	पोर्ट-ब्लेयर
7.	रोहतक
8.	शिमला

विवरण-2

उन दूरदर्शन केन्द्र के नाम जहां कार्यक्रम सलाहकार समिति अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है तथा अभीपु र्नगठित की जानी हैं।

क्रम संख्या	दूरदर्शन केन्द्र का नाम
1.	दिल्ली
2.	कलकत्ता
3.	बम्बई
4.	मद्रास
5.	जालन्धर
6.	श्री नगर
7.	लखनऊ
8.	कटक
9.	हैदराबाद

हिमाचल प्रदेश में उप-मंडल मुख्यालयों को रसोई-गैस की एजेंसियों का आबंटन

1151. प्रो० नारायण चंद पराशर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में किसी उपमंडल मुख्यालयों को रसोई गैस एजेंसियों आबंटित का गई हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक किन स्थानों पर ये एजेंसियां दी गई हैं;

(ग) रसोई-गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए शेष उप मंडल मुख्यालयों के बारे में कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी और क्या इस प्रयोजन के लिए स्थानों का चयन या सर्वेक्षण आदि कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कोई कार्यक्रम सर्वेक्षण शीघ्र ही कराया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश के उन उप-मंडल मुख्यालयों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जहां एल० पी० जी० वितरण केन्द्र है अथवा अलाट किए गए हैं।

(ग) से (ङ) एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों के लिए व्यवहार्य पाये गए सभी शहरों उप मंडल मुख्यालयों को कवर कर लिया गया है। जिन उप-मंडल मुख्यालयों में कम संभावित मांग तत्वों के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया है उन्हें एल० पी० जी० के विपणन के लिए कवर नहीं किया गया है। उन 9 उप-मंडल मुख्यालयों में से कंडाघार को "भुगतान करो और ले जाओ" के आधार पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सोलन स्थित वितरक के साथ संम्बद्ध किया गया है।

विवरण

वर्तमान वितरण केन्द्र

1. चम्बा
2. डलहौजी
3. बिलास पुर
4. ऊना
5. मन्डी
6. सुन्दर नगर
7. जोगिन्दर नगर
8. कलपा
9. धर्मशाला
10. पालम पुर
11. नूर पुर
12. कुल्लू
13. हमीर पुर
14. शिमला

15. थयोग
16. रामपुर
17. रोहडू
18. नाहान
19. सोलन
20. नाला गढ़
21. कासोली
22. डेरा गोपीपड

उन स्थानों के नाम जिन के लिए आशा पत्र जारी कर दिया गया है।

23. कांगड़ा
24. चम्बा
25. कारसोग
26. सरकाघाट
27. पोह
28. बरसर
29. चौपाल
30. राजगढ़
31. अरकी

महाराष्ट्र के लिए मंजूर किए गए आकाशवाणी केन्द्र

1152. श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना में महाराष्ट्र के लिए कितने नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है;

(ख) इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और इनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(ग) क्या उस्मानाबाद आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) सातवीं योजना में आकाशवाणी की अनुमोदित स्कीमों में अन्यों के साथ-साथ महाराष्ट्र के राज्य के कोल्हापुर, नासिक अहमदनगर, धुले, बीड, चन्द्रपुर, नान्देड, अकोला, उस्मानाबाद यवतमाल और सातारा में एक-एक अर्थात-ग्यारह नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीमें शामिल हैं।

(ख) अहमद नगर, बीड, अकोला, नान्देड, यवतमाल, चन्द्रपुर और सातारा के प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्रों के वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान चालू हो जाने की परिकल्पना है। कोल्हापुर, नासिक, धुले और उस्मानाबाद में स्थापित किए जाने वाले शेष चार प्रस्तावित केन्द्र आगामी योजना में पूरे होंगे।

(ग) जी हां। परन्तु, उस्मानाबाद में प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने आकाशवाणी द्वारा चुनी गई जगह अन्तरित नहीं की है। केन्द्र का निर्माण कार्य राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा आकाशवाणी को जगह दे दिए जाने के बाद ही आरम्भ किया जा सकता है।

रसोई गैस के वितरक

1153. श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितनी रसोई-गैस एजेंसियां हैं;

(ख) इसकी डीलरशिप प्रदान करने के लिए राज्यवार कितने मामले निर्णयाधीन हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों को आरक्षित की कोटे के अन्तर्गत राज्य-वार डीलरशिप दी गई और क्या आरक्षण की प्रतिशतता पूरी हो गई है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य-वार कितने नये व्यक्तियों को डीलरशिप प्रदान करने का विचार है और ऐसी डीलरशिप महाराष्ट्र के किन स्थानों पर दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) 30-6-1989 को देश में एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या, 1988-89 तक की विपणन योजना में देने के लिए ऐसे वितरण केन्द्रों को देने की बकाया संख्या और 30-6-1989 को देश में राज्यवार अनुसूचित जाति को अलाट किये गये वितरण केन्द्र की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

तेल उद्योग वार्षिक विपणन योजनाएं बनाते समय रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए 25% के आरक्षण का कड़ाई से पालन करता है।

एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों को अलाट करने से पूर्व उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों को देखते हुए यह कहना सम्भव नहीं है कि देश में 1989-90 के दौरान कितने नये वितरण केन्द्र अलाट करने का प्रस्ताव है। तथा महाराष्ट्र में स्थान जहां 1989-90 के दौरान ये अलाट कर दिये जायेंगे।

विवरण

राज्य	30-6-1989 को मौजूद एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या	1988-89 तक की वार्षिक एल० पी० जी० विपनण योजना में देने के लिए बकाया एल० पी० जी० विपणन केन्द्रों की संख्या	30-6-1989 तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गये एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या।
1. आंध्र प्रदेश	328	28	36
2. अरुणाचल प्रदेश	9	1	—
3. असम	86	9	11
4. बिहार	131	31	18
5. गोआ	26	4	3
6. गुजरात	270	67	15
7. हरियाणा	110	21	24
8. हिमाचल प्रदेश	31	1	6
9. जम्मू और कश्मीर	51	9	5
10. कर्नाटक	214	18	39
11. केरल	149	21	27
12. मध्य प्रदेश	195	59	12
13. महाराष्ट्र	513	132	29
14. मणिपुर	9	1	—
15. मेघालय	10	—	—
16. मिजोरम	5	—	—
17. नागालैंड	11	—	—
18. उड़ीसा	72	9	6
19. पंजाब	138	25	29
20. राजस्थान	128	52	15
21. सिक्किम	2	—	—

1	2	3	4
22. तमिलनाडु	286	27	56
23. त्रिपुरा	9	—	—
24. उत्तर प्रदेश	380	73	69
25. पश्चिम बंगाल	205	44	30
संघ राज्य क्षेत्र			
1. अन्डमान निकोबार	1	—	—
2. चंडीगढ़	23	—	6
3. दादर और नागर हवेली	—	1	—
4. दिल्ली	200	5	33
5. दमन और द्वीप	2	—	—
6. पांडिचेरी	5	5	3
जोड़ :	3599	643	473

इंडियन एयर लाइंस की उड़ानों में विलम्ब

1154. श्री शान्ताराम नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1989 से 30 जून, 1989 तक की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की कितनी उड़ानों में आधे घंटे से अधिक का विलंब हुआ;

(ख) इन विलम्बों के क्या कारण थे; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि उड़ानों में विलम्ब न हो ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1 जनवरी से 30 जून 1989 तक की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस की 47.656 उड़ानों में से 16.710 उड़ानों में 30 मिनट से अधिक का विलंब हुआ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस के अपने कारणों से 1107 उड़ानों में विलंब हुआ था; खराब मौसम अपर्याप्त विमान क्षेत्र सुविधाओं और विविध कारणों से जो इंडियन एयरलाइंस के वश के बाहर थी, 1455 उड़ानों में विलंब हुआ था जबकि परिणामी कारणों से 14,148 उड़ानों में देरी हुई थी।

(ग) इंडियन एयरलाइंस अपने बेड़े में 1989 और 1992 के बीच चरणबद्ध तरीके से 31 एयरबस ए-320 विमान शामिल कर रहा है। इन विमानों के क्रमिक रूप से शामिल होने पर इंडियन एयरलाइंस के पास अपेक्षित अन्तराल/वैकल्पिक क्षमता उपलब्ध हो जाएगी जिससे उड़ानों में परिणामी

विलंब न्यूनतम करने में सहायता मिलेगी। उड़ानों की समय पाबंदी पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

उड़ीसा के भंजनगर में पेट्रोल, डीजल बिक्री केन्द्र (बंक)

1155. श्री सोमनाथ रथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के भंजनगर में पेट्रोल और डीजल के कितने बिक्री केन्द्र (बंक) है;

(ख) क्या भंजनगर का एक पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्र गत चार वर्ष से बंद पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके स्थान पर दूसरा खुदरा विक्रेता नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) भंजनगर, उड़ीसा में इस समय दो खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) में से केवल एक केन्द्र ही काम कर रहा है;

(ग) जिस खुदरा बिक्री केन्द्र का चालू किया जाना रोक दिया गया था, उसके स्थान पर तेल कम्पनियाँ निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाकर एक नया खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

हरभंगी विद्युत परियोजना

1156. श्री सोमनाथ रथ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरभंगी परियोजना ने बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना से कितनी बिजली पैदा की जाएगी;

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत बिजली उत्पादन के संबंध में क्या प्रगति हुई है और इसे कब पूरा किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को हरभंगी विद्युत परियोजना संबंधी तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

महाराष्ट्र में नए ताप विद्युत संयंत्र

1157. श्री उत्तम राठौड़ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में नए ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उनको स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित अलग-अलग विद्युत परियोजनाओं की स्थिति से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा ड्राई-कोर केबलों का उत्पादन बन्द करने का प्रस्ताव किया जाना

1158. डा० वी० वेंकटेश : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा पेपर इन्सुलेटेड ड्राई कोर केबल का उत्पादन बन्द करने का कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) क्या प्राइवेट कम्पनियों को जेली-युक्त केबलों का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) जेली-युक्त केबलों के उत्पादन बन्द कर देने से हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के जो कामगार बेरोजगार हो गये हैं उन्हें पुनः रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) प्रयोक्ता क्षेत्र, दूर संचार विभाग (डी० ओ० टी०) के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एच० सी० एल०) का 1-4-1991 से पेपर इन्सुलेटिड ड्राई-कोर केबलों का उपरोक्त तिथि से इन केबलो का निर्माण पूरी तरह से क्रमबद्ध रूप से बन्द करने का विचार है।

(ख) और (ग) गैर-सरकारी तथा राज्य/संयुक्त क्षेत्र में बारह कंपनियों को जेली भरी केबलों के लिए 75 लाख कन्डक्टर किलोमीटर (सी० के० एम०) वार्षिक की कुल क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं।

(घ) एच० सी० एल० ने जेली भरी केबलों का उत्पादन बन्द नहीं किया है।

ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

1160. श्री अमरसिंह राठवा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों का, राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका 30 जून, 1989 तक नवीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र में क्या-क्या सुधार किये गये हैं; और

(ग) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ली गई ताप विद्युत यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ताप विद्युत यूनिटों जिनमें पर्याप्त रूप में कार्य किए गए हैं, के संयंत्र भार गुणांक में सुधार संलग्न विवरण-2 में दिखाए गए हैं।

(ग) 4892.4 मेगावाट के क्षमता संवर्धन जिसमें 827.9 मेगावाट जल विद्युत तथा 4064.5 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र समाविष्ट है वर्ष 1989-90 के लिए कार्यक्रमित हैं।

विवरण-1

नवीकृत तथा आधुनिकीकृत किए जा रहे ताप विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्योरा (30-6-89 की स्थिति)

क्रम संख्या	संगठन/नवीकरण स्कीम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का हरण (मेगावाट)	सं०/नवीकरण स्कीम के अंतर्गत ली गई यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5
1.	रा० ता० वि० नि०/ बदरपुर	दिल्ली	5/3×100, 2×210	720
2.	डेसु/इन्द्रप्रस्थ	दिल्ली	5/1×35, 3×62.5, 1×60	282.5
3.	ह० रा० वि० बोर्ड	हरियाणा	6	415
एक	फरीदाबाद		3×60, 1×15	195
दो	पानीपत		2×110	220
4.	उ० प्र० रा० वि० बोर्ड	उत्तर प्रदेश	27	2374
एक	पनकी		2×32, 2×110	284
दो	ओबरा		5×50, 3×100, 5×200	1550
तीन	हरदुआगंज		3×30, 2×50, 4×60, 1×110	540
5.	प० रा० वि० बोर्ड/भटिंडा	पंजाब	4/4×110	440
6.	म० प्र० वि० बोर्ड	मध्य प्रदेश	21	1582.5
एक	कोरबा		1×10, 3×30, 4×50, 2×120	540
दो	अमरकंटक		2×30, 2×120	300
तीन	सतपुड़ा		5×62.5, 1×200, 1×210	722.5
7.	गु० रा० वि० बोर्ड		10	1014
एक	गांधी नगर		2×120	240
दो	धुवारन		4×63.5, 2×140	534
तीन	उकाई		2×120	240

1	2	3	4	5
8.	म० रा० बि० बोर्ड	महाराष्ट्र	9	915
एक	कोराड़ी		4×20	480
दो	नासिक		2×140	288
तीन	भुसावल		1×62.5	62.5
चार	पारस		1×30, 1×62.5	92.5
9.	आ० प्र० रा० बि० बोर्ड	आंध्र प्रदेश	9	742.5
एक	कोरागुंडम		4×60, 4×110	680
दो	रामागुंडम		"बी" 1×62.5	62.5
10.	त० बि० बोर्ड	तमिलनाडु	8	1080
एक	एन्नौर		2×60, 3×110	450
दो	तूतीकोरन		3×210	630
11.	एन० एल० सी०/नवेली	तमिलनाडु	9/3×100, 6×50	600
12.	उ० रा० बि० बोर्ड/तलचेर	उड़ीसा	4/4×62.5	250
13.	दा० वि० निगम	प० बंगाल मुख्यालय	11+2*	1125+110*
एक	चन्द्रपुर	बिहार	3×120, 3×140	780
दो	बोकारो	बिहार	3×50, 1×55	205
तीन	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	2×55*, 1×140	*110+140
14.	बि० रा० बि० बोर्ड	बिहार	16	763.5
एक	पतरातू		4×50, 2×100, 2×110	620
दो	बरोनी		2×50, 2×15	130
तीन	करबीघाहृया		2×1.5, 1×3, 1×7.5	13.5
15.	प० ब० रा० बि० बोर्ड	पश्चिम बंगाल	8	808
एक	संतालडीह		4×120	480
दो	बंडेल		4×80	320
16.	डी० पी० एल०/दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	5/2×50, 1×70, 2×75	280
17.	असम राज्य बिजली बोर्ड/ नामरूप	असम	5/3×23, 1×12.5, 1×20	111.5
	जोड़ :		162+2*	13475.5+110*

*आग से क्षतिग्रस्त हुए ।

विवरण-2

ताप विद्युत यूनिटों जिनमें पर्याप्त रूप से नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य किया गया है के संयंत्र भार गुणांक में सुधार (30-6-1989 को स्थिति)

क्र० सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	यूनिट संख्या	क्षमता (मे० वा०)	नवीकरण करने से पूर्व सं० भा० गु० (%)	1-4-89 से 30-5-89 तक आंशिक नवीकरण के पश्चात्	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	बदरपुर	1	100	45.7	57.7	
		4	210	44.2	76.1	
		5	210	37.0	56.7	
2.	इन्द्रप्रस्थ	4	62.5	49.7	79.1	
3.	फरीदाबाद	1	60	28.8	32.8	
		3	60	21.1	19.0	
4.	भटिण्डा	1	110	48.0	81.5	
		2	110	53.0	55.8	
		3	110	45.7	66.2	
		4	110	52.6	73.7	
5.	पंकी	3	110	48.9	50.8	
6.	ओबरा	3	50	45.5	62.3	
		4	50	49.9	49.5	13-5-89 से 31-5-89 तक एस०एच० ट्यूब क्षरण
		5	50	43.8	44.0	1-6-89 से
		6	100	37.9	57.7	सी० एम०
		7	100	39.2	59.5	
		8	100	43.2	62.3	
		9	200	33.3	51.3	
		10	200	31.4	66.4	
		11	200	28.4	61.8	
		12	200	40.2	58.6	
		13	200	35.1	56.5	

1	2	3	4	5	6	6
7.	हरदुआगंज (बी० एण्ड सी०)	2	50	18.3	31.1	
		6	60	38.1	35.1	3-6-89 से ए० एम०
		7	110	37.4	43.7	
8.	कोरबा-तीन	1	120	41.4	56.9	
9.	अमरकंटक	3	120	39.2	38.2	3-6-89 से बन्द एल०पी० रौटर की मरम्मत
		4	120	59.9	62.2	
10.	सतपुरा	1	62.5	51.5	63.7	
		4	62.5	64.5	72.5	
11.	गांधीनगर	1	120	58.1	69.8	
12.	उकाई	1	120	47.0	44.8	28-5-89 से ए० एम०
		2	120	38.7	64.9	
13.	कोराडी	3	120	59.4	49.9	
14.	कोथागुडम	1	60	40.0	83.9	
		2	60	57.8	80.8	
		3	60	53.8	76.3	
		4	60	54.9	72.5	
		5	110	27.5	62.0	
		6	110	23.9	67.4	
		8	110	17.3	62.9	
		7	110	34.22	64.1	
15.	रामागुण्डम	1	62.5	70.4	36.6	टर्बाइन कम्पन के कारण 6-5-89 से बन्द

1	2	3	4	5	6	7
16.	एन्नोर	2	60	51.0	41.2	30-5-89 से ए० एम०
		2	60	48.7	78.6	
		4	110	25.2	18.0	
		5	110	26.4	68.5	
17.	तुतिकोरन	1	210	46.0	91.1	
		2	210	47.0	88.3	
		3	210	40.4	93.8	
18.	नेवेली	2	50	67.0	76.9	
		3	50	71.1	84.2	
		7	100	70.6	89.3	
		8	100	63-2	92.0	
19.	पतरातु	2	50	25.2	62.3	
20.	बरौनी	4	50	42.5	44.9	
21.	सन्तालडिह	1	120	31.0	44.9	

पंजाब में केन्द्रीय निवेश

1163. श्री कमल चौधरी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश का प्रतिशत बढ़ाने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 को पंजाब में केन्द्रीय निवेश की प्रतिशतता क्या थी;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान पंजाब में केन्द्रीय निवेश की प्रतिशतता घटी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) 31-3-1988 तक, केवल जिस अवधि तक को जानकारी उपलब्ध है, पंजाब राज्य के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में केन्द्रीय पूंजीनिवेश का प्रतिशत 0.91 था।

(ग) और (घ) चूंकि हाल के वर्षों में पंजाब में कोई नया केन्द्रीय सरकारी उद्यम स्थापित नहीं किया गया है, अतः हाल के वर्षों में पंजाब में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्रीय पूंजीनिवेश का प्रतिशत मामूली कम हो गया है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति

1164. श्री राम भगत पासवान : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये नियुक्तियां कब तक की जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार के अनुमोदन पर, श्री राजन जेतली ने 18 मार्च, 1987 से एयर इंडिया के प्रबन्ध निदेशक के पद का कार्यभार संभाला था और उन्हें पांच वर्ष की अवधि दी गई। श्री आर० प्रसाद को 1 अप्रैल, 1989 से 2 वर्ष की अवधि के लिए इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस की एजेंसियां खोलना

1165. श्री राम भगत पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान एजेंसियों के पास अत्यधिक कार्यभार होने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में और अधिक पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां खोलने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ताप विद्युत केन्द्र

1166. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान और निर्माणाधीन ताप विद्युत केन्द्रों की कुल संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) प्रत्येक केन्द्र के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान 4064.5 मेगावाट की संचयी ताप विद्युत क्षमता को चालू करने का कार्यक्रम है। प्रचालनाधीन विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात

ताप विद्युत केन्द्र	संयंत्र भार का अनुपात (%) 1988-89
केन्द्रीय क्षेत्र	62.6
बदरपुर	64.7
सिंगरौली सु० ता० वि० केन्द्र	70.7
रिहन्द सु० ता० वि० केन्द्र	—
कोरबा सु० ता० वि० केन्द्र	72.7
रामागुण्डम सु० ता० वि० केन्द्र	73.4
विन्ध्याचल	60.6
नेवेली	70.3
फरक्का	34.9
चन्द्रपुरा (डी० वी० सी०)	32.2
दुर्गापुर (डी० वी० सी०)	50.1
बोकारो (डी० वी० सी०)	52.8
चोला (रेलवे)	—
अंटा गैस टर्बाइन	—
निजी	63.2
शेष	
अहमदाबाद इलैक्ट्रिक कम्पनी	70.5
ट्राम्बे (टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी)	67.4
कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन	52.7
राज्य बिजली बोर्ड	51.6
डेसू	44.7
आई० पी० स्टेशन	44.7
राजघाट	—
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	41.2
फरीदाबाद विस्तार	37.0
पानीपत	42.9
राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	52.6
कोटा	52.6

	संयंत्र भार अनुपात (%)
ताप विद्युत केन्द्र	1988-98
पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	56.0
भटिण्डा	58.8
रोपड़	53.6
उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	54.7
ओबरा	58.1
पनकी	56.2
हरदुआगंज "क"	26.6
हरदुआ-गंज "ख" और "ग"	36.4
आर० पी० एच०	
कानपुर	—
पारिचा	52.0
अनपारा	60.2
अन्य (उत्तर प्रदेश)	—
गुजरात बिजली बोर्ड	56.1
धुवरान	56.2
	पी० एल० एफ० %
ताप विद्युत केन्द्र	1988-88
उकाई	56.9
गांधीनगर	54.0
वनाकबोरी	53.3
सिक्का	68.8
उतरान	—
जी० टी० और अन्य	—
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	53.4
नासिक	57.3
कोराडी	45.8
पारसांडा	—

	पी० एल० एफ%
पारस	39.4
चन्द्रपुर	50.9
भुसावल	63.5
पारली	58.4
ऊरान (जी० टी०)	—
अन्य	—
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	50.1
सतपुरा	50.5
कोरबा-1	27.8
कोरबा-2	36.0
कोरबा-3	51.1
अमरकंटक	60.2
कोरबा वैस्ट	51.4
आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	69.6
कोथागुडम "ए"	62.3
कोथागुडम "बी"	62.4
कोथागुडम "सी"	56.6
विजयवाड़ा	84.6
रामगुण्डम-बी	70.7
ताप विद्युत केन्द्र	1988-89
नेल्लोर	63.2
अन्य	—
कर्नाटक	—
रायचुर	66.4
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	66.7
एन्नोर	58.7
तुतिकोरिन	82.0

मंत्तूर	45.3
बेसिन ब्रिज	—
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	37.1
पतरातु	39.0
बरौनी	33.4
मुजफ्फरपुर	34.4
उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड	30.9
तलचेर	30.9
पं० बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	36.7
बुन्देल	53.9
सन्तालडिह	15.7
कोलाघाट	49.4
गौरीपुर	—
गैस टर्बाइन	—
डी० पी० एल०	21.5
सी० ई० एस० सी०	52.7
ए० एस० ई० बी०	27.7
चन्द्रपुर	50.6
नामरूप	35.1
बोगेंगांव	19.8
गैस टर्बाइन्स	35.2
अखिल भारत	55.0

उपकरणों की सहायता से विमान उतारने की व्यवस्था

1167. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कोहरे की संभावना वाले उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं, जहां पर आधुनिक उपकरणों की सहायता से विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) क्या देश के ऐसे सभी हवाई अड्डों पर आधुनिक उपकरणों की सहायता से विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) देश

कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी तथा अन्य भागों में निम्नलिखित विमान क्षेत्रों को उपस्कर अवतरण प्रणाली लगाने के लिए चुना गया है जो धुंध से घिरे रहते हैं :

(1) इम्फाल	(2) जम्मू	(3) पटना
(4) डिब्रूगढ़	(5) अगरतला	(6) जयपुर
(7) वाराणसी	(8) भोपाल	(9) कानपुर

और (10) अमृतसर। यह प्रणाली इम्फाल, जम्मू और पटना में पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ख) जी, हां।

आयल इंडिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी द्वारा गंगाघाटी क्षेत्र में तेल का पता लगाना

1168. श्री विजय एन० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी को गंगाघाटी क्षेत्र में तेल के भंडारों की संभावना का पता लगाने के कार्य में आयल इंडिया लिमिटेड से सहयोग करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या आयल इंडिया लिमिटेड नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में अन्य प्राइवेट कम्पनियों से भी सहयोग मांग रही है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री,(श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अपतटवर्ती क्षेत्र में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण के लिए जोखिम हिस्सेदारी आधार पर हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी से एक पेशकश प्राप्त हुई है।

(ख) अब तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

भारतीय फिल्मों और फिल्म कैसेटों की तस्करी

1169. श्री विजय एन० पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक भारतीय फिल्मों और उनकी कैसेटों की विदेशों को तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप देश को अनुमानतः विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(ग) इस संबंध में फिल्म वितरकों और कैसेट निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय फिल्मों और उनके कैसेटों की चोरी तस्करी के कारण विदेशी मुद्रा में हुई हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

(ग) फिल्मों और वीडियों कैसेटों की चोरी से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने 1984 में प्रतिलिप्याधिकार (कापीराइट) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया जिसमें अधिनियम के उपबंधों से संबंधित अपराधों के लिए पहले से अधिक और न्यूनतम दण्डों की व्यवस्था है। कापीराइट एक मालिकाना अधिकार है। फिल्म के अधिकार-धारक, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में चोरों/तस्करों के विरुद्ध मुकद्दमा दायर कर सकते हैं।

वीडियो चोरी के संकट से निपटने के लिए भारत के फिल्म उद्योग ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ एक प्रवर्तक के रूप में "इंडियन फैडरेशन अगेन्स्ट कापीराइट थेफ्ट" नामक एक निकाय का गठन किया है।

सरकारी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा-सुविधाएं

1170. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, एच० एम० टी० लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अपने-अपने सरकारी उपक्रमों के अस्पतालों अथवा डिस्पेन्सरियों में उपचार करवाने की अनुमति है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इन स्थानों में सामान्य दर पर अथवा निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने हेतु कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये कम्पनियां अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने चिकित्सालयों/औषधालयों के माध्यम से चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

हुबली-बम्बई के बीच वायुदूत सेवा

1171. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर: क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली और बम्बई के बीच बरास्ता बेलगाम वायुदूत सेवाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो वे सेवाएं कब आरम्भ की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) वायुदूत की बेलगांव से होकर हुबली और बम्बई के बीच सेवाएं परिचालित करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

बंगलौर शहर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के डीलरों के पास रसोई गैस के लिए पंजीकरण

1171. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के विभिन्न डीलरों के पास 31 मई, 1989 तक रसोई गैस के कनैक्शनों हेतु कितने आवेदन-पत्र पंजीकृत थे;

(ख) किस वर्ष और महीने तक के पंजीकृत व्यक्तियों को कनैक्शन दे दिये गये हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन का प्रत्येक तिमाही में, एजेंसी-वार, प्रतीक्षा सूची में कब तक के पंजीकृत व्यक्तियों को कनैक्शन दिये गये हैं के संबंध में और सूचना प्रकाशित करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1 अप्रैल, 1689 को बंगलौर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के 21 वितरकों के पास एल० पी० जी० कनैक्शनों के लिए लगभग 18100 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(ख) प्रतीक्षा सूची से कनैक्शन देने की तारीखें अलग-अलग वितरकों के पास अलग-अलग हैं। कुछ स्थानों पर जुलाई, 1987 तक सूची समाप्त हो गई है।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ऐजेंसीवार बनाकर की गयी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित नहीं करता, इसके एल० पी० जी० वितरकों को अन्य बातों के साथ-साथ अपने शो रूम में प्रतीक्षा सूची के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करनी होती है।

(1) पिछले दिवस की समाप्त पर प्रतीक्षा सूची की पंजीकरण संख्या।

(2) प्रतीक्षा सूची पर संख्या और लगाए गये पिछले कनैक्शन की तारीख।

कनाडा की तेल कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम

1173. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल की खोज, इसके उत्पादन और शोधन के क्षेत्रों में कनाडा की तेल कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) इस सहयोग के अल्पावधि और दीर्घावधि के विशिष्ट लाभ और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे उद्यमों की प्रौद्योगिकी, परियोजनाओं की लागत, विदेशी मुद्रा का बाहर जाना और अर्थ क्षमता के बारे में अन्य देशों की तुलना में कोई तुलनात्मक अध्यन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) पारस्परिक सहयोग को आगे बढ़ाए जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में एक

भारतीय शिष्टमण्डल ने कनाडा का दौरा किया था। पारस्परिक सहयोग से कतिपय संभावित क्षेत्रों का पता लगाया गया है। सम्भाविन वित्तीय सहायता के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया था। इस संबंध में आगे विचार-विमर्श के लिए आने वाले महीनों में कनाडा के शिष्टमण्डल के भारत की यात्रा पर आने की आशा है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई

1174. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की बहुत अधिक खपत को कम करने की दृष्टि से कलकत्ता के ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कारपोरेशन (जी० सी० एस० सी०) ने कोल इंडिया लि० के दनकुनी संयंत्र से औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयला गैस सप्लाई करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो खाना पकाने की गैस की तुलना में कोयला गैस का मूल्य कम है या अधिक और अवशिष्ट कोयले का कैसे प्रयोग किया जाएगा; और

(ग) अगर कलकत्ता का प्रयोग सफल हो जाता है तो क्या सरकार का अन्य स्थानों पर भी ऐसे कोयला गैस संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि कोयला खानों के आस-पास के क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस के स्थान पर कोयला गैस की सप्लाई की जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां। कलकत्ता और उसके आस-पास के औद्योगिक उपभोक्ताओं के वितरण के लिए दनकुनी कोल काम्प-लेक्स से ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कारपोरेशन (जी० सी० जी० एस० सी०) को कोयले की गैस की आपूर्ति करने के लिए कोल इंडिया लि० और ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कारपोरेशन के बीच एक व्यवस्था है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार यह गैस औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन तेल का विकल्प होगी, जबकि घरेलू क्षेत्र में यह पारम्परिक ईंधन जैसे साफ्ट कोककर, जलाऊ लकड़ी मिट्टी का तेल और एल० पी० जी० के स्थान पर प्रयोग में लाई जाएगी।

(ख) दनकुनी कोल काम्पलेक्स से कोयला गैस की लागत को कोयले की वर्तमान तथा अन्य सांविधिक शुल्क और लेवी के आधार पर 12.09 रु० प्रति थर्म लगाया गया है। घरेलू क्षेत्र में एल० पी० जी० की वर्तमान खुदरा कीमत 9.50 रु० प्रति थर्म है। गैस-आवश्यक औद्योगिक उप-भोक्ताओं के लिए, एल० पी० जी० की खुदरा कीमत 16.18 रु० प्रति थर्म है और रिफाइनरी से (एक्स-रिफाइनरी) थोक आपूर्ति की कीमत 10.95 रु० प्रति थर्म है।

दनकुनी कोल काम्पलेक्स के अवशिष्ट कोयले की आपूर्ति फाउन्डरियों, कोपालो कारबाइड उद्योगों, ऐरोएल्यास, चाय बागानों और औद्योगिक क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं को की जाएगी।

(ग) इस समय और कोयला गैस संयंत्रों को लगाए जाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयला-भटिंडा पाइप लाइन

1175. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 1330 किलोमीटर लम्बी कांडला-भटिंडा पाइपलाइन को मंजूरी प्रदान करने के बारे में स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना को मंजूरी प्रदान करने में देरी के कारण हैं और इसे कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी; और

(ग) देरी की वजह से लागत-व्यय में कितनी वृद्धि होगी और देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थों के सप्लाई पर इसका क्या असर पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) । (क) से)ग) गुजरात में कांडला से पंजाब में भटिण्डा तक 1330 किलो मीटर लम्बी उत्पाद पाइप-लाइन बिछाने का प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव का विस्तृत मूल्यांकन किया जाना है तथा उस पर निर्णय लेना है । इसलिए इन परिस्थितियों में यह कहना समयपूर्व होगा कि कब तक इसको अनुमोदित कर दिया जाएगा तथा इसमें क्या कठिनाइयां होंगी ।

पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

1176. डा० फूलरेणु गुहा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ऐसे जिलों और उप-मण्डल मुख्यालयों का ब्योरा क्या है जहां पर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र हैं ?

सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : इस समय पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित जिला मुख्यालय शहरों तथा उत-मंडलीय मुख्यालय शहरों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं :

जिला मुख्यालय शहर	उप-मंडलीय मुख्यालय शहर
वर्धमान	कुर्सियांग
कलकत्ता	अलीपुरद्वार
बेलूरघाट	खड़गपुर
दार्जिलिंग	मालदा
मेदिनीपुर	आसनसोल
बरहामपुर	शांति निकेतन (बोलपुर)

नई एन्टिबायोटिक्स औषधियों के विकास के लिए सोवियत सहयोग

1177. श्री प्रताप राव बी० भोसले : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ में तीसरे विश्व के देशों में वितरण किए जाने हेतु नयी एन्टिबायोटिक औषधियों के विकास हेतु सहयोग किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) इन नई एन्टिबायोटिक औषधियों के नाम क्या हैं और उनके अन्तर्गत कौन से क्षेत्र हैं;

(घ) इस सहयोग की शर्तें क्या है;

(ङ) इस प्रकार की संयुक्त उद्यमों के वित्त पोषण के लिए किन व्यवस्थाओं पर सहमति हुई है; और

(च) इस सहयोग करार के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर ऐसे संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (च) जैव-प्रौद्योगिकीय एन्टिबायोटिक्स सहित जैव-प्रौद्योगिकीय उत्पादों के विस्तृत क्षेत्र में विकास, उत्पादन और बिक्री के लिए सहयोग की सभावनाओं पर यू० एस० एस० आर० के साथ विचार विमर्श किया गया है फिर भी इन उत्पादों के विकास के लिए विशिष्ट ब्यौरों को अभी तैयार किया जाना है।

दूरदर्शन पर फीचर फिल्में

1178. **श्री शांताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन महीनों के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित की जाने वाली फीचर फिल्मों के नाम क्या हैं;

(ख) दूरदर्शन द्वारा प्रसारण के लिए प्राप्त की जाने वाली विभिन्न श्रेणियों की फीचर फिल्मों के लिए कितनी-कितनी धनराशि दी जाती है; और

(ग) क्या इस धनराशि में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) दूरदर्शन को निर्माताओं/अधिकार धारकों से, सप्ताह के अलग-अलग दिनों में अलग-अलग समय पर प्रसारण के लिए अनेक फीचर फिल्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके पूर्व दर्शन (प्रीव्यू) की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अच्छे दर्जे के प्रिंट उपलब्ध होने पर इन्हें प्रसारित करने का निर्णय लिया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की जाने वाली विभिन्न श्रेणियों की फीचर फिल्मों की अदा की जाने वाली रायल्टी की दरें निम्नलिखित हैं—

"ए" ग्रेड फिल्में	—5.00 लाख रुपए
"बी" ग्रेड फिल्में	—4.00 लाख रुपए
"सी" ग्रेड फिल्में	— 3.00 लाख रुपए

शुक्रवार को देर रात्रि में प्रसारित की जाने वाली हिन्दी और प्रादेशिक भाषा की फिल्मों के लिए 3.50 लाख रुपए प्रति फिल्म के हिसाब से भुगतान किया जाता है।

ब्लैक ऐण्ड व्हाईट फिल्मों की दरें उपर्युक्त दरों से 25 प्रतिशत कम हैं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए प्रस्ताव

1179. श्री शांताराम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन को अप्रैल 1989 से आज तक कितने धारावाहिकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) दूरदर्शन अथवा इस प्रयोजन के लिए गठित किसी समिति के समक्ष कितने लम्बित पड़े हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान कितने प्रस्ताव रद्द किए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) दूरदर्शन ने 7 मई 1986 से प्रायोजित धारावाहिकों के लिए नए प्रस्ताव स्वीकार करना बन्द कर दिया था। उसके बाद प्रस्ताव पंजीकृत नहीं किया गया है;

(ख) निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित धारावाहिकों की चार संशोधित स्क्रिप्ट, स्क्रीनिंग समिति के अनुमोदनार्थ लंबित हैं।

(ग) इस अवधि के दौरान धारावाहिकों के 17 प्रस्ताव रद्द किए गये।

बम्बई-गोवा मार्ग पर इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

1180. श्री शांताराम नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा-बम्बई मार्ग पर इंडियन एयरलाइन्स की कितनी उड़ानें होती हैं;

(ख) क्या हाल में उड़ानों की संख्या में कमी की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्धी में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो गोवा आने-जाने के लिए मांग पूरा करने हेतु पर्याप्त हवाई परिवहन उपलब्ध कराने के वास्ते क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स गोवा और बम्बई के बीच ए-300 की सप्ताह में चार और बी-737 का सप्ताह में पांच सेवाएं परिचालित करता है।

(ख) और (ग) परिचालन क्षमता की कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स को उड़ानों का आवृत्ति कम करनी पड़ी थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) यात्री मांग को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स नवम्बर, 1989 तक बम्बई और गोवा के बीच उड़ानों की संख्या में वृद्धि करेगी। जब कभी भी आवश्यकता होती है, इंडियन एयरलाइन्स विमानों की उपलब्धता के आधार पर इस सैक्टर पर अतिरिक्त उड़ानें परिचालित करती है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कटौती

1181. श्री शांतिलाल पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कटौती करने हेतु कुछ उपायों पर विचार किया गया है;

(ख) इस समय इनकी कुल मांग कितनी है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने पहले ही चालू वर्ष में इसकी मांग में 10 लाख टन की वृद्धि कर दी थी; और

(घ) यदि हां, तो इनमें कितनी कटौती की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में विभिन्न उपाय विनिर्दिष्ट किए गये/हाथ में लिये गये हैं।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग 54.161 मिलयन टन की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयल कारपोरेशन को विश्व बैंक से ऋण

1182. श्री शांतिलाल पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन से ऋण लेने के लिए विश्व बैंक से बातचीत शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ऋण देने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस ऋण से इंडियन आयल कारपोरेशन की परियोजना की आवश्यकताएं किस हद तक पूरी होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) जी, हां। विश्व बैंक ने इंडियन आयल कारपोरेशन की कुछेक परियोजनाओं के लिए 340 मिलियन अमरीकी डालर (560 करोड़ रुपये) तक के वित्त पोषण के लिए अपनी रुचि प्रदर्शित की है।

भारतीय होटल निगम का कारोबार

1183. श्री शांतिलाल पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय होटल निगम के कारोबार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान कुल कितनी आमदनी हुई;

(ग) वर्ष 1987-88 की तुलना में यह आमदनी कितनी अधिक है; और

(घ) इसकी आमदनी में और अधिक वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1988-89 के लिए अनन्तिम परिणामों के अनुसार, 1988-89 के लिए कुल राजस्व 39.09 करोड़ रुपये है जो वर्ष 1987-88 के लिए 37.35 करोड़ रुपये के कुल राजस्व से ऊपर 4.67% की वृद्धि दर्शाता है।

(घ) निगम की आय में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं—

(1) प्रत्येक एकक के लिए तीव्र विपणन कार्य नीति तैयार की गयी है।

(2) जहां भी आवश्यक हो भवनों का नवीकरण कार्य किया जाएगा।

(3) मुख्य विमान कंपनियों के साथ उनके कर्मीदल के सदस्यों को जब कभी वे भारत में हों, भारतीय होटल निगम के होटलों में ठहराने के लिए बातचीत चल रही है।

(4) सप्ताह के अन्त में आकूपेन्सी में वृद्धि करने के लिए पैकेज कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(5) सेन्टार लेक व्यू होटल और सेन्टोर होटल, जुहू बीच के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सम्मेलन आयोजनकर्ताओं का पता लगा लिया गया है।

दक्षिणी राज्यों में बिजली संकट

1184. श्री शांतिलाल पटेल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में बिजली संकट क्षेत्रीय औद्योगिक विकास के लिए बाधा बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो बिजली संकट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिजली की कमी को दूर करने हेतु कोई कार्रवाई की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) औद्योगिक उत्पादन कच्चे पदार्थों की उपलब्धता उत्पादों की मांग औद्योगिक संबंध उपस्करों की प्रणोदित बाध्यता प्रबन्ध दक्षता आदि जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करता है। अतः उत्पादन हानि की प्रमात्रा केवल विद्युत की

कमी के आधार पर नहीं निर्धारित की जा सकती है। चार राज्यों में अप्रैल 1989 जून 1989 के दौरान बिजली आपूर्ति की स्थिति कैसी रही इसका ब्यौरा निम्नानुसार है--

(आंकड़े मि० य० में)

	मांग	उपलब्धता	कमी	%कमी
आंध्र प्रदेश	4625	3850	775	16.8
कर्नाटक	4220	3288	932	22.1
केरल	1655	1252	403	24.4
तमिलनाडु	4915	3917	998	20.3
दक्षिणी क्षेत्र	15415	12307	3108	20.2

(ख) अप्रैल, 1989 से जून, 1989 के दौरान दक्षिणी राज्यों में बिजली की कमी पड़ने के मुख्य कारण ये थे। कर्नाटक को छोड़कर शेष सभी राज्यों के जल विद्युत जलाशयों में जल-स्तर का नीचा रहना, केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में कमी पड़ना एवं कुड्डापह के पास आंधी के कारण 4 संख्या की डी०/सी० 400 के० वी० टावरों के ढह जाने के कारण मई, 1989 में 400 के.वी. कुड्डापह-बंगलोर एवं कुड्डापह मद्रास लाइन द्वारा काम करना बन्द कर दिया जाना।

(ग) और (घ) दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये उपाय शामिल हैं नयी क्षमताओं को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता से अधिकाधिक उत्पादन करना पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, ऊर्जा संरक्षण के उपायों को क्रियान्वित करना, केन्द्र द्वारा प्रायोजितनवीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को कुछ केन्द्रों पर क्रियान्वित करना पड़ोसी प्रणालियों/राज्यों से यथा सम्भव सहायता प्राप्त करना।

पेनिसिलिन-जी का उत्पादन करने वाली परियोजनाएं

1185. श्री एस० बासवराजू :
श्री एच० एम० गुरद्दी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पेनिसिलिन जी का उत्पादन करने वाली कुछ परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल पूंजीनिवेश कितना होगा और इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा;

(ग) भारत पेनिसिलिन के उत्पादन के मामलों में किस सीमा तक आत्मनिर्भर होगा;

(घ) क्या कर्नाटक में ऐसा कोई एकक स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, हां।

(ख) इनमें लगभग 366 करोड़ रुपए का कुल निवेश अंतर्ग्रस्त है। इन परियोजनाओं को गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) यदि सभी स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वित कर दी जाएं तो पेंनिसिलीन के उत्पादन में भारत आत्म-निर्भर हो जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विमान टैक्सी सेवा

1186. श्री वी० एस० बासवराजू : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित विमान टैक्सी सेवा योजना के लिए अनेक स्थानों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और ऐसे चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सेवा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्तावित विमान में कितने यात्रियों के बैठने का स्थान होगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय नागरिकों अ-निवासी भारतीयों, राज्यों सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र द्वारा एयर टैक्सी सेवा परिचालित की जा सकती है। अनिवासी भारतीयों को अपने विदेशी मुद्रा स्रोतों से विमान के आयात की अनुमति दी जाएगी। एयर टैक्सी के लिए उपयोग विमान को अधिकतम बैठने की क्षमता 50 होगी। नागर विमानन महानिदेशक एअर टैक्सी सेवा के परिचालन को प्राधिकृत करेंगे। ऐसे मौजूदा हवाई अड्डों के नाम जहां से एयर टैक्सी सेवा को चलाने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण दिए गए हैं।

विवरण

भारत में एयर टैक्सी सेवा के लिए उपलब्ध विमान क्षेत्र की सूची

क्रम सं०	विमान क्षेत्र	जिस राज्य में विमान क्षेत्र स्थित है।
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश
2.	अहमदाबाद	गुजरात
3.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
4.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र

1	2	3
5.	बंगलूर	कर्नाटक
6.	बेलगांव	कर्नाटक
7.	भावनगर	गुजरात
8.	भोपाल	मध्य प्रदेश
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
10.	बम्बई	महाराष्ट्र
11.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
12.	कोचीन	केरल
13.	कोयम्बतूर (सुलूर)	तमिलनाडु
14.	डोबिलिम (गोवा)	(गोवा) केन्द्र शासित
15.	दिल्ली	केन्द्र शासित
16.	देहरादून	उत्तर प्रदेश
17.	डिब्रूगढ़	असम
18.	गुवाहटी	असम
19.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
20.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
21.	इंदौर	मध्य प्रदेश
22.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
23.	जयपुर	राजस्थान
24.	जमशेदपुर	बिहार
25.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
26.	कांडला	गुजरात
27.	खुजराहो	महाराष्ट्र
28.	कोटा	राजस्थान
29.	कुल्लू	हिमांचल प्रदेश
30.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
31.	मद्रास	तमिलनाडु
32.	मदुरै	तमिलनाडु
33.	मंगलौर	कर्नाटक

1	2	3
34.	मैसूर	कर्नाटक
35.	नागपुर	महाराष्ट्र
36.	नन्देड़	महाराष्ट्र
37.	नासिक	महाराष्ट्र
38.	पटना	बिहार
39.	पंतनगर	उत्तर प्रदेस
40.	पूना	महाराष्ट्र
41.	रायपुर	मध्य प्रदेश
42.	राजकोट	गुजरात
43.	रांची	बिहार
44.	राजमुंदरी	आंध्र प्रदेश
45.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र
46.	राउरकेला	उड़ीसा
47.	तिरूपति	आंध्र प्रदेश
48.	सूरत	गुजरात
49.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
50.	त्रिवेन्द्रम	केरल
51.	उदयपुर	राजस्थान
52.	बड़ोदरा	गुजरात
53.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
54.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
55.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश

तेल का निकाला जाना

1187. श्री जी० एस० बासवराजू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वर्तमान तेल क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले तेल की मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या तेल क्षेत्रों से और अधिक तेल निकालने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही के वर्षों में देश के विभिन्न तेल रिजरवायरों/क्षेत्रों में तेल प्राप्ति में 2 से 9 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) डेटा बेस में सुधार और अद्यतन डेटा विवेचयन तकनीकों और अधिक तेल निकालने के तकनीकों अर्थात् पौलिमेर प्लजिंग, कार्बन डाइआक्साइड इंजेक्शन आदि को लगाने से अधिक तेल की प्राप्ति सम्भव हुई है।

दक्षिणी राज्यों में विद्युत की उपलब्धता और मांग के बीच अन्तर

1188. श्री वी० एस० बासवराजू : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार दक्षिणी राज्यों में विद्युत की उपलब्धता और मांग के बीच अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपाय किए हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल-जून, 1989 के दौरान चार दक्षिणी राज्यों में वास्तविक विद्युत सप्लाई की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(आंकड़े करोड़ रु० में)

	मांग	उपलब्धता	कमी	%कमी
आंध्र प्रदेश	4625	3850	775	16.8
कर्नाटक	4220	3288	932	22.1
केरल	1655	1252	403	24.4
तमिलनाडु	4915	3917	998	20.3
दक्षिणी क्षेत्र	15415	12307	3108	20.2

(ख) अप्रैल, 1989 से जून, 1989 की अवधि के दौरान, दक्षिणी राज्यों में विद्युत की कमी की परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार मुख्य कारण इस प्रकार थे—कर्नाटक के अतिरिक्त सभी राज्यों में जल विद्युत जलाशयों में जल-स्तर कम होना, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों में विद्युत उत्पादन में कमी होना और कुडप्पा के समीप 4 डी०/सी० 400 के० वी० टावरों के गिर जाने के परिणामस्वरूप मई, 1989 में 400 के० वी० कुडप्पा-बंगलौर तथा कुडप्पा-मद्रास लाइनों का बन्द होना।

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें ये शामिल हैं—नई क्षमता शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता से ईष्टतम विद्युत उत्पादन प्राप्त करना, पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना और ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना, कुछ केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना, पड़ोसी प्रणालियों/राज्यों से यथासंभव सहायता प्रदान किया जाना।

अधिक परियोजनाओं हेतु इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० का प्रस्ताव

1189. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1989-90 के दौरान नौ परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में कुल कितना खर्च होगा;

(ग) किन-किन स्थानों पर इन परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी; और

(घ) क्या कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (ग) पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) ने बड़ौदा (गुजरात), नागोथाणे (महाराष्ट्र), आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और उत्तर प्रदेश में औरैया में कार्यान्वित किए जाने के लिए लगभग 4000 करोड़ रु० के 9 परियोजना प्रस्ताव किए।

(घ) जी, नहीं।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का निर्धारित समय पर आना-जाना

1190. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1989 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की 96 3 प्रतिशत विमान सेवाएं निर्धारित समय पर उड़ी और उतरीं;

(ख) यदि हां, तो इससे पहले विमानों की आने-जाने में विलम्ब होने के क्या कारण थे;

(ग) मई-जून, 1989 में कितने प्रतिशत विमान सेवाएं निर्धारित समयानुसार उड़ी तथा उतरीं; और

(घ) इस प्रतिशतता को भविष्य में और कितना बढ़ाया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जबकि अप्रैल, 1989 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की समग्र समय पाबंदी 75.57% थी, प्राथमिक विलंबों और उड़ान रद्द करने के आधार पर उड़ान शुरू करने की विश्वसनीयता 95.25% थीं।

(ख) जनवरी, 1989 से मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान प्राथमिक विलंबों और उड़ान रद्द करने के आधार पर उड़ान शुरू करने विश्वसनीयता 92.91% थीं जबकि समग्र समय पाबंदी 59.63% थी। अप्रैल, 1989 की तुलना में इस अवधि की अधिक की अधिक विलंब दर में वृद्धि खराब मौसम, अपर्याप्त विमान क्षेत्र सुविधाओं, विविध और परिणामी कारणों से हुई थीं।

(ग) मई और जून, 1989 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की समग्र समय पाबंदी 61.79% थी।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स में अधिकांश विलम्ब परिणामी कारणों से होते हैं। इंडियन एयरलाइन्स 1989 और 1992 के बीच अपने बेड़े में 31 एयरबस ए-320 विमान क्रमिक रूप से शामिल

कर रहा है जिससे अपेक्षित अन्तराल/वैकल्पिक क्षमता उपलब्ध हो जाएगी और उड़ानों में परिणामी विलम्ब न्यूनतम करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा उड़ानों की समय पाबंदी पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

"एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम" का आधुनिकीकरण

1191. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर "एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम" के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन में कुल कितना खर्च होगा; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) निधियां उपलब्ध होने पर, हवाई अड्डों पर पुरानी तकनीकी के उपकरणों को बदल कर या नयी सुविधाओं का प्रावधान करके संचार और दिक्चालन सुविधाओं को लगातार आधुनिक बनाया जाता है।

204 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियन्त्रण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरण निम्न प्रकार है :—

(क) हवाई मार्ग निगरानी राडार और हवाई अड्डा निगरानी राडार के साथ सह-स्थापित मोनोपल्स सेकेन्डरी निगरानी राडार;

(ख) मोनोपल्स सेकेन्डरी निगरानी राडारों के साथ परिचालनों के अनुकूल आधुनिक टर्मिनल एप्रोच राडार;

(ग) विमान क्षेत्र भू-खोजी उपस्कर;

(घ) उड़ान डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली;

(ङ) राडार डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली;

(च) ध्वनि नियन्त्रण संचार स्विचिंग प्रणाली;

(छ) दिल्ली के लिए श्रेणी-III उपस्करण अवतरण प्रणाली और बम्बई के प्राथमिक और द्वितीय धावन पथों के लिए श्रेणी-II उपस्करण अवतरण प्रणाली; और

(ज) टर्मिनल अति उच्च आवृत्ति ओमनी रेन्ज और सह-स्थापित दूरी मापक उपकरण।

कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को सहायता

1192. प्रो० के० वी० थामस : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को कुल कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) क्या दी गई सहायता का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) 1988-89 के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा केरल राज्य बोर्ड को 17.40 लाख रु० आबंटित किए गए थे।

(ख) जी हां।

उत्तर रामायण के लिए समिति

1193. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दूरदर्शन धारावाहिक "उत्तर रामायण" की जांच हेतु एक समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति का गठन कर लिया गया है;

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति के विचाराधीन विषय क्या है; और

(घ) इस समिति को कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी): (क) से (घ) चूंकि दूरदर्शन धारावाहिक "उत्तर रामायण" की कुछ शृंखलाओं के संबंध में विवाद खड़ा हो गया है, अत: उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिये हैं कि वह पूर्व प्रसारण स्क्रीनिंग समिति में निम्नलिखित तीन व्यक्तियों को सहयोजित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेष शृंखलाओं में किसी प्रकार की विकृति न हो :—

(1) डा० मंडन मिश्र, निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली

(2) डा० विजयेन्द्र स्नातक, दिल्ली विश्वविद्यालय।

(3) श्री रमानाथ अवस्थी, भूतपूर्व मुख्य निर्माता, हिन्दी उच्चारित शब्द, आकाशवाणी।

ये सदस्य स्क्रीनिंग समिति में शामिल कर लिये गये हैं और उन्होंने "उत्तर रामायण" की शेष शृंखलाओं का पूर्वावलोकन आरम्भ कर दिया है।

उड़ीसा को मिट्टी के तेल की आपूर्ति

1194. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के प्रथम 6 महीनों के दौरान उड़ीसा को प्रतिमाह कितने मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया;

(ख) क्या राज्य को आबंटित किया गया मिट्टी का तेल इसकी मांग से बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989 शेष महीनों के दौरान उड़ीसा को मिट्टी के तेल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) उड़ीसा सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की मांग का अनुमान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटन में उचित वृद्धि दर जोड़कर लगाया जाता है और उसके अनुसार आबंटन किया जाता है । इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, एल० पी० जी० की कमी आदि जैसी विशेष स्थितियों से निपटने के लिए नियमित आबंटन के अतिरिक्त तदर्थ आबंटन भी किया जाता है ।

वर्ष 1989 के पहले 6 महीनों के दौरान उड़ीसा राज्य को उपर्युक्त नीति के अनुसार किए गए कुल आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

महीना	नियमित आबंटन	तदर्थ आबंटन	कुल आबंटन
जनवरी 89	1'650	1265	12915
फरवरी 89	11650	1265	12915
मार्च 89	9995	1265	11660
अप्रैल 89	9995	1265	11260
मई 89	9995	1265	11260
जून 89	9995	1765	11760

मानसून ब्लाक (जुलाई-अक्तूबर 89) के लिए 12025 टन प्रति माह की दर से आबंटन किया गया है . वर्तमान नीति के अनुसार उड़ीसा को मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है, जो राज्य में सही उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त माना गया है ।

1989 में भी इस नीति को जारी रखने का प्रस्ताव है।

दवाइयों का थोक मूल्य सूचकांक

1197. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 और मई 1989 को समाप्त हुई अवधि में दवाइयों का थोक मूल्य सूचकांक क्या था,

(ख) कौन से औषध और परिष्कृत दवाएं थोक मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत आती हैं और वे कौन सी दवाइयां हैं जिनके मूल्य में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है, और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) ; (क) से (ग) अपेक्षित ब्यौरे, जो भी उपलब्ध होंगे, एकत्र किए जायेंगे और सभा-पटल पर रख दिए जायेंगे।

तलचेर ताप विद्युत केन्द्र, उड़ीसा

1199. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के तलचेर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत की अनुमानित संशोधन लागत क्या है;

(ख) इसमें से केन्द्रीय सरकार, विश्व बैंक और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कितनी-कितनी धन राशि वहन की जाएगी; और

(ग) संयंत्र में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा० ता० वि० नि०) द्वारा क्रियान्वयनाधीन उड़ीसा में तलचेर में सुपर ताप विद्युत केन्द्र की अनुमोदित अनुमित लागत 1480.85 करोड़ रुपए है।

(ख) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से 375 मिलियन अमरीकी डालर तथा फ्रांस के ऋण के रूप में 612.7072 मिलियन फ्रैंज (एफ० एच०) की विदेशी सहायता उपलब्ध है। इस परियोजना के लिए रा० ता० वि० नि० आंतरिक संसाधनों से लगाई गई राशि लगभग 271 करोड़ रुपए है। शेष लागत सरकार के संसाधनों से पूरी की जाएगी।

(ग) इस परियोजना की पहली तथा दूसरी यूनिट को प्रचालन क्रमशः अप्रैल, 1994 तथा मार्च, 1995 के लिए अनुसूचित है।

इब घाटी से विस्थापितों का पुनर्वास

1120. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इब घाटी में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना से कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित परिवारों के सदस्यों को कुछ नौकरियां देने के लिए कोई प्रबंध किया है;

(घ) यदि हां, तो कितने स्थानीय युवकों को विशेषकर विस्थापित परिवारों के युवकों को नौकरी मिली है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल इंडिया लिमिटेड में भंडार केन्द्रों में सुधार

120?. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड में संचार नेटवर्क में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल करने के लिए इस संबंध में क्या विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोल इंडिया लि० में दूर संचार नेटवर्क में सुधार लाने के लिए मैसर्ज टेलीकम्युनीकेशन्स कन्सलटेन्ट इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कोल इंडिया लि० के मुख्यालय, कलकत्ता और सहायक कंपनियों के मुख्यालयों के बीच दूर-संचार संबंधी प्रारम्भिक सम्पर्क (इनिशल लिंक्स) स्थापित कर दिए गए हैं। आवाज और डाटा के लिए डी० ओ० टी० के संगठनात्मक ढांचे का प्रयोग करते हुए स्थायी संचार लिंक्स की स्थापना के लिए एक योजना चरणों में क्रियान्वयन के अधीन है। इस योजना के पूर्ण होने पर, यह सभी कम्पनियों के मुख्यालयों और दूरस्थ क्षेत्रों में विश्वसनीय आवाज और डाटा के लिंक्स सेवा प्रदान करेगी। इस योजना के अन्तर्गत, सिंगरौली कोलफील्ड्स को भूमि केन्द्र (अर्थ-स्टेशन) के द्वारा पहले ही मुख्यालयों के साथ जोड़ दिया गया है।

(ख) उपलब्ध डाक व तार संचार सुविधाओं के आधार पर भूमि पर आधारित एम० ए० आर० टी०/एच० एफ०/वी०एच०एफ० द्वारा सहायक कंपनी मुख्यालयों और विशिष्ट क्षेत्रों वाकारियों वर्कशापों, बचाव केन्द्रों आदि के बीच संचार लिंक्स की स्थापना करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। डी० ओ० टी० एस० आर. ए. बी. एम. एन. टर्मिनलों और एम. ए. आर. टी. प्रणाली को विस्तृत किए जाने के द्वारा यूनिट स्तर से सहायक कम्पनी मुख्यालयों से डाटा फ्लो चैनल को और सुदृढ़ बनाए जाने का भी प्रस्ताव है।

कोयला कम्पनियों के लिए परिव्यय

1203. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा 1989-90 के लिए विभिन्न कोयला कम्पनियों के लिए कुल कितने परिव्यय की मंजूरी प्रदान की है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) योजना आयोग ने वर्ष 1989-90 के लिए कोयले और लिग्नाइट क्षेत्र के लिए 2261 करोड़ रु० के परिव्यय की मंजूरी दी है। परिव्यय का कम्पनीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के लिए कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के लिए कच्चे कोयले के कुल 205.0 मि० टन के उत्पादन की योजना बनाई गई है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1988-89 की अवधि में वास्तविक उत्पादन 190.15 मि. टन हुआ था। वर्ष 1989-90 में लगभग 15 मि. टन के उत्पादन की वृद्धि मुख्यतः वर्तमान खानों और पहले से मंजूर की गई परियोजनाओं के कारण होगी। उत्पादन में योजनागत वृद्धि प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं के समय पर

पूरा किए जाने, श्रमशक्ति की उत्पादकता में सुधार करने और उपकरणों, आदि का बेहतर प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है।

विवरण

कम्पनी का नाम	वर्ष 1989-90 के लिए परिव्यय (करोड़ रुपए में)
1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	245.00
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	235.00
3. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	235.00
4. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	465.00
5. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	198.00
6. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	385.00
7. केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०	11.90
8. अन्य (नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स दनकुनी, को० ई० लि०, हेडक्वाटर)	25.10
कोल इंडिया लिमिटेड के लिए कुल परिव्यय	1800.00
सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० के लिए परिव्यय	211.00 (जिसमें 11 करोड़ रु० का राज्य सरकार का अंशदान शामिल है)
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० के लिए परिव्यय*	250.00

*नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिग्नाइट क्षेत्र के लिए उपर्युक्त परिव्यय के अतिरिक्त नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के विद्युत क्षेत्र के लिए 572 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

सागर तटवर्ती राज्यों में ज्वारीय तरंगों पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1204. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ सागर तटवर्ती राज्यों में ज्वारीय तरंगों पर आधारित कुछ विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन सागर तटवर्ती राज्यों के क्या नाम हैं जहां ज्वारीय तरंगों पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार किया गया है; और

(ग) उन राज्यों में ज्वारीय तरंगों पर आधारित कितने विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 900 मेगावाट क्षमता का एक ज्वारीय विद्युत संयंत्र कच्छ की खाड़ी, गुजरात में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विद्युत क्षेत्र के लिए धनराशि का आवंटन

1206. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इस धनराशि में से उक्त वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या उक्त वर्षों के लिए आवंटित पूरी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

करोड़ रुपए में

वर्ष	आवंटित राशि	व्यय
1986-87	7405.71	6793.64
1987-88	8280.91	6989.21
1988-89	9584.08	8733.33 (प्रत्याशित)

(ग) जी, नहीं।

(घ) व्यय में कमी विभिन्न कारणों से रही है, जिनमें ये शामिल हैं—परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होना, राज्य सरकारों द्वारा निधियां जारी करने के संदर्भ में विद्युत परियोजनाओं को दी गई सापेक्ष प्राथमिकता, भूमि-अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याएं, आर्डर देने और उपकरणों की सप्लाई में देरी होना।

जम्मू तथा कश्मीर में वायुदूत सेवाएं

1207. श्री जनक राज गुप्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजौरी से मेंढ़र, मेंढ़र पूंछ तथा पूंछ से श्रीनगर और वापसी के लिए वायुदूत सेवा का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की कठिनाई और परिचालनात्मक हवाई क्षेत्रों के अभाव के कारण वायुदूत की तत्काल विस्तार योजना में इन स्टेशनों को शामिल करना संभव नहीं है।

पुंछ और राजौरी, जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन टावर

1208. श्री जनक राज गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तहसील समोऊ-कोटे (पुंछ) और थाना मंडी, थहरहाल (राजौरी) में दूरदर्शन टावर उपलब्ध न होने के कारण इन क्षेत्रों के निवासी दूरदर्शन कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं जबकि पाकिस्तान दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रम इन क्षेत्रों में स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य के इन पर्वतीय सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों में दूरदर्शन टावर स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जम्मू और कश्मीर के पुंछ तथा राजौरी जिलों के काफी हिस्से पुंछ के उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा राजौरी के 2 × 10 वाट दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र आते हैं। तथापि, बीच में पड़ने वाले भू-भागों के कारण इन जिलों के कुछ हिस्सों में दूरदर्शन की संतोषजनक सेवा प्राप्त होने की आशा नहीं है। बताया जाता है कि इन जिलों में सीमा पार के ट्रांसमीटरों से टी० वी० सिगनल प्राप्त होते हैं। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि सीमा पार के लोग दूरदर्शन कार्यक्रम भी देखते हैं।

(ख) से (घ) सातवीं योजना की अवधि में दूरदर्शन स्कीम के एक भाग के रूप में पुंछ में कार्यरत 10 किलोवाट दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति को 20 किलोवाट तक बढ़ाने का विचार है। इस परियोजना की प्रारंभिक अवधि लम्बी है तथा परियोजना स्थल पर निर्माण काम शुरू होने के बाद इसके पूरा होने में 3-4 वर्ष का समय लगने का अनुमान है। इस ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर पुंछ तथा राजौरी जिलों में दूरदर्शन सेवा के काफी मजबूत हो जाने की आशा है। तथापि, इस समय समोऊ कोटे, थाना मंडी और थहरहाल में अलग दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। इस क्षेत्र में (ऐसे छिपत वेस के अन्य भागों में भी) दूरदर्शन सेवा को और सुदृढ़ करने का काम, इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाएगा।

जम्मू में तेल और गैस के लिए खोज

1209. श्री जनक राज गुप्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जम्मू के सरनसार क्षेत्र में आठवें दशक से ही तेल और प्राकृतिक गैस पाये जाने का पता लगाने के लिए कुंओं की खुदाई कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक सुरिनसर-1 नामक एक कूप की खुदाई की है जिसे तकनीकी कारणों से छोड़ दिया गया था। सुरिनसर-2 नामक कूप में खुदाई चल रही है और इसके प्रतिफल के बारे में पता खुदाई एवं परीक्षण के समाप्त होने के बाद ही चल सकेगा।

पीतमपुरा टी० वी० टावर

1210. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा टी० वी० टावर की स्थापना के बाद से दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण में नियमित रूप से रुकावटें आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रुकावटों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) पीतमपुरा दूरदर्शन टावर के चालू हो जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली दूरदर्शन के कवरेज क्षेत्र में दोनों दूरदर्शन चैनलों पर कुल मिलाकर तस्वीर और आवाज में पर्याप्त सुधार हुआ है। तथापि बहुमंजिला इमारतों आदि के प्रतिबिम्बन (रिफ्लेक्शन) के कारण महानगर क्षेत्र के कुछेक हिस्सों में तस्वीर और आवाज में रुकावट आती है। ऐसे क्षेत्रों में रिसीविंग एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर अथवा टी० वी० सैट मालिकों द्वारा एंटीना को फिर से उचित रूप से/उचित स्थान पर लगाकर इस रुकावट को कम से कम किया जा सकता है।

कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी असाधारण वातावरण परिस्थितियों के कारण अनियमित प्रसारण के जरिए दूर के विदेशी टी० वी० सिग्नल प्राप्त होने से चैनल-1 की तस्वीर और आवाज में रुकावट देखी गई है। यह रुकावट नियमित और लगातार नहीं होती।

नगर में बिजली फेल हो जाने से भी सेवा में रुकावटें आती हैं। सेवा में थोड़ी देर के लिए रुकावट हर बार उस समय आती है जब बिजली की सप्लाई का कनैक्शन मेन से बदलकर सहायक डीजल जनरेटर या डीजल जनरेटर से हटाकर मेन के साथ कर दिया जाता है।

विमान दुर्घटनाएं

1211. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मालवाही विमानों की हुई विमान दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) चालू वर्ष में राष्ट्रीय विमान कंपनी का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

गुजरात में "टूरिस्ट लाज" का निर्माण

1212. श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए गुजरात में टूरिस्ट लाजों के निर्माण हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए पर्यटक आवास का निर्माण करने हेतु गुजरात सरकार को वित्तीय सहायता दी है । ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(I) अहमदपुर, मांडवी में हवेली कुटीरें;

(II) लिम्बडी में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं;

(III) नारगोल में समुद्रतट कुटीरें;

(IV) अंकलेश्वर में मोटल;

(V) तिथल में कुटीरों का निर्माण;

(VI) पावागढ़ में शयनागारों का निर्माण;

(VII) डाकोर में यात्री निवास; और

(VIII) सपुतारा पर्वतीय विहार-स्थल में 5 "ए" टाइप कुटीरों और 5 "बी" टाइप कुटीरों का निर्माण।

बिहार में विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता

[हिन्दी]

1213. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पाद क्षमता का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार में अपर्याप्त विद्युत सप्लाई को ध्यान में रखते हुए उक्त केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उन विद्युत परियोजनाओं के क्या नाम है जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) उनकी क्षमता में की जाने वाली वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)
ताप विद्युत	
पतरातू	840
बरोनी	365
मुजफ्फरपुर	220
कुल (ताप विद्युत)	1425
जल विद्युत	
कोसी	20
स्वर्ण रेखा	130
कुल (जल विद्युत)	150

(ख) से (घ) पतरातू तथा मुजफ्फरपुर विद्युत केन्द्रों में प्रत्येक में 2×210 मेगावाट अतिरिक्त यूनिटों के प्रतिष्ठान के जरिए इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करना

[अनुवाद]

1214. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों को 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार कितने आशय-पत्र जारी किए गए; और

(ख) उड़ीसा के विभिन्न भागों में इन सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों/कम्पनियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले विभिन्न उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने हेतु 1986, 1987, 1988 तथा 1989 (30 जून, 89 तक) के दौरान कुल 63 आशय पत्र जारी किये गये। इन 63 आशय पत्रों में से, 30 आशय पत्र सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को मंजूर किए गये और 33 आशय पत्र गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को मंजूर किये गये।

(ख) सभी स्वीकृत आशय पत्रों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का ब्यौरा भारतीय

निवेश केन्द्र द्वारा नियमित रूप से अपने मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जा रही हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा में स्थापित मिनी/माइक्रो/लघुपन बिजली परियोजनाएं

1215. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने देश कुछ माइक्रो/मिनी/लघुपन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा उड़ीसा में अब तक ऐसी कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं की क्षमता क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं में उत्पादन शुरू हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) निगम ने उड़ीसा में अभी तक ऐसी कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम के वित्तीय सहयोग से अन्य राज्यों में कार्यान्वयनाधीन मिनी/माइक्रो/लघु जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता लगभग 4 मेगावाट है।

(घ) से (ङ) उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है।

केरल को पैराफीन वैक्स का आबंटन

1216. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को दिये जाने वाली पैराफीन वैक्स के आबंटन में कोई कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल को पैराफीन वैक्स का आबंटन राज्य सरकार द्वारा किए गये अनुरोध तक बढ़ा दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) पैराफीन मोम एक कमी वाला उत्पाद है और राज्य सरकारों को इसका आबंटन इसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय पैराफीन मोम की उपलब्धता केरल सहित विभिन्न राज्यों में यूनिटों की निर्धारित क्षमता की तुलना में कम है। सीमित उपलब्धता को देखते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को पैराफीन मोम का आबंटन आनुपातिक आधार पर किया जा रहा है।

दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम मार्ग पर एयरबस ए-320 का चलाया जाना

1217. प्रो० के० वी० थामस क्या : नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम और बम्बई-कोचीन मार्ग पर हाल ही में खरीदे गए एयरबस-320 को चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में नये एयरबस की सेवाएं कब से प्रारम्भ की जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स 1991-92 तक 31 एयरबस ए-320 विमान परिचालित करने की कारंवाई कर रहा है। इन विमानों से अपने विमान बेड़े में वृद्धि कर लेने के बाद, इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली गोवा-कोचीन-तिरुवनपुरम और बम्बई-कोचीन सेक्टरों पर एयरबस ए-320 विमान चलाने की योजनाएं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

1218. श्री सी० डी० गामित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा/ करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और इस प्रयोजनार्थ व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हानि होने के कारण हैं और क्या सरकार ने घाटे पर चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने हेतु कोई ठोस नीति तैयार की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 1989-90 के बजट के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के लिए 1988-89 के लिये कुल मिलाकर योजना परिव्यय की संशोधित अनुमानों की राशि 13,532.61 करोड़ रुपये है। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम का ब्यौरा 8 फरवरी 1989 को सभा पटल पर रखे व्यय बजट, खण्ड-1, 1989-90 में विवरण संख्या 13 में दिया गया है। 1988-89 के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा खर्च की गयी राशि का ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हानि के कारण एक उद्यम से दूसरे उद्यम में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं। सामान्यत: ये है। कच्चे माल तथा काम में आने वाली सामग्री की अनुपलब्धता, अप्रचलित तथा पुरानी प्रोद्योगिकी, संयंत्र तथा उपस्करों का जीर्ण हो जाना, बिजली की अत्यधिक कमी बार-बार बिजली की खराबी, मांग की कमी, कर्मचारियों की अधिकता, औद्योगिक संबंधों की समस्याएं आदि। सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अधिकाधिक लाभकारिता सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयास करती रहती है। उद्यम विशेष के लिए उपाय किए जा रहे हैं तथा इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। सामान्यत: सरकार ने हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं जिनमें इसके परिवीक्षण तथा सूचना पद्धति में सुधार करना, धारक कम्पनियों के गठन के माध्यम से संगठनात्मक पुनर्गठन करना, समझौता

ज्ञापन की अवधारणा लागू करना, तेजी से निर्णय लेने के लिए बढ़ी हुई शक्तियां सौंपना, प्रौद्योगिकी उन्नयन पर अधिकाधिक जोर देना, पुराने संयंत्रों का पुनरुद्धार करना, आधुनिकीकरण तथा इष्टतमीकरण, ऊर्जा का निरन्तर अन्तर्वाह सुनिश्चित करने के लिए निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की व्यवस्था करना, सुधरी हुई अनुरक्षण प्रबन्ध प्रक्रियायें, भाग लेने योग्य प्रबंधन अपनाना आदि शामिल हैं।

गुजरात में क्वास बिजली घर

1219. श्री सी० डी० गामित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सूरत जिले में क्वास में बिजली घर का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और यह कब से कार्य करना शुरू करेगा;

(ख) इस बिजली घर पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है और पैदा की गयी बिजली की प्रति यूनिट लागत कितनी होगी; और

(ग) इस बिजली घर से गुजरात और अन्य राज्यों को प्रतिदिन कितनी बिजली सप्लाई की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गैस पर आधारित क्वास विद्युत परियोजना की गैस टरबाईन यूनिटों तथा टरबाईन यूनिटों पर निर्माण कार्य की क्रमशः वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 तक पूरा हो जाने की संभावना है। तत्पश्चात् यूनिटों के कार्य करने की प्रत्याशा है।

(ख) गैस पर आधारित क्वास विद्युत परियोजना को 410.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर (1985 की चौथी तिमाही के मूल्य स्तर पर) अनुमोदित किया गया था तथा इस लागत के आधार पर प्रति यूनिट विद्युत की कीमत लगभग 90 पैसे आंकी गयी है।

(ग) क्वास परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट होगी तथा गुजरात समेत पश्चिमी क्षेत्र में विभिन्न लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों की आपूर्ति की जाएगी।

रामागुंडम विद्युत केन्द्र से केरल के लिए विद्युत पारेषण सुविधाएं

[अनुवाद]

1220. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य सरकार अपर्याप्त सप्लाई व्यवस्था के कारण केन्द्रीय पूल से आबंटित विद्युत का पूरा कोटा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने मैसूर से इडुक्की तक विद्यमान लाइन के साथ जोड़ने के लिए बंगलौर से मैसूर तक एक लाइन डालने का अनुरोध किया है ताकि रामगुंडम विद्युत केन्द्र से पर्याप्त पारेषण सुविधाएं उपलब्ध हो सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केरल तथा केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के बीच में किसी प्रकार का सीधा लिंक न होने के कारण दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से केरल को विद्युत का हिस्सा कर्नाटक तथा तमिलनाडु पारेषण प्रणाली के जरिए अंतरण द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। कभी-कभार प्रणाली प्रचालनात्मक समस्याओं, अर्थात् प्रचालन आवार्तता में असामंजस्य, असंतोषजनक वोल्टता स्थिति, पारेषण लाइनों की कमबंदी आदि के कारण केरल को कम सप्लाई होती है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत प्रणालियों पर किए अध्ययनों के आधार पर यह पाया गया है कि मैसूर में 400 कि० वा० उप-केन्द्र की स्थापना तथा बंगलौर के साथ इस संबंध केवल तभी करना अपेक्षित होगा जब 1997-98 में रा० ता० वि० नि० के मंगलोर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-दो की 500 मेगावाट की पहली यूनिट को प्रचलित कर दिया जाएगा। वर्तमान में मैसूर उप-केन्द्र 200 कि० वो० एकक परिपथ लाइन के जरिए बंगलौर तथा शिमोगा के सम्बद्ध है तथा केरल को विद्युत की आपूर्ति कर्नाटक प्रणाली से जरिए 220 कि० वो० मैसूर-कोजीकोड इकिकी लाइन के जरिए की जाती है।

त्रावणकोर हाऊस को सौंपना

1221. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या उद्योग मन्त्री त्रावणकोर हाऊस केरल सरकार को सौंपने के बारे में 4 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर हाऊस के बदले में एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग को आबंटित नए कार्यालय परिसर में कक्ष बनाने, फिटिंग करने, लाइट आदि लगाने से सम्बन्धित कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) आयोग अपने नए कार्यालय परिसर में कब तक स्थानांतरित हो जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) आयोग को इस बीच वैकल्पिक आवास देने का प्रस्ताव किया गया है और मामले पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही आबंटन के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और नवीकरण/परिवर्तन से संबंधित कार्य पूरा हो जाएगा वैसे ही आयोग का विचार नए परिसर में स्थानान्तरित होने का है।

अहमदाबाद विमान दुर्घटना के मृतकों के आश्रितों को मुआवजा

1222. **श्री हरूभाई मेहता** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1988 में अहमदाबाद हवाई अड्डे के निकट हुई विमान दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को कितने मामलों में मुआवजा दे दिया गया है; और

(ख) मुआवजा किस तारीख को दिया गया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 90 मामलों में मुआवजा दे दिया गया। इसके अलावा, 2 मामलों का निपटान आंशिक रूप से कर दिया गया है।

(ख) मृत यात्रियों के आश्रितों को अदा की गयी मुआवजे के भुगतान की तारीख को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मृत यात्रियों के आश्रितों को अदा की गयी मुआवजे के भुगतान की तारीख

क्रम सं०	यात्री का नाम	निपटान की तारीख
1.	डी० जे० मेंडोनका	4 नवम्बर, 1988
2.	वाई० सामान्त	5 दिसम्बर, 1988
3.	पी० एस० वासवड़ा	20 जुलाई, 1989
4.	एन० बाली	15 नवम्बर, 1988
5.	बी० टाकड.	4 नवम्बर, 1989
6.	ए० पावल	9 दिसम्बर, 1988
7.	ए० एच० विकसित	7 दिसम्बर, 1988
8.	डी० नरसिंहम	13 जनवरी, 1989
9.	विनोद आर० त्रिपाठी	29 जून, 1989
10.	एम० आर० बावडे	8 नवम्बर, 1988
11.	एम० करात के स्थान पर एम० सोनी	8 फरवरी, 1989
12.	एस० के० पाली	5 दिसम्बर, 1988
13.	के० आर० मिस्त्री	14 जनवरी, 1989
14.	पी० कमानी	20 जुलाई, 1989
15.	बी० शाह	2 दिसम्बर, 1988
16.	के० के० शाह	7 नवम्बर, 1988
17.	आर० आर० शाह	6 जनवरी, 1989
18.	बी० आर० शाह	6 जनवरी, 1889
19.	पी० आर० शाह	6 जनवरी, 1989

20.	के० वेंकटरमण	12 दिसम्बर, 1988
21.	वी० आर० व्यास	12 दिसम्बर, 1988
22.	सुब्रह्मण्यिम	20 नवम्बर, 1988
23.	के० एन० मूर्ति	6 दिसम्बर, 1988
24.	डी० सन्तोष	20 जुलाई, 1989
25.	एम० खूबचन्द	21 फरवरी, 1989
26.	एस० हाजी	21 फरवरी, ए-1989
27.	वैद्य हिमांशु	29 नवम्बर, 1988
28.	बी० लेजार्ड	2 नवम्बर, 1988
29.	टी० राजू	20 नवम्बर, 1988
30.	एन० निमकर	5 दिसम्बर, 1988
31.	बी० शाह	12 दिसम्बर, 1988
32.	आर० सी० मेहता	1 दिसम्बर, 1988
33.	ई० अलाउस	21 मार्च, 1989
34.	एल० अलामाऊ	16 दिसम्बर, 1988
35.	वी० मुकुन्दन	21 नवम्बर, 1988
36.	एस० शास्त्री	5 दिसम्बर, 1988
37.	डी० गंजावाला	20 दिसम्बर, 1988
38.	एस० एन० शाह	29 नवम्बर, 1988
39.	शरीफ भाई डोडिया के स्थान पर ए० पी० शाह	 20 मार्च, 1989
40.	गुलाम अब्बास	16 जनवरी, 1989
41.	एम० वल्लभदास	6 जनवरी, 1989
42.	एम० आई० पटेल	5 दिसम्बर, 1988
43.	एम० मुल्ला	17 दिसम्बर, 1988
44.	डा० पी० बार	10 जनवरी, 1989
45.	आर० डी० देसाई (एफ)	3 जनवरी, 1989
46.	एम० आर० (एफ)	3 जनवरी, 1989
47.	कृष्ण	10 जनवरी, 1989

48.	जे० लाल	3 जनवरी, 1989
49.	के० शर्मा	17 नवम्बर, 1988
50.	आर० शाह (नवजात शिशु)	14 दिसम्बर, 1988
51.	श्याम शाह (नवजात शिशु)	14 दिसम्बर, 1988
52.	आर० एम० शाह (एफ)	14 दिसम्बर, 1988
53.	आर० एम० शाह	14 दिसम्बर, 1988
54.	एस० राजीव (एफ)	29 मई, 1989
55.	श्रीमती चन्द्रिका जोशी	13 जनवरी, 1989
56.	तुषार जोशी	13 जनवरी, 1989
57.	ए० जे० पारेख	7 नवम्बर, 1988
58.	ए० एम० कामथ	20 दिसम्बर, 1988
59.	वी० रवीशंकर	6 मार्च, 1989
60.	डी० ए० शुक्ला	7 नवम्बर, 1987
61.	एल० वल्लभ दास	6 जनवरी, 1989
62.	एच० डी० गांधी	14, फरवरी, 1989
63.	जे० के० लाला	29 नवम्बर, 1988
64.	व्यास राजीव	14 जून, 1989
65.	एस० पी० वी० शिवराम	16 जून, 1989
66.	एन० वी० राव (एफ)	6 जुलाई, 1989
67.	तेहरा खातून (एफ)	19 जून, 1989
68.	डा० एल० आर० भंडारी	
69.	चन्द्रिकाबेन सोनी	
70.	हिरल सोनी (अव्यस्क)	
71.	केवल सोनी (अव्यस्क)	1 मई, 1989 से 13 जून, 1 89
72.	डा० सुरेन्द्र पी० शाह	
73.	श्याम सुन्दर जी लवसी	
74.	घनश्याम भाई ए० पटेल	
75.	एच० सी० पुंजरा	
76.	रंजीत भाई एस० पटेल	

77. शिरीश भाई शाह 1 मई, 1989 से 13 जून, 1989

78. नरेन्द्र भाई जे० पटेल

79. क्रिसटिस मार्क फ्रेंक

80. रंछोभाई एम० पटेल

81. निकुंज आर० ढेबर

82. शरद चन्द्र बी० पटेल

83. मुंशी मोहम्मद हसन मोहम्मद शफी

84. भारत जी० हिरानी 1 मई, 1989 से 13 जून, 1989

85. सुनील बी० शाह

86. ईस्वी अब्दुल मार्टिन

87. किशोरी सुबोध चन्द्र गांधी

88. कीरती भाई कोठारी

89. गोबिन्द देव गुप्ता

90. रमेश भाई पांचाल

आंशिक निपटारा

1. मास्टर जे० बी० राव 6 जुलाई, 1989

2. मास्टर जीत राव 6 जुलाई, 1989

पारेषण में ऊर्जा की क्षति

1223. प्रो० श्री० जे० कुरियन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पारेषण में कुल कितनी ऊर्जा की क्षति होती है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कोई सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पारेषण में क्षति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) वर्ष 1985-86 1986-87 तथा 1987-88 (अनुमानित) के दौरान पारेषण तथा वितरण हानियां क्रमश: 21.74% 21.5% तथा 22.12% हुई है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिये राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्हें अधिक हानियों के लिए जिम्मेवार प्रणाली घटकों को अभिज्ञात करने के लिये ऊर्जा लेखा-परीक्षा करने, वोल्टता स्थिति को सुधारने के

लिए कैपेसिटरों को प्रतिष्ठापित करने, पारेषण एवं वितरण प्रणाली को प्रबलित एवं सुधारने के लिये प्रणाली सुधार स्कीमों को तैयार करने, ऊर्जा की चोरी रोकने के लिये अंकित सीलों द्वारा बन्द किये गए ऐसे मीटर बक्सों जिनके साथ छेड़-छाड़ न की जा सके, को लगाने, ऊर्जा की चोरी के मामलों का पता लगाने के लिये अकस्मात हल्ला बोलने हेतु सतर्कता दलों की स्थापना करने के लिए सलाह दी गई है। ऊर्जा की चोरी को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है।

पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने के लिये विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा क्रियान्वयन हेतु प्रणाली सुधार स्कीमें हाथ में ली गयी हैं तथा राज्य विद्युत बोर्डों को पारेषण एवं वितरण हानियां कम करने के लिए प्रेरित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना भी लागू की गयी है।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

1224. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में प्राकृतिक गैस के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसका अधिकतम उपयोग करने के लिए एक बहु-उद्देशीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के अनुसार सृजित की जाने वाली प्रस्तावित आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं योजना की अवधि में उसके लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस के अधिकतम उपयोग के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं या उठाए जा रहे हैं—

1. अधिशेष वाले क्षेत्रों से खपत वाले क्षेत्रों को पाइपलाइन द्वारा गैस भेजने के लिए तेल/गैस क्षेत्रों को जोड़ना—
2. कम्प्रेशरों को लगाना
3. अपतट क्षेत्रों से तटवर्ती टर्मिनलों जैसे हीरा से उरान और बंबई हाई तथा बिखरे क्षेत्रों से उरान और हजीरा तक अतिरिक्त ट्रंक/फीडर लाइनें।
4. 20 प्रतिशत अधिक तक के लिए वचन देना और अतिरिक्त फाल बैंक उपभोक्ताओं का पता लगाना फाल बैंक उपभोक्ताओं के लिए कीमत में 15 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है।

(ग) सातवीं योजना की शेष अवधि 1989-90 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 8636 मि० घन मीटर प्राकृतिक गैस की बिक्री के साध्य निर्धारित किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पायलटों को वित्तीय सहायता

1225. **श्री अनादि चरण दास :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स, एअर इंडिया तथा केन्द्रीय सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश के पायलटों के चाहे वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार हों अथवा नहीं, प्रशिक्षण का वित्तपोषण करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया अथवा सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उन उम्मीदवारों को भी कोई सहायता देती है, जिन्होंने इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से तो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो, परन्तु आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया और सरकार से रोजगार के पात्र हों;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकादमी में सामान्य पायलटों के मामले की तरह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सम्बद्ध पायलटों द्वारा अपने प्रशिक्षण के लिए किए गये खर्च की पूर्ति किये जाने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और सरकार ने इगुआ की स्थापना और प्रशिक्षण के लिये वित्तीय व्यवस्था की है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण की लागत में 75% की आर्थिक सहायता दी जाती है। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु क्वालिफाइंग प्राप्तांक आदि में रियायत दी जाती है और अकादमी में प्रवेश लेने हेतु आने-जाने का रेल किराया दिया जाता है।

सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उड़ान क्लबों में प्राइवेट पायलेट लाइसेंस के स्तर तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है जो कि अकादमी में प्रवेश के लिए एक क्वालिफाइंग स्तर है।

वायुदूत के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम

1228. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वायुदूत से समन्वित कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इसमें निहित व्यय पहले पांच वर्षों में 65.43 लाख रुपए होगा और उसके बाद प्रतिवर्ष 23.24 लाख रुपये होगा।

(ग) प्रणाली मूल्यांकन के पूरा हो जाने और कार्यात्मक विशिष्टियों के निर्धारण के साथ प्रणाली डिजाइन और विकास कार्य हाथ में लिया गया है।

आठवीं योजना में तीर्थ स्थानों का विकास

1229. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान देश में कुछ तीर्थ स्थानों का विकास करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे के विकास के लिए आवंटित धनराशि

1233. श्री एस० पलाकोंड्रायुडू : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा हवाई अड्डे के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : विजयवाड़ा एयरपोर्ट के विकास के लिए 1989-90 में 86.00 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गयी है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

विमान क्षेत्र कार्य	लाख रुपए
1. बोइंग परिचालनों के लिए धावनपथ और सहायक पेवमेंटो का सुदृढ़ीकरण	10.0
2. नये टर्मिनल काम्पलैक्स का निर्माण	2.00
3. ग्राउंड और सुरक्षा सेवाएं	16.00
4. रात्रि अवतरण सुविधाएं	40.00
5. वैमानिक संचार सेवाएं (अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास)	18.00
कुल :	86.00

कृत्रिम रबड़ एकक

1234. श्री पी० ए० एण्टनी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृत्रिम रबड़ एककों की स्थापना करने के लिए कोई लाइसेंस जारी किए गये है; और

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, हां।

(ख) मै० पालिओलिफीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य में 10,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता से इथिलीन, प्रापिलीन, कोपालिमर्श और टरपालिमर, रबड़ के विनिर्माण हेतु 30-9-1988 को एक आशय पत्र जारी किया गया था।

सलेम-उदुमालपेट और उदुमालपेट-त्रिचूर सैक्टर के लिए पारेषण लाइन

1235. **श्री टो० बशीर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सलेम-उदुमालपेट और उदुमालपेट-त्रिचूर सैक्टर पारेषण लाइन से संबंधित कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा 400 कै० वी० सेलम-उदुमलपेट और उदुमलपेट-त्रिचूर पारेषण लाइन का निर्माण किया जा रहा है। कार्य को वास्तविक प्रगति के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :

पारेषण लाइन खण्ड का नाम	लम्बाई (सर्किट कि० मी० में)	स्थलों की कुल संख्या	पूर्ण किए गए स्टब्स की संख्या	उत्थापित टावरों की संख्या	पूर्ण तार बंधन
सेलम-उदुमलपेट (सिंगल सर्किट)	153	433	409	242	शून्य
उदुमलपेट-त्रिचूर (डबल सर्किट)	260	365	192	57	शून्य

महानदी बेसिन में तेल की खोज

1236. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा में महानदी बेसिन में तेल की किसी नई खोज का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो महानदी बेसिन में अब तक पता लगाये गये ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में तेल का कितना भंडार होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रुग्ण एककों के लिए उपाय

1238. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के रुग्ण एककों के लिए नये एक मुश्त उपाय करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 1989-90 का केन्द्रीय बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने सरकार का यह इरादा जाहिर किया था कि कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद राहत योजना तैयार की जाएगी। वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते समय वित्त मन्त्री ने 2-5-1989 को योजना की मुख्य बातों की भी घोषणा की थी। ये इस प्रकार हैं—

(1) यह योजना किसी भी ऐसे एकक पर लागू होगी जिसमें पिछले पांच लेखा वर्षों में से किसी एक में अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50% अथवा उससे अधिक कम हुआ है।

(2) एकक का पुर्नस्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पैकेज में पूंजीगत खर्च, कार्यशील पूंजी की गुंजाइश, श्रम युक्तिकरण लागतें, प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के भुगतान, वित्तीय पुर्नसंरचना सावधिक ऋण का भुगतान तथा पुनर्स्थापना आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण के उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्षत: सम्बद्ध ऐसी अन्य मदें शामिल हो सकती हैं।

(3) पात्र एकक योजना की स्वीकृति के पश्चात तीन वर्षों के लिए किए गए वास्तविक उत्पादन शुल्क के भुगतान का 50% तक की राशि तीन वर्षों की रियायत अवधि सहित सात वर्षों में देय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में पाने के हकदार होंगे। ऐसे उत्पाद ऋणों के रूप में दी गयी कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण पैकेज की कुल लागत के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) एककों को उत्पाद ऋण निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

वित्त मन्त्रालय द्वारा योजना के तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

कोचीन हवाई अड्डे को अन्यत्र ले जाना

1239. **श्री तम्पन थामस :**

श्री टी० बशीर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे को नेवल यार्ड से हटाकर अन्यत्र एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में पन बिजली परियोजनाएं

1241. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कितनी जल विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) ये परियोजनाएं राज्यवार किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत और क्षमता कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक कार्य शुरू किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) वर्तमान में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० द्वारा क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण

इस समय राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य, जिसमें परियोजना स्थित है और परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति के अनुसार, चालू करने का निर्धारित कार्यक्रम
1	2	3	4	5
एक—हिमाचल प्रदेश				
	चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-1	717.40 करोड़ रु० की अनुमोदित लागत+89.89 करोड़ रु० के दौरान ब्याज में संशोधन किया जा रहा है।	540 (3×180)	दिसम्बर, 1992
दो—जम्मू तथा कश्मीर				
1.	सलाल जल विद्युत परियोजना, चरण-2	595.28 (निर्माण के दौरान ब्याज के बिना)	345 (3×115)	नवम्बर, 1987 में चालू कर दी गई। कुछ शेष कार्य चल रहे हैं।
2.	दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना	1166.77+96.20 (निर्माण के दौरान ब्याज)। इसमें पारेषण प्रणाली की लागत शामिल नहीं है।	390 (3×130)	परियोजना को फ्रांस के व्यापार संघ को कार्य आरंभ करने हेतु आर्डर दिए जाने की तारीख से 57 मास में पूरा किया जाना है।

1	2	3	4	5
3.	उड़ी जल विद्युत परियोजना	1501.35+131.27 (निर्माण के दौरान)। इसमें पारेषण प्रणाली की लागत शामिल नहीं है।	480 (4×120)	परियोजना को स्वीडन के व्यापार संघ को कार्य कार्य आरंभ करने हेतु आर्डर दिए जाने की तारीख से 72 मास में पूरा किया जाना है।
तीन—उत्तर प्रदेश				
	टनकपुर जल वि० परियोजना	274.03+29.98 (निर्माण के दौरान ब्याज)	120 (3×40)	यूनिट-1=जनवरी, 1992 यूनिट-2=फरवरी, 1992 यूनिट-3=मार्च, 1992
चार—बिहार				
	कोयल कारो जल विद्युत परियोजना	870.79+167.18 (निर्माण के दौरान ब्याज)	710 (4×72.5+1×20)	परियोजना को इसके लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराए जाने और संशोधित लागत अनुमानों के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद 7½ वर्षों में पूरा किया जाना है।

आकाशवाणी अहमदाबाद से प्रसारित होने वाले आकाशवाणी बड़ोदरा के कार्यक्रम के प्रसारण समय में वृद्धि

1242. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय आकाशवाणी अहमदाबाद से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में बड़ोदरा आकाशवाणी केन्द्र के कार्यक्रमों के लिए कितना प्रसारण समय दिया जाता है; और

(ख) अहमदाबाद आकाशवाणी केन्द्र बड़ोदरा केन्द्र के कार्यक्रम के प्रसारण समय से वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) आम तौर पर आकाशवाणी, अहमदाबाद से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में लगभग 30 प्रतिशत कार्यक्रम आकाशवाणी, बड़ोदरा द्वारा तैयार किये जाते हैं ।

(ख) वर्तमान अनुपात को प्रर्याप्त पाया गया है।

पेरिस के अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के लिए जूरी में दो भारतीय बच्चों को शामिल किया जाना

1243. **श्री पी० एम० सईद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के लिए जूरी में शामिल करने के लिए दो भारतीय स्कूली छात्रों का चयन किया गया था;

(ख) ऐसे बच्चों का चयन किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है और चयन के लिए क्या मान-दण्ड अपनाया जाता है;

(ग) इन छात्रों के नाम, उनकी आयु, योग्यताएं और फिल्मों के बारे में उनके अनुभव का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या फिल्म समारोह में दिखाई गयी फिल्मों को जांचने के लिए अन्य देशों से भी बच्चे आए थे, और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) पेरिस के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म एवं युवा समारोह निदेशालय ने पेरिस में स्थित भारतीय राजदूतावास के माध्यम से दूरदर्शन को, पेरिस में दिनांक 20 से 27 जून, 1989 तक आयोजित चौथे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म एवं युवा समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था और समारोह की जूरी दूरदर्शन से 12-15 वर्ष के आयु वर्ग के एक लड़के और एक लड़की का भी चयन करने का अनुरोध किया था । इस पर दूरदर्शन ने शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता, नयी दिल्ली से अनुरोध किया कि वह उत्कृष्ण प्रतिभा वाले वाले बच्चों की अनुशंसा करे । शंकर इन्टरनेशनल ने देशभर से 10 बच्चों अर्थात् 4 लड़कों और 6 लड़कियों की अनुशंसा की । दूरदर्शन के तीन अधिकारियों की एक समिति ने दिल्ली के मास्टर

गौतम बब्बर और बंगलौर की कु० अनुसूया सेन गुप्त का चयन किया। इन बच्चों के विवरण नीचे गए हैं :—

1. मास्टर गौतम बब्बर, नई दिल्ली आयु 15-वर्ष 9वीं कक्षा।

—शिक्षा में उत्कृष्ट, मिडल स्कूल के सर्वोत्तम सर्वोतमुखी विद्यार्थी ट्राफी से पुरस्कृत। जर्मन जनवादी गणराज्य में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति शिविर में भाग लिया और सर्व श्रेष्ठ वक्ता के रूप में पुरस्कृत।

2. कु० अनुसूना सेन गुप्त, बंगलोर आयु 15 वर्ष 9 वीं कक्षा। शंकर आशु-चित्रकला प्रतियोगिता, 1988 विजेता।

15 देशों अर्थात् ब्राजील, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, ग्रेट-ब्रिटेन, यूनान, भारत, आइसलैंड, इटली, जापान, पोलैण्ड, ट्यूनीशिया, सोवियत संघ, अमरीका, जाएरे के बच्चों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया था।

औषधियों के संबंध में सोवियत संघ के साथ पारस्परिक सहयोग

1244. **श्री लक्ष्मण मालिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ पारस्परिक सहयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोनों देशों की कौन-कौन सी कम्पनियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा स्थापित पारस्परिक सहयोग का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र में मै० आई० डी० पी० एल० और मै० एच० ए० एल० ने क्रमशः नेशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट एंटिबायोटिक्स, यू० एस० एस० आर० और दि मिनमेडीबायोप्रोम डेलीगेशन आफ यू० एस० एस० आर० के साथ वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की है। इस समझौते की शर्तों के अनुसार आई० डी० पी० एल० रिफाम्पिसिन एवं कुछ अन्य एंटिबायोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकी के बदले यू. एस. एस. आर. को पेंसिलर प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा। मै० एच. ए. एल. ने मोटे तौर पर जेनेटिक अभियान्त्रिकी में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करने, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के संयुक्त विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु परस्पर हित के क्षेत्रों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औषध सूत्रयोगों को संयुक्त रूप से आरम्भ करने हेतु सहयोग विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की है। गैर सरकारी क्षेत्र की व्यक्तियों के बारे में ब्यौरे इंडियन सोवियत चैम्बर आफ कामर्स के तत्वावधान में मास्को में हुए सोवियत इंडियन सेमिनार के कार्यवृत्त में उपलब्ध है जिसकी एक प्रति संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

सोवियत भारत बैठक का कार्यवृत्त

इंडियन सोवियत चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के प्रस्ताव के अनुसरण में औषधों के उत्पादन और भोजन उद्योग के विकास में भारत वे यू. एस. एस. आर. के बीच सहयोग विषय पर सेंटर फार

इंटरनेशनल ट्रेड में 10 से 12.1939 के दौरान एक सोवियत इंडियन सेमिनार का आयोजन किया गया था।

सेमिनार में जिन्होंने भाग लिए। यू. एस. एस. आर का मेडिकल एंड माइक्रोबाइलोजिकल उद्योग मंत्रालय, इंडियन सोवियत चैम्बर फार कामर्स एंड इंडस्ट्री और वी०/ओ० सोविन्स सैंटर।

इस सेमिनार में सोवियत उद्यमों और संगठनों के साठ से अधिक प्रतिनिधियों और 30 से अधिक गैर-सरकारी कंपनियों व सरकारी संस्थाओं के लगभग 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस सेमिनार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यू. एस. एस. आर. के मेडिकल और माइक्रोबाय-लोजिकल उद्योग मंत्री श्री बाइकोब वी. ए.।

यू. एस. एस. आर. में भारत के राजदूत सी. टी. एन. कोल।

भारत के रसायन एवं पेट्रो-रसायन मंत्रालय के सचिव श्री एम. एस. गिल।

इंडियन सोवियत चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष श्री संघ।

तीन दिन की सेमिनार की अवधि में भाग लेने वालों ने अपनी रिपोर्ट में उन संभावित क्षेत्रों व दिशाओं पर विचार विमर्श किया जिनमें सोवियत एवं भारतीय संगठन सहयोग के बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे औषधों, एंटिबायोटिक्स, सिंथेटिक औषधों, विटामिनों जड़ी बूटी युक्त औषधी आदि का विकास एवं उत्पादन।

इस मेले में प्रदर्शित वस्तुएं सेमिनार में वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान और औद्योगिक उद्यमों के प्रतिनिधियों से बातचीत से इस बात पर जोर देना संभव हुआ है कि भारत और यू. एस. एस. आर. दोनों के पास विज्ञान एवं उद्योग में काफी संभावनाएं विद्यमान हैं जो सहयोग के विकास नई चिकित्सीय औषधों के उत्पादन एवं प्रसार का एक अच्छा आधार बन सकती है और दोनों राष्ट्रों की मांग की तुष्टि में सहायक हो सकती हैं।

दोनों पक्षों ने कहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात् चिकित्सीय औषधों के उत्पादन एंटिबायो-टिक्स सिंथेटिक औषधों, हर्बल औषधों, विटामिनों के क्षेत्र में विकास में सहयोग का और विस्तार वांछनीय होगा।

दोनों पक्षों में निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की है।

1. एंटिबायोटिक्स

इन पक्षों ने कम से कम समय में :

उपलब्ध एवं संभाव्य प्रौद्योगिकियों द्वारा परस्पर आदान-प्रदान।

प्राप्त जानकारी के आधार पर एंटिबायोटिक्स के उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार करना।

इनकी संचालन योजनाएं तैयार करने और सहमति कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए तारीखों निर्धारित करने हेतु सोवियत और भारतीय विशेषज्ञों के बीच दिल्ली में और 1989 को चौथी तिमाही में एक बैठक करना।

2. सिंथेटिक औषधें

फार्माकोलोजिकल एंटिबायोफलेमेंटरी और एंटिबेक्टीरियल चिकित्सा पद्धतियों विकास में जानकारी का आदान प्रदान किया गया है।

भारतीय विशेषज्ञों ने यू. एस. एस. आर. में सिप्रोफलाक्सामिन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को आरम्भ करने में रुचि प्रकट की। इस बात पर सहमति हुई है कि भारतीय पक्ष जून, जुलाई, 1989 में सिप्रोफलाक्सासिन के उत्पादन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेगा।

जून, जुलाई, 1989 में भारतीय विशेषज्ञ भारत में उन औषधों के उत्पादन को सम्भावना के बारे में राय देंगे जो यू० एस० एस० आर० में विकसित की गई हैं जैसे प्रोसाविज फैरामाइन, इमाक्सीपाइन।

3. विटामिन

सोवियत पक्ष ने लाइसेंस के लिए निम्न प्रस्ताव किया—

एस्कार्बिक एसिड और निकोटिनिक एसिड, स्यूडो और आइनोनस के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी।

पक्षों ने विटामिनों (बी-1, बी-2, बी-6) की अलग-अलग किस्मों के बारे में तकनीक और आर्थिक जानकारी का आदान-प्रदान करने की सहमति व्यक्ति की है।

सहयोग के क्षेत्रों को इंगित करने के लिए पक्षों ने 1989-90 में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान का निर्णय किया।

4. हर्बल औषधें

भारतीय विशेषज्ञों ने यू. एस. एस. आर. में विकसित टिफले मेटरी औषध एल्कीसेरीन में रुची दिखाई है। इस औषध के उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी खरीदने के बारे में निर्णय भारतीय पक्ष द्वारा सोवियत पक्ष को 1989 की तिमाही से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

सोवियत विशेषज्ञों ने लिक्विड मैम्बर्स के उपयोग से अल्कालायड्स को निकालने की प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी के आरूप का प्रदर्शन किया जायेगा।

झंडू फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि० तकनीकी दस्तावेज प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। इस विषय पर एन० पी० ओ० "वी० आई० एल० आर०" में 15 से 16 मई, 1989 के दौरान बातची की जायेगी।

5. व्यापार एवं आर्थिक सहयोग

सेमिनार में यू. एस. एस. आर. के नियंत्रिक व्यापारिक साझीदारों में इस सेमिनार में उन कम्पनी ने भी भाग लिया जिन्होंने इससे पूर्व सोवित बाजार में प्रतिनिधित्व नहीं किया था।

प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पादों के नमूनों से व्यारिक एवं आर्थिक सहयोग में बढ़ती हुई आपसी रुचि का प्रमाण मिलता है।

बातचीत के दौरान पक्षों ने सहयोग की संभावनाओं और इस लक्ष्य को मूर्त-रूप देने के तरीकों पर विचार किया।

भारतीय कम्पनियों और उद्यमों तथा यू. एस. एस. आर. के मेडीकल एण्ड माइक्रोबायलोजिकल इंडस्ट्री के बीच चिकित्सीय-औषधों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी और माल के आदान-प्रदान, संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु प्रत्यक्ष करार स्थापित करने आदि मुद्दों पर विचार किया गया है।

निम्नलिखित कम्पनियों के बीच सहयोग संबंधित प्रोटोकोल और आशयों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

1. "कंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लि०" और एन. पी. ओ. "उकंमेडबीप्रोम"।

2. "रैनबैक्सी" और एन. पी. ओ. "वैक्टर"।

3. "लूपिन लैबोरेट्रीज लि०" और एन. पी. ओ. "वैक्टर"।

4. "लिका लैब्स० लि०" और एन. पी. ओ. "वैक्टर"।

5. "मेहूल" और एन. पी. ओ. "वी. आई. एल. आर"।

भारतीय पक्ष की ओर से	सोवियत पक्ष की ओर से
आर. एस. माथुर संयुक्त सचिव भारत का रसायन और पेट्रो-रसायन मंत्रालय	ए. बी. नासारेंको यू० एस. एस. आर. के मेडिकल और माइक्रोबायलॉजीकल उद्योग मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मुख्य विभाग के उपाध्यक्ष
एच. एस. संघ इण्डियन-सोवियत चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के उपाध्यक्ष	ये. वी. फोकिन डिप्टी जनरल डायरेक्टर वी./ओ. "मेडक्सपोर्ट" मेडिकल और माइक्रो-बायलाजिकल उद्योग, यू. एस. एस. आर.

————

12.00 मध्याह्न

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : आज मुझे निम्नलिखित सदस्यों से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र मिले हैं :

1. श्री राम बहादुर सिंह

2. श्री तम्पन थामस

3. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर

4. श्री नारायण चौबे

5. श्री विजय कुमार यादव

मैंने उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : विनाशकारी वर्षा और बाढ़ से देश के विभिन्न भागों में भारी नुकसान हुआ है। विशेषकर केरल 27 व्यक्ति मारे गए हैं। न केवल केरल बल्कि आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे देश के अन्य भागों मे भी हजारों मकान बह गए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दे दीजिए।

हम इसे देखेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त सहायता पहुंचाए मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि सदन में इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाए। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है जिससे देश के सभी भाग संबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 16 लोग मर गए हैं और 500 मकान बह गए हैं...।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आन्ध्र प्रदेश मे 100 से अधिक व्यक्ति बह गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी कहा है। हम इस पर ध्यान देंगे और कभी चर्चा करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन राज्यों में तुरंत सहायता पहुचाएं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : एक तथा कथित विश्वामित्र ने विपक्षी सदस्यों को नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर त्यागपत्र देने को कहा है। इसी नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने उनकी सरकार पर आरोप लगाया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पार्टी संबंधी कार्यों के लिए बाढ़ राहत कोष और सूखा राहत कोष का दुरुपयोग किया है। उन्हें त्याग-पत्र देना चाहिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह देखना गृह मंत्रालय का काम है।

कुमारी ममता बनर्जी : उनके दामाद ने दो बच्चों का अपहरण किया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मन्त्री के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।

कुमारी ममता बनर्जी : उन्हें पहले त्यागपत्र देना चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं यहां एक ऐसा मामला उठा रहा हूं जो तारांकित प्रश्नसूची के बारे में है। आप रोज सूची में 20 प्रश्न शामिल करते हैं। सदस्यों का पांचवां हिस्सा अब लगभग बाहर हो जाएगा। उनके प्रश्न भी तारांकित प्रश्न सूची में आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जिन लोगों ने त्यागपत्र दे दिए हैं, वह अब इस सदन के सदस्य नहीं है, उनके नाम अब काट दिए गए हैं।

श्री पी० एम० सईद : बैलट के अनुसार तारांकित सूची में प्रश्नों का पांचवां या एक चौथाई भाग अभी भी इन सदस्यों के नाम पर है। इसलिए, उसे छोड़कर बैलेट के अनुसार अब आप अतारांकित सूची ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे ही समाप्त नहीं कर पा रहे हैं।

श्री पी० एम० सईद : महोदय यह मेरा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सिंह साहब।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : महोदय यदि आप प्रक्रिया नियमों में नियम 41 देखें तो यह कहता है कि तारांकित प्रश्नों को तभी महत्व दिया जाएगा यदि वह लोक महत्व का हो तथा उस मन्त्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे पद संबोधित किया हो। इसके पश्चात् नियम 44 कहता है। "यदि अध्यक्ष की राय में मौखिक के उत्तर के लिए रखा गया कोई प्रश्न ऐसे स्वरूप का है कि इसका लिखित उत्तर अधिक उचित होगा तो अध्यक्ष निर्देश दे सकेगा कि ऐसा प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्न सूची में रख दिया जाए।" मेरा यह विनम्र निवेदन है कि सूची प्रतिदिन बीस प्रश्न होते है। आज बिना किसी समस्या के 6 प्रश्नों का उत्तर दिया जा सका। संसद सदस्य होने के नाते भारत के लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं। एक आम संसद सदस्य के रूप में, मैं यह बात बार-बार कहता रहा हूं कि यदि हम भारत के लोगों या अपने निर्वाचन क्षेत्रों के संबद्ध मुद्दे नहीं उठा सकते, तो हमारी संसद के कार्यपालन में कोई दोष है। इसलिए, मेरा यह अनुरोध है कि जहां तक सम्भव हो, विपक्ष के संसद सदस्यों के बिना भी प्रश्न काल को बढ़ाकर दो घन्टे किया जाए ताकि कम से कम 10 प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके। दूसरे, सरकारी कार्य भी हैं। हमने अपनी परि-लब्धियों में वृद्धि की है। अपने प्रश्नों उत्तरों के लिए हमें एक घंटा फालतू बैठने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह अत्यन्त मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदस्यों के रूप में हमें एक घंटा और मिलना चाहिए। सरकार का कार्य जारी रह सकता। यदि इस मतदान कराया जाता है तो मेरे विचार से ससद सदस्य यही चाहेंगे कि उन्हें एक घण्टा और मिलना चाहिए। महोदय, मैं यह आप पर छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिए। कम से कम मुझे उत्तर तो दे लेने दीजिए। उन्होंने एक प्रश्न उठाया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, एक मिनट, कई बार मुझे बोलना होता है। सीधी-सी बात है कि यह सब इस पुनीत सदन के सदस्यों पर निर्भर करता है जो मेरे लिए नियम बनाते हैं और मैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता हूं। यदि आप इसे दो घण्टे कर देते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, यदि आप इसे पांच घन्टे कर देते हैं, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप इसे बदल दें, मैं स्वीकार कर लूंगा। किन्तु प्रश्न यह है कि यह नियम समिति में पूरी प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ भरसक कोशिश की है। आप देखिए कि पूरक प्रश्नों पर कितने सदस्य बोलते हैं और कितनी देर तक बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि और अधिक काम होना चाहिए। कम से कम हम कोशिश तो करें और

दूसरों से तुलना करें, मेरे विचार से हम उनसे बेहतर काम करते हैं। हम एक दिन में 6-7 प्रश्न ले लेते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, नियम समिति भी आखिरकार इस सदन का ही अंग है। वह इस सदन के अधिकांश लोगों की सलाह लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। यह सही तरीके से करना होता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप नियम समिति को लिख सकते हैं। मैं उसकी बैठक बुलाऊंगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, धन्यवाद।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। किन्तु मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकारों को तत्काल सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि लगभग 20 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी बात यह है कि मैं आपके माध्यम यह जानकारी लेना चाहता हूं कि इस प्रकार के समाचार हैं कि एल० टी० टी० ई० के प्रमुख श्री प्रभाकरण की हत्या हो चुकी है। और श्री लंका की सरकार ने न तो इससे इन्कार किया है और न ही इसकी पुष्टि है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका जवाब इस प्रकार से नहीं दिया जा सकता।

श्री टी० बशीर : हम भी इस बारे में तथ्य जानना चाहते हैं। यदि सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हू कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखें। मैं सरकार से आपको जानकारी देने के लिए कहूंगा। आप मुझे लिखकर दे दीजिए।

श्री टी० बशीर : महोदय, यदि सरकार के पास जानकारी है तो आप यह जानकारी उसे देने को कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, बाढ़ और सूखा राहत के संबंध में आंध्र प्रदेश पर भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अत्यन्त स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री शान्ताराम नायक : राहत कार्यों के लिए निर्धारित 92 लाख रुपए की राशि वातानुकूलनों पर खर्च की गई। राहत कार्यों के लिए निर्धारित दो करोड़ रुपए की एक राशि भी इसी प्रकार व्यय की गई।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नायकजी, कुछेक ऐसी बातें हो रही हैं जो अच्छी संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हित में नहीं हैं जैसे राज्यविधानसभायें संसदीय कार्यवाही के बारे में चर्चा करती है और हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। यह बहुत ही खराब बात है। हम यह नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी वैसा ही करना शुरू नहीं कर देना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नहीं समझ सकता। यह गृह मंत्रालय का कार्य है कि वह कार्रवाई

करे। यदि वहां गलत बात हुई है तो गृह मंत्रालय और राज्यपाल उस स्थति पर कार्रवाई करने के लिए मौजूद है।

श्री शांताराम नायक : परन्तु सरकार को इसकी जांच-पड़ताल कर लेने दीजिये ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : में यह पसन्द नहीं करता कि संसद राज्य विधान सभाओं के मामलों में दखल दे तथा राज्य विधान सभागे संसद के कार्य में दखल दें। यह बहुत निन्दनीय है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है जो अभी-अभी आपने यह बताया कि बाढ़ की भयावह स्थिति पर चर्चा की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : हम यह करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा इतना ही निवेदन है कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे प्राथमिकता देंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दीजिये में इससे आगे भेज दूंगा और हम इसे चर्चा के लिए रखेंगे। कोई समस्या नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपको इस स्थिति को शांत करने में सरकार का मार्ग दर्शन करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : परन्तु सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को निर्देश दिए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह आवश्यक है।

[**हिन्दी**]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला श्री गर्ग रेखी की पुकार आपके सामने लाना चाहती हूँ जिसकी बच्ची को *···के दामाद ने किडनैप कर लिया है।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी का नाम मत लीजिए।

[**हिन्दी**]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : में चीफ मिनिस्टर आन्ध्र प्रदेश के बारे में कहना चाहती हूं।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्रालय को इस पर चिन्ता करनी चाहिये।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : अध्यक्ष महोदय, कल भारी वर्षा के कारण, लोनवाला और पुणे रेलवे लाइन के बीच का रेलवे पुल बह गया। यदि यात्रियों से भरी हुई डेकन क्वीन अथवा कोई और रेलगाड़ी होती तो हजारों लोग मर गये होते। इसके बावजूद भी स्थानीय रेलगाड़ी दुर्घटना में आठ व्यक्तियों की मृत्यु एक बड़ी क्षति है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मन्त्री महोदय को इस दुर्घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय वे कर रहे होंगे।

श्री विजय एन० पाटिल : इस दुर्घटना को टाला जा सकता था यदि नजदीकी स्टेशन मास्टर द्वारा चेतावनी दी जाती तथा ठीक से सिग्नल दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : वह किया जाना चाहिए था।

श्री विजय एन० पाटिल : उन्हें इसकी जांच करानी चाहिए और सदन में एक विवरण देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री ढिल्लों,

डा० जी० एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार करने के बाद में कुछ कहना चाहता था। मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता था कि आपने एक दिन में 73 त्यागपत्र तथा एक घंटे में 69 त्यागपत्र स्वीकार किये। यह "गिन्नीज बुक" में छपना चाहिये। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, इस सदन में आप जो कुछ बोलते हैं वह सब सिवाय असंसदीय भाषा को छोड़कर, कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाता है।

(व्यवधान)

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं इसके अन्त में कुछ कहना नहीं चाहता हूं परन्तु मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि नियम 193 के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति देने का अर्थ केवल विपक्ष की भावनाओं को शांत करना है और कुछ नहीं। यह सभा की प्रक्रिया को विकृत करना है। कम से कम जबकि वहां कोई और कारण नहीं है, यह विकृति जारी नहीं रहनी चाहिए तथा हमें पुरानी प्रक्रिया पर वापस जाना चाहिये। और इसे सीधे लोक लेखा समिति को भेज देना चाहिए। इस पर यहां चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम हमें प्रक्रियाओं से पीछे हटना चाहिये ? तथा यह चर्चा यहीं समाप्त कर देनी चाहिये। प्रक्रिया की विकृति में संशोधन करना चाहिये। महान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक महोदय, बहुत से त्यागपत्र दिलवाने में सफल हुए हैं। उनके द्वारा किया गया यह एक महान कार्य है जो पहले कभी किसी महानियंत्रक द्वारा नहीं किया गया तथा उनका नाम "गिन्नीज बुक" में आना चाहिये।···(व्यवधान)

इसके अतिरिक्त यह बोफोर्स का प्रश्न अनेक बार उठाया गया। हमने कितनी ही बार इस प्रश्न

को उठाया। किन्तु विपक्ष चालक था, उसके पास इस प्रश्न को दबाने की युक्ति थी। अतः मैंने सोचा कि इस प्रश्न को अभी दबे रहना चाहिए तथा वर्तमान सत्र में हमें इससे कुछ लेना-देना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी बहुत ही अनिच्छुक था, यह समस्त पूर्वोदहारणों से हटकर था तथा हमने पहले कभी इन रिपोर्टों पर विचार नहीं किया था। ये सीधे ही लोकलेखा समिति को भेज दी जाती थीं। किन्तु जैसी कि स्थिति है तथा पूरे सदन ने एकमत होकर इसकी मांग की थी, इसीलिए जब हमने वाद-विवाद आरम्भ किया, मैंने ये टिप्पणियां की थीं। जैसा कि मैंने कहा, यह केवल एक बार किया गया था। यह भविष्य के लिए पूर्वोदहरण नहीं था। मैंने सोचा कि यह उन लोगों के लिए, विशेषकर विपक्ष के लिए एक समाधान होगा, जो इतने अधिक उत्तेजित हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह एक बहुत बड़ी गलती सिद्ध हुई है।

अध्यक्ष महोदय : शायद सही हुआ है। किन्तु कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आपको सभा की इच्छा के समक्ष झुकना पड़ता है क्योंकि सभा सर्वोच्च है।

(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : यह सभा की इच्छा नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह सर्वसम्मत इच्छा थी। इसके विरुद्ध एक भी आवाज बाहर नहीं आई और इसीलिए मुझे भी उस प्रयोजन के लिए निर्णय लेना पड़ा। अब यह निर्णय करना सभी का कार्य है कि इसे जारी रखा जाए अथवा नहीं। वस्तु स्थिति यह है।

श्री जी० एम० बनातवाला : चर्चा के बावजूद भी मैं आशा करता हूं कि यह मामला लोक-लेखा समिति को जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह जाएगा।

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : नहीं, नहीं यह नहीं जाएगा। मैं इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं। कृपया देखिए। विपक्ष को उचित स्थान देने के लिए, सभा के दृष्टिकोण से भिन्न, हमने लोक लेखा समिति की उपेक्षा करते हुए इस पर विचार किया। हम सब जानते थे कि नियम क्या है, अर्थात पहले यह लोक लेखा समिति को जाता है, इसके बाद लोकलेखा समिति द्वारा यह सदन को प्रस्तुत किया जाता है तथा यदि सदन आवश्यक समझे तो इस पर चर्चा की जाती है। अब, जैसा कि हमने सीधे ही इसे सदन में चर्चा के लिए ले लिया है, लोकलेखा समिति इस मामले से बाहर हो गई है, जैसा कि कहा गया है ···(**व्यवधान**) मैं केवल इन दो पैराग्राफों 11 तथा 12 के बारे में बात कर रहा हूं।

सर्वोच्च कौन है ? सदन सर्वोच्च है। लोकलेखा समिति सदन का एक भाग है। अंश तो संपूर्ण का अंग ही होता है। यदि संसद स्वयं रिपोर्ट के इन दो पैराग्राफों को लेकर इन पर चर्चा कर सकती है, तो लोक लेखा समिति इससे अधिक क्या कर सकती है। लोकलेखा समिति उससे अधिक कुछ और नहीं कर सकती जो कि संसद कर सकती है। ···(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : लोकलेखा समिति सभा में हुई चर्चा पर ध्यान देगी। किन्तु यह पूछताछ करेगी। हम यहां पर पूछताछ नहीं कर रहे हैं। महा लेखा परीक्षक को भी बुलाया जा सकता ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय ; देखिये, आप को आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका निर्णय लेना है।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : सभा यह समाप्त कर सकती है तो लोकलेखा समिति कर सकती है। यदि साफ साक्ष्य मांगना चाहती है तो इसकी मांग भी करती है। (व्यवधान) मैं केवल पैरा 11 और 12 के बारे में कह रहा हूं। अन्यथा पूरी रिपोर्ट लोकलेखा समिति को जाएगी। मुझे केवल इन दो पैरा की जानकारी नहीं है। अन्यथा यहां इस पर चर्चा करने का क्या मतलब है ? ···(व्यवधान) हमें इन दो पैरा ग्राफों पर स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए···(व्यवधान) मेरा श्री बनातवाला की बात से मतभेद है।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं किसी भी प्रकार से उनसे सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता है कि आप आपस में क्यों बहस कर रहे हैं। निर्णय लेना मेरा काम है। मुझे नियमों के अनुसार कार्य करना है।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : कृपया इसे लोकलेखा समिति में जाने की अनुमति मत दीजिए। अन्यथा, इसका अर्थ होगा इसी मामले को लोक लेखा समिति को भेजना, इस पर चर्चा होने के पश्चात और लोक लेखा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात्, यह फिर सदन में आएगा और हमें फिर पुनः इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। जो भी निर्णय आप को देना है, आप दे सकते हैं। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों इसे अपने ऊपर लेते हैं ? आप अब बैठ जाइए। मैं अपना विनिर्णय दूंगा। जब यह मामला मेरे पास आ गया। मैं अपना निर्णय लूंगा। आप चिन्ता मत करें। आप का दृष्टिकोण व्यक्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, हम दो विद्वानों की बातें सुन रहे थे। हमने भी कुछ अध्ययन किया है। बोफोर्स की जांच के लिए जब यहां समिति बनी थी, तो सरकार की तरफ से आदेश था कि समिति को जो भी जरूरत हो, आप राय दें लेखा परीक्षक को, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया और आदेश की अवहेलना की।

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं।

श्री अजय मुशरान : मैं भी कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं है। यह कोई बहस नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, हमारी बात सुन लीजिए। हमारी बात सुन लेने दीजिए··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप ने अपना मुद्दा बताया। मैं इस विषय पर वाद-विवाद नहीं करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, मैं टू-दि-प्वाइंट बात रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे व्याख्यान नहीं चाहिए, मुझे प्वाइंट बताइए।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : मैं प्वाइंट पर आ रहा हूं। उसके बाद विरोधी दलों के नेताओं ने···

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, मुझे क्या बता रहे हैं। मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : यह सभा सर्वोच्च है और इसी के अन्तर्गत सारी समितियां आती हैं। इस सभा के अंतर्गत सब कुछ है, तो यह लोक लेखा समिति को नहीं जाना चाहिए। इस सभा को अधिकार है कि वह फैसला करें।

अध्यक्ष महोदय : यह तो इन्होंने बता दिया।

श्री राम नगीना मिश्र : यह विवाद बड़ा गलत है और इस सभा का अपमान होगा। इस सभा में बहस हो और यहीं निर्णय हो। यह किसी समिति को नहीं भेजा जाए। ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : सभा में कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिन्ता करते हैं? आप का दृष्टिकोण सुन लिया गया है। मैं अपना निर्णय दूंगा। उनका दृष्टिकोण भी सुन लिया गया है। मैं सब समझ गया हूं। मुझे इस संबंध में और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह राय सही करना चाहती हूं जो कल भी मेरी टिप्पणी से आप समझे होंगे जब मैं ने कहा कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर सामान्य प्रक्रिया की गयी थी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के पश्चात् इसे अति शीघ्र सभा पटल पर रखा गया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि प्रक्रिया से मेरा तात्पर्य प्रतिवेदन की समस्त कार्यवाही से है, अर्थात् नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय से निकलने से मूल मंत्रालय तक जाने तक, जैसे इस मामले में रक्षा मंत्रालय, फिर वित्त मंत्रालय और तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति सचिवालय में इस विषय का प्रतिवेदन 3 जुलाई को प्राप्त हुआ और 5 जुलाई तक इस पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। इसे इस भव्य सदन के सभा पटल पर 18 जुलाई, अर्थात वर्तमान सत्र के पहले दिन रखा गया। मैं चाहती हूं कि इसे कल भी टिप्पणी के प्रतिवेदन में कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय है कि लोकलेखा समिति अब निर्णय देने में सक्षम है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेने का आदेश दीजिए ।

श्री पी० के० थुंगन : (अरुणाचल प्रदेश) : मेरा एक निवेदन है । कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्माननीय सदन की जानकारी में यह बात लायी है कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने आपको और रक्षा मन्त्री को एक पत्र लिखा था । सदस्यों की यह मांग थी कि यह पत्र सभा पटल पर रखा जाना चाहिए । हमें यह जानने की उत्सुक्ता है कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है । कल माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा और इस पर सक्रिय रूप से विचार आ रहा है । हम जानना चाहते हैं कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, क्या पत्र सभा पटल पर रखा जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय ! अब, श्री बसंत साठे । सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

— — — —

12.24 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं ।

(1) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1989, जो 8 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 256 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1989, जो 8 अप्रेल, 1989 के भारत के राजपत्र संख्या सा० का० नि० 257 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1989, जो 8 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 258 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-8054/89]

मिट्टी का तेल (इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध तथा कीमत नियतन) संशोधन आदेश, 1989

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मिट्टी का तेल (इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध तथा कीमत नियतन) संशोधन आदेश, 1989 जो 1 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या का० आ० 396 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8055/89]

वित्त अधिनियम, 1979 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) सा० का० नि० 474 (अ), जो 27 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 मई से 4 मई, 1989 तक भारत की यात्रा पर आये युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणतन्त्र सरकार के संघीय विदेश कार्य मन्त्री, महामहिम श्री बुदीमीर लोंकर और एक सदस्यीय शिष्टमंडल को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 572 (अ), जो 29 मई, 1989 से भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हज तीर्थ यात्रा के प्रयोजन के लिए वायु मार्ग से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को विदेश यात्रा कर के संदीय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) विदेश यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1989, जो 1 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 583 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा० का० नि० 594 (अ), जो 6 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 8 जून से 12 जून, 1989 के भारत की यात्रा पर आए आस्ट्रेलिया के विदेश कार्य और व्यापार मंत्री सीनेटर माननीय गैरेथ ईवान्स, क्यू० सी० तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8056/89]

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अधीन अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 318, जो 6 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स श्री अम्बिका निधि लिमिटेड, यलमुडी, पुट्टूर, कर्नाटक को एक "निधि" घोषित किया गया है; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8057/89]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत केरल पोत परिवहन निगम लिमिटेड तथा केरल अंतर्देशीय नौवहन निगम लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1989, जो 31 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 249(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8058/89]

(तीन) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी (केंद्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1989, जो 17 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 449 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8059/89]

(चार) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 448 (अ), जो 17 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 19 धारा 31 की (क) तथा (ख), 51 तथा 52 के उपबंधों को प्रवृत्त होने की तारीख 17 अप्रैल, 1989 नियत की गयी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8060/89]

12.25 म० प०

नियम समिति

चौथा प्रतिवेदन

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के उपनियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं तमिलनाडु, केरल, बिहार, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों के उन सदस्यों की प्रशंसा करता हूं जिन्हें···साहस···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे प्रतिवेदन रखने को कहा है। भाषण नहीं।

(व्यवधान)

12.25½ म० प०

याचिका समिति

बारहवां प्रतिवेदन

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगाँव) : महोदय, मैं याचिका समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.26 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1989-90

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महोदय, वर्ष 1989-90 के लिए बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

— — — —

12.26½ म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग रोके जाने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : महोदय, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम की धारा 3 उपधारा (2) के अन्तर्गत आज की स्थिति में इन आधारों पर गर्भ के समापन की अनुमति देती है (क) गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा हो और (ख) यदि बच्चा होता है तो मानसिक और शारीरिक अपसामान्यताओं के कारण उसके गंभीर रूप से विकलांग होने की संभावना हो।

12.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आगे धारा 3 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि यदि गर्भ-किसी विवाहित महिला या उसके प्रति द्वारा बच्चों की संख्या रोकने के लिए इस्तेमाल में लायी गई वस्तु या तरीके के असफल हो जाने के कारण होता है तो इस अनचाहे गर्भ के कारण जो मानसिक तनाव और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ा हो उसे गंभीर असर माना जाए। भाव भ्रूण हत्या मामलों के अध्ययन से पता चला है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के इन धाराओं का मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। हांलाकि वर्तमान कानून के अन्तर्गत कानूनी रूप से इस मामले में कोई कार्यवाही इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस महिला के पहले ही दो लड़कियां हो उसे तीसरी लड़की होने से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना है और इस तरह यह मामला गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आ जाता है। सरकार को एक देशव्यापी कानून बनाना चाहिए जिसके द्वारा पूर्व प्रसूति परीक्षण जिसके द्वारा मादा भ्रूण का पता लगाने और उसे नष्ट करने पर रोक लगाई जा सके। अधिनियम की धारा (3) 2 से यह स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया जायें कि लड़की का पैदा होना किसी भी हालत में गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर न माना जायें।

(दो) बुधाल-मघरी-गुल मार्ग को पूरा किए जाने के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद अयूब (खां) (ऊधमपुर) : महोदय, 27 मार्च, 1989 को रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री ने मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा था कि

बुदाल-मदारी-गुल मार्ग के सामरिक और विकास की दृष्टि के महत्व को देखते हुए उस पर सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्य छोड़ने का कोई विचार नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने आगे कहा था कि सड़क को पूरा करने के लिए 385.00 लाख रुपये की आवश्यकता है। यह मालूम हुआ है कि कार्य निष्पादन एजेंसी को यह धन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण सड़क निर्माण कार्य रुक गया है और एक लाख से ज्यादा की जनसंख्या को कष्ट उठाना पड़ रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सीमा सड़क संगठन को बिना किसी देरी के पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए।

(तीन) फिरोजपुर-जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी में रसोई भण्डार कार सेवाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री अनूप चन्द शाह (उत्तर बम्बई) : अगस्त 1988 से श्रमिक समस्या के कारण फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस में रसोई भण्डार कार सेवाएं रोक दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने इस मामले को सुलझाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। रेलवे अधिकारियों ने मंत्रियों को रसोई भण्डार कार की सुविधाओं से वंचित करके श्रमिकों को सजा देने का साहस किया है।

अब ऐसा लगता है कि रसोई भण्डार कार सेवाएं इस लम्बी दूरी की रेलगाड़ी में हमेशा के लिए समाप्त कर दी गयी हैं। यह रेलवे की लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों पर भण्डार कार की सेवाएं देने की वर्तमान नीति के विरुद्ध है। विश्वसनीय सूत्रों से यह मालूम पड़ा है कि श्रमकों के साथ अधिकतर समस्यायें सुलझा ली गई है। रेलवे अधिकारियों को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और माननीय मन्त्री महोदय, को चाहिए कि वह रेलवे अधिकारियों को निर्देश दें कि वह 23 डाउन और 24 अप फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी में भण्डार कार सेवाएं द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की सुविधाओं के लिए शीघ्र पुनः शुरू करें।

(चार) गोरखपुर में एक विकास केन्द्र तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित किए जाने की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : भारत सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों को विकसित करने हेतु अपनाई गई नीति की सर्वत्र प्रसंशा हुई है। इस नीति के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकारों से ग्रोथ सेन्टर और औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित करने हेतु स्थानों की चयनित सूची भेजने का आग्रह किया है। मेरी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की जो सूची भेजी है उसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े हुए भू-भाग गोरखपुर और जौनपुर का नाम सम्मिलित है। हर्ष की बात है कि जौनपुर औद्योगिक विकास केन्द्र का शिलान्यास अभी हाल ही में हो चुका है परन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा घोषित ग्रोथ सेंटर और औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर का शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूची जिसमें गोरखपुर भी शामिल है केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हेतु प्रतीक्षित है।

अतः मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार का औद्योगिक विकास मन्त्रालय शीघ्र ही औपचारिकताएं पूरी कर गोरखपुर ग्रोथ सेन्टर तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करें।

(पांच) राजस्थान के बूंदी जिले को "उद्योग विहीन" जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न जिलों को जिस प्रक्रिया से "जीरो इण्डस्ट्री" घोषित किया है, वह दोषपूर्ण है। इस प्रक्रिया को बदला जाना चाहिए। राज्य सरकारों की

सिफारिश पर ही पूरा ध्यान न देकर केन्द्र सरकार को अपनी ओर से भी इस बात का सर्वे करवाना चाहिए कि किस जिले में उद्योगों की हालत क्या है, कितना धन उद्योगों में लगा है तथा कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा और क्या-क्या उद्योग लगाने की सम्भावना है तथा कच्चा माल क्या-क्या उपलब्ध है।

बूंदी जिले में भारी मात्रा में चूने का पत्थर उपलब्ध है तथा सिर्फ एक 70 साल पुरानी ए०सी०सी० की सीमेंट फैक्टरी है। पूरा बूंदी जिला उद्योग रहित होते हुए भी इस जिले को "जीरो इण्डस्ट्री जिला" घोषित न किया जाना आपत्तिजनक है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि बूंदी जिले में उपलब्ध चूने के पत्थर की बहुतायता को देखते हुए एवं उद्योग रहित जिला होते हुए एवं बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान के बूंदी जिले को "जीरो इण्डस्टी जिला" घोषित किया जाना चाहिए।

(छः) उत्तर बिहार को प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : बूढ़ी गण्डक, कोसी एवं कई अन्य नदियों के जलस्तर में निरन्तर वृद्धि से उत्तरी बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ के चपेट में प्राय: हर साल आ जाते हैं और इसके बचाव के लिए सरकार काफी धन व्यय करती है। सारण तटबंध, पिपरा पिपरासी बांध एवं कई अन्य उपाय भी किए गए हैं, लेकिन इसमें दरार पड़ने के सम्भावनाएं बनी रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में इस क्षेत्र के तमाम नागरिकों को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए स्थाई व दीर्घकालीन व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है, जो राज्य सरकार की क्षमता से बाहर है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय सहायता व आर्थिक अनुदान देकर पश्चिमी व पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज एवं समीपवर्ती क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए स्थाई व दीर्घ-कालीन उपाय व व्यवस्था करने के आदेश अविलम्ब जारी करें।

(सात) माही बजाज सागर बांध के निर्माण के कारण बेघर हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के किसानों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभूलाल रावत (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बांसवाड़ा जिले राजस्थान में माही बजाज सागर बांध से 112 गांव डूब गए हैं। इनके पुनर्वास के लिए 3500 काश्तकारों को जमीन एलाट की गई थी। अभी तक इस क्षेत्र के किसानों को उस जमीन का कब्जा नहीं दिया गया है और बसाया नहीं गया है। सभी आदिवासी किसान हैं। इन सब लोगों को जमीन के कब्जे दिए जाकर बसाए जावें साथ ही माही के आसपास के 112 गांवों के लोगों को लिफ्ट सिंचाई द्वारा कृषि के लिए पानी दिया जाए।]

(आठ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा कार्ड धारकों के लिए देश के विभिन्न अस्पतालों में पृथक यूनिटें खोले जाने की आवश्यकता

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : संसद सदस्य और सरकारी कर्मचारी अवकाश प्राप्त करने के उपरांत भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी० जी० एच० एस०) कार्ड अपने पास रखते हैं, लेकिन

उनमें से बहुत सदस्य और सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि ऐसे बहुत कम अस्पताल हैं जहां सी० जी० एच० एस० कार्ड को स्वीकार किया जाता है। देश के विभिन्न शहरों और अनुमंडलों के अस्पतालों में सी० जी० एच० एस० कार्ड धारकों के लिए अलग इकाई खोली जानी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द आवश्यक आदेश जारी करें।

— — — —

12.38 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 की संख्या-2) संघ सरकार रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 और 12 [जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कुमारी ममता बनर्जी द्वारा 24 जुलाई, 1989 को भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए। वर्ष के प्रतिवेदन (1989 की संख्या-2) सेवा सरकार रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 और 12 के तहत उठाए गए विषय पर आगे चर्चा करेगी।

श्री श्रीपति मिश्र : अनुपस्थित।

श्री आसुतोष लाहा (दमदम) : इस समस्या पर चर्चा हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं जिसने पिछले कुछ दिनों से हम सभी को परेशान कर रखा था। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ दिनों से इस सम्मानीय सभा की कार्यवाही रुक गयी और विपक्ष के अड़ियल रवैये तथा सारहीन आधार के कारण सभा में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के पहले यदि मुझे कल विपक्ष द्वारा सभा से त्यागपत्र देने की घटना के सम्बन्ध में यह कहने की अनुमति है तो मैं कहूंगा की भारतीय संसद के इतिहास में यह घटना एक काला दिवस के रूप में जानी जाएगी।

यह त्यागपत्र और नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में हो-हल्ला मचाना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। आपको याद होगा कि पिछले बजट सत्र के दौरान जब पंचायती राज-विधेयक प्रस्तुत किया जाना था तब भी विपक्ष ने इस विधेयक को लागू न होने देने के लिए खूब हो हल्ला मचाया था और विपक्ष में भ्रम हो गया था। इस सत्र के अंतिम चरण में, अर्थात् चार साल और सात महीने के पश्चात जब विपक्ष ने यह अनुभव किया कि वे केन्द्र सरकार और हमारे प्रधान मन्त्री को प्रगतिशील विधान अपनाने से नहीं रोक सकें, तो सभा पटल पर रखे गए नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की आड़ लेने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। महोदय, यह नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है। यदि मुझे विनम्रता के साथ यह कहने की अनुमति है, तो मैं कहूंगा कि दुर्भाग्यवश हम न्यायालय के समक्ष नहीं है, यदि ऐसा होता तो यह प्रतिवेदन उसी समय अमान्य कर दिया जाता। आखिरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 और 149 के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और कृत्यों का उल्लेख किया गया है। महोदय, मन्त्री महोदय के लिए यह बहुत ही खेद की बात है जो संसद में पहली बार आए हैं कि उन्हें हमें विपक्ष के निराशा और हतोत्साह के कारण ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। जब नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने प्रतिवेदन तैयार

[श्री आशुतोष लाहा]

किया तो वह अधिकार क्षेत्र से बहुत आगे चले गए, जो कि एक अधिनियम द्वारा संविधान में उल्लखित है और जिसे "नियन्त्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम, 1971"—कर्त्तव्य, शक्ति और सेवा शर्तें, कहा जाता है। इस सभा में बहुत कुछ कहा गया है। मैं परेशान नहीं करना चाहता, मैं उन धाराओं का उल्लेख नहीं करना चाहता जिनमें नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य और कृत्य परिभाषित किए गए हैं। इनकी जानकारी सभी को है। यह भी अच्छा है।

इस सभा से त्याग-पत्र देने वाले प्रत्येक विपक्षी सदस्य को इस बात की जानकारी है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का निर्धारित कार्यक्षेत्र केवल लेखा-परीक्षा तक ही सीमित है अर्थात् केवल वित्तीय पहलू तक ही सीमित हैं।

महोदय, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जब एक चार्टर्ड एकाउटेंट किसी कम्पनी का लेखा-जोखा तैयार करता है तो क्या उसे मशीन की गुणवत्ता की जांच करने का भी अधिकार है। क्या यह उसका कार्य है? क्या यह कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट के क्षेत्राधिकार में है। क्या ऐसी व्यवस्था है। इसी तरह नियन्त्रक महालेखा परीक्षक उन सभी प्रश्नों की जांच नहीं कर सकते जो उन्होंने अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए हैं।

महोदय, अब मैं नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से कुछ पैरा लेता हूं। सर्वप्रथम, इसमें कोई ठोस आरोप नहीं लगाया गया है। कृपया इस बात को समझिए। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने प्रतिवेदन तैयार किया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? क्या इसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस आरोप लगाया गया है?

जहां तक तर्क की बात है, क्या नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया है और क्या इस सभा के सदस्यों ने इस मुद्दे पर त्यागपत्र दिया है—इस आधार पर त्यागपत्र दिया है? लेकिन उन्होंने राज्य सभा से त्याग पत्र नहीं दिया है। उनकी दलील थी कि प्रधान मन्त्री त्याग-पत्र दें। ये उनका मुख्यतः मुद्दा है। उन्होंने राज्य सभा से त्याग-पत्र न देने का यह तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य सभा एक स्थाई सदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, न तो इस सम्माननीय सभा के सदस्य मूर्ख हैं और न ही इस देश के लोग। ऐसा कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति को एक दिन मूर्ख बना सकते हैं, कुछ व्यक्तियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं; लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते हैं। ऐसी कहावत है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम सभा के भूतपूर्व सदस्यों के आचरण की चर्चा कर रहे हैं? क्या इस पर चर्चा करना प्रासंगिक है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रासंगिक है या नहीं, हम देखेंगे।

श्री आशुतोष लाहा : अतः मैं नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 11-2-06 से एक पंक्ति उद्धृत करता हूं। मैं मात्र पंजीकृत उद्धृत करूंगा जिससे यह सिद्ध होगा कि इस रिपोर्ट में न केवल इस इस अधियम द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्र का उल्लंघन हुआ है बल्कि यह किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाई है।

मैं मात्र तीन पंक्ति उद्धृत करूंगा :

"लेखा परीक्षा के दौरान कतिपय अभिलेखों एवं प्रलेखों का अवलोकन करने से, यह पता चला कि विभिन्न समय और विभिन्न स्तरों पर बोफोर्स सौदे की संवीक्षा के बारे में कई विकल्पों पर विचार किया गया था।"

प्रतिवेदन में कहा गया है कि 'ऐसा लगता है।' यह एक अनुमान है। यह एक निष्कर्ष नहीं है। इसकी भाषा ही अस्पष्ट है। मैं भी संयुक्त संसदीय समिति का एक सदस्य था। सभी तोपों का अवलोकन करने के पश्चात्, दो तोपों के बारे में विचार किया गया बोफोर्स और सोफमा। इन दोनों तोपों के लाभ और हानि सम्बन्धी तुलनात्मका अध्ययन संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखे गये संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों और हमारी सेना के सदस्यों के मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था कि इस संबंध में बोफोर्स तोप उपलब्ध तोपों में से सर्वोत्तम तोप है। कार्यप्रणाली के मूल्यांकन के समय बोफोर्स तोप और सोफमा तोपों की कार्य प्रणाली तथा अन्य सभी बातों को ध्यान में रखा गया।

महोदय नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में तीन-चार आधार की बात की गई है जो जोकि संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन अनुरूप नहीं है। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का पद संविधान के अन्तर्गत सृजित किया गया है जबकि संयुक्त संसदीय समिति संसद द्वारा गठित की गई थी। उन्हें इस बात की सफाई देनी चाहिए और उन्हें यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने संयुक्त संसदीय समिति की कार्यवाही में भाग क्यों नहीं लिया। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने इसमें भाग क्यों नहीं लिया इसके कारण प्रतिवेदन में दिए गए हैं। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जो भी दस्तावेज और साक्ष्य इस सम्बन्ध में लिए गए थे, नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक इसमें भाग ले सकते थे या संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश हो सकते थे और उन दस्तावेजों का लाभ उठा सकते थे और उन दस्तावेजों का लाभ उठा सकते थे लेकिन संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष आये बिना ही नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में टिप्पणियां की हैं।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि न तो सामान्य स्टाफ़ गुणात्मक आवश्यकता तैयार की गई और न ही को आधारक तैयार किया गया था और फलस्वरूप सौदा समिति को निर्णय लेने में कठिनाई हुई नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने यह पहली बात बतायी है यो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है। दूसरे, निर्माताओं के दावों की भारत में जांच नहीं की गयी इसलिये पूर्णतः विश्वसनीय नहीं थे। तीसरे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मूल्यांकन परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों की उपयुक्तता के बारे में आपत्तियां की थी। चौथे, थलसेना मुख्यालय ने स्वयं छः अवसरों पर सोफमा प्रणाली को अपनी वरीयता दी। यह बड़ी गम्भीर टिप्पणी है। फरवरी, 1986 में इस वरीयता को उलटकर बोफोर्स की सिफारिश की गयी। इन तीन-चार टिप्पणियों में से अन्तिम टिप्पणी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने कहा है कि छः बार सोफमा को वरीयता दी गयी परन्तु अन्ततः बोफोर्स की सिफारिश की गयी। परन्तु दुर्भाग्यवश नियन्त्रक- महालेखा परीक्षक ने थल सेना द्वारा दिये गये सभी कागजों पर गौर नहीं किया है।

तीन कारणों से बोफोर्स का सर्वोत्तम तोप के रूप में चयन किया गया। इसकी एक वजह यह थी कि इसकी मारक क्षमता सोफमा तोप में नहीं थी। संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किया गया। संयुक्त संसदीय समिति को इन दोनों तोपों की गुण और क्षमता बतायी गयी। बोफोर्स तोप की मारक क्षमता केवल बतायी ही नहीं गयी थी बल्कि इसे समिति के सदस्यों ने देखा भी था। दूसरे, यह गोला दागने की क्षमता के कारण बेहतर थी। इस कारण बोफोर्स और सोफमा

[श्री आशुतोष लाहा]

तोप में अन्तर था। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने बोफोर्स तोप के चयन के विरुद्ध ऐसी विपरीत टिप्पणी करने से पहले यह बात नहीं बतायी है। गोला दागने की क्षमता थल सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। दो सेकंड के अन्तर के कारण बोफोर्स की सिफारिश की गयी प्रदर्शन के समय संयुक्त संसदीय सदस्यों को बताया गया तथा नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को इसकी भली-भांति जानकारी थी कि सोफमा तोप से तीन बार गोला फेंकने में 15 सेकंड लगते हैं जबकि बोफोर्स तोप से 13 सेकंड लगते हैं। अब थल सेना के लिए दो सेकंड का अन्तर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे समझ सकता हूं। कल, श्री साठे ने ठीक कहा था कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने सम्भवत: अपने आपको थल सेना का जनरल समझा। वह सम्भवत: "जनरल" का अर्थ नहीं समझ पाये। इसलिये वह इन दो सेकंड का आशय नहीं समझ सके। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस पहलू को कोई महत्व नहीं दिया है। इसके विपरीत, उन्होंने इस विषय के बारे में अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है ? नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने टिप्पणी की है कि बोफोर्स तोप ऊच्चतर स्वचलन क्षमता के कारण दोषपूर्ण है ? उन्होंने इस रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है। सोफमा और बोफोर्स की तुलना करते समय नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने दूसरी बात पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। वित्तीय भाग को भूल जाइये चाहे 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपये का अन्तर है। इस समय मैं विषय के इस पहलू की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम दूसरे देश से रक्षा के लिये तथा सेना को सुसज्जित करने के लिये तोपें खरीद रहे है तो कीमत का प्रश्न महत्वपूर्ण है परन्तु दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। सोफमा तोप चलाने के लिये 7 व्यक्तियों की आवश्यकता है जबकि यह प्रमाणित किया जा चुका है कि बोफोर्स तोप चलाने के लिए केवल 6 व्यक्तियों की आवश्यकता है। यह स्वीकार किया जा चुका है। और इसे कोई चुनौती दे सकता। युद्ध के दौरान एक व्यक्ति के अन्तर से देश हिसाब में क्या बहुत बड़ा अन्तर नहीं आता ? नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक इसे क्यों नहीं समझ सके ?

जहां तक वित्तीय भाग का सम्बन्ध है, उसे स्वीकार किया जाए, चाहे बोफोर्स हो या सोफमा। स्वीडिश प्रणाली फ्रेंच प्रणाली से 98 करोड़ रुपये सस्ती थी। बोफोर्स प्रणाली के लिये चालक व्यक्तियों की कम आवश्यकता के कारण 1400 तोपों को चलाने से 125 करोड़ रुपये के लाभ का मूल्यांकन किया गया। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने कम चालक व्यक्तियों के लाभ पर विचार नहीं किया। किसी भी स्थिति में यह 98 करोड़ रुपये से कम नहीं है। इसके अतिरिक्त 10 तोपें मुफ्त थीं। उसे भी ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार वित्तीय पहलू पर गम्भीरता से विचार करने के बाद निस्संदेह साधारण व्यक्ति समझ सकता है कि बोफोर्स तोप सोफमा तोप से केवल उत्तम ही नहीं है बल्कि बोफोर्स की शर्तें सोफमा से अधिक बेहतर थी। श्री शाहबुद्दीन ने सभा में मेरी टिप्पणियों के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। परन्तु क्या हम इस ओर बिल्कुल ध्यान दें ? सम्पूर्णघटना इस रिपोर्ट चारों तरफ घूमती है। हम कोई टिप्पणी किये बिना चुप नहीं बैठ सकते। अपनी टिप्पड़ियां समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने बिना गौर किए इस रिपोर्ट के आधार पर सभा से त्यागपत्र दिए हैं उनकी एक मंशा सरकार को लोकप्रिय कानून बनाने से रोकना है तथा वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं। इस लिए उन्होंने इसके आधार पर सभा से त्यागपत्र दिया है। वास्तव में इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नही कहा गया है। जिससे विपक्ष ने ऐसा निर्णय लिया है।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

1.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन [1989 का संख्या 2]—संघ सरकार-रक्षा सेवाएं [थल सेना और आयुध फेक्टरियां] के पैरा 11 और 12 [जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकरलाल बोलें।

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल : (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की जो रिपोर्ट 31 मार्च, 1986 तक के लिए जल, थल सेना और आयुध फैक्टिरियों के सम्बन्ध में सदन के समक्ष प्रस्तुत हुई है और जिसके पैरा 11 और 12 को कम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति दी गई है, के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 148, 149, 150, 151 का हवालाती हमारे सदन में माननीय सदस्यों ने दिया, यह भी बताया कि सी० एण्ड ए० जी० का पद है लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सी० एण्ड ए० जी की रिपोर्ट पर चर्चा करने का अधिकार तो है ही लेकिन संविधान के अनुच्छेद 121 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह बताने के लिए कि न केवल हम सी० एण्ड ए० जी० की रिपोर्ट को चर्चा का विषय बनाने के लिए अधिकृत हैं बल्कि हम सी० एण्ड ए० जी० के कन्डक्ट के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं और इसके लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 121 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि—"उच्चतम-न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में किए गए, आचरण के विषय संसद में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर होगी, अन्यथा नहीं।

[हिन्दी]

यह रेस्ट्रिक्शन है।

[अनुवाद]

यह संसद में चर्चा पर प्रतिबन्ध है। और यह पार्लियामेंट के जनरल प्रोसीजर के तहत भी बताया गया है कि कौन से पदों के सम्बन्ध में, कौन से व्यक्तियों के सम्बन्ध में हम चर्चा नहीं कर सकते उनके कण्डक्ट के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 121 के तहत जो रेस्ट्रिक्शन है उसके तहत केवल सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्टस के जजों के कण्डक्ट के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। इसके अन्दर कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल, नियन्त्रक और महालेखाकार की कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस अनुच्छेद के अन्दर, यह बात नहीं कही कही गई है कि हम कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल के सम्बन्ध में चर्चा न कर सकें। इसलिए जबकि संविधान के अन्दर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम किसके लिए चर्चा नहीं कर सकते और उसके तहत यह पद नहीं आता है तो मैं इतना कहूंगा कि जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसके ऊपर चर्चा कर ही सकते हैं लेकिन सी० एन्ड ए० जी० का कण्डक्ट यदि ऐसा रहा है तो उसके ऊपर भी हमें चर्चा करने का अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 121 के तहत।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस रिपोर्ट को माननीय सदस्यों ने पढ़ा है तो यदि इसको प्रारम्भ से पढ़े तो ऐसा लगता है कि एक जो निष्पक्ष एटीट्यूड होना चाहिए, जिस प्रकार की इल विल न होकर भावना होनी चाहिए, वह उसके अन्दर स्वभावत: नहीं है और यह इसलिए नहीं है कि इस रिपोर्ट के प्रारम्भ में कहा गया है कि उन्होंने मार्च, 1986 के अन्दर फाइलें आर्मी हैड क्वार्टर से मांगी और यह कह रहे हैं कि उनको दो साल के बाद फाइलें उपलब्ध कराई गई। हालांकि उनको पता है और वे कहते हैं कि फाइलें उपलब्ध कराने में देरी इसलिए हुई, क्योंकि दोनों सदनों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा इन्क्वायरी जारी थी और सदन के अन्दर भी चर्चा जारी थी। दूसरे उन्होंने इस बात को आगे जाकर कहा है, आर्मी हैडक्वार्टस और उनके बीच में जो कॉरिसपोंडेंस हुई है, आर्मी हैडक्वार्टस आया है कि अगर सी० एन्ड ए० जी० रिकार्ड को देखना चाहते हैं तो वे आर्मी हैडक्वार्टर आकर रिकार्ड का अवलोकन कर सकते हैं। इस पर सी० एण्ड ए० जी० ने वापिस जवाब दिया है, सी० एन्ड ए० जी० को कान्स्टीचूशन अथारिटी है और उन्हें हैडक्वार्टर पर फाइलें देखने की जरूरत नहीं है, उन्हें फाइलों को यहां पर लाना होगा। इस प्रकार के जवाब से प्रतीत होता है कि उनको आफेंड-फील हुआ है। तीसरी बात उन्होंने यह कही स्वीडन की सरकार ने ऑडिट के बारे में, वहां पर ऑडिट हो, जो वहां की बात थी लेकिन भारत सरकार ने पूरा ऑडिट करने के लिए सी० एण्ड ए० जी० को क्यों अधिकृत नहीं किया। सी० एन्ड ए० जी को स्वीडन जाने का मौका नहीं दिया। यह बात इसमें कही गई है। ये तीनों बातें ऐसी लगती है—एक फाइलों के बारे में चर्चा; दूसरे हैडक्वार्टर के ऊपर यह कहना और से इन्कार करने के बाद अपनी अथोंटिसिटी बताना कि हमको 148 और 151 के अन्तर्गत अधिकार है और कानून 171 जो बना हुआ है, उसके अन्दर अधिकार है; तीसरे भारत सरकार ने पूरा ऑडिट करने के लिए हमें पूरा अधिकार क्यों नहीं दिया। सी० एन्ड ए० जी० ने जो इन बातों का हवाला दिया है उससे कोई भी साधारण आदमी इस बात का नतीजा निकाल सकता है कि सी० एण्ड ए० जी० को वास्तव में आफेंडेड फील हुआ है। इसलिए उनको जिस प्रकार की रिपोर्ट देनी चाहिए थी, हो सकता है कि इसलिए उनके ऊपर यह असर पड़ा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। सदन में रिपोर्ट पेश हो जाती है

और जैसा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि वह फिर पी०ए०सी० को जाती है। फिर पी०ए०सी० की रिपोर्ट आने के बाद वापिस सदन में आती हैं और उसके बाद अन्तिम निर्णय होता है। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री, साठे जी, ने कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा, जब दोनों सदनों की जे० पी० सी० है और उसकी पूरी पावर्स थी इसलिए उसको माना जाएगा। जो पार्लियामेंट निर्णय होता है, उसके बाद सी० एण्ड ए० जी० की रिपोर्ट कोई अर्थ नहीं रखती। जिसके अन्दर इन्क्वायरी की गई और उसके अन्दर भी सी. एन्ड ए. जी. को इन्वाइट किया गया था। संविधान के अनुसार यह हाउस सुप्रीम है। इस बात को मैं कभी स्वीकार नहीं करता कि यह रिपोर्ट वापिस पी. ए. सी. को जानी चाहिए।

जब दोनों सदनों की ज्वाइंट कमेटी ने इसके ऊपर निर्णय ले लिया है, और संविधान के अनुसार इस सदन का, पार्लियामेंट का निर्णय है, तो उस निर्णय को वापिस न तो कोई सी. एण्ड ए. जी. देख सकता है और न पी. ए. सी. देख सकती है। इसलिए इसको वापिस करने की जरूरत नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा, इस बात को लेकर हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने इस बात को कहा है कि हम जनता की अदालत में जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अन्दर अगर कोई जनता की कोई सबसे बड़ी अदालत है तो यह लोक सभा है। इसका अभिप्राय: यह होगा कि जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और जनता की अदालत में जाने की बात कही है, वे इस पार्लियामेंट को, इस लोकसभा को जनता की अदालत नहीं मानते।

जनता का नाम लेकर उसका दुरुपयोग किया जाता है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो आजकल बातें चल रही हैं और हर एक बात में जनता का नाम लेकर, जनता के नाम पर दल बनता है और जनता के नाम पर वोट लेने की बात कही जाती है, वह कहां तक उचित है। जनता का तात्पर्य है हमारे पूरे देश की मासेज, हमारे देश के करोड़ों की तादाद में जो सब लोग हैं, वह जनता है और कुछ लोग मिल कर जनता के नाम पर यह कहें कि हम जनता हैं या इस जनता दल हैं और हम इस जनता के सामने जाएंगे, तो यह कहना चाहिए कि उनका यह सोचने का तरीका जो है, वह गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह यह है कि उन्होंने कहा कि राजीव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके इस्तीफा न देने के कारण वे खुद इस्तीफा दे रहे हैं और जनता के सामने जाने की बात कहते हैं। अगर राजीव जी इस्तीफा दे दें, तो जनता ने जो राजीव जी को इतनी भारी मैंजोरिटी का मेन्डेट दिया हुआ है, जहां उनके और उनकी पार्टी के 397 सदस्य लोक सभा में बैठे हुए हैं और भारत की जनता ने जिनको इतना बड़ा बहुमत दिया है, वह केवल कुछ चन्द आदमियों के कहने पर इस्तीफा दे दें, तो वे जनता के निर्णय के प्रति गलती करेंगे और यह गलती राजीव जी करने वाले नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह राजीव जी, जिनको देश के इतिहास में इतना भारी बहुमत लोक सभा में मिला और जिन्होंने प्रधान मंत्री बनने के बाद देश की छवि को सुधारा है, वह हिस्टोरीकल और ऐतिहासिक है, वह हमारे इतिहास के अन्दर चिरस्मरणीय और अमर रहेगा और यही कारण है कि अब विरोधियों ने यह देखा कि राजीव जी इस सत्र के अन्दर अब जनता को पावर देने की बात कर रहे हैं और पंचायती राज की बात उन्होंने कही और जनता को ताकत देने के लिए ही संविधान में संशोधन करने वाला 64 वां एमेंडमेंट लाए और 15 मई को उसको इस सदन में पेश किया और ग्रामीण जनता को ही केवल पावर देने की बात नहीं है बल्कि शहरी जनता को भी पावर देने लिए उसी प्रकार का एक संशोधन कानून लाने की बात जब राजीव जी सोच रहे हैं, तो इन लोगों

[श्री शंकर लाल]

में घबड़ाहट हुई। राजीव जी ने जवाहर रोजगार जैसी योजना बनाई और गांवों के अन्दर, जो लोग बेरोजगार थे, उनको रोजगार देने की बात कही और सभी गांवों के लोगों से सम्पर्क करना शुरू किया और इस प्रकार की योजना आई, तो इससे घबड़ाकर, ये लोग ऐसी बातें करने लगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान के लोग यह कहेंगे कि पंचायती राज का जो एमेंडमेंट पेश हुआ, उसके अन्दर ये लोग भागीदार बनना चाहते थे और लोगों को पावर देने के मामले में वे भागीदार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए जनता के लिए अच्छे कानून के बनने में भागीदार न होकर और उसके विरोध में आकर केवल जनता के नाम का दुरुपयोग करके, इन्होंने यहां इस्तीफा दिया है। इसको हिन्दुस्तान की सारी जनता अच्छी तरह से समझती है और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो सी० एन्ड ए० जी० की रिपोर्ट है, उसके ऊपर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोक सभा के अन्दर जे. पी. सी. का इसमें फैसला हो चुका है।

इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, पतझड़ में रातोरात खिले हुए फूलों का बाग मुरझाये हुए फूलों का हो गया और क्यारियां खाली हो गयीं।

मैं अपने साथियों के विचार से, जिन्होंने सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है, पूरी तरह से सहमत नहीं हूं परन्तु मैं राष्ट्र के प्रति उनके आत्म-बलिदान जैसा कि उन्हें उचित लगा है के बारे में अपनी धारणा व्यक्त करना चाहता हूं।

सभा में नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का संवैधानिक दर्जा भली-भांति बताया गया है। जैसाकि डा० अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान के अन्तर्गत नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का सम्भवत: सबसे महत्वपूर्ण पद है। मुझे खेद है कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक पर आरोप लगाया गया है, उपहासक और अनादरपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग किए गए है तथा उसकी निष्ठा पर आरोप लगाया गया है।

मेरे विचार से यह उच्च सिद्धांतों का, जिनके आधार पर लोकतन्त्र को कार्य करना चाहिए, उल्लंघन है। मैं अपनी तरफ से नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को, उनको रिपोर्ट, समर्पण वचनबद्धता, स्वतन्त्रता, निष्ठा तथा सरकार के कार्य में उनकी अन्तर्दृष्टि के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, सभा में रिपोर्ट की चर्चा के औचित्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया है। मैं अनुभव करता हूं कि सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम संविधान के अनुच्छेदों की उपेक्षा नहीं कर सकते। सभा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है इसलिए सभा को चर्चा कराने का पूरा अधिकार है। समिति को दिए गए दायित्व को इन सिद्धांतों द्वारा अमल में लाया जा सकता है। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि सभा में नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो कि जनहित का महत्वपूर्ण मामला है, पर चर्चा करना कोई गलत कार्य नहीं है। निस्संदेह सरकार तथा सत्तारूढ़ पक्ष नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते परन्तु उन्हें मामले के बारे में अपने विचार व्यक्त करने तथा उठाये गए प्रश्नों के सम्बन्ध में, अपने दृष्टिकोण और स्पष्टीकरण देने का अवसर मिला है। इस सबके बावजूद हमें विचार-विमर्श करने से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि जो चर्चा हम कर रहे हैं वह लोकतंत्र में वैधानिक तथा उचित कार्य है।

लेखा परीक्षा की गुंजाइश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया है। महोदय, मैं पिछले 20 वर्षों से प्रशासन का सदस्य रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने लेखा परीक्षा पर आपत्तियों का सामना किया है। किंतु निश्चित रूप से मैं सदा ही लेखा परीक्षा दल को सन्तुष्ट करने में सफल रहा हूं। लेखापरीक्षा के दो स्तर होते हैं, उनमें से एक प्रथम दृष्टया वर्तमान नियमों और विनियमों के उल्लंघन गबन के मामले, दुरुपयोग के मामले आदि-आदि। ये जल्दी ही पकड़ में आ जाते हैं। किंतु एक उच्च लेखा परीक्षा होती है। उच्च लेखा परीक्षा त्रुटियों की जांच करनी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धन का अपने कार्यों के लिए उपयोग कर रहा होता तो वह क्या करता। महोदय, उच्च लेखा परीक्षा में सामान्य सूझ-बूझ की आवश्यकता होती है, समझदारी की आवश्यकता होती है और जन उत्तरदायित्व के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी यह मालूम होता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकरण और विशेषकर इस रिपोर्ट के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं।

किंतु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि नियन्त्रक एवं महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट से हमारी जानकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ। जो तथ्य हमें पहले से मालूम है, उनके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं बताया गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लेते, वे गवाहों से पूछताछ नहीं करते, वे बाह्य स्रोतों का प्रयोग नहीं करते वे केवल सरकारी विभागों द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई फाईलों तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए मुझे यह आशा नहीं थी कि इस रिपोर्ट से हमें बोफोर्स द्वारा दी गयी दलाली किसने ली, इस महान राष्ट्रीय खोज में कोई मदद मिलेगी। किंतु महोदय उससे इस अवसर का महत्व समाप्त नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लोगों को पहले से मालूम तथ्यों की पुष्टि उच्चतम समक्ष संवैधानिक प्राधिकारी ने की है। महोदय, उस दिन संसदीय कार्य मन्त्री श्री भगत सही ही कह रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण का आधार तर्कसंगत चर्चा है। वास्तव में ऐसा ही है। किंतु उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम एक-दूसरे के बारे में अक्सर बात करते हैं एक-दूसरे से नहीं, हम विचारों का आदान-प्रदान कभी नहीं करते।

हम अपने-अपने दल के बंदी हैं। हम दबाए में हैं। स्वतन्त्र रूप से विचारों का आदान-प्रदान नहीं होता और सम्भवत: हमें इस विषय में सोचना चाहिए कि हम अपनी प्रणाली के कार्यकरण में सुधार किस प्रकार ला सकते हैं।

महोदय, नियन्त्रक एवं महालेखा-परीक्षक को केवल इसलिए अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं पा लेनी चाहिए कि एक संसदीय समिति पहले ही मामले की जांच कर चुकी है। वास्तव में जब उनसे सहायता के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वे इससे अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाते और उनकी स्थिति में इससे कोई परिवर्तन नहीं होता।

महोदय, मध्यम दूरी तक मार करने वाली तोपों सम्बन्धी एक मामला 1980 में दायर किया गया। इसे 1982 में ही इसे पूरे उत्साह से शुरू किया गया था। किंतु 1982 से 1985 के बीच फाइलें बड़ी धीमी गत से चलती रही। यह अत्यन्त धीमी गत थी। संभवत: उसी गत से जिसकी सरकार को आदत है। अचानक ही इस मामले में कुछ तेजी आयी। अक्तूबर, 1985 से फरवरी, 1986 के बीच यह गति यथासम्भव तीव्र हो गई, लगभग ध्वनि की गति। और आप देख सकते हैं कि 12 मार्च से 24 मार्च के बीच पहले एक आशयपत्र जारी किया गया, तत्पश्चात् एक करार पर हस्ताक्षर किए गए,

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

और आश्चर्य की बात तो यह है कि तत्कालीन रक्षा मन्त्री के मौखिक निदेशों तथा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बीच कुछ ही घंटों का अंतर था। यहां तक कि रक्षा मन्त्री के लिखित आदेश की प्रतीक्षा नहीं की गई। मैं जानना चाहता हूं कि अचानक इतनी शीघ्रता क्यों हुई अचानक ही सुरक्षा पर्यावरण की कमी पूरे करने की इच्छा कैसे हुई? रक्षा पर्यावरण को क्या खतरा था? स्पष्ट है कि सुरक्षा पर्यावरण की हमारी धारणा में कोई परिवर्तन आया होगा। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि 1986 में जब करार पर हस्ताक्षर किए गए तब से 1989 तक एक भी रेजीमेंट को यह चर्चित बोफोर्स तोप सप्लाई नहीं की गई। अत: सुरक्षा को खतरे की धारणा कहां थी? इतनी शीघ्रता क्यों की गई? भारत की जनता यह जानना चाहती है। मैं सरकार में भी रहा हूं। अत: मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसी बातें क्यों होती हैं। सेना मुख्यालय ने एक तकनीकी मूल्यांकन किया था। हम सक्षम नहीं हैं। यद्यपि यहां मेरे कुछ साथी उपस्थित हैं जिन्होंने नियन्त्रक एवं महालेखा-परीक्षक की तकनीकी समक्षता पर प्रश्न-चिह्न लगाने के उपरान्त स्वयं को तकनीकी विशेषज्ञ बताया है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं केवल तथ्य बता रहा हूं कि अक्तूबर, 8? से पूर्व एक तोप विशेष का पांच बार मूल्यांकन करके उसे बेहतर बताया गया। मैं एक तोप और दूसरी में क्या अन्तर है नहीं बता सकता हूं। यदि मैं उन्हें देखूं तो नहीं बता सकता कि कौन-सी बोफोर्स है और कौन-सी सोफमा। अचानक ही अक्तूबर 86 में स्थिति विपरीत हो गई। हम जानना चाहते हैं, क्यों?

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : क्या आपने जनरल का वक्तव्य नहीं पढ़ा?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं सुरक्षा पर्यावरण सम्बन्धी उल्लेख को समझता हूं किन्तु मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में यह जरूरी नहीं कि राजनीति के प्रश्न पर जनरल के विचार सदैव सही हों। जनरल तकनीकी बातों पर सही हो सकते हैं परन्तु नीतियों और राजनीति के विषय में सदैव यह आवश्यक नहीं है।

12 मार्च को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे तत्कालीन रक्षा मन्त्री और/अथवा वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त थी? आशय-पत्र जारी करने से पहले सभी आवश्यक एवं सम्बद्ध पहलुओं की जांच क्यों नहीं की गई? मैं जानना चाहता हूं कि 25 मार्च 1676 को प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर अमल क्यों नहीं किया गया? स्पष्ट रूप से उन्होंने यह महसूस किया कि अपनाई गई प्रक्रिया त्रुटिहीन नहीं है और उसे ठीक किया जाना होगा। उन्होंने एक निर्देश दिया था। इस आशय का कोई संकेत नहीं दिया गया था कि यह निदेश हाथ में लिए गए मामले पर लागू नहीं होगा। ऐसा संकेत नहीं था। यदि इस सम्बन्ध में कोई सन्देह था तो यह रक्षा मन्त्रालय का कर्तव्य था कि वे प्रधान मन्त्री अथवा रक्षा मन्त्री से पूछते कि क्या इसे इस मामले पर लागू किया जाना। ऐसा क्यों नहीं किया गया? प्रधान मन्त्री द्वारा ऐसा स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया कि अनुदेशों का वर्तमान सौदे में भी अनुपालन किया जाए, क्या प्रधान मंत्री चाहते थे कि नए अनुदेशों को लागू किया जाए? और प्रधान मंत्री के अनुदेशों का क्या हुआ? चार वर्ष के उपरान्त, 1989 तक नई मूल्यांकन पद्धति तैयार नहीं की गयी। स्वयं प्रधान मंत्री के निदेशों का इस सरकार में यह हाल होता है। मैं वास्तव में आश्चर्य चकित हूं।

हम करार की बात पर आते हैं। मई 1985 में रक्षा मंत्रालय द्वारा सभी सप्लायरों को यह बताया गया था कि रक्षा सौदों में किसी एजेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। निश्चित रूप से इसका यह अर्थ नहीं था कि एक भारतीय एजेंट को अनुमति नहीं दी जाएगी और विदेशी एजेंट को अनुमति

दी जाएगी अथवा विदेशी नागरिकता वाले किसी भारतीय एजेंट को अनुमति दी जाएगी। इसमें यह नहीं कहा गया था कि भारत के एजेंटों को अनुमति नहीं दी जाएगी किंतु विदेशों में रह रहे एजेंटों को अनुमति दी जाएगी। इसका अर्थ यह था कि किसी एजेंट अथवा मध्यस्थ की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा क्रेता एवं सप्लायर के बीच सीधा सौदा होगा। रक्षा मन्त्रालय के निर्णय का यह अर्थ होगा। रिकार्ड के लिए बोफोर्स से इस बारे में कभी पूछा क्यों नहीं गया कि वे भारतीय अथवा विदेशी भारतीय राष्ट्रिक अथवा विदेशी राष्ट्रिक, भारत में रहने वाले अथवा विदेश में रहने वाले किसी एजेंट को तो नियुक्त नहीं कर रहे ? उनसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा गया उनके प्रति ऐसी उदारता क्यों दर्शाई गई है ? नियन्त्रक एवं महालेखा-परीक्षक ने नहीं भारत के दूतावास ने सुझाव दिया कि चूंकि स्वीडन की सरकार ने अपने राष्ट्रीय परीक्षा दल को बोफोर्स लेखाओं की जांच के लिए कहा है, अतएव सरकार स्वीडन की सरकार से अनुरोध कर सकती है कि भारतीय लेखा परीक्षा दल को भी बोफोर्स लेखाओं की जांच करने की अनुमति दी जाए। यह सुझाव हमारी विदेश सेवा के अत्यन्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा सदाशयिता पूर्वक दिया गया था, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उस पर अमल नहीं किया गया उसे रफा दफा कर दिया गया। उस पर कभी विचार नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं, ऐसा क्यों हुआ ?

करार पर हस्ताक्षर होने के तीन माह पश्चात् जुलाई, 1986 में जब नियन्त्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा फाइलें मांगी गई जैसा कि उनका अधिकार था, तो दो वर्ष पश्चात् फाइलें उपलब्ध कराई गयी और वह भी अनेक अनुस्मारकों के पश्चात्। निश्चित रूप से सभी फाइलें सदैव श्री शंकरानन्द के पास नहीं रहती थी। ऐसा नहीं था। कुछ फाइलें कुछ समय तक रही होंगी, परन्तु निश्चित रूप से सभी फाइलें दो वर्ष तक संसदीय समिति के पास नहीं थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को रहस्य खोलने के लिए लगाया गया था। बहुत सुन्दर हमारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो इतना सक्षम है कि यह उन दस्तावेजों को भी नहीं हथिया सकता जिन्हें एक समाचार पत्र की ओर से काम करने वाली महिला पत्रकार आराम से हथिया सकती है। मैं बेशक केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पदच्युत करके उस महिला को इसका मुखिया बना दूंगा।

सरकार ने अन्ततः स्विटजरलैंड की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार भारत सरकार स्विस अधिकारियों से सहायता और सहयोग ले सकती है कि यदि अवैध रूप से लिया गया धन स्विस बैंक में जमा हो। हाल ही में मैंने वित्त मंत्री से पूछा था कि क्या रक्षा मन्त्रालय ने इस समझौता ज्ञापन के अनुसार कोई कार्यवाही की है।...(व्यवधान)

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : आप कैसे पूछ सकते हैं ? वह पद छोड़ चुके हैं। उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने नए वित्त मंत्री महोदय से पूछा था। वित्त मंत्री एक चालू संस्था है। मैंने मौजूदा वित्त मंत्री से पूछा था। "समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद इस ज्ञापन के तहत क्या अपने स्विटजरलैंड सरकार के पास जाकर सहयोग मांगा है ?" क्या आप जानते हैं मुझे क्या जवाब मिला ? उन्होंने कहा। "यह रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित मामला है। आप रक्षा मंत्रालय से क्यों नहीं पूछते हैं ?" और मैंने रक्षा मंत्री को भी लिखा था तथा रक्षा मंत्री ने अभी मुझे जवाब नहीं दिया है। इन सब बातों से शक-सन्देह का माहौल पैदा होता है। इन सब बातों से पारिस्थितिक प्रमाण के तत्व मिलते हैं जो लोगों को सोचने के लिए बाध्य करते हैं। यही कारण है कि मैं जब सरकार में था, मैंने कहा था कि हमारी यह आदत बनती जा रही है कि हम षड्यन्त्र से सरकार चला रहे हैं, जिसमें

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

हम यह निर्णय करते हैं कि हम पहले क्या करना चाहते हैं और फिर अवर सचिव से लेकर मन्त्री तक हम अपनी इच्छानुसार फाइलें पूरी करते है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरह सरकार चल रही है, यदि बोफोर्स सौदे से कुछ नहीं हुआ है तो कम से कम हमें इससे सरकार के काम-काज की प्रणाली के बारे में सचेत हो जाना चाहिए जहां कार्य के लिए व्यवस्था की जाती है जहां पहले ही निर्णय किए जाते हैं, जहां सभी बातें पूर्व-निर्धारित होती हैं और फिर उसी अनुसार कार्यवाही की जाती है।

जैसाकि मैंने रिकार्ड में देखा, इस सौदे को मंत्री मंडल के समक्ष कभी नहीं रखा गया। वह ऐसा सौदा था जिससे भारत के लोगों का जीवन और सुरक्षा प्रभावित होती है। यह एक ऐसा सौदा है जिससे भारी धनराशि 2000 करोड़ रुपए प्रभावित हुई और इस सौदे को केवल तत्कालीन वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने ही देखा, प्रधान मंत्री ने भी नहीं देखा। ऐसे महत्वपूर्ण समझौते पर विचार करते समय एक और बात की अनदेखी क्यों की गयी थी? यह एक संयोग की बात थी कि रक्षा मंत्री भी प्रधान मंत्री ही थे। यदि वह नहीं होते तो ऐसी हर एक फाइल सम्बन्धित मंत्रालय से स्वीकृत होने के बाद और वित्त मंत्रालय से स्वीकृत होने के बाद प्रधान मंत्री के पास जानी चाहिए थी। प्रधान मंत्री ने अपने विवेक से इसे स्वीकृत कर दिया होता या इसे मंत्री मंडल के समक्ष रखा होता। इन दो प्रक्रियाओं में से किसी का भी पालन नहीं किया गया। महोदय, मेरे विचार से तत्कालीन रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री पर इस सौदे का दायित्व है, चाहे यह अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है। महोदय, सौदा करने वाले दल में रक्षा मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय, दोनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। वित्त मंत्रालय के अधिकारी हमेशा अपने सचिव के सम्पर्क में रहते थे और शायद अपने मंत्री के सम्पर्क में भी रहते थे। इसलिए बातचीत से उतार-चढ़ाव, प्रत्येक घुमाव और मोड़ प्रत्येक रियायत, प्रत्येक प्रस्ताव, हर मांग हर अवस्था में हमेशा दोनों मंत्रियों की स्वीकृति से किए गए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वास्तव में क्या हुआ है।

अन्त में बोफोर्स ने हमें धोखा दिया है। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए उदाहरण के अनुसार किसी ने भारत के लोगों को धोखा दिया है। किसी ने भारत के लोगों के साथ हाल किया है। किसी ने हमारी रक्षा तैयारियों तथा लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने कटौती की, किसी ने दलाली खाई, किसी ने कमीशन किया। आज हम सभी अंधेरी सुरंग में हैं। परन्तु सुरंग के अन्तिम छोर पर रोशनी दिखाई दे रही है। उस सुरंग के अन्त में एक मनुष्य का रेखाचित्र है, मैं उस रेखा चित्र को देख रहा हूं, मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है मैं चेहरे को नहीं पहचान सकता। बेशक मैं चेहरे को पहचानना सम्भव नहीं है। परन्तु मैं निराश नहीं हुआ हूं। किसी दिन किसी समय निर्णायक प्रमाण मिलेगा और भारत के लोग आज भी सहज बुद्धि से उस व्यक्ति को जानते हैं और किसी दिन उसकी पक्की पहचान हो तथा वे उसे निकट भविष्य में ही दण्ड देंगे।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह सब शुरू हुआ उसी दिन से बहुत सारी चर्चा हुई है। जैसा कि शाहबुद्दीन ने ठीक ही कहा है कि बहुत अधिक शक-शुबे थे। महोदय, मेरे विचार में आज सुबह माननीय अध्यक्ष ने जो कुछ कहा उसे मैं समझ सकता हूं कि सभी ने इस पर चर्चा के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने इनकी अनुमति दे दी। बहरहाल ऐसा प्रतीत होता है कि हमने उलटा काम किया है।

महोदय, एक स्थापित प्रक्रिया है जिसे सामान्य कानून अथवा मौखिक कानून या परम्परा द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यह संविधान में ही है, यह कानून में है इसी सभा द्वारा बनाये गये अधिनियम में है और महोदय, इस महान सभा द्वारा निर्धारित विस्तृत लिखित प्रक्रिया में भी है। यह अनुच्छेद 148 से शुरू होती है। संविधान के निर्माताओं ने नियन्त्रक-महालेखा परीक्षा जैसी संस्थापना कर ऐसी महत्वपूर्ण संवैधानिक स्थिति का सहारा लिया है। ताकि गलतफहमी या सम्पर्क अन्तर न रह सके। उन्होंने संविधान के एक के बाद एक अनुच्छेद—148, 149, 150, और 151 के तहत यह किया गया है। महोदय, पहली बात जो हमें महसूस करनी चाहिए वह यह है कि संविधान द्वारा बनाई गई यह संवैधानिक संस्था है और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के सभी कार्य कानून द्वारा संमिति कर दिए गये हैं जो इस सभा द्वारा पारित किया गया था और जिसका नाम नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य शक्तियों तथा सेवा शर्त अधिनियम, 1971 है। महोदय, संविधान में दी गयी शक्तियों जो मेरे द्वारा उल्लेखित अनुच्छेदों में दी गई हैं, से बाहर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक कुछ भी नहीं कर सकता। यदि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक 1971 के अधिनियम में दी गई-शक्ति से बाहर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाता है तो किसी भी बात को कानूनी नहीं माना जायेगा। श्री शाहबुद्दीन ने कहा है कि अभी चर्चा करना उचित हैं। मैं उस दिन उपस्थित था जब माननीय अध्यक्ष को चर्चा के लिए सहमत होना पड़ा था। यह सच है कि लगभग समस्त सभा इस पर चर्चा करना चाहती थी। विपक्ष ने नियम 193 के अधीन चर्चा करने के लिए कहा था। परन्तु जब उन्होंने देखा कि हम भी चर्चा के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने चर्चा से दूर रहना बेहतर समझा और वे चर्चा से हट गये।

बेशक सभा सर्वोपरि है। हम भूल जाते हैं कि संसद सर्वोपरि है और संसद के विवेक को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या प्रक्रिया रखी गई है? नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट देंगे, मैं श्री शाहबुद्दीन से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि रिपोर्ट देते समय नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के पास और कहीं जाने की शक्ति नहीं है वे केवल फाइलों के अनुसार ही चलेगा। शक्तियां स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक किसी भी रिकार्ड की मांग कर सकता है, किसी भी कार्यालय में जाकर विवरण मांग सकता है। अब, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने रिपोर्ट दे दी है, चूंकि वह राष्ट्रपति के अधीन एक स्वतन्त्र अधिकारी है। राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर करके अपनी अनुमति दे दी है, जैसाकि कानून के तहत आवश्यक है। फिर इसे सरकार को दिया गया था और कानून सत्र के पहले दिन 18-7-89 को 5.30 म० प० पर इसे सभा में रखने का अवसर मुझे मिला था, जब आप सभा में थे, जैसाकि पहले वाले सत्र में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था। इसे सभा में रखने के तत्काल बाद अगले दिन शोर-शराबा हुआ था।

महोदय, मैं जानता हूं कि इस सभा को किसी भी विषय पर चर्चा करने का अधिकार है, जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यह सांत्वना है कि इस विषय चर्चा होनी चाहिए। जब नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति दे दी जाती है, जैसा कि अब हो रही है यदि आज मैं नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की आलोचना करता हूं तो यह न्यायोचित होगा। जहां तक लेखा प्रक्रिया का सम्बन्ध है, यह पता लगाना कि क्या सही है क्या गलत है, उसका काम है। यदि उसने अपनी अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है—जो हम देखते हैं, कुछ जगह उल्लंघन किया गया है-तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की आलोचना करने के लिए यह उचित समय तथा उचित स्थान नहीं है। नियम 308 के अधीन, इस सभा में रखने के बाद, जैसाकि मैंने इस मामले में किया है, यह स्वतः ही लोक समिति के पास जायेगा। लोक-लेखा समिति इस सभा के नियमों के तहत बनाई गयी है। लोक लेखा-

[श्री ए० के० पांजा]

समिति को नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट को अलंघनीय या निर्णायक मानने की जरूरत नहीं है। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लोक-लेखा समिति के पास जाने के बाद दो बातें की जाती हैं। पहले तो लोक लेखा समिति सम्बन्धित मन्त्रालय से रिपोर्ट देने के लिए कहती है—कृपया प्राकृतिक न्याय की पवित्रता देखिए और सम्बन्धित मंत्रालय अपनी टिप्पणियों सहित रिपोर्ट को फिर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के माध्यम से लोक-लेखा समिति के पास भेजेगा। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की प्रक्रिया में कानून के तहत प्रत्येक शब्द में प्राकृतिक न्याय निश्चित रूप से है। दूसरे संबंधित मंत्रालय अपनी रिपोर्ट पर टिप्पणियां तैयार करने के बाद इसे नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक इसकी जांच करने के बाद वापिस इस लोक लेखा समिति के पास वापिस भेजना है। अब लोकलेखा समिति की बैठकें होती हैं। लोकलेखा समिति के पास सचिवों को बुलाने तथा प्रश्न पूछने की शक्तियां हैं। दस्तावेज रखने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में लोकलेखा समिति के पास अंतिम अधिकार हैं और लोक लेखा समिति द्वारा निर्णय दिये जाने के बाद चर्चा का प्रश्न आ सकता है या नहीं आ सकता है।

रिकार्ड देखने पर ऐसा लगता है कि संसद के समक्ष चर्चा किए जाने के लिए अथवा चर्चा न किए जाने के लिए चार किस्म की रिपोर्टें पेश की गईं। मैंने उन्हें चार तरह से श्रेणीबद्ध किया है—

(क) वे रिपोर्टें जिन पर चर्चा नहीं की जाती;

(ख) वे रिपोर्टें जिन पर हमेशा चर्चा की जाती है;

(ग) वे रिपोर्टें जिन पर चर्चा की जाती है और जिन्हें स्वीकृत किया जाता है; और

(घ) वे रिपोर्टें जिन पर चर्चा की जा सकती है और चर्चा नहीं भी की जा सकती।

संसद की लम्बी परम्परा को देखने से ब्रिटिश संसद की लम्बी परम्परा से यह पता चलता है कि जिन रिपोर्टों पर सामान्यतः चर्चा नहीं की जाती अथवा आम तौर से जिन पर चर्चा नहीं की जाती, वे रिपोर्टें हैं—लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, याचिका समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की रिपोर्टें। लेकिन मुझे इनमें एक अपवाद नजर आया। संसद के रिकार्डों से ऐसा प्रतीत होता है कि लोक लेखा समिति की 55वीं रिपोर्ट उस विशेष मसले से सम्बन्धित थी, जिसके बारे में एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव पर लोक सभा में 22 अगस्त 1966 को चर्चा की अनुमति दी गयी थी।

यह एकमात्र अपवाद है जबकि लोकलेखा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति दी गई थी और अपने अनुभव से मैं लोक लेखा समिति की ऐसी किसी रिपोर्ट का हवाला नहीं दे सकता जिस पर चर्चा की गई हो। इस रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति क्यों दी गई थी? तत्कालीन अध्यक्ष महोदय को ऐसा लगा था कि, और उन्होंने यह टिप्पणी की थी कि जो कुछ औपचारिकताएं की जानी थी सदस्य द्वारा संकल्प पेश करते समय उन औपचारिकताओं का पालन किया गया, उसके लिए उन्होंने चर्चा के कुछ विशेष मुद्दे बताए थे जिन पर वह किसी का स्पष्टीकरण चाहता था। उन्होंने लोक लेखा समिति द्वारा अन्तिम निर्णय दिए जाने के बाद भी सम्बन्धित मंत्रालय की त्रुटि का जिक्र किया। वर्ष 1947 से

लेकर अब तक, केवल एक अपवाद रहा है और वह 22 अगस्त 1966 को हुआ था। ऐसा क्यों किया जा रहा है ? इसका कारण यह है किसी मसले को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

क्या हम यह मानें कि जिस दिन से यहां तर्क-वितर्क शुरू हुआ, विपक्षी सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना क्या अकस्मात भावुकता थी ? नहीं। कृपया देखिए कि ऐसा बारीक ताना-बाना बुना गया है, जिसके इर्द-गिर्द वे घूम रहे हैं। एक अन्य ऐसा दल भी है जिनसे उन्हें सदन से बाहर प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है। उनका ध्येय लोकतांत्रिक प्रणाली और संसदीय प्रणाली को नष्ट करना है। यदि आप कृपया मुड़कर देखें तो पाएंगे कि राष्ट्रपति के पद को चुनौती दी जा रही थी और इसे राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के बीच लड़ाई कहा गया है और यह प्रधान मंत्री के पद पर हमला है और वे विशेष रूप से देश के एक समाचार-पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय पर व्यंग कस कर उनके कार्टून छपवा सकते हैं, वे जनता के समक्ष उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और विधान-पालिका तथा संसद के समक्ष ऐसा करने के बाद वे न्यायपालिका का विरोध करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में निर्णय दिए जाने के तुरन्त बाद, इसी समाचार पत्र में अपने ही गुट के लोगों को पिछले विपक्ष के साथ मिल जाने के लिए कहा, और अब वे सदस्य भी नहीं है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती दी। लार्ड एटकिन और लार्ड डेनिंग ने कहा है अपितु जो न्याय किया गया है उस पर खुली आलोचना की जा सकती है लेकिन वह आलोचना भले ही खुले तौर पर की जाए लेकिन आदर सहित की जानी चाहिए।

महोदय, अध्यक्ष के रूप में कई जगहों पर और उपाध्यक्ष के रूप में आपको पद पर भी इस तरह से हमला किया है अर्थात पहले संसद पर हमला किया गया और फिर न्याय पालिका पर। अब शेष क्या रह गया है ? नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आने और उस समाचार पत्र द्वारा उसका समर्थन करने के सम्बन्ध में विवाद शुरू होने दीजिए। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक को हमारे ही संविधान में समर्थन मिला हुआ है। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 148 से 151 के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान करके उनकी स्वतंत्रता निश्चित की हुई है। उन्होंने इस बारे में सोच-विचार किया था और अपनी बात इस तरह कही कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता बनी रहे। उनकी पेंशन बंधी हुई है, वह सेवा-निवृत्त होने के बाद किसी भी तरह का सरकारी या-अर्ध सरकारी काम नहीं कर सकते। उनका पद एक न्यायाधीश की भांति है। एक प्रक्रिया वास्तविक न्याय की है न कि औपचारिकता। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश होने के बाद, यदि हम उस रिपोर्ट पर टिप्पणी देना आरम्भ करें, जैसा कि हमने किया है और नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति के सभापति आदि पर टिप्पणियां कसें तो हम अपने ही संविधान के साथ अन्याय करेंगे। हम ये सब बातें लोक लेखा समिति में ही कह सकते हैं। हमें यह बताना है कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने यह टिप्पणी देकर कि बोफोर्स तोप को चलाने के लिए छः लोगों की जरूरत होती है और सोफमा तोप को चलाने के लिए सात लोगों की जरूरत होती है, अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। रक्षा मंत्रालय इस बारे में क्यों स्पष्ट नहीं करता कि यदि इसे चलाने के लिए सात लोगों की जरूरत पड़ती तब कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी और यदि इसे चलाने के लिए 6 लोगों को जरूरत पड़ती है तब उसके कितना धन चाहिए ? मैं यह नहीं कहता कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा इस पहलू के संबंध में दी गई टिप्पणी गलत है। किन्तु रक्षा मंत्रालय का कर्तव्य/जिम्मेवारी है कि वह लोक लेखा समिति के समक्ष आकर यह बताए कि यदि चलाने के लिए सात लोगों की जरूरत है तब इतना धन खर्च होगा

[श्री ए० के० पांजा]

और यदि इसे चलाने के लिए 6 लोगों की जरूरत है तब इतना धन खर्च होगा। साथ ही यह भी बताएं कि यदि इसे चलाने के लिए 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी तब इसके प्रशिक्षण पर इतना धन खर्च होगा और यदि इसे चलाने के लिए सात व्यक्तियों की जरूरत होगी तब इनके प्रशिक्षण पर इतना धन खर्च होगा। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने कुछ टिप्पणियां दी हैं। किन्तु रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह लोक लेखा समिति के समक्ष इसका स्पष्टीकरण दे। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षण ने अपनी टिप्पणियां दी हैं। रिपोर्ट में यह शब्द कहे गए हैं कि यद्यपि सेना मुख्यालय ने दिसम्बर 1982 से अक्तूबर 1985 के बीच छः बार ऐसा कहा था और उन्होंने सोफमा तोप प्रणाली को वरीयता दी थी किन्तु फरवरी 1986 में निर्णय बदल दिया गया और बोफोर्स तोप को वरीयता दी गई। लेखापरीक्षा में भी कहा गया है कि इस विषय में संयुक्त संसदीय समिति का निर्णय जनरल सुन्दर जी के साक्ष्य के आधार पर दिया गया था और मैं इसे उद्धृत करता हूं :

> "कि फरवरी 1986 में फ्रांसी सी तोप के स्थान पर बोफोर्स तोप लेने का जो निर्णय लिया गया था, वह व्यावहारिक रूप से ठीक था। यदि सेनाध्यक्ष ने सुरक्षा की दृष्टि इसे बदलने में उपेक्षा की होती, तो वह अपने कर्त्तव्य का सही पालन न कर पाते।"

महोदय, क्या हमारे देश में सेना दस्तावेजों के बारे में खुले रूप में बताया जाता है? सेनाध्यक्ष ने इतनी सावधानी बरत कर यह वक्तव्य दिया है और इसकी भी जनता को जानकारी मिल गयी है। सार्वजनिक रूप से यह बताया गया कि उन शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए इन तोपों की बहुत जरूरत है जो किसी भी समय सेनाध्यक्ष द्वारा कही गयी बात का फायदा उठा सकते हैं। देश की सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए क्या हमारे लिए यह उचित है कि हम सेनाध्यक्ष की बात को काटें और उनसे पूछें कि हमारा शत्रु कौन है और तोपें कहां रखेंगे? क्या इन प्रश्नों का उत्तर देना उचित है? क्या इस देश में लोकतन्त्र नहीं है? यह लोकतन्त्र नहीं है।

महोदय, आज सुबह अध्यक्ष महोदय, ने बताया कि सब लोग इस पर चर्चा चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इसकी अनुमति दी। मेरे विचार से यह उचित समय है कि हम यह नहीं होने देंगे। मेरा अनुरोध है कि हमें अत्यन्त सुरक्षा की इन बातों पर इस तरह चर्चा नहीं होने देना चाहिए।

यदि लोकलेखा समिति है तो इसको लोकलेखा समिति में भेजना है। संसद ने कहा है कि इसे लोकलेखा समिति में जाना है। संविधान ने यह अधिकार दिया है। अधिनियम इस सदन द्वारा बनाया गया है। इस सभा ने कहा है "आप नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक हैं। आप को उस बारे में किसी भी रिपोर्ट के लिए ऐसा करना है।" अतः मेरे विचार में इसका सब से महत्त्वपूर्ण अभिप्राय यह परिणाम (क) यह देखा जाएगा कि जब संघ सरकार के लेखाओं से सम्बन्धित नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाते हैं, जो उन्हें संसद में रख जाते हैं, तो नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को इसे यहां रखने अथवा अध्यक्ष को देने अथवा प्रकाशित करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका निर्माण संविधान के अन्तर्गत हुआ है और वह हर प्रकार से पूर्ण रूप से 1971 के अधिनियम के अधीन काम करते हैं। अतः वह यह राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति इन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं। मन्त्री के रूप में राष्ट्रपति की स्वीकृति से मैंने यह 18 तारीख को संसद के समक्ष रख दी। ऐसी लेखा परीक्षित रिपोर्ट स्वतः ही लोक लेखा समिति को भेजी समझी जाती है। मैंने एक उदाहरण दिया है। पूरे इतिहास में केवल एक बार लोक लेखा समिति पर चर्चा हुई है क्योंकि अध्यक्ष ने देखा कि कुछ विशेष

बातें बताई गई थीं और इन पर चर्चा करनी थी। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य संसद द्वारा विचार करने हेतु प्रतिवेदन तैयार करना है जो बाद में इनको लोकलेखा समिति को पूर्ण रूप से विचार करने के लिए भेजते हैं हम क्या करते हैं कि पुलिस ने किसी हत्या के सम्बन्ध में एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है और उसके आधार पर हम एक दूसरे को फांसी देना चाहते हैं। यहां तक कि कोई आरोप-पत्र भी तैयार नहीं किया गया है। साक्ष्य की जांच भी नहीं की गई है और पूछ-ताछ भी आरंभ नहीं हुई है; केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) तैयार की गई है—यदि मैं इसको एफ० आई० आर० की संज्ञा दूं। केवल इसको एफ० आई० आर० मानिए। क्या आप आकर सीधे तौर पर कहेंगे कि "उस आदमी को फांसी पर चढ़ा दो" और चिल्लाना आरम्भ करेंगे? यदि मैं इस एफ० आई० आर० की आलोचना करूंगा तो यह मेरी गलती है क्योंकि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने अपना कर्तव्य निभाया है। इसी प्रकार यदि यह एफ० आई० आर० गलत है तो यह फैसला लोकलेखा समिति को करना है कि यह एफ० आई० आर० गलत है। महोदय यदि सदस्य से यह संकल्प लेने से संतुष्ट नहीं हैं कि लोकलेखा समिति ने किसी विशेष में गलती की है तो सदन को वाद-विवाद करने का पूरा-पूरा अधिकार है। अतः में कहता हूं कि हमने उल्टा काम किया है।

दूसरी बात यह है कि कृपा करके आप देखिये कि लोकलेखा समिति सभी उद्देश्यों के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति ही है। यहां एक नई बात सामने आई है। यह नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन पटल पर रखने और लोक लेखा समिति द्वारा काम आरंभ करने का मामला नहीं है। इस सभा ने एक मत होकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था। अब इतिहास में प्रथम बारे ऐसा "बुद्धिमानी का काम" अर्थात नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के कृत्य और लोकलेखा समिति के काम के दौरान और वाद-विवाद के दौरान एक नया अधिनियम आया है। अब संयुक्त संसदीय समिति भी गठित की गई है। यहां तो कानून स्पष्ट है कि संयुक्त संसदीय समिति बनने के पश्चात् कानून के अनुसार नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक इस मामले में विचार नहीं कर सकते। एक उपबन्ध है जिसमें नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के समक्ष बताया जा सकता है: नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक महोदय आप को इस मामले की गहराई में जाने का जरूरत नहीं हैं क्योंकि पहले ही संयुक्त संसदीय समिति इस मामले की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही संयुक्त संसदीय समिति इस मामले की गहराई में जा चुकी है।" वह, चरण अब समाप्त हो चुका है। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। अब नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक यहां रिपोर्ट दे रहे हैं। आप देखेंगे यदि मैं यह आपको पढ़ कर सुनाऊं तो इसको पूरा करने के पश्चात लोक लेखा समिति के सम्बन्ध में सामान्यत: चर्चा नहीं होती है किन्तु यदि इस की अनुमति दी ज ती है तो लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की जा सकती है। किन्तु क्या ऐसा है कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का उल्लेख नहीं किया जा सकता? हां, ऐसा हो सकता है। उस समय अध्यक्ष के सामने उनकी सन्तुष्टि के लिए नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का हवाला दिया जा सकता था कि लोकलेखा समिति का प्रतिवेदन गलत है। फिर, पूरी सभा इसका समर्थन करता है क्योंकि हमें जनता द्वारा चुन लिया गया है और हमारी शक्तियां संविधि और संविधान और हमारे द्वारा बनाये गए नियमों के ढांचे के अन्तर्गत हैं। हमने ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सहायता के लिए नियम बनाये हैं।

3.00 म० प०

सदस्य गण समिति के प्रतिवेदन का उपयोग अर्थात लोक लेखा समिति की टिप्पणियों का उपयोग, न कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का बजट में अनुदानों की मांगों पर चर्चा के

[श्री ए० के० पांजा]

दौरान कर सकते हैं। फिर भी, यदि कोई ऐसा विशेष मुद्दा है जिसके संबंध में समिति और सरकार अथवा समिति और मंत्री के बीच मतभेद है तो वह मुद्दा सदन के समक्ष लाया जा सकता है और उस पर प्रस्ताव के द्वारा चर्चा हो सकती है; यह चर्चा समिति की टिप्पणियों निष्कर्षों आदि तक ही समिति रहेगी। न तो प्रस्ताव और न ही इसका वैकल्पिक प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा जाता है। यह मेरे शब्द नहीं है, यह 28 अगस्त 1966 के लोकसभा वाद-विवाद में पृष्ठ 6076 से 6236 में दिए गए हैं जिसमें विस्तृत विचार-विमर्श व्यक्त किया गया है। उसमें विस्तृत ब्यौरा दिया गया है जब यह एक अपवाद किया गया कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा हुई।

यदि आप नियन्त्रक-महालेखा परीक्षण का प्रतिवेदन पढ़ेंगे; यद्यपि मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं इससे रूप नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की आलोचना नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय अभी उचित नहीं है; फिर भी जैसे श्री शाहबुद्दीन और सामान्यत: सदन के बाहर गुमराह हुई है यह सोचे ही सभा में स्पष्ट करना है। इसमें भी लोक लेखा समिति जो बाद में कहती है वही मान लिया जाएगा।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य करते हैं और नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का काम इस संविधि के अतिरिक्त नहीं है। यह देश का नियम है। यह संविधि नियन्त्रक-महा लेखा परीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां, सेवा पूर्ति अधिनियम 1971 है। यदि मैं केवल एक उपबन्ध पढ़ूं जिसके द्वारा यह शक्ति दी गई है, तो संविधि के साधारण पाठ से परिभाषा खंड में यह व्यक्त होता है कि इसमें केवल पांच मुद्दे दिए गए हैं, आपने अपने दीर्घ अनुभव में देखा है कि परिभाषा खंड में विस्तृत जानकारी है। ऐसा क्यों? उनका विषय केवल लेखाओं से सम्बद्ध हूं।

खण्ड 2 में, लेखे क्या है इसकी परिभाषा दी गई है। खंड 2 (ख) में विनियोग लेखों की परिभाषा दी गयी है। कृपया "लेखे" शब्द देखिये, इस पर मैं जोर देता हूं। (ग) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की परिभाषा दी गई है। (घ) राज्य के अर्थ की परिभाषा दी गई है क्योंकि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक भी राज्य और संघ-शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दे सकते हैं। और (ङ) संघ की परिभाषा भी दी गई है। और कुछ नहीं।

जब आप जानते है कि परिभाषा खंड में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है, संविधि का क्षेत्र भी संसद के अनुसार परिभाषा की दृष्टि से उसको शक्ति प्रदान करता है। मैं नहीं कहता हूं कि बस इतना ही। आलोचना की जा सकती है कि आप केवल खंड 2 पर ही चर्चा क्यों कर रहे हैं। जरा खंड 3 देख लें जिसका संबंध नियन्त्र-महालेखा परीक्षक के वेतन तथा अन्य शर्तों से है। ऐसा क्यों किया गया है? कृपया इसकी उच्चतम न्यायालय अथवा न्यायालय के न्यायाधीश के लिए किए गए ऐसा उपबन्ध से कीजिए: उन्हें एक स्वतन्त्र पदवी देना ताकि वे भय अथवा पूर्व धारण के बिना (प्रतिवेदन) रिपोर्ट दे सकें; किन्तु वह अनिवार्य रूप से अन्तिम नहीं हो सकता है। किन्तु उन्हें चाहिए कि लोकतान्त्रिक समाज का काम चलाने के लिए वहीं कहें जो उन्हें निर्धारित की गई शक्तियों के अधीन प्रतीत होता है नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को वेतन दिता जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। अत: यह पहली शर्त है। आरंभिक भाग वेतन के सम्बन्ध में है ताकि किसी पर आर्थिक निर्भरता न हो। फिर कार्यकाल, छुट्टी के पश्चात आता है पेंशन। कृपया देखिये कि यह कैसे किया गया है। उनके कर्त्तव्य नहीं दिए गए हैं। सविधि में अन्य सांविधियों की भांति आरम्भ में उनके कर्त्तव्य नहीं दिए गए है। संविधि में सब से पहले उनका वेतन अर्थात आर्थिक की सुरक्षा दी गई है। संविधि में उसके पश्चात

कार्यकाल; तीसरा उनकी छुट्टी के बारे में दिया गया है संविधि में फिर उनकी पेंशन और फिर उनके उनके कर्त्तव्य और कृत्य आते हैं।

संविधि में उनको अधिकारों और कर्त्तव्यों को स्पष्ट किया गया है। अध्याय-1 और अध्याय-2 के पश्चात जो वेतन और चीजों के संबंध में दर्शाता है, अध्याय-III इसके अधिकार और कर्त्तव्य को दर्शाता है। यह नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियों से शुरू होता है इनमें कहा गया है "नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होंगे" और संसद उन्हें किसी की तरह की लापरवाही के लिए स्वीकृति नहीं प्रदान की है। इसमें उत्तरदायी हो सकते है; या 'उत्तरदायी होंगे' इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसमें 'उत्तरदायी हैं कहा गया है। धारा 10, के उप धारा 1 (क) में यह प्रावधान है कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक, केन्द्र और प्रत्येक राज्य के प्रारम्भिक और गौण लेखाओं जिसे लेखा-परीक्षक कार्यालय को भेजा गया हो या उनके अधीन कोषागार कार्यालय या विभाग जो इस लेखे-जोखे के लिए उत्तरदायी हो; उसका संग्रह कर सकती है। अतः धारा 10, उप-धारा 1 (ख) में, खंड (क) में उल्लिखित किसी भी विषय जैसा आवश्यक हो सम्बन्धित, लेखाओं को देखने का प्रावधान है। बशर्ते की राष्ट्रपति नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से सलाह करने के उपरांत आदेश धारी कार उसे इसका संग्रह करने के दायित्व से भारमुक्त करना चाहें—

(एक) राज्य के यह आंकड़े तुरन्त अथवा धीरे-धीरे विभिन्न आदेशों के जारी करने के द्वारा; अथवा

(दो) किसी विशेष सेवा अथवा संघ सरकार के विभागों के लेखे, बशर्ते कि राज्य का राज्यपाल ऐसा चाहे-मुझे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उसका सम्पूर्ण कार्य यही है और इसके अलावा कोई अन्य कोई कार्य नहीं है। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को किसी भी अन्य तरह से कोई कार्य नहीं सौंपा गया है चाहे वह नीति विषयक हो या फिर वह भारत सरकार को यह सुझाव दे कि उसे किस प्रकार के तोप की खरीद करनी चाहिए। यह नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का कर्त्तव्य नहीं है कि वह श्री सुन्दर जी को कहें की उन्होंने अमुक-अमुक अच्छी तोपों पर ध्यान नहीं दिया। यह उनका कर्त्तव्य यह है कि वह लेखाओं की छानबीन करें और यह पता लगाएं की इस में कोई विसंगतियां तो नहीं हैं। निश्चय ही वह लेखाओं और इसमें संबंधित लेखाओं पर टिप्पणियां जाहिर कर सकते हैं। यह कानून हमारी संसद ने बनाया है। हमने इसका अभी संशोधन नहीं किया है या इसे निरस्त नहीं किया है। सन् 1971 से सन् 1989 तक यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इस अधिनियम की किसी ने भी आलोचना नहीं की है। अतः बिना किसी प्रमाण के मैं यह मुद्दा नहीं दर्शा रहा हूं। दुर्गादास बसु जैसे विशेषज्ञ ने भी लॉर्ड जेनिंग्स के कथन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि :

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लेखाओं पर टिप्पणी करने तक समिति होनी चाहिए। यह स्पष्ट है। क्या लेखाओं को सही ढंग से रखा गया है, क्या संविधान के वित्तीय उपबन्ध, कानून और विनियमों का उचित ध्यान रखा गया है या नहीं, यह उनका कार्य भार नहीं है······

कृपया 'यह नहीं हैं। इन शब्दों पर ध्यान दें।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह कहे जाने का कोई मतलब नहीं है कि इसमें सरकार द्वारा अपनाई

[श्री ए० के० पांजा]

गई नीतियों की आलोचना की जाए या इस बात का निर्णय लिया जाए कि देश को इसका सही लाभ मिल रहा है या नहीं।

दुर्भाग्यवश नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक उस हद तक गए हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। मैं कसी भी व्यक्ति पर तब तक आरोप नहीं लगाना चाहता जब तक यह मामला लोक लेखा समिति के पास नहीं जाता लेकिन, इस पर अध्यक्ष महोदय ने चर्चा का आदेश दिया है, मैं समझता हूं कि यह मेरा अधिकार है कि मैं भारत के नागारिकों को यह स्पष्ट करूं कि क्या भारत सरकार अपने कार्यक्षेत्र में काम कर रही है या नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक अपने कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या नहीं। यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। मैंने जो कहा है वह एक उद्धरण है। मैं इसको दोहरा रहा हूं। मैं इसे दोहराना चाहता हूँ जिससे कि यह सदा के लिए कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल हो जाएं।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह कहे जाने का कोई क्या कर्त्तव्य नहीं मतलब नहीं है कि इसमें सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों की आलोचना की जाए या इस बात का निर्णय लिया जाए कि देश को इसका सही लाभ मिल रहा है या नहीं।

यह कार्य सदन की लोक-लेखा समिति का है। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। दिनांक 18 को मैं धन (उत्तराधिकार) शुल्क विधेयक जैसा महत्वपूर्ण विधेयक लेकर उपस्थित हुआ था तो 18 तारीख से लेकर अब तक हम लोग इस विधेयक पर गौर नहीं कर सके हैं। अत: एक चेतावनी दी गई थी।

'सम्पूर्ण रिपोर्ट पर व्यर्थ चर्चा के कारण समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अप्रभावी बनाता है अत: मेरा विचार है कि चर्चा के लिए विशेष मुद्दा उठाया जाना चाहिए, विशेषकर वह मुद्दे जहां समिति और सरकार की विचारधाराओं में मतभेद हो।'

अब वे किस स्तर पर हैं नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हम लोगों को अभी तक इस संबंध में कुछ भी नही पता है। जहां तक प्रकृति का न्याय का सम्बन्ध है, हम लोगों के साथ मात्र इसलिए भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हम लोग सरकार में हैं। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक कुछ टिप्पणियां 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' के रूप में करते हैं। मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने कहा है कि श्री पांजा ने ऐसा किया है। लोक लेखा समिति द्वारा मुझे कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री की आलोचना शुरू कर दी और चिल्लाकर कहने लगे कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। प्रधानमंत्री कहां हैं? उन्हें आने दें। जब सोमवार को प्रधान मंत्री उपस्थित हुए, क्योंकि यह उनके प्रश्नावली का दिन था, वह सभी जो सिंह की तरह दहाड़ रहे थे, मेमने की तरह मिमियाने लगे। उन्होंने अपने त्यागपत्र सौंप दिए और एक शब्द भी नहीं कहा। कृपया इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। आप उन्हें कैसे दंडित कर सकते हैं। केवल इसलिए कि हम लोग सरकार में हैं, हम बेबात आलोचना के शिकार बनते रहें इसकी एक प्रक्रिया है। सरकार की तरफ होने का मतलब यह नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिल सकता। सरकार भी अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत प्रयुक्त आवेदन कर सकती है और संविधान के अन्य उपबंधों का सहारा ले सकती है। सरकार उच्चतम न्यायालय का भी सहारा ले सकती है सरकार ने अनेकों बार राय जानने के लिए उच्चतम न्यायायालय का सहारा लिया है संसद एक सर्वोच्च संस्था है जिसके विवेक को किसी के द्वारा चुनौती नही दी जा सकती नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गयी और प्रत्येक व्यक्ति ने इसकी आलोचना शुरू कर दी समूचे देश को भ्रम में डालने की कोशिश की गयी

और उनके द्वारा एक-एक करके त्यागपत्र देने और फोटो खिंचवाने के लिए 'V' चिन्ह अंकित करते हुए सभा से बाहर जाना प्रजातंत्र का उपहास करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप हस्तक्षेप कर मुझे बोलने से रोक सकते हैं। कृपया मुझे एक भी अच्छा कारण बतलाएं जिसके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा हो। मैं निश्चय ही बाद उनके त्यागपत्र देने के कारणों का उल्लेख करूंगा।

मैं अब दूसरा मुद्दा उठाता हूं और इसे जल्दी से इसे पूरा करूंगा। मैं इस संसद द्वारा निर्धारित की गई या इस देश के कानून को दर्शाने से अपने आपको नहीं रोक सकता। मेरे पास श्री बसु द्वारा लिखित 'भारत के संविधान' का तीसरा संस्करण उपलब्ध है। मैंने इसके नवीनतम संस्करण से इसकी जांच की है और इसके प्रत्येक शब्द पहले जैसे ही हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 151 में यह प्रावधान है कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसा किया गया है। सदस्य इस सभा से त्यागपत्र देकर बाहर चले गए लेकिन उन्होंने दूसरी सभा में ऐसा नहीं किया। क्या हमारे प्रधान मंत्री केवल लोक सभा के प्रधान मन्त्री हैं ? क्या हमारे प्रधान मन्त्री केवल उन सदस्यों के प्रधान मन्त्री हैं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए हैं। प्रधान मन्त्री इस संसद के एक ऐसे अंग हैं जिनका प्रावधान स्वतः संविधान द्वारा किया गया है। उनके अधिकार, कर्त्तव्य और शक्तियां सभी संवैधानिक नियम और प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अतः यह रिपोर्ट सभा के दोनों सदनों में रखा गया है। यहां सदस्यों ने त्यागपत्र दिया और सदन को छोड़कर चले गए। यहां हरा गलीचा है जबकि दूसरे सदन में लाल रंग का है।

यही कारण है कि शायद राज्य सभा के सदस्यों ने त्यागपत्र नहीं देने का फैसला किया और उन्होंने लोक सभा के अपने सभी सदस्यों की उपेक्षा की और वहां बने रहे। उन्होंने इस रिपोर्ट पर चर्चा की। प्राथमिक रिपोर्ट में तो पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं है। ऐसा वे प्रत्येक दिन कर रहे हैं। उन्होंने इस सभा की उपेक्षा कर दी है। क्यों ? मैं सीधे इन मुद्दों पर ही चर्चा करूंगा।

मैं इस पर चर्चा समाप्त करना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 151 में यह कहा गया है कि :

"नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।"

दोनों सदनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक सदन को इसके परीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं है और राज्य सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के पश्चात् संविधान किसी भी रूप में राज्य सभा द्वारा इसके परीक्षण के अधिकार को कम नहीं करता है।

जैसा कि श्री शाहबुद्दीन ने कहा, यदि इसे सभा पटल पर रखा जाता है लेकिन इस पर चर्चा नहीं की जाती तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। अतः प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इसलिये 'कमेन्ट्री' के द्वितीय संस्करण के पृष्ठ 468 में कहा गया है कि;

"प्रत्येक सभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् रिपोर्ट की संवीक्षा की जाएगी।"

महोदय, इसमें 'होनी चाहिए' शब्द नही है बल्कि इसमें अनिवार्य रूप से 'की जायेगी' शब्द है। प्रत्येक सदन की लोक लेखा समिति द्वारा रिपोर्ट की संवीक्षा की जायेगी। यही प्रावधान है।

[श्री ए० के० पांजा]

संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अनुसार, संसद के उच्च सदन अथवा राज्य सभा को अपनी लोक लेखा समिति के गठन की स्वतन्त्रता प्राप्त है। इस बात का पता लगाया गया है कि इसकी शुरूआत कैसे हुई।

दूसरा मुद्दा लोक सभा के नियमों से सम्बन्धित है। लोक सभा की लोकलेखा समिति से सम्बन्धित नियम इस प्रकार हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि परिचर्चा नहीं होती है तो हम इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं सकते हैं;

"भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की छानबीन करते समय समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले;

(क) कि लेखों व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिये विधिवत् उपलब्ध और लगाये जाने योग्य था, जिसमें वह लगाया गया है या भारित किया गया है;

(ख) कि व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है; और

(ग) कि प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में किये गये उपबंधों के अनुसार किया गया है।"

महोदय, यहां तक कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम इतने अधिक उत्तेजित हो जायेंगे तथा हम सभी खड़े होकर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा किए जाने की मांग करेंगे। अत: संविधान के निर्माता भी, प्रक्रिया नियम के निर्माता भी और जब हमने स्वयं इस सभा में नियमों को बनाया तब हमने स्वयं इस सभा में नियमों को बताया तब हमने भी इसकी चर्चा के लिये किसी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं रखा। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि एक दिन हम इतने अधिक उत्तेजित हो जायेंगे कि हम उस प्राथमिक रिपोर्ट पर चर्चा किये जाने की मांग करेंगे जिसमें अभी तक उन लोगों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किये हैं जिन पर ये आरोप लगाये गये हैं।

मैंने आपके समक्ष कर्तव्यों तथा कार्यों का उल्लेख कर दिया है। अत: मैं फिर से आपके समक्ष कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि यदि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा संयुक्त संसदीय समिति प्रतिवेदन में परस्पर विरोध हो तो क्या होगा? यह एक नया मुद्दा है जो कि इस देश में संसदीय प्रणाली की शुरूआत से अब तक उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही मैंने ब्रिटेन के निचले सदन में इस प्रकार का मुद्दा कभी उठते देखा है, बशर्ते कि इसमें अन्य सदस्यों द्वारा संशोधन किया जा सकता है—कि संसदीय समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले, लोक लेखा समिति द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले तथा सभा द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा किये जाने से पहले बीच में ही इस पर हस्तक्षेप किया गया। अत: यह इस प्रकार का मामला है जिस पर यदि पर्याप्त समय उपलब्ध हो तो एक विस्तृत चर्चा किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय विषय को उलझाया जा रहा है, किसी विशेष अखबार या दल द्वारा व्यक्तिगत कारणों से बात बढ़ायी जा रही है। एक सरकार विशेष के प्रति घृणा, अवमानना तथा उपेक्षा भाव उत्पन्न करने के लिए सारी बातें इस प्रकार की जा रही हैं कि समाज के विचारवान सदस्यों की

दृष्टि में सभी मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ हो। यह जो नई बात उत्पन्न हुई है, उस पर चर्चा किया जाना आवश्यक है। यह अनजाने में की गयी बहुत ही अच्छी बात है। संसद की बैठक में हमें एक साथ मिल कर इस बात की एक विस्तृत प्रक्रिया ढूंढनी चाहिए कि इन नई बातों का जैसी कि संयुक्त संसदीय समिति, जोकि उन उच्चतम प्राधिकरणों में से एक है, जिनका गठन प्रजातांत्रिक तरीकों से किया जा सकता है, ने की है। यह वह उच्चतम प्राधिकरण है जिस पर सभी प्रजातांत्रिक दार्शनिकों द्वारा अब तक विचार किया गया है। यह वह उच्चतम प्राधिकरण है जिस पर विचार किया जा सकता है, जो लोकलेखा समिति से उच्च है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा गठित छोटी समितियों से भी उच्च है क्योंकि इसके सदस्य इस प्रकार के होते हैं जिनकी गणना न्यायाधीशों के रूप में की जा सकती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक माननीय वक्ता द्वारा इसे न्यायाधीशों की एक समिति कहा गया है। सदस्यों का चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों में से किया जाता है और वे बहुत ही अनुभवी तथा विद्वान आदरणीय सदस्य होते हैं। अतः इसे न्यायाधीशों की समिति कहा जाता है। यदि कोई विरोध उत्पन्न होता है तो मेरे विचार से इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त संसदीय समिति संसद की एक विशिष्ट समिति है जोकि सभा की सहमति से गठित की गयी है। पहले लोक-लेखा समिति में सिर्फ लोक सभा के सदस्य होते थे। फिर इस बात पर विचार किया गया कि क्यों नहीं हमें इसमें राज्य सभा के सदस्यों को भी शामिल करना चाहिए जोकि अधिक बुद्धिमान होते हैं। अतः राज्य सभा के सदस्य भी लोकलेखा समिति में शामिल किये गये थे। जब लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन तथा संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बीच विरोध उत्पन्न हो जाता है तो किसे सही माना जायेगा ? अपने अल्प अध्ययन के आधार पर विनयपूर्वक मैं कह सकता हूं कि उस समय इस बात का निर्णय करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होगी कि क्या किया जाना चाहिए। वर्तमान परम्परा के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा उन मुद्दों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए जिनका उल्लेख संसदीय समिति कर चुकी हो। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप देना चाहिए। मैं यह बात और स्पष्ट करूंगा कि मैं किसी की निन्दा नहीं कर रहा हूं बल्कि जब चर्चा की जा रही हो तो इसे अभिलेख में दर्ज करने का यही समय है। यह करीब-करीब वैसी ही बात है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वही मुद्दा उठाया है जो कि संयुक्त संसदीय समिति जैसे उच्च निकाय द्वारा उठाया गया था। श्री शाहबुद्दीन ने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कुछ अधिकार प्राप्त है। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारों का वर्णन सिर्फ संविधान में तथा 1971 के अधिनियम के अन्तर्गत गठित संविधि में किया गया है। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मुख्य बातों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। जब तक कि लोक लेखा समिति के द्वारा सुनवायी के अन्तर्गत इसकी छानबीन न की जाये तथा मंत्रालय के प्रमाणों को अभिदर्ज न किया जाये, यहां इस मामले में रक्षा मंत्रालय सम्बद्ध है। मूलरूप से एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे यह बात अवश्य कहनी चाहिए, जैसाकि अभिलेखों, उदाहरणों अथवा कुछ पूर्व उदाहरणों से मालूम होता है जब जनवरी, 1980 में लोक सभा सचिवालय ने कुछ सिफारिशों की और जोकि परम्परा भी है। नियम 89 के अनुसार;

"वर्षों से लोक लेखा समिति के कार्यों से सम्बन्धित कुछ परम्परायें स्थापित की गई हैं। उदाहरण के लिए, अब यह पूरी तरह से निश्चित है कि लोकलेखा समिति के सदस्य सभा में उन विषयों को उठा नहीं सकते हैं जिनकी छानबीन समिति द्वारा की जा रही हो। यह पूछने तथा पूरक प्रश्न पूछने वालों, कटौती प्रस्तावों, संकल्पों और प्रस्तावों

[श्री ए० के० पांजा]

प्रस्तुत करने वालों एवम् सभा में वाद-विवाद में भाग लेने वालों पर लागू होता है तथा सभी मामलों पर लागू होता है जो समिति के विचाराधीन हैं।"

अभी समिति द्वारा इस विषय की छानबीन पूरी नहीं की गयी है और हमने इस विषय पर चर्चा भी शुरू कर दी है।

दूसरी बात यह है कि हमें नहीं पता है कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण क्यों सभा से बाहर चले गए। ऐसा मालूम होता है कि इस खेल की शुरूआत बहुत पहले से हो चुकी है।

जब लोक लेखा समिति के सभापति की नियुक्ति की गयी तो उन सबने समिति से त्याग दे दिया। यह पहला त्यागपत्र नहीं है। विपक्ष ने संदेह और शंका पैदा करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में, जैसा कि श्री शाहबुद्दीन ने कहा है, अनुचित कार्यों से शुरूआत की है। हम पर संदेह और शंका की गयी। यह देश का कानून नहीं है। जब उन्हें लोक लेखा समिति का सभापतित्व नहीं मिला तो उन्होंने प्राक्कलन समिति और दूसरी वित्तीय समितियों से भी त्यागपत्र दे दिया, यह सरकार को एक किस्म की धमकी देता है। इसके पश्चात उन्हें लगा कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के सम्बन्ध में उन्होंने सोचा कि अध्यक्ष द्वारा यह आदेश दिये जाएंगे कि नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की जा सकती इसलिये इसे लोक लेखा समिति को सौंपना पड़ा। उन्हें यह कहकर बाहर जाने से लाभ होता कि हम नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहते थे परन्तु हमें अनुमति नहीं दी गयी। वे जनता तथा समाचार-पत्रों को यह बताते, जैसे कि अब वे कर रहे हैं। भारत जैसे देश में विवरण और जटिलता जिसके द्वारा प्रक्रिया बनायी गयी है, की व्याख्या करना कठिन है। तथापि उन्हें बाद में पता चला कि सभा ने इसकी चर्चा करने का निर्णय किया है। अब क्या किया जाए? उनके पास त्यागपत्र देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। श्री शाहबुद्दीन ने कहा कि हमें उन्हें उनके बलिदान के लिए बधाई देनी चाहिए। उन्होंने क्या बलिदान किया है? अब कितने दिन शेष हैं? मैं कुछ विपक्षी सदस्यों की तरह घटिया बातें नहीं करना चाहता।

उन्होंने क्या बलिदान किया है? वास्तव में, उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिये क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं बारह बातें बता रहा हूं। इसका कारण यह नहीं है कि पंचायती राज विधेयक आ रहा है। इसकी वजह श्री राजीव गांधी का नेतृत्व है, इन साढ़े चार वर्षों से स्पष्ट हो गया है कि देश में आर्थिक स्वतन्त्रता किस प्रकार लाई जा सकती है।

सबसे पहले, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य से बेहतर आर्थिक उपलब्ध हुई। 1988-89 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कुल वृद्धि 5.4 प्रतिशत की रही मैं उस समय योजना मंत्री था तथा मुझे इस सभा का समर्थन प्राप्त था। प्रत्येक व्यक्ति ने सर्व-सम्मती से आशीर्वाद दिया और कहा कि श्री पांजा, जाओ और 5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करो। परन्तु इस देश की जनता हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व ने 5.4 प्रतिशत विकास दर पहले ही प्राप्त कर चुकी है। इसलिए उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा।

दूसरे जहां तक उत्पादन का संबंध है विगत चार वर्षों के दौरान इसमें 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है। वे एक भी उदाहरण नहीं दे सकते। मैं किसी भी एक कांग्रेसी-शासन की बात नहीं कह रहा हूं

बल्कि वे जनता शासन में किसी विशेष महीने को, जिससे 8 प्रतिशत तक उत्पादन हुआ हो, नहीं बता सकते।

इसके अतिरिक्त श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कृषि उत्पादन के बारे में हम उन्हें चुनौती देते हैं। वे जनता के पास जायें, हम उनका मुकाबला करेंगे। हमें भगवान ने यहां पैराशूट से नहीं भेजा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है। कृषि उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। विगत वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन में 17 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिवर्ष तक की वृद्धि हुई है तथा 12.5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक उसकी कीमत में वृद्धि हुई है। क्या यह रिकार्ड नहीं है? उन्हें त्यागपत्र देकर जाना पड़ा क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, 175 मिलियट टन का खाद्यान्न उत्पादन का योजना लक्ष्य भी, जिसके लिए चार वर्ष पहले अर्थात् जून, 1985 में, जब मैंने योजना लक्ष्य प्रस्तुत किया था, सभा को समर्थन से प्राप्त हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त, परिवहन के आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में योजना लक्ष्य से अधिक वृद्धि होगी।

विगत तीन वर्षों के दौरान श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारे निर्यातों में सत्तर प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है।

जहां तक सकल घरेलू उत्पाद का सम्बन्ध है, व्यापार घाटा 3 प्रतिशत से, जो 1986-87 के दौरान था, घटकर 1987-88 के दौरान 2.5 रह गया। 1988-89 में यह इतना ही रहा। इसलिए क्या वे यहां ठहर सकते हैं? उन्हें त्यागपत्र देकर जाना पड़ा और इस प्रकार की बहानेबाजी करनी पड़ी।

जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का संबंध है, कर राजस्व और गैर-कर राजस्व की स्थिति अच्छी होने की संभावना है स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विगत वर्ष हमने रिकार्ड राजस्व एकत्रित किया है। इसका कारण है कि हम प्रत्येक सप्ताह एकत्रीकरण की निगरानी कर रहे हैं। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कितनी कम्पनियां बंद हैं। चूंकि उन्नति अच्छा है, इसलिए कर राजस्व में वृद्धि हुई है।

सभी क्षेत्रों में औसत वृद्धि दर 25 प्रतिशत रही है, चाहे वह सोने की तस्करी रोकने का क्षेत्र हो या नशीली दवाओं का व्यापार हो। क्या यह प्रशंसा योग्य नहीं है? परन्तु उन्होंने सदस्यता से त्यागपत्र देने का कोई बहाना निकाल लिया है? इसके अतिरिक्त वे कर क्या सकते हैं? आप कोई भी ऐसी चर्चा बताइये जिसमें विपक्ष ने इस आशय से सकारात्मक सुझाव दिये हों कि ये ऐसे रचनात्मक उपाय हैं जिनसे सरकार अच्छा कार्य कर सकती है। मैं इसकी चुनौती दे सकता हूं कि आपको ऐसी एक भी नहीं मिलेगी जिसमें विपक्ष ने रचनात्मक सुझाव दिए हों। वे हमेशा सभा की कार्यवाही में बाधा डालने में विश्वास करते हैं।

गैर-योजना व्यय, जिसकी उन्होंने आलोचना की है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक हुआ है। ऐसा मुख्य रूप से ब्याज के भुगतान में वृद्धि के कारण हुआ है। हमने उस ब्याज का भुगतान शुरू किया है जो बहुत दिनों से बकाया थी। इसी प्रकार, हमने खाद्यान्न और उर्वरकों को राज्य सहायता देना शुरू किया है जो अनिवार्य हैं।

महोदय, हमने रक्षा बजट को कम रखा है तथा बजट घाटे में 2000 करोड़ रुपए की कमी हुई है। ऐसा श्री राजीव गांधी के नेतृत्व के कारण सम्भव हुआ। इस धन का उपयोग जवाहर रोजगार

[श्री ए० के० पांजा]

योजना के लिए किया जा सकता है या सीधे पंचायतों को दिया जा सकता है। सम्बधित वित्त मंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है कि ब्लाकों या जिलों को कितनी धनराशि दी जाएगी। व्यापक आबंटन किया गया है। ऐसा श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में किया गया है। हमारे दल का लोकतांत्रिक ढांचा है, हम इसमें विश्वास करते हैं कि सत्ता जनता से मिलती है, न कि बन्दूक की नली से।

अन्त में, लेकिन अन्तिम नहीं, गरीबी उन्मूलन कार्य शुरू कर दिए गये हैं। हमने नेहरू रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना शुरू की है। वे कहते हैं कि चुनावी वर्ष में ये योजनाएं चलायी जा रही है। चुनावी वर्ष में हम गरीबों को धन देने के बारे में सोच रहे हैं जबकि एक विशेष राज्य के मुख्य मंत्री के निर्देशन में नाटक कर रहे हैं। नियमों के अनुमान, मैं उनका नाम नहीं बता सकता। विशेष राज्य का मुख्य मंत्री निर्माता निर्देशक तथा सैकड़ों फिल्मों में अभिनेता हैं। उन्होंने अपने नियंत्रित निर्देशन में यह अन्तिम एकांकी नाटक किया है।

महोदय मैं कहता हूं कि उन्हें पंचायती राज-विधेयक का भय है। वे जानते है कि यह विधेयक प्रस्तुत हो रहा है। ये 78 सदस्यों ने जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, जनता को बताना चाहा कि यदि वे त्यागपत्र दे देंगे तो सम्पूर्ण स्थिति बिगड़ जायेगी। केवल वे नहीं, बल्कि हम भी जनता द्वारा चुने गये हैं, जनता ने केवल उन्हें ही नहीं चुना है।

जहां तक महिलाओं के अधिकारों का सम्बन्ध है, उनके लिए 30 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया जा रहा है। जनता के निर्णय के कारण मैं यहां हूं और प्रधान मंत्री की इच्छा से मंत्री हूं। जनता के विश्वास पर मैं देश का दौरा कर रहा हूं। महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस लिए प्रधान मंत्री ने ऐसा किया है।

विश्व में केवल हमारा देश ऐसा है जहां लोग अपने देश को भारत माता कहते हैं। विश्व में ऐसा और कोई देश नहीं है जहां देश को माता कहा जाता हो। भारत को इसकी जनता माता कहती है। प्रधान मंत्री ने उन्हें 30 प्रतिशत पदों का आरक्षण बिल्कुल उचित किया है। इसलिए विपक्ष त्यागपत्र देने के अलावा क्या कर सकता है?

अन्त में, मेरे साथी श्री चिदम्बरम, जो यहां उपस्थित हैं, तथा प्रधान मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहायता देने में कितना कष्ट उठाया है—इसके अतिरिक्त डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी रोजाना देर तक बैठ रही हैं तथा उन्होंने पद भरे है। पद भरे जा रहे हैं।

मैंने केवल बारह विषयों का उल्लेख किया है। विकास की ये घटनाएं। छाया की तरह उनका पीछा कर रही हैं। यह विकास की छाया, जो राजीव जी के नेतृत्व में बनी है, उनका पीछा कर रही है।

इस महीने की 18 तारीख से मैं अपने उत्तराधिकार विधेयक को पारित कराने आ रहा हूं। परन्तु मैंने यहां देखा कि 43 वर्ष पुराने संसदीय लोकतन्त्र को प्रो० मधु दंडवते के नेतृत्व में नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है ···(व्यवधान) उनके नेतृत्व में विगत तीन दिन से संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी वजह से उनके अन्तःकरण ने उन्हें त्यागपत्र देने के लिए

प्रेरित किया और वे चले गये। मुझे विश्वास है कि अब उन्हें इस सभा में आने के लिए जनता का समर्थन नहीं मिलेगा।

इन शब्दों के साथ में आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री के० आर० नटराजन (डिंडिगुल) : ए० आई० ए० डी० एम० के तरफ से मैं नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहूंगा।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भारत के प्रधान मंत्री या दूसरे कोई भी मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसमें किसी भी भारतीय एजेंट को दिए गये कमीशन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही है। रिपोर्ट में मांग यह कहा गया है कि इसकी प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां है।

प्रतिष्ठित वक्ताओं ने इसके सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर ली हैं। अत: मेरे लिए अब यह आवश्यक नहीं है कि इसके मुख्य मुद्दे को फिर से उठाया जाय। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा में किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का वादा किया था जो कमीशन इत्यादि, लेन में शामिल है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सन् 1987 से इस राजनीतिक हथकंडे का सहारा लिया है। बोफोर्स के द्वारा कमीशन दिए जाने की कुछ रिपोर्ट प्रकाश में आयी थी। इसलिए सन् 1987 में विपक्षी दलों ने संसदीय समिति द्वारा इसकी जांच करानी चाहिए थी। प्रधान मंत्री संसदीय समिति द्वारा जांच के लिए सहमत हो गए। एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। इन सदस्यों ने संयुक्त ससदीय समिति में भाग लेने से इंकार कर दिया और साथ ही साथ वे इस मामले को अक्सर ही सभा में उठाते रहे। उन्होने नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखे जाने के लिए मांग की।

जब यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गयी, तो एक प्रतिष्ठित वक्ता ने नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब चर्चा निश्चित की गयी तो उन्होने इसमें भाग लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर बिना चर्चा के ही प्रधान मंत्री से त्यागपत्र की मांग करनी शुरू कर दी। इस सत्र के अन्तिम सप्ताह में उन्होंने संसदीय कार्यवाही को पूर्णतया ठप कर दिया। परसों वे अपना त्यागपत्र देकर सदन से बाहर चले एए। ये लोग प्रधान मंत्री से त्यागपत्र की मांग क्यों कर रहे हैं जबकि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या कमीशन लेने का कोई सबूत नहीं है।

3.42 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इसका कारण यह है कि ये प्रतिक्रियावादी दल देश को स्वतन्त्रता मिलने के दिनों मे ही, अंदर और बाहर से अस्थिर करने में लगे हैं। उनकी ऐसी ही कार्यवाही से गांधीजी की हत्या हुई। तब पंडित जी संसार में बहुत शक्तिशाली हो गये। उन्होंने गुट-निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की और इसके नेता बने। वे लोग यह नहीं चाहते थे कि भारत संसार के अल्प-विकसित देशों का नेता बने। उन्होंने ऐसा हर तरीका अपनाया जिससे उस समय के रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन को मंत्री मंडल से हटाना पड़ा जबकि चीन के साथ भारत का युद्ध हो रहा था।

लोगों ने चीन सम्बन्धी मामले में भारत के प्रति असंतोष और दुर्भावना को फैलाया। इसलिए

[श्री के० आर० नटराजन]

चीन ने भारत के विरुद्ध आक्रमण किया। उनकी इस कार्यवाही ने पंडित जी को मानसिक त्रास पहुंचाया जिससे उनकी मृत्यु शीघ्र हो गयी। तब उनके कारण सन् 1965 में भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के उपरांत समाप्त हुआ। तब सन् 1969 में इंदिरा जी ने अपने पिता के पद चिह्नों पर चलना चाहा। उन्होंने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सिद्धांत को शामिल किया। इस कारण कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों में उलझन पैदा हो गयी जिसके कारण वे भी प्रतिक्रियावादी दलों में शामिल हो गए। कांग्रेस दल की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इंदिरा जी, को निष्कासित कर दिया। तब भारत की प्रधान मंत्री, इंदिरा जी ने गरीबी उन्मूलन के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इसके कारण इन लोगों में खलबली मच गयी। उस समय उन्होंने इंदिरा जी के चुनाव का रद्द करवा दिया। उनका चुनाव रद्द हो जाने के पश्चात एक प्रतिष्ठित नेता, जो सन् 1977 में भारत के प्रधान मंत्री बने, ने गुजरात विधान सभा को भंग कर दिए जाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। इंदिरा जी ने इस व्यक्ति से सहानुभूति दर्शायी, उन्होंने कहा कि वह उनके पिता के समान थे—और उन्होंने विधान सभा भंग कर दी। इन लोगों ने उनकी इस कार्यवाही की सराहना नहीं की। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पुलिस और सेना के लोगों पर भी प्रधान मंत्री के साथ असहयोग और आज्ञा आंदोलन के लिए दबाव डाला। तब उन्होंने चुनाव निश्चित समय से पहले करवा दिया। चुनाव सन् 1977 में हुए थे। तब दुर्भाग्यवश लोगों ने जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मत दिया। वे लोग आपस में लड़ने लगे। उन्होंने इंदिरा जी और कांग्रेसी लोगों के विरुद्ध शाह आयोग तथा अन्य आयोगों को गठित किया। काल्पनिक और आधारहीन आधारों पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अनेक निवास स्थान से हटा दिया गया था।

तब सन् 1980 में इंदिरा जी सत्ता में वापिस आयी। उन्हीं विद्रोही दलों ने फिर उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया। उन्होंने इन्दिरा जी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा। उनकी हत्या एक ऐसे सेवारत व्यक्त द्वारा की गयी जिसे गुमराह किया गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात हमारे देश में एक महान नेता का उदय हुआ जो अब संसार के अविकसित और अल्पविकसित देशों का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे ही श्री राजीव जी भारत के प्रधान मंत्री हुए, उन्होंने संत लोंगोवाल के साथ समझौता किया। अगर संत लोंगोवाल जिन्दा होते तो निश्चय ही पंजाब में शांति बहाल होती। उन्होंने अन्य समझौते भी असम और मेघालय के साथ किये। श्री राजीव गांधी और श्री जयवर्द्धने ने श्री लंका समझौता भी किया।

अब श्री राजीव जी गांव और अन्य स्थानीय निकायों के विकास के लिए अन्य कुछ विधान ला रहे हैं। इन ताकतों ने विपक्षी दलों को उकसाकर उनसे राजीव जी द्वारा त्यागपत्र देने की मांग करवायी। यह बिल्कुल ही अप्रजातांत्रिक है और लोग उनकी मांगों को निश्चय ही अस्वीकार कर देंगे। सन् 1967 में डा० अन्ना तमिलनाडु के मुख्य मंत्री बने। उन्होंने इंदिरा जी के साथ सहयोग किया। भारत रत्न से अलंकृत एम० जी० आर० ने राजीव जी के साथ सहयोग किया। अब हमारी नेता सुश्री जयललिता जी राजीव जी के साथ सहयोग कर रही हैं। हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और आने वाले चुनाव में राजीव जी को भारी बहुमत से प्रधान मंत्री बनाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, पिछले दो सालों से हम सदन में जो कुछ हो रहा है

उसकी मिसाल विश्व की किसी भी संसद के इतिहास में नहीं मिल सकती। महोदय, यदि सदन की पिछले ढाई सालों की कार्यवाही को देखा जाये तो यह जानकर हमें धक्का लगेगा कि विपक्ष के सदस्यों के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बर्ताव के कारण इस सदन का कितना समय नष्ट हुआ है जिन्होंने अब सदन से त्यागपत्र दे दिया है। महोदय, एक के बाद एक मुद्दा उठाने के पीछे उनका अभिप्राय प्रधान मंत्री की छवि बिगाड़ने और प्रशासन के लिए कठिनाइयां पैदा करना था अब मुझे याद आता है एक-दो साल पूर्व पहले फेयरफेक्स का मामला उठाया गया था। लेकिन जब उन्होंने पाया कि इससे उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है तो वे इस मुद्दे से पीछे हट गये। फिर बोफोर्स का मामला उठाया गया।

उनकी एक मांग यह थी कि इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कराई जाये। और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पिछले 42 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका था जब सरकार ने किसी आरोप की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त करने की मांग स्वीकार की थी। लेकिन जब यह भी स्वीकार कर ली गई तब वो दोबारा पीछे हट गये और उन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं दिया, उसके बाद ठक्कर आयोग की रिपोर्ट आयी। उन्होंने सोचा इससे अच्छी आलोचना की जा सकती है और उन्होंने हर तरह की समस्याएं खड़ी करने की कोशिश की और उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भी आलोचना की।

अब अचानक उनके सिर पर यह बात छा गयी है। यहां इस देश में एक महान पद है, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का जो एक मसीहा है और इस महान देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्ग से ही अवतरित आए हैं। महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष सरकार की साख गिराने के लिए सारे साधन और तरकस के सारे तीर इस्तेमाल कर रहा है। और हाल ही में एक सप्ताह से प्रेस में ऐसी बहुत-सी ऐसी खबरें आ रही है कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का पद एक मात्र ऐसा पद है जो संसद संविधान और जनता से भी ऊंचा है...(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : संसद से ऊपर कुछ भी नहीं है।

श्री ए० चार्ल्स : मुझे कुछ वरिष्ठ नेताओं को सुनकर हैरानी हुई है। यह सब बातें प्रेस में छप चुकी है। इसलिए मैं उनके नाम भी बता देता हूं।

महोदय...**... ने कहा है मैं उद्धृत करता हूं।

"नियंत्रक-महालेखा परीक्षक एक स्वतन्त्र संवैधानिक अधिकारी है और क्योंकि संसद को रिपोर्ट को स्वीकार करने अस्वीकार करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है इसलिए इसकी एक मात्र अनुवर्ती कार्यवाही प्रधान मंत्री का इस्तीफा ही हो सकता है।"

यह......**....... के नेता द्वारा कही गयी है।

मैं इतना ही कह सकता हूं कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।

एक अन्य महान नेता ने...**...**...** कहा है।

"नियंत्रक-महालेखा परीक्षक संवैधानिक प्राधिकारी है जो संसद के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आता है

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ए० चार्ल्स]

इसलिए संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रति आलोचना के रूप में कुछ करे या कहे।"

कुछ विपक्षी सदस्यों ने यह दुबारा कहा है कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक सेवाकाल की समाप्ति के पश्चात् सरकार के किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। यह एक ऐसी रोक है जो न्यायधीशों राज्यपालों या मुख्य चुनाव कमीशनर पर लागू नहीं होती। और इसलिए वह एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो सबसे ऊपर है। इसलिए उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 319 की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तें दी हुई है—

(क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजित का पात्र नहीं होगा।

इसी तरह अनुच्छेद 48 के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के लिए कोई और पद लेने पर रोक है। मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि क्या वह यह भी कहेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद भी उसी आधार पर संसद से ऊपर हैं। इस तरह एक नियम यह है कि संघ लोकसेवा आयोग की रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है जो उसे संसद के सम्मुख रखवाता है। और हम उसी रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। इस तरह जो भी रिपोर्ट संसद के समक्ष आती हैं हमें उस पर चर्चा करने और किसी समय उस पर निर्णय लेने का भी अधिकार होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश महान नेताओं द्वारा तोड़-मरोड़ कर तस्वीर पेश की जाती है जिससे लोग यह महसूस करें कि यहां कुछ गलत बात हो रही है। वह कुछ लोगों की हर समय और हरेक को कुछ समय मूर्ख बना सकते हैं लेकिन वह सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते क्योंकि एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है।

फिर प्रेस में यह छपा है कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने स्वयं कोई वक्तव्य दिया है। इस महीने की 21 तारीख को एक प्रमुख दैनिक में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया—

"उसने (नियंत्रक-महालेखा परीक्षक) ने संयुक्त संयुक्त संसदीय समिति को सूचित किया कि उसके पास पहले से मौजूद दस्तावेज और अन्य कागजात जो बाद में दिये गये थे कमेटी द्वारा किये जा रहे जांच कार्य पर कोई रोशनी नहीं डालते और पेशेवर लेखा-परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।"

फिर एक पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा :

"संविधान ने नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक को एक स्वतन्त्र संवैधानिक पद दिया है जिससे वह निष्पक्ष रूप से अपना कार्य निष्पादित कर सकें। इस प्रकार वह ना तो संसद को अधिकारी है और ना ही सरकार का कार्यकारी।"

मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिरकार वह है क्या ? यह नकारात्मक वक्तव्य है। सकारात्मक स्थिति कौन-सी है ? संविधान के अंतर्गत उनकी क्या भूमिका है ?

फिर कार्यवाही को स्पष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा जिसकी एक प्रति माननीय रक्षा मंत्री को प्रेषित की जिसमें विवादस्पद बोफोर्स सौदे की जांच में उनकी संविधानिक भूमिका को बताया गया है। उन्होंने कहा :

1. "उनका मुख्य कार्य तोप सौदे के विभिन्न पहलुओं को लेकर सम्बन्धित मंत्रालय के प्रशासनिक कार्य से था जो उनके संवैधानिक उत्तर दायित्व के साथ जुड़े हुए थे।"

मैं शब्द "संवैधानिक उत्तरदायित्व" को रेखांकित करता हूं।

2. "उन्होंने इस छाप को मिटाने पर विचार किया कि रिपोर्ट के राजनीति से प्रेरित है।"

3, "रिपोर्ट सरकार द्वारा दिये गए कागजातों के आधार पर तैयार की गई है और उन्होंने स्वयं कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की है।"

4. लेकिन संयुक्त संसदीय समिति के साथ गैर-सहयोग को नकारते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के समिति को अपना सहयोग देने की सहमति व्यक्त की थी।"

मैं फिर "संविधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी" को रेखांकित करता हूं।

"और नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के पास जो कागजात थे वे उनके समक्ष पड़े मसले पर कोई रोशनी नहीं डालते थे और इस तरह पेशेवर लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से टिप्पणी संभव नहीं थी।"

जो कुछ वह कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि उनके पास कुछ संवैधानिक उत्तरदायित्व है और वह संविधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी है।

4.00 म० प०

मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह स्पष्ट करें कि उत्तरदायित्व और अधिकार क्या हैं जो अनुच्छेद 148 से 151 के अन्तर्गत सभा पटल पर रखे जाने वालों के अलावा है।

संविधान में यह विशेषतौर से उल्लेख किया हुआ है कि उन्हें संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप में शपथ लेनी पड़ेगी। मैं तीसरी अनुसूची से उद्धृत करता हूं।

"मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्य का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।"

आज एक समाचार है कि उन्होंने दुबारा अध्यक्ष को लिखा है कि वह संसद में दिये गए भाषणों की प्रति उन्हें उपलब्ध करायें जिससे कि वह मामले को पुनः स्पष्ट कर सकें। अतः मैं आपके माध्यम उनसे पूछना चाहूंगा कि वह यह स्पष्ट करें कि क्या उनकी अंतरात्मा इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने रिपोर्ट ईमानदारी के साथ बिना किसी दुर्भाव के और बिना किसी एक का पक्ष लिये हुए अपनी ली गई शपथ को पूरा करते हुए तैयार की है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विशेषकर क्योंकि उन्होंने इस सदन के सदस्यों के भाषणों की प्रति मांगी है। मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न करना चाहूंगा।

(1) उनके संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है? मैं नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से सकारात्मक वक्तव्य चाहूंगा ना कि नकारात्मक उत्तर जो हमेशा मिलता है।

(2) संयुक्त संसदीय समिति को लिखते समय उन्होंने कहा कि रिकार्ड एक पेशेवर लेखा-परीक्षा की राय देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

परन्तु रिपोर्ट में और अध्यक्ष को लिखे गए अपने पत्र में जो कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी ओर से साक्ष्य इकट्ठे नहीं किए हैं। अत: लेखा-परीक्षा रिपोर्ट देते समय भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने का उनका क्या आधार है।

(3) क्या उन्हें संयुक्त संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत की गयी सामग्री से भिन्न कोई अन्य रिकार्ड अथवा सामग्री मिली है? यदि नहीं तो वह भिन्न निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे और क्या उनके लिए संयुक्त संसदीय समिति को प्रस्तुत दृष्टिकोण से भिन्न रवैया अपनाना उचित है?

(4) क्या रिपोर्ट में ऐसी कोई बात है जिससे प्रधान मंत्री पर तनिक भी आक्षेप आता हो?

(5) क्या यह सत्य नहीं है कि बोफोर्स सौदे में वित्तीय मंजूरी तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी०पी० सिंह द्वारा वित्तीय मूल्यांकन विधि और वित्तीय नियमों एवं शर्तों जो भारत के लिए अधिक लाभदायक थीं, से अपने आप को पूर्णत: संतुष्ट करने के पश्चात ही दी गयी थी?

(6) क्या यह सत्य नहीं है कि प्रधान मंत्री मूल्यांकन विधि को और सख्त करना चाहते थे और क्या यह वित्त मंत्रालय का कर्त्तव्य नहीं था कि वह इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करता? यदि यह अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है तो क्या यह वित्त मन्त्रालय की गलती नहीं है जिसके प्रभारी उस समय श्री वी० पी० सिंह थे?

(7) क्या यह सत्य नहीं है कि पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक रडार प्रणाली की खरीद ने हमारी रक्षा सम्बन्धी जरूरतों को पूरी तरह से बदल दिया है और क्या यह सत्य नहीं है कि उन बदली हुई परिस्थितियों में बोफोर्स तोप ही सर्वोत्तम हथियार थी जिससे हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सम्भावित चुनौतियों का सामना कर सकते थे?

(8) क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को थलसेनाध्यक्ष श्री सुन्दर जी निष्ठा और ईमानदारी पर जरा भी सन्देह है, जिन्होंने विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बोफोर्स तोप की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उचित बताया है?

(9) क्या यह सत्य नहीं है कि श्री सुन्दर जी ने स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित किया है कि बोफोर्स तोप विशेषकर अपनी मारक क्षमता और अपना स्थान बदलने की तत्परता के कारण सर्वोत्तम सुरक्षित आयुध व्यवस्था थी?

(10) तोपखाना प्रणाली की उपयुक्तता से सम्बन्धित मामलों में यदि सरकार थलसेनाध्यक्ष की सुविचारित सलाह को स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करे अथवा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जैसे व्यक्ति के त्रुटिपूर्ण हिसाबी अनुमान के अनुसार कार्य करती है तो क्या इसके लिए सरकार पर दोष लगाया जा सकता है?

ये प्रश्न हैं। स्वाभाविक है कि हम नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से इन प्रश्नों का उत्तर चाहेंगे। इस सम्बन्ध में, यद्यपि मैं रिपोर्ट के विस्तृत विवरण जैसे यह रिपोर्ट चाहे एकपक्षीय है, अथवा चयनात्मक अथवा पक्षपातपूर्ण हो, मैं रिपोर्ट के इन विस्तृत विवरणों में नहीं जा रहा हूं परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई इस रिपोर्ट को चयनात्मक अथवा एकपक्षीय अथवा पक्षपातपूर्ण बताता है तो इस बात

का उत्तर देना बहुत मुश्किल है। यहां, मैं इस माननीय सदन की जानकारी में एक अथवा से बातें लाना चाहूंगा। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 11. 1, 02 में यह उल्लेख किया गया है :--

"तोप प्रणाली और गोला बारूद के क्रय के साथ ही साथ लायसेंस उत्पादन से सम्बन्धित पत्रावलियां मंत्रालय से जुलाई 1986 में मांगी गयी थीं, वे लेखापरीक्षा विभाग को कई अनुस्मारकों के बाद जून, 1988 से ही उपलब्ध कराई गई।"

मैं दोहराता हूं, "...और केवल कई अनुस्मारकों के बाद ही" श्री शाहबुद्दीन जी यहां उपस्थित नहीं है। मुझे दुःख है कि उन्होंने कहा था "इस प्रकार की रिपोर्ट देखने का सरकारी अधिकारी के रूप में मुझे 25 वर्षों का अनुभव है।"... (व्यवधान) मुझे डर है आप मेरे बोलने के समय में कटौती करने जा रहे हैं : अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए।

आप जानते हैं कि जब समाचार-पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तब यह भावना उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जैसे उच्चाधिकारी ने लेखाओं के सभी विवरणों की बहुत बारीकी से जांच करने के पश्चात् ही रिपोर्ट तैयार की है। परन्तु आप जानते हैं कि कार्यविधि के अन्तर्गत ये रिपोर्टें सबसे निचले स्तर पर तैयार की जाती हैं जैसे कोई लेखाधिकारी लेखा-बहियों की जांच करता है तथा सम्बन्धित विभाग में जाता है और कुछ स्पष्टीकरण लेता है। और अन्त में एक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार होता है। अधिकतर मामलों में रिपोर्ट का यह प्रारूप अपने तीसरे और चौथे चरण में अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है परन्तु इस मामले में यह सही है कि यह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तक भी पहुंची है। अतः मेरे लिए यह आश्चर्यजनक है कि नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के पद के अधिकारी द्वारा ऐसे विकृत रूप में यह रिपोर्ट कैसे तैयार की गई है ?

महोदय, मैं कहता हूं कि ये शब्द "केवल कई अनुस्मारकों के बाद ही" रिपोर्ट में किए गए पक्षपात को ही दर्शाते हैं।

रिपोर्ट के पैरा 11, 1, 02 में पुनः यह उल्लेख किया गया है कि :

"मंत्रालय ने जून, 1987 में बताया कि पत्रावलियां कतिपय उत्तर-संविदागत मामलों को निपटाने और बोफोर्स संविदा की जांच करने के लिए संसद द्वारा गठित संयुक्त समिति की कार्यवाही के सम्बन्ध में अपेक्षित है। मन्त्रालय ने और स्पष्ट किया कि "संसद में चलने वाली बहस को ध्यान में रखते हुए ये प्रलेख (उनके द्वारा) प्रतिदिन ही संदर्भित किए जाते थे।"

यह रिपोर्ट वर्ष 1988 में पेश की गयी और नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक इस देश के ही एक नागरिक हैं। वह जानते हैं कि पिछले तीन वर्षों से देश में क्या हो रहा है। पूरी चर्चा से वह अवगत हैं तथा वह यह भी जानते थे कि बोफोर्स मुद्दे के कारण किस प्रकार सरकार की खिचाई हुई थी। अतः जबकि संसद में बहस जारी हो तथा जबकि मंत्रालय द्वारा दस्तावेज मांगे गये हो तब वह यह कैसे कह सकते थे कि बार-बार याद दिलाने पर ही दस्तावेजों संबंधी फाइलें उन्हें भेजी गई थी।

महोदय, अगले पैराग्राफ को देखने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि दस्तवेजों को विलम्ब से भेजने का मंत्रालय का कोई इरादा नहीं था। रिपोर्ट के पैरा 11, 1, 03 में यह भली-भांति स्पष्ट हो जाता है :

[श्री ए० चार्ल्स]

"मन्त्रालय ने फरवरी 1989 में बताया कि रक्षा मंत्री ने भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को जून 1987 में सूचित किया था कि लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित सभी पत्रावलियाँ प्राप्त करने के अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

मैं पुनः दोहराता हूं :—

"लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित सभी पत्रावलियां प्राप्त करने के अनुदेश जारी किए जा चुके हैं और यदि किसी कारण से किसी विशेष पत्रावली को प्रस्तुत करना संभव नहीं है, उचित स्तर के लेखा परीक्षा अधिकारी रक्षा मंत्रालय जहां संबंध पत्रावलियों की संवीक्षा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जाकर देख सकते हैं।"

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखा-परीक्षा में विलम्ब करने अथवा रिकार्डों की अपने पास रखने का मंत्रालय अथवा सरकार का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। परन्तु लेखा-परीक्षा दल ने उस प्रस्ताव का लाभ नहीं उठाया। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? दिनांक 18 सितम्बर 1987 को रक्षा सचिव को लिखे गये अपने पत्र में नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे दस्तावेज संबंधी फाइलें, चाहे वे संवेदन शीला थीं अथवा नहीं, संवीक्षा के लिए लेखा निदेशकों को उनके कार्यालयों में उपलब्ध की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो लेखा-परीक्षा दल द्वारा अपेक्षित दस्तावेज लेखा-निदेशकों को उनके नाम से भेजे जा सकते हैं और यह उल्लिखित किया जा सकता है कि ऐसे दस्तावेजों और कागजातों के सम्बन्ध में वे विवेकशील रहें। मंत्रालय द्वारा यह कहा गया था कि दिन-प्रतिदिन जांच के लिए उन दस्तावेजों की जरूरत थी परन्तु नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का यह कहना है कि दस्तावेजों को इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि उन्हें गोपनीय समझा गया। यह एक बेतुका बयान है जो इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में दिया गया है। मुझे इस पर गहरी आपत्ति है और महोदय मैं आपके माध्यम से नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उन्होंने यह विकृत रूपान्तर कैसे दिया है?

महोदय, एक और मुद्दे पर बोलने के बाद, मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। पूर्ण रिकार्ड को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि यह कारण बनाया गया है। पैरा 11, 3, 21 में यह दोबारा बताया गया है कि वह, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि बोफोर्स तोप का मूल्यांकन और चयन दोष पूर्ण था, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का सहारा लिया गया था और मन्त्रालय ने इन पत्रिकाओं पर भरोसा करने के बारे में होने वाले खतरे का उल्लेख किया है क्योंकि वे कभी भी वही चीज पेश नहीं करती हैं। पूर्ण रिपोर्ट को देखने से यह पता चलता है कि संविधान के अन्तर्गत जो उत्तरदायित्व उन पर डाला गया है वह उनको पूरा करने में असफल रहा है। मुझे खेद है कि उनके द्वारा पूर्ण रूप से विपक्ष का समर्थन करने की धारण में, माननीय प्रधान मन्त्री की प्रतिष्ठा को कम करने तथा विपक्ष के साथ मिलकर सरकार पर आक्षेप करने के लिए एक-तरफा रिपोर्ट पेश की गई है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी को समाप्त करता है।

4.14 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सभापति महोदय, मैं संसद में तथा सरकार की जांच एजेंसियों विशेषकर केन्द्रीय

जांच ब्यूरो की भूमिका के बारे में समय-समय पर उठाए गए प्रश्नों तथा कुछ सन्देहों का उत्तर देने के लिए इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन इस सभा के समक्ष है। जब बोफोर्स के प्रतिनिधि भारत में थे तो उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति को कुछ सूचना उपलब्ध कराई थी और संयुक्त संसदीय समिति ने उसे अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 139 से 153 में सम्मिलित किया है। संयुक्त संसदीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में संयुक्त संसदीय समिति के कहने पर जांच एजेंसियों ने जो कुछ कार्य किया था उसका संक्षिप्त सार सम्मिलित किया है और जांच एजेंसियों ने जो निष्कर्ष दिए हैं वह उस समय तक की उनकी जांच पर आधारित हैं।

मैं प्रतिवेदन का वह हिस्सा नहीं पढ़ूंगा लेकिन जहां कहीं भी आवश्यक होगा, मैं प्रतिवेदन के उस पृष्ठ का संक्षिप्त उल्लेख करूंगा जिस पर यह बात आई है। महोदय, वास्तव में बोफोर्स द्वारा तीन कम्पनियों को कुछ धनराशि दी गई थी—संक्षिप्तता के लिए, मैं उन्हें स्वेंस्का ए० ई० सर्विसिज और पिटको कहूंगा-जो सही है और बोफोर्स द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया था, पहले इसे भारत सरकार के समक्ष और बाद में औपचारिक रूप से संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष स्वीकार किया गया। इन अदायगियों का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है लेकिन मैं उन विवादों में नहीं पड़ना चाहता। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने इस अदायगियों के बारे में टिप्पणी की है। अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 23 पर, रक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में "विशिष्टताएं" शीर्ष के अन्तर्गत, इस प्रतिवेदन में इस प्रकार कहा गया है :—

> "यद्यपि मंत्रालय ने मई, 1985 में निश्चय किया था कि आयातित हथियारों और उपस्करों की अधिप्राप्ति सीधे विनिर्माताओं से की जाएगी और एजेन्ट हटा दिए जाएंगे, इसने एजेंटों के नियोजन के संबंध में बोफोर्स से सुस्पष्ट आश्वासन प्राप्त नहीं किया। संसद की संयुक्त समिति के निष्कर्षों के अनुसार, बोफोर्स ने भारत में अधिवास न करने वाली तीन कम्पनियों को 319.4 दस लाख स्वीडिश क्रोनर का भुगतान किया। संविदा में एजेंटों को निकालने के उपयुक्त प्रावधान की अनुपस्थिति में मंत्रालय द्वारा बोफोर्स एजेन्टों को भुगतान की गई सीमा तक मूल्य में कोई भी कमी नहीं मांगी जा सकी।"

इस पैराग्राफ में बहुत से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए हैं। सबसे प्रथम तो नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक अदायगियों के स्वरूप के बारे में विवाद में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने इसे अदायगियों के रूप में वर्णन किया है, यह एक बहुत ही स्वभाविक शब्द है और यहां तक कि उन्होंने इन अदायगियों को घूस के रूप में अथवा रिश्वत के रूप में अथवा कमीशन के रूप में नाम देने का प्रयास नहीं किया है और मैं यह बिलकुल ठीक कहता हूं क्योंकि ऐसा करने का उनके सामने कोई प्रमाण नहीं था।

दूसरा, नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा किसी स्वतंत्र जांच पर आधारित यह निष्कर्ष नहीं है। उसने केवल संयुक्त संसदीय के निष्कर्षों को अपनाया है कि तीन कम्पनियों को 319.4 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया गया था।

यदि वह वहां तक ही ठहर गया होता, तो मैंने खुशी से यह पैराग्राफ अपना लिया होता और मुझे इस पैराग्राफ पर कोई आपत्ति नहीं होती। तथापि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गये और उन्होंने स्वयं ऐसी भूमिका अपना ली है जिसमें मैं नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से सहमत नहीं हूं। उन्होंने ठेके में उपयुक्त उपबन्ध न होने पर उसकी आलोचना की है। मुझे यकीन है कि रक्षा मन्त्री

[श्री पी० चिदम्बरम]

इसका अधिक विस्तार से उत्तर देंगे। लेकिन मैं केवल इसे रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि यह इस ए० जी० का कार्य नहीं बल्कि दूसरे ए० जी० का कार्य था, आपत्ति यह महा परीक्षक का नहीं बल्कि महा न्यायवादी का कार्य था।

महा न्यायवादी ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने अनुबन्ध के स्वरूप के बारे में यह मत दिया था कि बोफोर्स को इसमें किसी बिचौलिये को शामिल करने की आवश्यकता नहीं और वह भारत सरकार के साथ सीधे बातचीत करें। यह मत संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 191 पर उपलब्ध है। एम० अन्य ए०जी० को यदि मैं कहूँ कि इस मामले में सही ए०जी० को कहना पड़ा। महान्यायवादी ने कहा था;

"महान्यायवादी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सीधा बोफोर्स के साथ व्यापार करेगी तथा इस बात पर बल दिया था कि इस सौदे में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, यह ठेके से पूर्व की शर्त बन गई थी। अतः बोफोर्स इस शर्त को पूरा करने के लिए बाध्य थे। उन्होंने आगे बताया :

"इस ठेके के निष्पादन की इस पूर्व शर्त को, कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, न्यायालय में सिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि ठेके की शर्तों में इसका उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठा। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय भी है।"

महोदय, कृपया यहां प्रश्न को देखिए। यह बताया गया है :

"यह पूछे जाने पर कि क्या यह आवश्यक नहीं था कि ठेके में इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से एक खंड जोड़ा जाता।"

इस पर, महा न्यायवादी ने बताया कि इसके लिए यहां एक खंड होना चाहिए। लेकिन महा-न्यायवादी ने कहा कि मैं यहां विनम्रता के साथ निवेदन करना करता हूँ :

"नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि इसे शामिल किया जाना जरूरी है क्योंकि शर्तें दो पार्टियों के बीच हैं। पूर्व शर्त मौखिक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यह अवश्य ही लिखित रूप में होनी चाहिए।"

मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि हमें एक लेखापरीक्षक की भूमिक को अवश्य समझना चाहिए। यह एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट है। इसका रक्षा मंत्रालय में सम्बन्ध है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं हमें गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त होगा। यह वार्षिक प्रतिवेदन है। यह एक ऐसा प्रतिवेदन है जोकि महा परीक्षक, हर वर्ष हर मंत्रालय के बारे में देते हैं। मुझे महालेखा परीक्षक का ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला जिसने उसने अच्छे कार्य के लिए सरकार की प्रशंसा की हो क्योंकि ऐसा करना महा परीक्षक का कार्य ही नहीं है। प्रत्येक प्रतिवेदन एक आलोचनात्मक प्रतिवेदन है प्रत्येक मंत्रालय का प्रत्येक प्रतिवेदन उस मंत्रालय का आलोचनात्मक प्रतिवेदन है। प्रत्येक पैराग्राफ आलोचना पैराग्राफ है। हम 1947 से प्रतिवेदनों को देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मंत्रालय के बारे में या तो यह बड़ा प्रतिवेदन होगा अथवा छोटा प्रतिवेदन लेकिन उसमें उस मंत्रालय की आलोचना

की गई होगी। लेकिन उस प्रतिवेदन के आधार पर यदि संसद में त्याग पत्र देने के लिए कहा जाए, तो मुझे भय है कि हमारी न केवल परिवर्तनशील सरकार होगी बल्कि हमारी अफसर शाही भी परिवर्तन शील होगी। जैसे ही आप किसी पद पर बैठेंगे आपको उस पद से हटना पड़ेगा। मंत्री आएंगे और जाएंगे। सचिवों को आना और जाना पड़ेगा। इस देश में केवल अराजकता का शासन चल रहा होगा बल्कि इस देश में पूर्ण अव्यवस्था होगी।

महोदय, इस प्रतिवेदन पर वाद-विवाद किये जाने की आवश्यकता है। इसे लोकलेखा समिति को भेजा गया होता। इस पर लोकलेखा समिति में वाद-विवाद किया होता। यह संसद में आई होती अथवा न आई होती। इस पर संसद में वाद-विवाद हुआ होता। इसीलिए मैं माननीय सदस्यों से प्रतिवेदन को समझने का अनुरोध करता हूं। न इससे अधिक और न इससे कम। मैं सचेत हूं कि हम एक बहुत ही असाधारण वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं। इस सभा के नियमों में एक ऐसे प्रस्ताव पर वाद-विवाद किये जाने की व्यवस्था है जिसे अनिमत दिन वाले प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्यवश यह प्रो० दंडवते और श्री जयपाल रेड्डी का प्रस्ताव है जो कहते हैं "मैं अभी तैयार नहीं प्रस्ताव" अथवा मैंने अभी निश्चय नहीं किया प्रस्ताव।" उन्होंने इस प्रस्ताव के नोटिस दिये हैं। वे वाद-विवाद चाहते हैं।

मैं नहीं जानता कि रक्षा मन्त्री इससे सहमत हैं या नहीं मैं उनकी बात समझ गया हूं। यदि हम यह बहस कराने में आनाकानी करते और हम खड़े होकर यह कहते हैं कि हम यह बहस नहीं कराना चाहते तो शायद वह इस बहस से पीछे नहीं हटते। किन्तु हम इस बहस के लिए तुरंत तैयार हो गए तो वह इस बहस से अब भाग रहे हैं। उन्होंने बहस के लिए एक सूचना दी थी। वह बहस से भाग गए। अब हमने बहस आरम्भ की, वह संसद से भाग गए। अब तो शायद वे एक लम्बे अवकाश पर देश से भाग जाए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जांच अभिकरणों के बारे में इस सदन के भीतर तथा बाहर कुछ गलत प्रकार की आलोचना हुई है। और मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूं।

इससे पहले की मेरी टिप्पणियां, मैं जो कुछ कहना चाहता था उसका केवल प्रारम्भ मात्र थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भारत में अपराध की जांच के लिए दिल्ली (विशेष पुलिस) स्थापना अधिनियम से अधिकार प्राप्त करता है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बाहर इसे राज्य सरकारों की सहमति की जरूरत होती है। भारत से बाहर अपराधों की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को विदेशों में स्थित जांच एजेंसियों और विशेष रूप से "इन्टर पोल" की सहायता लेनी पड़ती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक एजेंसी है और कृपया जांच एजेन्सी शब्द पर ध्यान दें।

आज हमारे यहां खोजी पत्रकार हैं। हमारे यहां खोजी संसद सदस्य हैं। हर व्यक्ति ने जांच कर्ता की भूमिका निभानी आरम्भ कर दी है, शायद यह दूरदर्शन द्वारा शर्लक होम्स धारावाहिक के रूप में दिखाए जाने का परिणाम है। मैं थोड़ी देर बाद इस जांच के जोखिमों की बात करूंगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसी के भी विरुद्ध कुछ भी गैर-कानूनी काम नहीं कर सकता मैं यह बात बिना किसी के खिलाफ दोष लगाए कह सकता हूं। उदाहरण के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसी घर सेंध नहीं लगा सकता, किसी बैंक में सेंध लगाकर कागजात नहीं चुरा सकता। केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसी को बन्दी बनाकर उसे छोड़ने के लिए किन्हीं दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकता। केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसी को बन्धक नहीं बना सकता। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करनी होती है और वह भी केवल उसी प्रकार से

[श्री पी० चिदम्बरम]

जिस प्रकार किसी एक देश की पुलिस दूसरे देश में इन्टरपोल या परस्पर कानूनी सहायता समझौते के माध्यम से कार्य करना होता है। अब मैं इस पर विस्तार से बाद में बात करूंगा महोदय, "हिन्दू" ने काफी बड़ी संख्या में दस्तावेज प्रकाशित किए। और मेरे विचार से अब समय आ गया है कि हम इन दस्तावेजों का विश्लेषण करें और इन्हें समझें। मोटे तौर पर इन दस्तावेजों को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—स्वेन्सका से सम्बन्धित दस्तावेज, पिटको/मास्को/मोईनियो से सम्बन्धित दस्तावेज ए० ई० सेवाओं से संबंधित दस्तावेज तथा शेष बचे दस्तावेज जिनमें प्राप्त कर्ता या लाभ पाने वाले का जिक्र नहीं है। "द हिन्दू" ने यह दस्तावेज किस्तों में प्रकाशित किए। मेरे विचार से यह दस्तावेज उन्हें किस्तों में प्राप्त हुए इसलिए उन्होंने यह किश्तों में प्रकाशित किए। दस्तावेजों का पहला सेट अप्रैल, 1988 में प्राप्त हुआ। दूसरा जून, 1988 में और तीसरा नवम्बर, 1988 में प्राप्त हुआ। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी भी समय जो कुछ किया उसे उस समय प्रकाशित किए दस्तावेजों के संदर्भ में समझा जा सकता है।

महोदय, सबसे पहले मैं "पिटको" दस्तावेजों की बात करता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने क्या किया और उसे क्या मिला। किन्तु, मैं इस समय भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच अभी भी जारी है। किन्तु मेरे विचार से इस अवसर का लाभ इस सदन को तथा इस देश के लोगों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गई जांच के बारे में जानकारी देने के लिए उठाना चाहिए। मैं सब से पहले पिटको की बात करता हूं। जहां तक पिटको का संबंध है बोफोर्स ने जे० पी० सी० को बताया कि इस कम्पनी का पता 30, आर० यू० ई० डी० यू० रहोन, जेनेवा, स्विटजरलैंड है। इसके बैंकर क्रेडिट सुईस एण्ड मैन्युफैक्चरर्स देनोवर ट्रस्ट है इन दोनों की शाखा जेनेवा में है। हमारे अधिकारी 30, आ० यू० ई० डी० यू० रहान गए किन्तु वहां पर इस कम्पनी का कोई अस्तित्व नहीं था। इस कम्पनी का कोई बोर्ड भी वहां पर नहीं था। हमने क्रेडर सुईस बैंक से सम्पर्क स्थापित किया किन्तु उन्होंने बैंकिंग गोपनीयता कानूनों के उल्लंघन के आधार पर कोई भी जानकारी देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मैन्युफैक्चरर्स देने पर ट्रस्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके कोई नाम वाली तीनों कम्पनिनों पिटको, मोनियो और मोरेस्को में से किसी के साथ कोई लेन-देन नहीं है। यह तथ्य जे० पी० सी० की रिपोर्ट के पृष्ठ 135 और 136 पर है।

अप्रैल 1988 में हिन्दू कुछ दस्तावेज प्रकाशित किए। पहला दस्तावेज बोफोर्स द्वारा स्केन्डिने-विस्का एन्सकिल्डा बैंक को भेजी गई दिनांक 4-3-1982 की प्रेषण एडवाईज है और दूसरी बोफोर्स से स्केन्डिनेविस्का एंसकिल्डा बैंक को भेजी गई दिनांक 17-11-1982 की प्रेषण एडवाईस है। आप देखेंगे कि यह दो प्रेषण एडवाईस वर्ष, 1982 के हैं और बोफोर्स समझौते से काफी समय पहले के हैं।

इस करार से पूर्व किए गए किसी भी करार का यह अर्थ नहीं है कि वह बोफोर्स सौदे से संबंधित है। इस बात का कोई मतलब नहीं कि 1982 में किए गए भुगतान—मैं इस निष्पक्ष शब्द का इस्तेमाल जारी रखूंगा—का बोफोर्स सौदे से कुछ लेना-देना है।

फिर भी, हमारे अधिकारी स्केन्डनेविस्का एन्सकिल्डा बैंक पहुंचे किन्तु उन्होने बैंकिंग गोपनीय कानूनों के आधार पर कोई भी जानकारी देने से स्पष्ट इनकार कर दिया।

प्रत्यक्ष तौर पर कहने का अर्थ यह है कि यह दोनों दस्तावेज इसलिए संबद्ध है क्योंकि यह पिटको खाते से संबंध रखते हैं। उन्होंने एक दस्तावेज में पिटको खाते को मार्फत जी० पी० हिन्दुजा,

संगम लिमिटेड बताया तथा दूसरे में पिटको खाता मार्फत संगम लिमिटेड बताया। मैं हिन्दुजा बन्धुओं के साथ संबंध की बात अभी कुछ क्षणों में करूंगा।

उसके पश्चात् 'हिन्दू' ने लगभग उसी समय (1) बोफोर्स द्वारा मध्य पूर्व के ब्रिटिश बैंक को दिनांक 19-10-1979 का (2) बोफोर्स द्वारा मध्य पूर्व के ब्रिटिश बैंक को दिनांक 22-6-1981 का टैलेक्स तथा (3) बोफोर्स द्वारा मोरेस्को को भेजा गया दिनांक 29-6-1984 का पत्र जिसमें श्री मार्शी का ध्यान आकर्षित किया गया था प्रकाशित किए ये पत्र पिटको खाते के संबंध में हैं। 22-6-1981 का टैलेक्स और दिनांक 29-6-84 का पत्र संभवत: भारत सरकार के साथ किए गए दौविट्जर करार के बारे में है। जैसा कि मैं इन दस्तावेजों के बारे में समझ सका हूं, 1982 के दस्तावेजों के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि पिटको खाते के स्वामी हिन्दुजा बन्धु हैं और चूंकि यह पत्र दौविट्जर करार और पिटको खाते के संबंध में है इसलिए यह समझ लिया गया कि इसका लाभ हिन्दुजा बन्धुओं को मिला होगा।

महोदय, इस दस्तावेज का यह आशय है कि श्री जी० पी० हिन्दुजा या उनकी कम्पनी संगम लिमिटेड पिटको खाते की स्वामी है। हमारे अधिकारियों ने हिन्दुजा बन्धुओं से पूछताछ की है। हिन्दुजा बन्धुओं ने एक मध्यपूर्व के ब्रिटिश बैंक से दिनांक 22-4-88 को एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से एक भी प्राप्त किया मध्यपूर्व के ब्रिटिश बैंक द्वारा दिया गया प्रमापत्र तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा दिया गया पत्र मेरे पास है। बैंक के प्रमाण पत्र में बताया गया है कि बैंक में संगम लिमिटेड के नाम से या निदेशक के रूप में श्री जी० पी० हिन्दुजों के नाम से कभी भी कोई खाता नहीं रहा है।

बैंक ने इस प्रकार लिखा है :

"हम यह प्रमाणित करते हैं कि संगम लिमिटेड का पिटको के नाम से कभी भी कोई खाता नहीं था। इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रमाणित करते हैं हमारे पास इस समय या विगत में संगम लिमिटेड के नाम से कोई खाता नहीं था।'

चार्टर्ड लेखापालों ने भी प्रमाणित किया है :

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमने 7 मई 1984 से लेकर अब तक आपकी कम्पनी के परीक्षकों के रूप में कार्य किया है। हमारी जानकारी के अनुसार इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान आपकी कम्पनी को स्वीडन की ए० बी० बोफोर्स से या श्री जी. पी. हिन्दुजा से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ न ही पिटको से कोई धन प्राप्त हुआ है जिसको आपकी कम्पनी की किताबों में कोई खाता नहीं है।"

महोदय, हिन्दुजा अनिवासी भारतीय है। उन्होंने दाविट्जर करार के साथ कोई संबंध होने से सार्वजनिक रूप से इन्कार किया है। हिन्दुजा बन्धुओं को बचाना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मेरा काम नहीं है। किन्तु मैंने सोचा कि हमारी जांच एजेंसियों द्वारा स्केन्डिनेविस्का एन्सकिल्डा बैंक तथा हिन्दुजा बन्धुओं से की गई पूछताछ के प्रयत्नों को आपके समक्ष रखूं। हमने इससे भी अधिक किया। हमने एक श्री लौं फोन्ड से सम्पर्क स्थापित किया।

वह स्विस बैंक कारपोरेशन में थे। उन्होंने दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। इस बीच श्री मार्शी ने लन्दन में एक भारतीय संवाददाता के साथ साक्षात्कार में

[श्री पी० चिदम्बरम]

स्पष्ट रूप से इस बात से साफ इन्कार किया कि उन्होंने कोई ऐसे दस्तावेज देखें हैं जिनकी ओर श्री मार्शी का ध्यान आकर्षित किया गया है। स्वाभाविक है इससे सन्देह उत्पन्न होता है। क्योंकि ओल्ड पिटको-संगम का दाविटजर करार के साथ संबंध स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज 22-6-81 का टेलेक्स तथा 29-6-84 का पत्र है जिन दोनों के ऊपर "श्री मार्शी ध्यान दें" लिखा हुआ है। काफी प्रयत्न और कठिनाई के बाद हम श्री मार्शी से सम्पर्क कर पाए। श्री मार्शी ने हमें बताया कि उन्होंने काफी कम अवस्था में मध्यपूर्व के ब्रिटिश बैंक में काम करना आरम्भ किया और 30 वर्ष की सेवा के पश्चात मई, 1980 में सेवा निवृत्त हो गए।

थोड़े समय के बाद वह एक अमरीकी बैंक, कंटीनेटल इलीनोएस बैंक की जेनेवा शाखा में चला गया था। लेकिन उसने 35 बैंक में लगभग एक वर्ष बाद इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद वह मैन्यू-फैक्चर्स हुन्नोवर ट्रस्ट बैंक जेनेवा शाखा में चला गया था। उसे जमा और नामे के नोट, टैलेक्स स्वदेश और पत्र दिखाए गए थे। यह महत्वपूर्ण है। जहां तक दिनांक 22-6-81 के टैलेक्स सन्देश "श्री मार्शी के ध्यानार्थ" के सम्बन्ध है, जोकि मिडिल ईस्ट के ब्रिटिश बैंक को सम्बोधित था, श्री मार्शी ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि टैलेक्स को उनके ध्यानार्थ नहीं लाया जाना चाहिए था क्योंकि अपने मिडिल ईस्ट के ब्रिटिश बैंक को टैलेक्स सन्देश से एक वर्ष पहले मई, 1980 में छोड़ दिया था, दूसरा संकीन दस्तावेज दिनांक 29-6-84 का पत्र है, जोकि मोरेस्को मार्फत कंटीनेन्टल इलीनोएस बैंक को सम्बोधित है और जिसमें "श्री मार्शी के ध्यानार्थ" सम्बोधित किया गया है। उनके बारे में श्री मार्शी ने स्पष्ट रूप में बताया कि इसे मेरे पास नहीं भेजा जाना चाहिए था क्योंकि उस समय तक उसने पहले ही कंटीनेन्टल इलीनोएस बैंक छोड़ दिया था।

महोदय, मुझे दिनांक 22-6-81 के टैलेक्स और दिनांक 29-6-84 के पत्र की प्रमाणकर्ता के बारे में कुछ शक है। हम किसी अन्तिम निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे हैं लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों तथा अब तक की गई जांचों के आधार पर अनन्तिम निष्कर्ष यह है कि पिटको, मोरेस्को और मोएनेइयो ये सभी विभिन्न स्विस बैंकों में खाता नम्बरों के कोड नाम है और जब तक हम अपराध को सिद्ध नहीं कर देते तथा बैंकिंग गुप्त कानूनों के उल्लंघन का ठीक मामला नहीं बना लेते और कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक यह सिद्ध करना संभव नहीं है कि इन खातों के लाभार्थी कौन हैं। हो सकता है हिन्दुजा गलत हैं ? हो सकता है हिन्दुजा ठीक है ? उनका प्रतिवाद मेरा काम नहीं है मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि अब तक दस्तावेजों में जो सिद्ध हुआ है। यह केवल यह है। कि पिट को, मोरेस्को, खातों के कोड नाम है। वास्तव में, मोएनेइयो का नाम किसी भी दस्तावेज में नहीं पाया गया है यद्यपि बोफोर्स ने संयुक्त संसदीय समिति को यह नाम भी दिया था। ये खाते स्विस बैंक में है। दोनों की प्रामाणिकता के बारे में शक है और जब तक हमारी जांचों के और साक्ष्य सामने नहीं आते तब तक यह साबित करना संभव नहीं है कि इन खातों के मालिक कौन हैं और स्वेस्का के बारे में विचार करते समय मैं आपकी कानूनी सहायता प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में इस सभा को बताऊंगा।'

एक और कम्पनी जिनके बारे में बोफोर्स ने यह स्वीकार किया था कि उसे फायदा हुआ है, ए० ई० सर्विसिज है और इसे सभी का पत्रकारिता जांच के खतरों के बारे में सभी स्पष्ट होगा जब हम ए० ई० सर्विसिज के विषय पर चर्चा करेंगे। बोफोर्स ने संयुक्त संसदीय समिति को बताया कि ए० ई०

सर्विसिज एक कम्पनी है जोकि यू. के. में पंजीकृत है । श्री माइलेस स्टोर और कुमारी रीता जुम्बरुन्नेन इसके निदेशक है और इनका बैंक ज्युरिच में है। इसका उल्लेख प्रतिवेदन में भी है। इसकी जांच के दौरान, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पता लगा कि मेजर आर. ए. विलसन ने 9-8-79 को एक कम्पनी खोली थी। जिसे टारगेट प्रेक्टिस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और जिसका नाम बदलकर ए. ई. सर्विसिज लिमिटेड एवं दिया गया था। यह सी. आई. ए. ओ. यू. एनसटाल्ट वेडुज से ज्ञात धारक कम्पनी की एक सहायक कम्पनी है जिसे संक्षेप में सी. आर. ए. ओ. यू. के नाम से जाना जाता है जोकि लाइकलेरैनसटेम में पंजीकृत है जोकि मुक्ति के लिए सुप्रतिष्ठित है। श्री माइलेप स्टोर और कुमारी रीता जुम्बरुन्नेन के पास एक-एक शेयर है जबकि शेष 98 शेयर डी. एन. ए. लिमिटेड के पास है, जोकि हांग-कांग में पंजीकृत एक कम्पनी है, संयुक्त संसदीय समिति के आंकड़ों में एकत्र की गई सूचनाएं संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 138 से 141 पर दी गई है और मैं उन्हें अब नहीं पढ़ूंगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पता चला कि डी० एन० ए० लिमिटेड 2-7-76 को पंजीकृत हुई थी और 1?-8-86 को फिर से पंजीकृत हुई थी। सी० आई० ए० ओ० यू० 4-5-7̄ को पंजीकृत हुई थी। और 7-2-83 को फिर से पंजीकृत हुई हुई थी। जैसाकि मैंने पहले कहा है, सी. आई० ए० ओ० यू० एक धारक कम्पनी है। डा. रिट्र दोनों कम्पनियों का प्रशासक है। हमें यह भी पता चला है कि सी. आई. ए. ओ. यू. की 14 सहायक कम्पनियां है। हम इन 14 सहायक कम्पनियों के नाम जानते हैं। उनमें से एक ए. ई. सर्विसिज लिमिटेड है जो कि यू. के० में पंजीकृत है। हमने श्री स्टोर से सम्बन्ध स्थापित किया था जिसे एक निदेशक के रूप में दिखाया गया है। हमने पता लगाया है कि कुमारी रीता जुम्बरुन्नेन और कोई नहीं बल्कि उनकी निजी सचिव ही है। लेकिन श्री स्टोर ने हमें बताया कि जिस आदमी से बात की जानी है वह मेजर विलसन है। श्री विलसन से सम्बन्ध स्थापित किया। वह बहुत ही सहयोगी था और बहुत ही स्पष्टवादी था। उसने हमें बताया कि सेना से सेवानिवृत होने के बाद उसने कानून की उपाधि ली और उसने रक्षा ठेकों में विशिष्टता प्राप्त की। वह ग्रेट ब्रिटेन की डिफेंस मैं यूफैक्चरर्स एसोसिएशन का परामर्शदाता है। यह एक पूर्णरूप में जानी पहचानी और मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है जोकि प्रतिनिधित्व, सम्पर्क, तकनीकी प्रक्रियाओं, विपणन, संचार और व्यक्तिगत सम्बन्ध के क्षेत्र में व्यापक समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराती है। उन्होंने इस बात की प्राप्ति की ए. ई. सर्विसिज धारक कम्पनी, सी. आई. ए. ओ. यू. की सहायक कम्पनी है।

उसने यह भी बताया कि मिडिल ईस्ट से प्रभावी ब्रिटिश अरबों ने सी० आई० ई० ओ० यू० की स्थापना की थी और उस पर उनका स्वामित्व है। किसी भी भारतीय के पास सी० आई० ए० ओ० यू० का शेयर नहीं था अथवा किसी तरह भी उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। उसने इस बात की पुष्टि की बोफोर्स से 15-11-85 को ए० ई० सर्विसिज के साथ समझौता किया था। यह 'दी हिन्दू' द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों में से एक है। इस पर मेजर विलसन ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन जैसाकि हमें बाद में पता लगा कि शायद कुछ कर कठिनाईयों के पैदा होने के कारण उसी तारीख को इस समझौते के स्थान पर दूसरा समझौता किया गया। यदि इन समझौते पर मेजर विलसन ने हस्ताक्षर किये थे लेकिन यह बात संलग्न है। मेजर विलसन ने हमारे अधिकारियों को बताया कि समझौते को इस शर्त के कारण रद्द करना पड़ा था कि इसमें बिचौलिए नहीं रखे जाने चाहिए। यह रद्दीकरण 5-3-86 को प्रभावी हुआ और इस समझौते के रद्दीकरण के लिए मुआवजा छः महीने के अन्दर दिया जाना था। 11-9-86 को ए० ई० सर्विसिज को 7-3 मिलियन अमरीकी डालर दिये गए थे। इस धनराशि को कोई फिनाज बैंक, ज्युरिच में रखा गया था क्योंकि उन्होंने अन्तर्देशीय राजस्व विभाग, यू० के० से मांग का पूर्वानुमान लगाया था। श्री विलसन ने हमारे अधिकारियों को स्पष्ठ रूप से बताया कि कोई भी भारतीय

[श्री पी० चिदम्बरम]

व्यक्ति अथवा कानूनी अस्तित्व द्वारा भारतीय, चाहे वह निवासी हो अथवा अनिवासी हो, सी० आई० ए० ओ० अथवा इसकी किसी सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित नहीं था। दिनांक 15-11-85 के 'दी हिन्दु' द्वारा प्रकाशित समझौता श्री विलयन को मूल समझौता प्रतीत होता है। स्पष्टतया इसके स्थान पर दूसरा समझौता किया गया लेकिन वास्तव में उसमें तथ्यों को वर्णन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसाकि मैंने इस सभा को बताया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी ए० ई० सर्विसिज के दिनांक 8-9-86 की घोषणा की प्रति प्राप्त कर ली थी। दिनांक 8-9-86 की इस घोषणा के अन्तर्गत ए० ई० सर्विसिज और बोफोर्स के बीच दिनांक 15-11-85 को समझौते की पुष्टि की गयी थी। ए० ई० सर्विसिज ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने अधिकारों और इन समझौते के अन्तर्गत शुल्क की हकदारी के पूर्ण और अन्तिम समझौता के लिए 50, 463, 966 स्वीडिश क्रोनर अर्थात 7-3 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किए थे। और इसलिए ए० ई० सर्विसिज ने समिति समझौते के अन्तर्गत शुल्क के अपने अधिकार और हक की शेष धनराशि को 8 मार्च, 1966 में छोड़ दिया था। उन्होंने यह घोषणा भी की है और मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "कि ए० ई० सर्विसिज के पूर्ण विश्वास और जानकारी के अनुसार किसी भारतीय व्यक्ति अथवा कानूनी अस्तित्व वाले भारतीय अथवा किसी भारतीय कष्ट या कानूनी अस्तित्व वाले भारतीय से संबंधित कि गैर-भारतीय व्यक्ति या कानूनी अस्तित्व मति व्यक्ति ने उसके खण्ड (एक) में व्यक्ति किए गए क्षतिपूर्ति भुगतान आंकड़ों में से कोई राशि प्राप्त नहीं की है।"

हमारा अनंतिम निष्कर्ष यह है सी० ए० ई० सर्विसिज जो कि सी० आई० ए० ओ० यू० की सहायक कम्पनी है, को परामर्शवादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया था। शायद सी० आई० ए० ओ० यू० के व्यापक अनुभव के कारण समय शायद मेजर विलियम को विशिष्ट ज्ञान की वजह से 15 नवम्बर, 1985 को एक समझौता किया गया था। इसे मार्च, 1986 में रद्द कर दिया गया था इस समझौते के अंतर्गत शुल्क के हक को बदले में क्षतिपूर्ति प्राप्त हो गयी थी। उस धनराशि को बैंक में जमा करा दिया गया था और बैंक का नाम मालूम हो गया था। और संबंधित व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि कोई भी भारतीय अथवा कानूनी रूप से भारतीय सी० आई० ए० ओ० यू० अथवा ए० ई० सर्विसिज के साथ सम्बन्धित नहीं है। इस खाते के पीछे जो गोपनीयता है उसे तब तक प्रकट नहीं किया जा सकता जब तक कि हम अपराध को साबित नहीं कर देते और हम अपनी कानूनी सहायता नहीं मांगते। इस समय मैं जो कुछ स्वेस्का के मामले के बारे में कहूंगा वह इस खाते पर भी लागू होगा।

इससे पहले कि मैं स्वेस्का के विषय पर आऊं, मैं खोजी पत्रकारिता व खतरों के बारे में बताने के लिए कुछ मिनट का समय लेना चाहता हूं।

कल हमारे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में से एक ने आठ कालम शीर्षक के अन्तर्गत एक कहानी दी है :

"दी इंडियन कनेक्शन इन दी बोफोर्स स्कैंडल।"

क्योंकि कहानी कल ही प्रकाशित हुई थी, इसलिए न तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने और न ही

सरकार में किसी ने यह दावा किया है कि उनके दल जैसा कोई जांच करने वाले चालाक आदमी है और इसीलिए मैं आज की कहानी के लिए कोई अंतिम उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन मेरे विचार में बहुत ही अनुमति तरीके से कहानी में उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है। मैंने कल ही उनको लिखा था। मैं कृतज्ञता के पास कहता हूं कि उन्होंने आज खेद प्रकट किया है। मैं चाहता हूं कि यह बात संसद के रिकार्ड में चली जाए। इसीलिए आज जो उन्होंने प्रकाशित किया है उसे पढ़ने के लिए मुझे आपकी अनुमति की जरूरत है :

"गृह मन्त्रालय में केन्द्रीय राज्य मन्त्री, श्री पी० चिदम्बरम् ने सोमवार को, सेफमैन के लिए पत्र में कहा है :"

"खोजी (इस साइट) कहानी में शीर्षक 'दी इंडियन कनेक्शन इन दी बोफोर्स स्कैंडल' (दी स्टेट्स मैन, जुलाई 24-25 में), मैंने देखा कि निम्नलिखित वाक्य में मेरे नाम का उल्लेख किया गया है 'वह (श्री ए० सी० मुखिया) केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री श्री पी० चिदम्बरम् का भतीजा भी है।' मैंने कहानी को सावधानी से पढ़ा है और मैंने देखा कि मेरे नाम का उल्लेख कहानी से पूर्णत: अप्रसांगिक है। मैं आपसे कहता हूं कि निम्नलिखित के बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। क्या मेरे नाम का उल्लेख सहज प्रासंगिक है, हालांकि यह अप्रसांगिक है? अथवा इसका अभिप्राय लांछन लगाना है?"

दी स्टेट्स खोजी (इनसाइट) दल ने उत्तर दिया :

"खोजी (इनसाइट) रिपोर्ट में श्री चिदम्बरम् का उल्लेख भी ए० सी० मुखिया की पहचान के संदर्भ में था। कोई लांछन लगाने की धारणा नहीं थी। किसी भी प्रकार की गलतफहमी के लिए हमें खेद है।"

मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। निश्चिय ही इस बारे में काफी कुछ और कहा जाएगा। ...(व्यवधान) लेकिन मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि इस कथा के कुछ पहलू, हमें जो 24 घंटे का समय दिया गया है, एकदम गलत है। यह कहानी दो पूर्वधारणाओं पर आधारित है। पहली यह है कि मैटिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड नामक कम्पनी सी० आई० ए० ओ० यू० की सहायक कम्पनी है और कैर्लबिया लिमिटेड नाम की दूसरी कम्पनी भी सी० आई० ए० ओ० यू० की सहायक कम्पनी है। हमारे पास सी० आई० ए० ओ० यू० की सहायक कम्पनियों की सूची है और इन दोनों कम्पनियों के नाम उन 14 कम्पनियों की सूची में नहीं हैं किन्तु हम अब भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। कहानी में दो व्यक्तियों का जिक्र है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे विश्वास है कि यदि उनमें से किसी को भी इससे कुछ खतरा हुआ तो वे अपने हितों की रक्षा करेंगे। कहानी में कहा गया है कि दो व्यक्ति कम्पनी के डायरेक्टर है और दोनों के एक-एक शेयर है और एक अन्य कम्पनी के माध्यम से, जो उनके नियंत्रण में कार्य करती है, उन्होंने 1300 शेयर लिए हुए हैं। कल और आज हमने जो प्रारम्भिक जांच की, उससे पता चलता है कि इन दोनों व्यक्तियों ने जून, 1980 में कम्पनी को अपने शेयर बेचे।

आप 9 वर्षों के बाद भी इस कहानी में कहा गया है कि वे एक भारतीत कम्पनी के डायरेक्टर हैं। जैसाकि मैंने कहा कि किसी के हितों की रक्षा करना मेरा दायित्व नहीं है। मुझे विश्वास है कि उनके वकीलों को बहुत-सा धन दिया गया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि एक अवधि के पश्चात् एक अच्छा लेखक एक अच्छा पत्रकार भी बन सकता है। एक अच्छा पत्रकार भी एक अवधि के पश्चात् एक

[श्री पी० चिदम्बरम]

अच्छा खोजी पत्रकार बन सकता हूं। लेकिन बिना सोचे-समझे काम करना अधिक खतरनाक है, इसमें गम्भीर खतरे हैं। जांच कार्य धैर्य से धीरे-धीरे, सावधानीपूर्वक किसी निर्दोष व्यक्ति को तकलीफ दिए बिना और कानून का उल्लंघन किए बिना करना चाहिए और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पिछले 1½ वर्षों से यही कर रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के धैर्य के परिणामस्वरूप ही इन सब बातों का पता लगाया जा सका है, जो मैंने सदन के समक्ष रखी हैं। हमारा जांच कार्य चल रहा है। जब मैं स्वेस्का मामले का उल्लेख करूंगा तो आपको जांच कार्य में हमारी कठिनाइयों का पता चलेगा। यह एक बहुत बड़ा मामला है जिसे हम बाद से निपटाएंगे। लेकिन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दस्तावेज नहीं मिले। स्विटजरलैंड में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सी० बी० आई० को दस्तावेज दे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ये दस्तावेज केवल कानूनी तौर से, सरकार, बैंकों तथा अन्य राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जो कि इंटरपोल से सम्बद्ध है, के माध्यम से जुटाने पड़े क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत में इंटरपोल से सम्बद्ध है।

अब मैं अन्तिम मामले स्वेन्सका के बारे में कहूंगा। यह तीनों मामलों में से बड़ा मामला है और हमने काफी कुछ किया है। हमने काफी मात्रा में जानकारी एकत्रित की है। जहां तक स्वेन्सका का सम्बन्ध है, बोफोर्स ने संयुक्त संसदीय समिति को कुछ जानकारी दी थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 22-2-88 को संयुक्त संसदीय समिति के सभापति को अपनी रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट के संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ 134-144 पर प्रकाशित हुई है। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। मैं उन्हें पढ़ा गया मानूंगा। दि हिन्दू ने अप्रैल, जून और नवम्बर 1988 में स्वेन्सका से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज प्रकाशित किए थे। जुलाई 1988 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने डा० लियोनल फ्रेल, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहायता विभाग; पुलिस मामलों संबंधी संघीय कार्यालय बर्न, स्विटजरलैंड से मुलाकात की। अपनी बैठक में उन्होंने जांच कार्य में स्विज अधिकारियों का भारतीय अधिकारियों को सहयोग देने के मामले में सम्भावनाओं का पता लगाया।

तदन्तर 30 जुलाई, 1988 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में डा० फ्रेल को एक औपचारिक पत्र लिखा जिसमें स्वेन्सका मामले के तथ्यों तथा समझौते के सम्बन्ध में स्विटजरलैंड और भारत के बीच चल रही बातचीत का हवाला दिया गया था और उनसे यह पूछा गया था कि क्या स्विस अधिकारियों के लिए इस जांच के मामले में भारत को सहयोग देना सम्भव होगा।

5.00 म० प०

इस पत्र के साथ जो नोट लिखा गया था वह बहुत महत्वपूर्ण है। उस नोट में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस आधार पर जांच कार्य आगे जारी रखा 'दि हिन्दू' द्वारा जो दस्तावेज प्रकाशित किए गए थे, वे वास्तविक और प्रमाणिक दस्तावेज थे। हमने इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर सन्देह नहीं किया और वास्तव में हमने इस आधार पर सहायता मांगी थी कि ये दस्तावेज प्रमाणिक थे और यहां तक कि किसी ने हमसे इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि वे दस्तावेज वास्तविक थे। इससे पता चलता है कि उन दस्तावेजों की प्रमाणिकता के बारे में किसी द्वारा पुष्टि किए जाने पूर्व ही उन दस्तावेजों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए हमारी सरकार कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है।

हमने उस आधार पर कार्यवाही की और मैं केवल एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं :

"इन दस्तावेजों से इस संदेह को और बल मिलता है कि स्वेन्सका इन्कारपोरेटिड, पनामा एक भारतीय कम्पनी एनाट्रिन जनरल कारपोरेशन की एक अग्रणी कम्पनी से अधिक कुछ नहीं है।"

दिनांक 17 अक्तूबर, 1988 को श्री ई० जिलीओ ने 'स्विस फैडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन' की राय लेने के बाद हमें एक पत्र लिखा। उन्होंने हमें स्विस कानून में वैधानिक स्थिति के बारे में संक्षेप में लिखा। उन्होंने हमें बताया कि स्विस कानून की नजरों में कर के मामले जालसाजी करने अथवा किसी वित्तीय कोस्ठों का उल्लंघन करने का क्या परिणाम होगा और कहा कि हम यह निर्णय आप पर छोड़ते हैं कि क्या भारत स्विस अधिकारियों को कानूनी सहायता देने के लिए औपचारिक अनुरोध करना चाहता है। यह पत्र हमें 24 अक्तूबर, 1988 या इसके आसपास मिला। दो हफ्तों में 8 नवम्बर, 1988 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने औपचारिक रूप से जांच का मामला रजिस्टर किया। इस बीच संसद ने 1988 के अधिनियम 32 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में और विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 में संशोधन किया, जिसके तहत हम विदेश में न्यायालय से सहायता दे सकते हैं। मैं अब वैधानिक उपबंधों का जिक्र नहीं करूंगा लेकिन वह संशोधन का सार है। दिनांक 20-2-89 को अपराधिक मामलों में आपसी सहायता के लिए भारत और स्विटरलैंड के बीच पत्राचार हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। शुरू है कि जानकारी नहीं मिली, यह प्रश्न उठाए गए कि सहायता पहले क्यों नहीं मांगी गई। लेकिन लम्बी बातचीत के बात, अपराधिक मामलों में आपसी सहायता देने के उद्देश्य से 20-2-89 को भारत और स्विटजरलैंड के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। फिर तीन दिन के बाद इस मामले में हमारी जागरूकता और दृढ़ता के बारे में बताने के लिए मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं तीन दिन के बाद 23-2-89 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक औपचारिक दस्तावेज पेश किया जिसे हम एक खुशामदी पत्र कहेंगे, जिसमें औपचारिक रूप से यह अनुरोध किया गया था कि स्वेन्सका मामले के सम्बन्ध में कुछ दस्तावेज प्राप्त करने और कुछ व्यक्तियों की जांच के लिए उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाए। इस खुशामदी पत्र के साथ 'दि हिन्दू' द्वारा प्रकाशित तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास मौजूद सभी दस्तावेजों को जोड़ दिया गया था। हमने उन्हें उन दस्तावेजों की सूची दी जो हम प्राप्त करना चाहते थे और उन लोगों की भी सूची दी जिनकी हम जांच करना चाहते थे।

महोदय, हमें इस संबंध में स्विटजरलैंड के अधिकारियों का उत्तर मिला है। यह उत्तर 16-1-89 को मिला था और मुझे खेद से कहना पड़ता है कि स्विस अधिकारियों ने हमें कानूनी सहायता देने से इंकार कर दिया है। जहां तक मेरा संबंध है, जहां तक सरकार का संबंध है यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि स्विस अधिकारियों ने हमें सहायता देने से इंकार कर दिया है, हमारे कानूनी सलाहकार इस मामले पर विचार कर रहे हैं और फिर भी हमें आशा है कि ऐसा कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा कि हम स्विस अधिकारियों को इस मामले में हमें कानूनी सहायता देने के लिए राजी कर सकें।

इसलिए यह अनुचित है और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं मुझे विश्वास है कि श्री शाहबुद्दीन ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की आलोचना की थी और उन्होंने जो कुछ कहा में उस संदर्भ में इसे अनुचित नहीं कह रहा हूं अपितु मैं उन लोगों द्वारा कही गई बातों के संदर्भ में इसे अनुचित कह रहा हूं जो यहां उपस्थित नहीं हैं...

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समझौते के ज्ञापन के अर्थ में स्विस अधिकारियों ने इंकार करने के बारे में तर्क-वितर्क किया है।

श्री पी० चिदम्बरम् : जी हां, उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की अच्छी जानकारी नहीं है। मुझे बहुत कम जानकारी है। मामले की जांच हमारे कानूनी सलाहकारों को करनी है और वे इसकी जांच कर रहे हैं।

मैं जो बात कहना चाहता हूं कि यह प्रतिक्रिया 16-6-89 को व्यक्त की गई थी, किन्तु शुद्धि के अध्यधीन, मेरे विचार से पत्र हमें 8-6-89 को मिला था। अब जुलाई चल रहा है। हम मामले की जांच कर रहे हैं और यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई और रास्ता है, स्विस अधिकारियों ने जो कुछ कहा है, यदि उसमें कुछ त्रुटि है, यदि कोई अन्य खंड है, यदि कानून में अन्य ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अंतर्गत हम स्विस अधिकारियों को इस बात के लिए राजी कर सकें कि वह हमें इस मामले में कानूनी सहायता देने पर सहमत हो जाएं। अत: यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार ने बड़ी दृढ़ता और ईमानदारी से इसे जारी रखा है। जहां तक स्विटजरलैंड का संबंध है, ऐसा ही है।

अगली बात यह है हमने स्वीडन में क्या किया। महोदय, अगस्त 988 से हमने 'हिन्दू' द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों को स्वीडन में अभियोजक के कार्यालय में पेश किया। उन्हें इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि क्या ये दस्तावेज प्रमाणिक थे। उन्होंने 20-10-88 को हमें इसका उत्तर भेजा। यह एक बहुत दिलचस्प उत्तर था। उनके साथ हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह वास्तविक दस्तावेजों के साथ उन दस्तावेजों की तुलना करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या हैं दस्तावेज प्रमाणिक थे। लेकिन 20-10-88 को उन्होंने हमें एक अत्यन्त गुप्त टैलेक्स भेजा। और टैलेक्स में यह कहा गया है :

> "आपके फलां-फलां द्वारा हमें सौंप गए दस्तावेजों की जांच हमने की है। यह उसी प्रकार है जैसे कि उनकी फाइलों में हैं।"

स्वीडन के अभियोजक ने जो कुछ कहा वह यह है कि ये दस्तावेज उसी प्रकार हैं जैसे कि उनकी फाइल में हैं। मैं नहीं जानता कि इस गुप्त टेलेक्स से क्या पता लगाना है। लेकिन, मैं यह मानता हूं कि उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें दस्तावेजों का जो सैट दिया गया था वह इस अर्थ में वास्तविक हैं कि उनके पास भी वही दस्तावेज हैं।

महोदय, जब हमने यह मालूम करने की कोशिश की कि स्वीडिश अभियोक्ता के पास क्या जानकारी है और उसमें से वह कितनी जानकारी हमें दे पाएंगे तो हमें यह पता चला। हमें पता चला कि 31-8-1987 को स्विटरलैंड के न्याय और पुलिस विभाग को एक नोट दिया था जिसमें खातों की जांच के लिए कानूनी सहायता की याचना की गई थी। हमने भी ऐसा ही अनुरोध किया था और 11-9-1987 को स्विस न्याय और पुलिस विभाग ने उसी तरह उन्हें उत्तर दिया जैसा कि उन्होंने हमें दिया था जिसमें स्विस कानून के अंतर्गत कानूनी स्थिति को बताया गया था और यह स्वीडिस अधिकारियों पर छोड़ दिया गया था कि वे कानूनी स्थिति के अंतर्गत स्विस विभाग से निवेदन करें। 15-9-1987 को स्वीडिस अभियोक्ता ने उसी तरह से कानूनी सहायता ली जैसीकि कानूनी सहायता हमने ली थी। दरअसल मैंने पाया कि जैसा कि हम कुछ कागजातों को चाहते थे और कुछ लोगों की जांच करना चाहते थे। स्वीडस अभियोगकर्ता ने भी अपने अभियाचन पत्र में कुछ कागजात जोड़े थे। मैं इसे अभियाचन पत्र इसलिए कहूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि इसके समानार्थक उनके कानून में

कुछ है या नहीं। मैं यह मानकर चलूंगा कि यह अधियाचन पत्र है और उन्होंने कुछ बैंक खातों के विषय में और कुछ लोगों के विषय में कुछ प्रश्न किए हैं और उनके खातों की जांच और लोगों की जांच के लिए वह कानूनी सहायता चाहते थे; जिसका उत्तर स्विस अधिकारियों ने 6-11-1987 को भेज दिया था; और उस सबका यही निष्कर्ष है।

कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करने और स्वीडिश अभियोक्ता के दावों को जांचने के पश्चात् स्विस अधिकारियों ने कहा :

"क्योंकि जो कुछ···यह अनुवाद है और इसलिए वाक्य रचना बिल्कुल सही नहीं हो सकती है मैं···दुबारा उद्धृत करता हूं :

"···क्योंकि जो कुछ पहले कहा गया है, पुलिस मामलों के संघीय कार्यालय के लिए यह संभव नहीं है ·"

यह स्विस पुलिस विभाग का वक्तव्य है···

"···दोनों आवेदनों के साथ संलग्न कागजात के आधार पर दोनों राष्ट्रों में दी जाने वाली सजा को निर्धारित करने में विशेषत: स्विस कानूनी दृष्टिकोण से यह पूर्णतया स्पष्ट है। अत: आवेदक अधिकारी से अनुरोध है कि विलेख में दी गई बातों को उसी भावना के साथ जहां तक संभव हो सके स्पष्ट करें। जब तक ऐसा नहीं होता है, जिन अधिकारियों से यह निवेदन किया गया है, वे कानूनी सहायता के आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे।"

इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि स्विस अधिकारियों ने जैसे हमें कानूनी सहायता से इंकार कर दिया था, वैसे स्वीडिस अधिकारियों को भी कानूनी सहायता से इंकार कर दिया। और 25-1-1988 को स्वीडिस अभियोक्ता ने स्विस उत्तर को प्राप्त होने के बाद जांच रोक दी और एक वक्तव्य जारी किया। उनका निष्कर्ष है :

"क्योंकि यह आशा नहीं है कि अभियोजन के दृष्टिकोण से निर्णायक जानकारी, जांच जारी रखकर प्राप्त की जा सके, अतएव प्रारम्भिक जांच वापिस ली जाती है।"

मेरी सहानुभूति स्वीडिश अभियोक्ता के साथ है।

उन्होंने स्विस लोगों से कानूनी सहायता की कोशिश की। दरअसल में मेरी जानकारी के मुताबिक यूरोपीय देशों में आपसी आधार पर कानूनी सहायता ज्यादा उदार है बनिस्पति उसके जो भारत ने स्विटजरलैंड से प्राप्त की। लेकिन इस वक्तव्य की मैं ध्यानपूर्वक पुष्टि करनी चाहूंगा। यहां तक की स्वीडिस अभियोक्ता का अनुरोध जो स्वीडन और स्विटजरलैंड के आपसी संबंधों के आधार पर भी, उसको भी स्विस पुलिस और न्याय विभाग ने कानूनी सहायता हेतु अस्वीकार कर दिया जिसके कारण मजबूरन स्वीडन को अपने देश में ही जांच छोड़ देनी पड़ी। 20 फरवरी, 1989 के भारत और स्विटजरलैंड के मध्य हुए समझौता ज्ञापन और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 23 फरवरी 1989 को जारी अधियापन पत्र की शर्तों के अनुसार हमें जून, 1989 मे एक उत्तर प्राप्त हुआ कि वह हमें कानूनी सहायता प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने प्रयासों को नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा जांच को रोकने, समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। हम मामले को जारी रखना चाहते हैं। तो यह सारा इतिहास है जो कुछ स्वीडन और स्विटजरलैंड के मध्य हुआ।

इसी बीच, श्री जेठमलानी, एक और जांच वकील, ने एक मुख्य विवाद उठाने की कोशिश की जो बर्जोनिया कोवर डी रोड्रिग्स नामक व्यक्ति से संबंधित था। ऐसा नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पनामा में कोई कोशिश नहीं की हो। हमारे पनामा में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप बहुत-सी जानकारी प्राप्त हुई जिसमें से अधिकांश ऐसा पता लगाने में लाभप्रद नहीं है कि इसका लाभ किसको पहुंचा है। जो कुछ हमें पता चला है, उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजातों से तीन लोगों की पहचान होती है, तीन हस्ताक्षर हैं, जो जोस एंटोनियों वेलडेस दुआतरी, कारमन फर्नांडिस और मर्सोला रेसारीमिनटो के हैं। हमने पंजीकरण करार की एक प्रति जो तारीख 13-2-1978 की है प्राप्त कर ली है। कम्पनी वास्तविकता में, जोस एंटोनियो वेलडेस दुआतरी, बर्जोनिया कोवर-डी रोड्रिग्स और मर्सोला रेसारीमिनरो के द्वारा पंजीकृत थी। हमने दो शेयर धारको का भी पता लगा लिया है। एक बर्जोनिया है। और दूसरे एगबरटो फ्लोरेंस मोरीनो।

हमारे अधिकारी पनामा गये, हमारे अधिकारियों ने पनामा के प्राधिकारियों को औपचारिक पत्र भी दिया। पनामा के अधिकारियों ने बहुत सहयोग दिया और उन्होंने हमारे साथ अपना एक अधिकारी भी भेजा और हमारे अधिकारी के साथ एक दूतावास के अधिकारी भी थे। हमें पनामा में जो पता मिला, वह इंटरसीको बिल्डिंग नं० 10 इलबियरा मेनडे स्ट्रीट पनामा सिटी का था। जो व्यक्ति कामकाज देखते थे, वह थे श्री नोरलेंडो एल पेलही। वह 'इन्टर ट्रस्ट' के अध्यक्ष हैं। नाम पट्ट में आठ कंपनियों के नाम थे। लेकिन इसमें 'स्वेन्सका' का नाम नहीं था। उन्होंने बताया 'स्वेन्सका' एक 'शैल कम्पनी' है तथा वे मात्र उस कम्पनी के लिए काम करते हैं। बर्जोनिया कोवर डी रोड्रिगस इन्टर ट्रस्ट की एक शाखा है। हमारे दूतावास के अधिकारी, पनामा पुलिस के अधिकारी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने श्री वेहली से बात की लेकिन वह 'स्वेन्सका' के वास्तविक मालिकों के बारे में बताने में असमर्थ थे। श्री जेठमलानी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को लिखे एक पत्र में यह आरोप लगाया था कि बर्जोनिया कोवर डी रोड्रिगस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 'वर्जोनिया कोवर डी रोड्रिगस' के नाम से 'ट्रिब्यूट कास्केट' के लिए कार्य किया था।

उन्होंने 19-6-75 की तारीख के एक पत्र को प्रेषित किया था जिसमें बर्जोनिया कोवर डी रोड्रिगस ने श्री रेमन्ड थर्डी की तरफ से दस्तखत किये थे। पनामा में हमने पंजीकरण करार की एकप्रति प्राप्त की जिसमें बर्जोनिया कोवर डी रोड्रिगस के हस्ताक्षर हैं। हमने उनके पहचान पत्र की एक प्रति प्राप्त की जो पनामा सरकार द्वारा हर पनामा वासी को जारी किये जाते हैं। इस पर 1-7-479 नंबर छपा है और उनका फोटो तथा हस्ताक्षर है। हमने उनके 5-5-87 के पासपोर्ट के आवेदन की प्रति भी प्राप्त की। इस तरह हमारे पास तीन स्वीकार्य दस्तावेज हैं, एक 13-2-78 की तारीख का, दूसरा उनका पहचान पत्र और तीसरी उनके 5-5-87 के पासपोर्ट आवेदन-पत्र की प्रति। इन तीनों दस्तावेजों पर बर्जोनिया कोवर डी रोड्रिगस के हस्ताक्षर हैं। जो दस्तावेज श्री जेठमलानी ने दिये हैं और स्वीकार्य दस्तावेजों में मात्र से ही देखने कोई समानता दिखाई नहीं देती। श्री नोरलेंडो एल० बेलही से पूछा गया और उनकी मार्फत कुमारी बर्जोनिया कोवर डी रोड्रिगस से पूछा गया कि ट्रिब्यूट कास्केट नामक केन्सास सिटी मिसूरी की कम्पनी के साथ उनका कोई संबंध है उन्होंने स्पष्ट तौर से ट्रिब्यूट कास्केट के साथ किसी प्रकार के संबंध से इनकार किया और उन्होंने एक शपथ-पत्र भी दिया जिसे इंटरपोल के पनामा में एजेंट ने भी हस्ताक्षरित किया और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं बर्जोनिया कोवर-डी रोड्रिगस, जिसके पास पनामा का पहचान पत्र संख्या 1-7-479 है, ने कभी संयुक्त राज्य अमेरिका में नौकरी नहीं की और किसी भी तौर पर कन्सास सिटी की ट्रिब्यूट कास्केट नामक कम्पनी के साथ किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं रहा हैं।

इतने पर भी संतुष्ट ना होने पर हमने स्वीकार्य हस्ताक्षर और विवादास्पद हस्ताक्षर, जो श्री जेठमलानी द्वारा दिए गए दस्तावेज में थे, को केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिये। केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो कि 14-3-89 की है। इसमें स्पष्ट तौर से यह कहा गया है कि श्री जेठमलानी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज पर विवादास्पद हस्ताक्षर, उन तर्कोनिया कोवर डी रोड्रिगस के हस्ताक्षर नहीं हैं जिनके स्वीकार्य हस्ताक्षर तीन दस्तावेजों में हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि एक माननीय संसद सदस्य ने लापरवाही से इतना गंभीर आरोप लगाया है। मैं पुन: सविनय निवेदन करूंगा कि ये ऐसी कमियां हैं जो एक ऐसे स्वयम् जांचकर्ता की होती है जो जांच के कार्य में प्रशिक्षित नहीं होता।

आखिरकार, हमने अपने सूत्रों से 18-6-81 की तारीख का एक दस्तावेज प्राप्त किया जिसमें एक व्यक्ति को स्वेन्सका का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह व्यक्ति यूरोपीय देश का है। हम इस व्यक्ति से मार्च, 1989 में मिले थे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वह जून, 1981 में स्वेन्सका के कम्पनी संबंधी मामलों के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि स्वेन्सका और बोफोर्स के बीच करार बोफोर्स की कीमतों, डिजाइनों आदि की जानकारी देने के सम्बन्ध में था।

उन्होंने पुष्टि की कि जब भारत सरकार ने अनुरोध किया कि सभी बिचौलिये निकाल दिये जायेंगे तो बोफोर्स ने स्वेन्सका ठेका रद्द कर दिया और 188 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के समापन शुल्क का, जैसा कि 30-5-1986 के ऋण पत्र में बताया गया है, भुगतान किया। उन्होंने इस पत्र को पहचान लिया। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने लाभार्थी हितों का प्रतिनिधित्व किया तथा यह स्पष्ट किया कि प्राप्तिकर्ताओं या स्वेन्सका खाते के प्रवर्ती लाभार्थियों में कोई भारतीय नहीं है या कम से कम वे भारतीय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी भारत नहीं गये। स्वेन्सका मामले से दूसरे देश में, विशेषत: प्रसिद्ध कर मुक्त देश में, बैंक खाते की जांच सम्बन्धी कठिनाइयां स्पष्ट हो जाती हैं। मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर मुक्त देश में गोपनीयता से पर्दा हटाना जिसके आधार पर बैंकिंग लेन-देन और वित्तीय कार्य होते हैं, कितना कठिन है। उदाहरणार्थ पनामा में कम्पनी स्थापित करने के लिये नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, वार्षिक ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है, अंशधारी होने के लिये दो व्यक्ति काफी हैं, निदेशक बनने के लिए अंशधारी होने की आवश्यकता नहीं है कोई भी अध्यक्ष बन सकता है तथा कोई भी उसका निजी सचिव बन सकता है, लेखा-परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, वार्षिक विवरण तथा वार्षिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं है और कम से कम 100 अमेरिकी डालर प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए। पनामा में यह स्थिति है। इसलिये पनामा बड़ा आकर्षक कर मुक्त स्थान है। लायचेंस्टीन का का उदाहरण लीजिए, कम्पनी स्थापित करने के लिये नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, वार्षिक विवरण की बहुत कम आवश्यकता होती है, एक निदेशक पर्याप्त है, अर्थ अंश की कोई आवश्यकता नहीं है किसी अधिकारी तथा किसी लेखा परीक्षक की आवश्यकता नहीं है कोई भी व्यक्ति नाम बताये बिना तथा अर्थ अंशधारी हुए बिना कम्पनी की स्थापना कर सकता है, उसका निदेशक बन सकता है तथा विवरण देने और लेखा-परीक्षा की आवश्यकता नहीं है हम इस प्रकार के संसार में रह रहे हैं। यह निर्दयी तथा अन्यायी विश्व प्रतीत हो सकता है परन्तु हम ऐसे ही विश्व में रह रहे हैं।

उदाहरण के लिये स्विटजरलैंड मे अधिकांशत: ऐसे ही बैंक खाते हैं। कम्पनी स्थापित करने के लिये नाम बताने की जरूरत नहीं है, अंशधारियों या निदेशकों के नाम बताने की भी आवश्यकता नहीं है, एक अंशधारी पर्याप्त है, किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, लेखा-परीक्षक बाहर का हो सकता

[श्री पी० चिदम्बरम]

है—उदाहरणार्थ स्विस कम्पनी पनामा का लेखा-परीक्षक रख सकती है, कानून में पूर्ण बैंक गोपनीयता की व्यवस्था है, बैंक की गोपनीयता भंग होने पर कड़ा दंड मिलता है तथा आपराधिक मामलों में न्यायालय के सिवाय जानकारी हासिल करना असम्भव है। हमें ऐसी स्थिति में जांच करनी है। मैं जांच शब्द पर अधिक बल देता हूं। हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई भी दस्तावेज देकर कर कहे कि इनका उपयोग कीजिए तथा इन्हें प्रकाशित कीजिए। हमें धैर्यपूर्वक जांच करनी है। हमें पिटको के खाते की जांच करनी है। हमें कोई बैंक में ए० ई० सेवाओं के खाते-की जांच करनी है। परन्तु हमने स्वेन्सका के मामले को जो अत्यधिक महत्वपर्ण है, शुरू किया है। हमने स्विटजर लैंड को समझौता ज्ञापन दिया है। हमने एक प्रार्थना पत्र भी भेजा है। हम उनसे मिले है। उन्होंने अपनी सहायता के लिये मना कर दिया है। स्वीडन ने इसकी कोशिश की और छोड़ दी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी हमने इसे छोड़ा नहीं है।

मैं यह बात पुन: दोहराता हूं कि सरकार की ओर से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनेक कठिनाइयों बावजूद भी बहुत काम है परन्तु जांच पूरी नहीं हुई है परन्तु सरकार जांच जारी रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये दृढ़ संकल्प है कि क्या यह सिद्ध किया जा सकता है कि इन खातों के वास्तविक मालिक तथा लाभार्थी कौन हैं। परन्तु अभी तक उपलब्ध सूचना के आधार पर अस्थायी निर्णय यह है कि यह प्रतीत नहीं होता कि कोई ऐसा भारतीय अथवा कानूनी रूप से भारतीय है जिसे बोफोर्स के इन भुगतानों का लाभ मिला है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। समय बोफोर्स को आप कब प्रार्थना पत्र भेजेंगे ?

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे विश्वास है कि भूतपूर्व विदेश सेवा के अधिकारी होने के नाते वह जानते हैं कि निजी कम्पनी या निजी व्यक्ति को यह प्रार्थना पत्र नहीं भेजा जा सकता। प्रार्थना पत्र पुलिस विभाग के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है ?

श्री पी० चिदम्बरम : हमने इस स्विस पुलिस विभाग को भेजा है और सहायता के लिये कहा है। स्वीडन ने यूरोपीय पारस्परिक सहायता संधिया समझौते के अन्तर्गत प्रयास किया है। उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हम प्रयास कर रहे हैं। स्वीडन की सभी दस्तावेजों तक पहुंच थी।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं स्विटजरलैंड में जांच के लिये नहीं कह रहा हूं। मैंने आपसे स्वीडन में बोफोर्स के बारे में सम्भावित जांच या जांच आधार के बारे में पूछा था।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने आपको अभी बताया था कि स्वीडन ने, जिसकी दस्तावेजों तक पहुंच है, यह जांच बन्द कर दी है क्योंकि स्वीडन गोपनीयता के कानूनों का, जिनके अन्तर्गत बैंक के खाते चलते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकता। स्वीडन आगे आकर यह पता नहीं लगा सकता कि लाभार्थी कौन है। यदि यह सूचना स्वीडन को मिल जाती तो हम उसे स्वीडन से प्राप्त कर लेते। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि जांच जारी है और हमने इसका पता लगाने का निश्चय कर लिया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं सोचता हूं कि इस विषय पर श्री चिदम्बरम के विचार

सुनने के पश्चात मैं कहना चाहता हूं कि बड़े खेद की बात है कि हमारे विपक्षी साथी यहां नहीं है। मुझे इसका आश्चर्य हुआ कि मधुजी और श्री जयपाल रेड्डी नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिये कह रहे थे तथा एक एक सदस्या···** ·· यह दलील दे रहे थे कि इसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिये। इसलिये उस समय मैंने सोचा कि विचारों में काफी मत भेद था। परन्तु बाद में उन्होंने त्याग पत्र देना पसंद किया उसके लिये मुझे खेद है। आखिर कार हम अपने मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हैं। हम यहां विभिन्न विषयों पर विचार विनियम के लिये हैं। हम यहां कुश्ती नहीं लड़ सकते तथा शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर सकते। अन्ततः हमें दूसरे की बात समझनी है और विषय पर अपने विचार व्यक्त करने है। इसलिये मैंने विपक्षी सदस्यों के सामूहिक त्याग पत्र को पसंद नहीं किया।

इससे पहले जैसाकि सैयद शाहबुद्दीन कर रहे थे कि सचेतक होता है और कभी-कभी कोई अन्तःकरण के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। इस मामले में सचेतक शायद बाहर के थे और उन पर ऐसा करने के लिये दबाव डाला गया। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि यह गलत निर्णय है।

इस समय जब मैं सोचता हूं कि हमने यह वर्ष किस प्रकार बिताया तथा बजट सत्र को याद करता हूं तो मुझे कष्ट होता है। अब तक मैं अनुभव करता हूं कि हमने बोफोर्स या ठक्कर आयोग के बारे में काफी समय बर्बाद कर दिया। बजट सत्र के दौरान मैंने कहा था कि बजट समितियों के न होने से हमें विभिन्न मन्त्रालयों की मांगों पर चर्चा करनी पड़ी है। रक्षा मंत्रालय, गृह मन्त्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर, जो सभी विकासों के लिए आवश्यकता है, चर्चा नहीं कर सके।

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : हमें रक्षा पर चर्चा करनी चाहिए थी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी हां, हमें चर्चा करनी चाहिए थी परन्तु समय नहीं था। इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि हम अपने निर्वाचकों के प्रति जिन्होंने हमें यहां भेजा है उचित नहीं है। अनेक बार मांगों को बिना किसी चर्चा के एक साथ सदन के मतदान के लिये रख दिया गया है। इस समय भी मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है कि कम से कम हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि नयी शिक्षा नीति इस देश में कैसी रही है। इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। कुछ हमारे जीवन से सम्बद्ध मामले है परन्तु हम उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं इस देश में बेरोजगारी, मुद्रा स्फीति और भारत के अधिकांश लोगों के लिये आवास की समस्याएं हैं। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सदस्य होने के कारण मुझे विशेषाधिकार था तथा मैंने देखा कि कुछ उद्योग अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी चिंता यह है कि कुछ उद्योगों को जो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, अच्छा कार्य करना चाहिए क्योंकि अधिकांश धन बर्बाद हो रहा है। हमने उनकी कोई चिंता नहीं की। हमारा बैंकिंग क्षेत्र जनता की महत्वकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं का रहा है। मैं यही वकालत करता रहा हूं कि बैंकिंग क्षेत्र को संसद के कार्य क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। संसद की कुछ समितियों को बैंकों के कार्य की जांच करनी चाहिए।

बैंकों के चेयरमैन किसी को भी जवाब देते नहीं हैं। वे खुदा बन गये हैं। वहां बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। कई-मुद्दों पर हमने चर्चा नहीं की है और उस हद तक हम अपनी आत्मा की चुभन को महसूस नहीं कर रहे हैं। हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं जिस उद्देश्य हेतु हम इस महान सभा के लिए चुने गये हैं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

जैसाकि मैंने अतः, मैं बोफोर्स समिति का सदस्य था। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट में जिसे मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला था क्योंकि यह देखना मेरी आदत है कि संसद में क्या रखा गया है, मैंने पाया कि इस समय जो कुछ नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने कहा है, मैं उससे कहीं अधिक जानता हूँ। यह नई बात नहीं है। इन इस्तीफों का बहुत भी कारण रहा हो, मुझे विपक्ष के लिए बहुत भी नया नहीं लगता कि वे नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का जवाब दें। मैं बहुत सी बातें जानता हूं परन्तु इस महान सभा का समय बरबाद किये बिना मुझे काम की बात करनी चाहिए, मुझे पूरी स्थिति के बारे में बहुत सी बातें कहनी चाहिये।

मुख्य प्रश्न दलाली का प्रश्न है। समिति में मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया था—पहली बार मुझे यह अवश्य कहना चाहिए— कि प्रधान मंत्री जो बहुत उत्सुक थे और उन्होंने मंत्रालय को विशेष रूप से कहा था कि कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। इस बारे में मैंने खुद को संतुष्ट कर लिया था। जी हां, जैसा कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का कहना है प्रधान मंत्री का यह निर्देश समझौते का अंग हो सकता था। परन्तु नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक एक तथ्य पर विचार नहीं किया है, जबकि उन्होंने यह टिप्पणी की है, कि मूल्य निर्धारण समिति ने मूल्यों को न्यूनतम कराने में बहुत परिश्रम किया। कम से कम यह वाक्य यहां होना चाहिए था। यह वाक्य यहां नहीं है।

फिर जैसा कि श्री चिदम्बरम ने एक पैराग्राफ की ओर अंकित किया है, मैं भी नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से सहमत नहीं हूं। परन्तु सबसे पहले, मुझे यह कहना चाहिए कि हमें संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिष्ठित पद की निन्दा नहीं करता हूं और मैं डॉ० अम्बेडकर से सहमत हूं। वास्तव में जब मैं जवाहरलाल नेहरू और और डॉ० अम्बेडकर को याद करता हूं तो कभी-कभी मुझे दुःख होता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए उन विभूतियों द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं को कायम रखना और उन्हें घोषित करना बहुत कठिन है। हमें इस पद के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और इस रिपोर्ट को लोकलेखा समिति के पास भेजा जाना चाहिए। लोक लेखा समिति इसकी गहराई से जांच करेगी क्योंकि वह सर्वोच्च समिति है जो नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से कहीं ऊपर है। बेशक, यह सभा सर्वोच्च है परन्तु हमने लोकलेखा समिति को बहुत बड़े अधिकार दे रखे हैं। लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की विस्तार से जांच करेगी, यह रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बुलायेगी और खुद को संतुष्ट करेगी और यह लोकलेखा समिति की रिपोर्ट का अंश बनेगा। किसी दिन इसे सभा पटल पर रखा जायेगा। परन्तु महोदय, मैं एक पैराग्राफ के सम्बन्ध में दूसरी तरह सहमत नहीं हूँ। यह पैरा 11.9 है। मैं इस पैराग्राफ को फिर उद्धृत करता हूं :

> "यद्यपि मंत्रालय ने मई 1985 में निश्चय किया था कि आयातित हथियारों और उपस्करों की अधिप्राप्ति सीधे विनिर्माताओं से की जायेगी और एजेन्ट हटा दिए जायेंगे, इसने एजेन्टों के नियोजन के सम्बन्ध में बोफोर्स से सुस्पष्ट लिखित आश्वासन प्राप्त नहीं किया। संसद की संयुक्त समिति के निष्कर्षों के अनुसार, बोफोर्स ने भारत में अधिकांश न करने वाली तीन कम्पनियों को 319.4 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (लगभग 64 करोड़ रुपये के बराबर) भुगतान किया। संविदा में एजेन्टों को निकालने के उपयुक्त प्रावधान की अनुपस्थि में, मंत्रालय द्वारा बोफोर्स से एजेंटों की भुगतान की गई सीमा तक मूल्य में कोई भी कमी नहीं मांगी जा सकी।"

यहां मैं असहमत हूं। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिष्ठित पद के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए मैं नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से एक बात पर असहमत हूं। जहां तक 64 करोड़ रुपये की राशि का सम्बन्ध है, इस पैराग्राफ में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने रास्ता बन्द कर दिया है। इस बात पर मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि बोफोर्स समिति का सदस्य होने के नाते मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच से बहुत सन्तुष्ट था और मुझे उनकी रिपोर्ट से जानकारी मिली तथा मैंने समिति के समक्ष अपना कर्तव्य पूरा किया और यूं ही मैंने एक बार कहा था कि हम बोफोर्स को 60 करोड़ रुपये देने के लिए कह सकते हैं। और अब श्री चिदम्बरम ने ठीक ही कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जो संक्षिप्त विवरण है वह उसी पर काम कर रहा है और भारत सरकार बोफोर्स के सम्पर्क में है, सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुये है, इस तरह दरवाजा बन्द कर देना ठीक नहीं है। हो सकता है कि कल भारत सरकार जांच के आधार पर बोफोर्स को 64 करोड़ रुपये देने हेतु कहने का निश्चय कर ले। इसलिए इस पैराग्राफ के अनुसार नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने इसके लिए दवाखाना बन्द कर दिया है। यह ठीक नहीं है।

महोदय, चूंकि अब मैं उन बातों को दोहराऊंगा जो मेरे कई मित्रों विशेषतौर पर श्री चिदम्बरम ने अपने भाषण में कहा हैं, मैं केवल यही कहूंगा, और मैं चाहता हूं कि श्री चिदम्बरम यहां होते, परन्तु हमारे योग्य रक्षा मंत्री महोदय यहां हैं, वह ग्रह मंत्रालय से सम्पर्क कर सकते हैं क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ग्रह मंत्रालय के अधीन है।

5.43 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

जैसा कि मैं कहता हूं, मेरे पास रिपोर्ट की प्रति नहीं है, इसे रखना मेरे लिए उचित नहीं था। या अपने पास नोट रखना उचित नहीं था, परन्तु आज मैं इस महान सभा को विश्वास में लेकर आपको यह सूचित करता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बाहर स्वीडन, इंगलैंड, स्विटजरलैंड तथा अमरीका में की गई जांच के आधार पर बहुत अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और चूंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच में लगा हुआ है मैं केवल यही चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को रिपोर्ट पूरी करने के लिए कहा गया होता और संसद के लिए जो भारत उचित तथा आवश्यक है, महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा शीघ्र अपनी जांच पूरी करें और प्रक्रिया के अनुसार जो सूचना इस संसद में देने की आवश्यकता हो, रक्षा मंत्री जी कृपा करके उसे हमारे सामने रखें। आपका बहुत शुक्रिया ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पार्टियों ने और विरोधी पक्ष ने मामला फेयर फेक्स से शुरू किया और फेयर फेक्स के मामले में जांच से जो निर्णय दिया वह स्पष्ट

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

तौर से श्री वी० पी० सिंह के विरुद्ध था और उसके बाद बोफोर्स का मसला आया। बोफोर्स के मसले के बारे में हमने इस हाउस में करीब 4 बार डिटेल्ट डिस्कशन किया। इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की। मैं समझ रहा था कि जब जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, तब यह बोफोर्स का मामला समाप्त हो गया परन्तु उसके बाद में हिन्दू न्यूज पेपर ने कुछ रिविलेशन्स किए और उस सम्बन्ध में अभी जो स्टेटमेंट हमारे स्टेट होम मिनिस्टर ने दिया कि इस मामले में पूरी तरह से जांच की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण मसला यह है कि जो बोफोर्स ने तीन विदेशी कम्पनियों को पेमेंट्स की हैं, उनके बारे पूरी तरह से जांच करके और पूरी जानकारी सदन को देंगे। जो भी जानकारी इन्होंने प्रस्तुत की है उसमें काफी जानकारी दी गई है। कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं, परन्तु कठिनाइयों को पार कर के सही तौर से, सही मसले और कौन-कौन उसमें इन्वाल्व हैं, उसकी जानकारी प्राप्त होने पर यह सारा मसला क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि जो रिपोर्ट कम्पट्रोलर और ऑडीटर जनरल ने प्रस्तुत की है, ऐसी रिपोर्टस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में प्रस्तुत होती हैं और वही कमेटी उनको स्क्रूटिनाइज करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में प्रस्तुत न करके यह मामला यहां लोकसभा में डिस्कशन के लिए प्रस्तुत किया गया है। राज्यसभा में भी यह मामला डिस्कस हो रहा है। इस प्रकार से इस मामले को दोनों डिस्कस कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं सबसे ज्यादा जोर डालूंगा और इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं—श्री मधु दंडवते और श्री रेड्डी ने बराबर प्रेशर डाला कि इस पर यहां बहस हो और उसमें हम भी सहमत हो गए कि इस मामले में यहां पर डिस्कशन होना चाहिए, जब कि यह एक ऐसा मैटर है जो कि यह एक ऐसा मैटर है जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा स्क्रूटिनाइज न करके, उसको जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, वह एक स्पेशल व्यवस्था हमारे स्पीकर साहब ने की है, इसलिए कि सभी संतुष्ट हो जाएं और इस मैटर को देखकर के, सही तरीके से कन्क्लूजन पर पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पैराग्राफ 11 एवं 12 पर पढ़ा है। इन दोनों पैराग्राफ में प्रधान मंत्री जी के खिलाफ कहीं भी कोई आरोप नहीं है। अगर ऑडिट पैराग्राफ्स के सम्बन्ध में यह समझ लिया जाए और अगर उसको ही आधार मानकर लोगों को दोषी ठहराया जाने लगे, तो यह स्थिति आएगी कि ऑडीटर जनरल द्वारा जितने भी पैराग्राफ्स विधानसभाओं की समितियों में और यहां संसद् की समिति में प्रस्तुत किए गए है, अगर इस नजर से उनको एग्जामिन करें, तो यह स्थिति होगी कि बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपराधी साबित होंगे।

बहुत से जनता के प्रतिनिधि अपराधी साबित होंगे। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी भी एग्जामिन करती है, स्टेट्स की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उसके बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के जो निर्णय होते हैं उनका इम्पलीमेंटेशन सट्रल गवर्नमेंट करती है और कोई भी यदि इस प्रकार का करप्शन का मामला हो तो सी० बी० आई० को उसे देती है, जांच कराती है और उसके बाद जो भी मामला बनता है, उसका चालान प्रस्तुत किया जाता है और फिर केस चलता है और साबित होने पर कोई व्यवस्था दी जाती है। आडिट पैरा के तौर पर हमारी गवर्नमेंट पर और प्रधान मंत्री पर आरोप लगाकर कि वे अपराधी हैं, यह बहुत ही गलत उनकी धारणा है और इस आधार पर जो

उन्होंने रैजिग्नेशन का निर्णय लिया है, वह बहुत ही गलत है, प्रजातन्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रजातन्त्र ने कहीं इसकी मान्यता नहीं दी है।

और वे वास्तव में डिस्कशन करना चाहते थे, और उन्होंने ही डिस्कशन के लिए जोर दिया, नियम। 193 के अन्तर्गत चर्चा में श्री मधु दन्डवते का नाम प्रथम था और श्री रेड्डी का नाम द्वितीय था, उन्होंने इस प्रस्ताव को शार्ट ड्योरेशन डिस्कशन के लिए रखा और उसके बाद डिस्कशन नहीं कर रहे हैं और यह प्वाइन्ट रख रहे हैं कि हम डिस्कस नहीं कर सकते, पार्लियामैंट को डिस्कस करने का अधिकार नहीं है, जबकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को स्क्रुटनाइज करने का अधिकार है तो पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम है, उसको डिस्कस करने का अधिकार नहीं है, उनकी यह धारणा गलत है। आडिटर जनरल की जो शक्तियां हैं, ताकत और पावर्स हैं उन को सैक्शन 148 से 151 तक मैंने पढ़ा है। उसके मुताबिक उनको सिर्फ एकाउन्ट्स का अधिकार है। इन सैक्शन्स में लिखा है—

[अनुवाद]

"भारत का एक नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जायेगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।"

[हिन्दी]

इस दृष्टिकोण को सामने रखकर वे यह कहते हैं कि जो पावर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेज की हैं वही पावर्स उनकी भी है। यह इन्डिपेंडेंट बाडी है। जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, यह तो सिर्फ एक पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है लेकिन कोई भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजेज के उनके अधिकार में नहीं है—

[अनुवाद]

"नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन निहित किए जाएं और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपलब्ध नहीं किया जाता है तब तक संघ के और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा ..."

[हिन्दी]

एकाउन्ट्स के अलावा इनको कोई पावर्स नहीं हैं। सैक्शन 151 में लिखा है कि—

[अनुवाद]

"भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।"

"भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की किसी राष्ट्र के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को

राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रख पायेगा।"

[हिन्दी]

आडिटर जनरल को सिर्फ एकाउन्ट्स के बारे में अधिकार है कि वह देखे कि किस प्रकार की अनियमिताएं हुई हैं। उनको यह निश्चय करने का अधिकार नहीं है कि किस ने ऑफेन्स किया है, किस ने फाल्ट किया है, करप्शन किया है। इस संबंध में जो पावर्स उनकी हैं उनके अन्दर उनको यह निश्चय नहीं करना है कि क्वालिटी आफ गन किस प्रकार की है और कौन सी फर्स्ट नम्बर की है और कौन सी सैकिण्ड नम्बर की है और कौन सी गन स्टैंडर्ड की है।

इस संबंध में यह निर्णय करने का अधिकार आर्मी को है और जो सर्वोच्च बाडी है उनको ही अधिकार है। जो विशेषज्ञ है वे ही इसकी जानकारी रखते हैं और दूसरा कोई जानकारी नहीं रख सकता है। कहने का मतलब यह है कि आडिटर जनरल ने अपनी पावर्स को ऐक्सीड करके यह व्यवस्था दी है। उन्होंने जो यह कहा कि फ्रेंच कम्पनी को फस्ट नम्बर पर होना चाहिये और उनकी गन्स को ही परचेज किया जाना चाहिये, ऐसा उन्होंने ठीक नहीं कहा है। यह कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार का जो आडिट पैरा बनाया गया है वह गलत है। अत: उसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिये। इस संबंध में जे० पी० सी० ने जो रिपोर्ट पेश की है वह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की है। आर्मी के आफिसर्स ने, डिफेंस सेक्रेटरी ने और सुन्दर जी ने बोफोर्स गन को अच्छी तरह से एग्जामिन किया है और वह एग्जामिन करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह गन अच्छी है। इसके बारे में बकायदा जांच भी कर ली गई है और जे० पी० सी० ने मौके पर जाकर इसकी जांच भी की गई है। वह हमारे क्षेत्र में ही इसकी जांच करने गई थी। उसने जांच करके यह साबित कर दिया है कि यह गन बिल्कुल अच्छी है, अप्टूडेट है और अच्छी क्वालिटी की है। इतना ही नहीं कमेटी ने इसकी कीमत के बारे में भी पूरी तरह से आकलन किया है और वह साबित हो गया है कि इससे हमें लाभ ही पहुंचा है। इस संबंध में किसी तरीके का कोई गलत ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। कमीशन एजेंट के बारे में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पूरा विवरण दे दिया है। इस संबंध में विरोधी दलों ने इस्तीफा देकर जो कदम उठाया है वह कतई उचित नहीं है। वह निराश हो गये हैं। हम बराबर सदन में यह देख रहे हैं कि वे कोई भी रचनात्मक ऐक्टिवटिज में भाग नहीं लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इन पांच वर्षों में जो कुछ भी किया है वह बहुत सराहनीय है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उन सब लक्ष्यों में हम आगे बढ़े हैं। हमने कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। हमने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। जवाहर रोजगार योजना का सारे देश ने स्वागत किया है। पंचायती राज के बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो कानून प्रस्तुत किया उसको अब हम पास करने जा रहे हैं। विपक्ष हमारे काम में रोड़े अटका रहा है। हम शहरी क्षेत्रों के लिये भी ऐसा ही कानून पास करने जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उसे आप जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करें। अगर इन कानूनों के पास करने में किसी प्रकार की हमारे सामने बाधा आई तो उसके लिये हमारा विरोधी पक्ष ही जिम्मेदार होगा।

हमारे प्रधान मंत्री जी ग्राम पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं। इससे हमारे गांवों का विकास होगा और गरीब लोग ऊपर उठ सकेंगे।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी को कोई चोट पहुंचाये। विरोध पक्ष हमारे

प्रधान मंत्री जी पर जो यह दबाव डाल रहा था कि वह इस्तीफा दें, मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल नासमझी वाली बात है। हम जानते हैं कि इनकी योजना विफल होगी और जब चुनाव होंगे तो जनता फैसला करेगी और तब यह स्थिति होगी कि हम ताकत में आ जायेंगे। इससे इनकी सारी योजनाएं असफल हो जायेंगी।

5.59 म० प०

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को आज लोक सभा से त्यागपत्र देने के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों के पत्र प्राप्त हुए हैं :—

(1) श्री चिरनजीत सिंह बालिया;

(2) श्री भट्टम श्रीराममूर्ति;

(3) सरदार तरलोचन सिंह तुर; तथा

(4) श्री तेजा सिंह दर्दी।

अध्यक्ष ने उनके त्यागपत्र तत्काल स्वीकार कर लिए हैं।

———

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 26 जुलाई, 1989/4 श्रावण, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सन लाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली